अष्टम माला, खंड 4, अंक 27

शुक्रवार, 19 अप्रैल, 1985
29 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(दूसरा सत्र)
(आठवीं लोक सभा)

27/3/87

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 19 अप्रैल, 1985/29 चैत्र, 1907 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 18, "श्री मुल्लापल्ली" के पश्चात् "रामचन्द्र
पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (iii), "स्वायत निगमों" के स्थान पर "स्वायत्त
निगमों" पढ़िये ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 20, पृष्ठ 5, पंक्ति 3, पृष्ठ 21, पंक्ति 12, "पूर्ति तथा
वस्त्र मंत्री" के स्थान पर "पूर्ति तथा वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री" पढ़िये।

पृष्ठ 4, नीचे से पंक्ति 8, "श्री चन्द्रशेखर सिंह" के स्थान पर
"श्री चन्द्रशेखर सिंह" पढ़िये ।

पृष्ठ 4, पाद-टिप्पण में "सिम्मिलित" के स्थान पर "सम्मिलित" पढ़िये ।

पृष्ठ 121, पंक्ति 23, "पित्त मंत्रालय" के स्थान पर "वित्त मंत्रालय" पढ़िये

पृष्ठ 149, पंक्ति 15, "श्री बनवारी लाल बैरिवा" के स्थान पर
"श्री बनवारी लाल बैरवा" पढ़िये ।

पृष्ठ 205, नीचे से पंक्ति 8, "श्रीमान" का लोप कीजिये ।

पृष्ठ 250, पंक्ति 2, "सभापति महोदय" के स्थान पर
"सभापति महोदय" पढ़िये ।

विषय सूची

अष्टम माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 27, शुक्रवार, 19 अप्रैल, 1985/29 चैत्र, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 507 से 512, 514 और 516	1—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 513, 515 और 517 से 526 ..	25—32
अतारांकित प्रश्न संख्या 3657 से 3786, 3788, 3790 से 3810, 3812 से 3817 और 3819 से 3844	32—63
सभा पटल पर रखे गए पत्र	164—165
नियम 377 के अधीन मामले	165—169
(एक) महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति तथा किसानों के लिए राहत उपाय करने की आवश्यकता श्री विलास मुत्तेमवार	165
(दो) खगरिया (बिहार) के विकास के लिये वहां पर उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता डा० सी० एस० वर्मा	166
(तीन) राजस्थान में उन किसानों को, जिनकी फसलों को ओलावृष्टि से क्षति पहुंची, सहायता देने के लिए राज्य सरकार को निदेश देने की आवश्यकता श्री राम सिंह यादव	166
(चार) लोगों को नौकरियां देने हेतु बुन्देलखण्ड (मध्य प्रदेश) में राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य आरंभ करने की आवश्यकता श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी	167
(पांच) पश्चिमी बंगाल में सुन्दरबन बाघ परियोजना के आसपास बाघों से उत्पन्न खतरे से लोगों तथा पशुओं को बचाने के उपाय करने की आवश्यकता .. .. .. श्री सनत कुमार मंडल	167

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(छः)उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में अकाल की स्थिति तथा वहां पर राहत कार्य आरंभ करने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत 167

(सात)उड़ीसा में एक डाक मण्डल खोलने की आवश्यकता

श्री जगन्नाथ पटनायक 168

(आठ)उत्तर प्रदेश में, विशेषकर शाहजहांपुर में, बिजली की अत्यधिक कमी तथा अन्य राज्यों से वहां बिजली देने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र प्रसाद .. .. .. 168—169

अनुदानों की मांगे (सामान्य), 1985-86 .. .. 169—204

(एक)उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय—जारी

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी .. .. .. 169—173

श्री पी० अप्पालानरसिंहम .. .. 173—174

श्री आशुतोष लाहा .. .. .. 175—176

श्री अमर राय प्रधान .. .. .. 176—179

श्री कमला प्रसाद सिंह .. .. .. 179—180

श्रीमती गीता मुखर्जी .. .. 181—182

श्री शांति धारीवाल .. .. .. 182—185

श्री मुल्लापल्ली .. .. .. 185—187

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी .. .. 187—188

श्री वीरेन्द्र पाटिल .. .. .. 188—204

(दो)खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (चर्चा असमाप्त) .. 204—205

श्री एच०ए० डोरा .. .. .. 205—212

श्री राम प्यारे पनिका .. .. .. 212—215

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी .. .. .. 215—216

रेगिस्तान विकास कार्यक्रम संबंधी संकल्प जारी—(वापस लिया गया) .. 217—227

श्री बालकवि बैरागी .. .. .. 217—222

श्री के० आर० नारायणन .. .. .. 222—223

श्री वृद्धि चन्द्र जैन .. .. .. 223—227

विषय		पृष्ठ
आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निगमों का रूप देने के बारे में संकल्प—(चर्चा असमाप्त)	.. .. ..	227—253
श्री एम० रघुमा रेड्डी	.. .. ..	227—229
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	.. .. ..	229—231
श्री ई०एम०एस० पकीर मोहम्मद	.. ..	231—232
श्री अमल दत्त	.. .. ..	233—236
श्री राम प्यारे पनिका	.. .. ..	236—238
श्री मूल चन्द डागा	.. .. ..	238—241
श्री श्रीहरि राव	.. .. ..	241—243
श्री वाई० एस० महाजन	.. .. ..	243—245
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (भाषण असमाप्त)	.. ..	246—253

लोक-सभा

शुक्रवार, 19 अप्रैल, 1985/29 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत् हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू बी० ए० बी० ओ०) लिमिटेड में घाटा

+

*507. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री मुकुल वासनिक :

क्या **पूर्ति और वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू बी० ए० बी० ओ०) लिमिटेड, कलकत्ता को 2.5 करोड़ रु० प्रति माह की हानि हो रही है तथा प्रबन्धक अपने सभी अठारह एककों में इस प्रकार की हानि की प्रवृत्ति को रोकने में असफल रहे हैं;

(ख) क्या पांच अथवा अधिक वर्ष पूर्व तैयार की गई योजना के अनुसार मिल के आधुनिकीकरण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक एकक में किये गए आधुनिकीकरण का ब्यौरा क्या है और उन मिलों के नाम क्या हैं जहां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये मशीनें लगाई जानी हैं; और

(घ) प्रत्येक मिल में हानि की प्रवृत्ति को रोकने तथा प्रस्तावित आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पूर्ति तथा वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण—एक

(क) एन० टी० सी० (डब्ल्यू बी० ए० बी० ओ०) रूई की अपर्याप्त सप्लाई, स्टाक के कम उठान, पावर सप्लाई के बन्द होने, श्रमिकों की संख्या अधिक होने, अन्तर्निविष्ट साधनों की लागत में वृद्धि (अर्थात् मजदूरी/वेतन, रंजक और रसायन पावर ईंधन) आदि के कारण हानि उठाता रहा है। 1984-85 के दौरान एन०टी०सी० (डब्ल्यू बी०ए०बी०ओ०) को प्रति मास लगभग 2.40 करोड़ रु० की हानि हुई है तथापि, जनवरी-मार्च, 1985 में निगम के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है।

(ख) एन० टी० सी० (डब्ल्यू बी० ए० बी० ओ०) के अन्तर्गत एककों के लिए आधुनिकीकरण की स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन कुल मिलाकर क्रमबद्ध रूप में प्रगति पर

है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिये मूल परिव्यय 36.19 करोड़ रु० था जिसे इस बीच संशोधित करके 39.86 करोड़ रु० कर दिया गया है । 31-3-1985 तक जितना काम हुआ और जितनी मशीनें लगाई गई उनका मूल्य लगभग 31.44 करोड़ रु० है । 7वीं योजना के दौरान आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी जारी रखी जा रही है।

(ग) इस सहायक निगम के अन्तर्गत प्रत्येक मिल के सम्बन्ध में आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अधीन आधुनिकीकरण कायाकल्प पर जितना व्यय हुआ और नयी मशीनों के लिये जितने मूल्य के आर्डर दिये गये, उनका विवरण अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

(घ) मिलों के कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिये जो कुछ महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं या किये जा रहे हैं, वे इस प्रकार हैं :

(1) विभिन्न उपलब्ध माध्यमों से समय पर रूई की अधिप्राप्ति के लिए प्रबन्ध किये जा रहे हैं ;

(2) नकद हानियों की पूर्ति के लिये कार्यकारी पूंजी की प्रतिपूर्ति की गई है;

(3) बिजली की कमी को दूर करने के लिये स्वयं बिजली पैदा करने की क्षमता की व्यवस्था की गई है;

(4) सभी स्तरों पर लागतों में कमी के लिये लागत नियन्त्रण पद्धतियां लागू की गई हैं;

(5) उपलब्ध संशोधनों के बेहतर प्रबन्ध के लिये सहायक स्तर पर प्रबन्ध को मजबूत बनाया जा रहा है ।

(6) मिलों के प्रबन्ध में कामगारों की भागीदारी की योजना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

अनुबन्ध

नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन (डब्ल्यू बी० ए० बी० ओ०) लि०

(लाख रु० में)

	आधुनिकीकरण कायाकल्प पर हुआ व्यय	नई मशीनों के लिये दिये गये आर्डरों का मूल्य
1	2	3
1. बंगाल टैक्सटाइल्स	143.06	149.85
2. मनीन्द्र	42.71	19.57
3. सैंट्रल काटन	81.94	—
4. बंगाल फाईन नं० 1	203.18	18.17
5. बंगाल फाईन नं० 2	130.18	160.03
6. श्री महालक्ष्मी	164.63	5.00
7. रमपूरिया	316.76	37.57
8. लक्ष्मी नारायण	219.02	17.02
9. आरती	240.51	68.66
10. बंगश्री	207.00	136.05

1	2	3
11. बंगाल लक्ष्मी	340.56	31.53
12. कनौरिया	75.87	3.10
13. ज्योति	53.16	11.61
14. सोदपुर	181.70	—
15. एसोसिएटिड इण्डस्ट्रीज	173.57	41.15
16. गया काटन	210.35	32.98
17. बिहार को-अप	68.81	48.57
18. उड़ीसा काटन	290.37	9.32
केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला	0.85	—
योग	3144.24	790.18

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम को लगभग 2.40 करोड़ रुपया प्रति माह हानि हुई है। तथापि बाद में मन्त्री महोदय कहते हैं कि जनवरी-मार्च, 1985 के दौरान निगम के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है। यह सही नहीं है कि जनवरी-मार्च, 1985 के दौरान निगम के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। 1985 में 2 करोड़ और 67 लाख रुपये की नकद हानि हुई है। इसके अतिरिक्त प्रति माह इसकी हानि बढ़ती जा रही है। 1984-85 के दौरान इसे मात्र कुप्रबन्ध के कारण ही इसे भारी हानि हुई है। अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या 1984-85 के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में हानि कई गुना बढ़ी है ? और क्या ऐसा तीन व्यक्तियों—अर्थात, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, निदेशक (कार्मिक) तथा निदेशक एवं प्रबन्ध—निदेशक (तकनीकी) के आपसी झगड़ों, भ्रष्टाचार और अकुशलता के कारण हुआ है।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : माननीय सदस्य महोदय ने उस सुधार के बारे में संदेह व्यक्त किये हैं, जो जनवरी-मार्च 1985 के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम की इस सहायक कम्पनी में हुआ है। तथ्य यह है कि हानि घटकर 2.10 करोड़ रु० प्रति माह पर आई है।

जहां तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम के उच्च अधिकारियों के आपसी झगड़ों के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं विशेषकर इस स्थिति के बारे में नहीं जानता हूं। यदि सदस्य महोदय मुझे कोई सूचना दें, तो मैं उस सूचना और उनके सुझावों का स्वागत करूंगा।

श्री० बी० श्रीनिवास प्रसाद : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हो रही हानि का एक कारण श्रमिकों की संख्या का अधिक होना है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सच नहीं है कि हानि तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा भर्ती पर रोक लगाए जाने के बावजूद जून, 1984 से नवम्बर, 1984 के दौरान लगभग 600 व्यक्तियों को कुछ जाली दस्तावेजों के आधार पर उनकी जून, 1984 से नवम्बर, 1984 की अवधि के दौरान नियमित उपस्थिति के बिना कार्यालय में ऊंचे वेतन पर अनियमित नौकरियों पर लगाया गया है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं इस तथ्य से अवगत नहीं हूं। यदि सदस्य महोदय के पास कोई सूचना है, तो कृपया वह मुझे दे दें। यह सूचना है कि प्रदर्शन-कक्ष के कर्मचारियों के बारे में अनियमित नियुक्तियों के बारे में कुछ बात हैं और इस मामले की जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेजा गया है।

श्री वी० वेंकटेश : महोदय, राष्ट्रीय कपड़ा निगम में भ्रष्टाचार का* बोलबाला है। यह भ्रष्टाचार का* मंदिर है और वहां गैरकानूनी नौकरी संबंधी धोखाधड़ी हो रही है वास्तव में वहां चार व्यक्तियों का इसमें हाथ है। वे हैं....**....अध्यक्ष—सह-प्रबन्ध-निदेशक ...**...निदेशक, (तकनीकी)...**... महाप्रबन्धक (तकनीकी), और...**... निदेशक (कार्मिक)। वे सभी इसमें अंतर्ग्रस्त हैं। अत: इसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बारीकी से जांच की जानी चाहिए क्योंकि इसे पहले ही रुग्ण उद्योग के रूप में घोषित किया जा चुका है और वहां भर्ती पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद, जैसाकि सदस्य महोदय ने बताया है, बिना कोई काम सौंपे 600 व्यक्तियों को अनियमित रूप से नौकरियों पर लगाया गया है और उन्होंने उनसे गैरकानूनी अनुतोष प्राप्त किए हैं, इस अनुतोष की राशि प्रति व्यक्ति लगभग 5,000 रुपए से 10,000 रुपए की दर से है।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेज दिया गया है।

श्री वी० वेंकटेश : अत:, इस सब पर चर्चा करने के लिए आधे घंटे के समय की आवश्यकता है। हमारे पास इस से संबंधित पर्याप्त सामग्री है कृपया इसके लिए आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दीजिए, क्योंकि आम जनता के धन को हुगली नदी में बहाया जा रहा है विशेषकर, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक अपना निवास कलकत्ते में नहीं रखे हुए हैं, उनका परिवार बम्बई में ही है और वह अपना ध्यान इस उद्योग पर केन्द्रित नहीं कर रहे हैं।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : मुझे भी माननीय सदस्य के साथ इस बारे में चिन्ता है। मैं इसकी जांच करूंगा और यदि सदस्य महोदय कोई विशेष बात मुझे बताना चाहें, तो मैं निश्चय ही उसका स्वागत करूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कपड़ों की क्वालिटी बहुत इन्फीरियर रहती है और पब्लिक सेक्टर भी उसे खरीदना नहीं चाहती है। गरीबों के लिये जो कपड़े बनते हैं, वह खुले बाजार में मिलते नहीं हैं और गरीबों को उपलब्ध भी नहीं हो पाते हैं।

श्री चन्द्रशखर सिंह : यह कपड़े की क्वालिटी के बारे में ऐसी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जिस प्रश्न का जिक्र माननीय सदस्या कर रही हैं वह आगे जनता क्लाथ या कंट्रोल क्लाथ के बारे में एक प्रश्न है।

महाराष्ट्र से कपास का निर्यात

[अनुवाद]

***508. श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष महाराष्ट्र से कितनी मात्रा में कपास का निर्यात हुआ; और

**कार्यवाही वृत्तांत में सिम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) क्या सरकार ने रूई के निर्यात के लिये विश्व में नए बाजारों का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

पूर्ति तथा वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) महाराष्ट्र राज्य सहकारी रूई उत्पादक विपणन संघ के पक्ष में गत तीन रूई वर्षों (सितम्बर से अगस्त तक) के दौरान निर्यातों के लिये रूई की आबंटित मात्राएं नीचे दिये अनुसार हैं :

वर्ष	निर्यात के लिये रिलीज की गई मात्रा
1981-82	2.67 लाख गांठें
1982-83	4.21 लाख गांठें
1983-84	1.00 लाख गांठें

(ख) निर्यातक अभिकरण निर्यात बिक्रियों के लिए उत्कृष्ट कीमतों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और बड़ी संख्या में देशों में बिक्री कर सके हैं ।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि कपास निर्यात व्यापार को निश्चित मूल्य निर्धारित करके वे बढ़ावा देना चाहते हैं लेकिन उत्तर के अनुसार 1981-82 और 1982-83 की तुलना में 1983-84 में महाराष्ट्र से बहुत कम बेल्स (एक लाख बेल्स ही) निर्यात हुई हैं । मैं जानना चाहूंगी इसका कारण क्या है ? क्या महाराष्ट्र फेडरेशन इन्ट्रेस्टेड नहीं था या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने समय पर पर्मिशन नहीं दी ? इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहूंगी कि फेडरेशन ने कब मांग की थी और भारत सरकार ने उसके लिए कब पर्मिशन दी तथा महाराष्ट्र फेडरेशन ने कितने बेल्स की मांग की थी और भारत सरकार ने कितने बेल्स की पर्मिशन दी ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि निर्यात करना कोई अपने में उद्देश्य नहीं है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो जरूरत होती है उसके बाद जो सरप्लस बच जाता है उसको निर्यात करने की जिम्मेदारी होती है । पिछले दिनों महाराष्ट्र फेडरेशन ने ज्यादा एक्सपोर्ट करने की मांग की थी लेकिन एक्सपोर्ट की जो क्वालिटी निर्धारित की जाती है वह किसी राज्य के हित के दृष्टिकोण से नहीं, पूरे देश के हित को देखा जाता है कि क्या जरूरत है और कितना प्रोडक्शन है, क्या प्राइस ट्रेन्ड्स है और इसको देखते हुए ही महाराष्ट्र को जो एलाऊ किया गया उसका हमने उल्लेख किया है । इसमें एक जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से महाराष्ट्र से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, वह यह है कि महाराष्ट्र में आमतौर से एच-4 वेरायटी की काटन पैदा की जाती है और जो एक्स्ट्रा-लांग स्टैपल एक्सपोर्टेबल वेरायटी है वह महाराष्ट्र में कम होती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में अधिक होती है । इसलिए इसका ख्याल रखते हुए दूसरे प्रदेशों से भी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाती है । जैसा मैंने कहा, जो काटन कारपोरेशन है वह देश भर के पैमाने पर काम करता है लेकिन महाराष्ट्र के अन्दर जो महाराष्ट्र फेडरेशन काम करता है वह अलग व्यवस्था है । यही कारण है कि महाराष्ट्र के लिए एक लाख बेल्स का एक्सपोर्ट एलाऊ किया है वही सम्भव हो सका है । इस साल कुल 2 लाख बेल्स एक्सपोर्ट के लिए रिलीज की गई है जिसमें एक लाख 31-1-85 और 95 हजार बेल्स 23-3-85 को, जिसमें महाराष्ट्र को 65 हजार बेल्स की इजाजत दी गई है ।

श्रीमती ऊषा चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानती हूं कि कोई भी राज्य देश से बढ़ कर नहीं हो सकता है । मन्त्री जी ने लम्बे धागे की कपास की बात कही है लेकिन उसका उत्पादन दूसरे प्रान्तों में भी बढ़ रहा है, आज पंजाब में भी उसका उत्पादन बढ़ता जा रहा है और आंध्र में भी आपने बताया है कि उसका उत्पादन ज्यादा होता है । एक्सपोर्ट के लिए मांग है । महाराष्ट्र में कपास की फसल ज्यादा है, जिस पर महाराष्ट्र की अर्थ नीति निर्भर करती है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूं, महाराष्ट्र में अच्छी क्वालिटी का कपास उत्पादन करने के लिए आप क्या सोच रहे हैं ? इसके साथ साथ कॉटन मोनोपोलिस्ट स्कीम में किसानों को कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा हौसला दिया है । इसलिए में आपसे पूछना चाहती हूं, हमारे देश में कितने कपास उत्पादक प्रान्तों ने मोनोपॉली या को-आपरेटिव के जरिए कपास खरीदने की मांग की थी तथा इसके बारे में आपकी क्या नीति है ? क्या सरकार ऐसी स्कीम को और प्रान्तों में सहायता देना चाहती है ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम केवल महाराष्ट्र में लागू है और दूसरे राज्यों में यह स्कीम लागू नहीं है । दूसरे सूबों में सी०सी० आई०.....

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : केवल एक ही आदर्श राज्य है ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर सिंह : कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया काम करता है, जो इस बात के लिए कार्यवाही करता है कि किसानों को सपोर्ट प्राइस से कम कीमत न मिले । रिम्युनरेटिव प्राइस मिल सके ।

श्रीमती ऊषा चौधरी : आपके पास कितने प्रान्तों ने आज तक डिमांड की थी ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : ऐसी कोई रिक्वैस्ट दूसरे प्रान्तों से हमारे पास नहीं आई है ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : स्पष्टतया यह प्रश्न सीधा सादा लगता है क्योंकि इस सभा की एक सीधी सादी महिला सदस्या द्वारा यह पूछा गया है । किन्तु यह काफी महत्वपूर्ण है तथा इस में पर्याप्त शरारत भी है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मूल्यों, आयात और निर्यात से संबंधित समूची समस्या पर व्यापक रूप से विचार करेगी । क्या यह सच नहीं है कि जहां यह प्रश्न निर्यात से संबंधित है, वहां यह इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि प्रथमतः किसानों के विभिन्न संगठनों तथा उनकी सहकारी समितियों से कपास के मूल्यों में बेहतर वृद्धि की मांग होती रही है, दूसरे में, चूंकि उन्हें पर्याप्त मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए वे कपास के निर्यात को बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं ? क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने मांग की है कि कृत्रिम रेशे के आयात पर 3 वर्ष की रोक लगा दी जानी चाहिए ? क्या सरकार इन सभी तीनों तत्वों पर व्यापक रूप से विचार करेगी और एक व्यापक नीति बनायेगी ?

महोदय, क्या आप इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह से सहमत हूं कि इस प्रश्न पर एक ही दृष्टि से विचार नहीं किया जा सकता है । उद्योग की आवश्यकताओं के बारे में व्यापक रूप से समग्र विचार करना होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी हमें पग उठाने होंगे कि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिलें, वर्तमान नीति, जैसाकि माननीय सदस्य महोदय ने बताया है, से यह सुनिश्चित करना है कि क्या कपास उत्पादन जमा बकाया भंडार जमा आयात इस उद्योग के लिए पर्याप्त है । हमें मूल्यों की प्रवृत्तियों पर भी निगरानी रखनी होती है । यदि मूल्य गिर रहा है, तो हमें आयात करना होता है । यदि मूल्य किसी स्तर के परे चले जाते हैं, तो हम कपास का आयात करते हैं । अतः व्यापक रूप से विचार किया जाता है और केवल इसी दृष्टि से ही हम कतिपय निर्णय लेते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने मेरे अनुपूरक प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर नहीं दिया है । कृत्रिम रेशे के आयात पर 3 वर्ष की रोक की मांग के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : कृत्रिम रेशे के आयात का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है । हम एक वस्त्र नीति तैयार कर रहे हैं, हमें आशा है कि हम इसकी घोषणा संसद के चालू सत्र में कर देगें । तीन वर्ष के विचार को नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वर्षवार आधार पर यह मूल्यांकन करना होता है कि कितनी कपास देश में उपलब्ध है और उद्योग की आवश्यकताएं और दूसरी आवश्यकताएं कितनी हैं । यह विचार किया जाता है । इस समय हम स्थिति का प्रति वर्ष की स्थिति पर विचार करते हैं और इसके बारे में कुछ निर्णय लेते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार यह है कि किसान उतनी मात्रा में उत्पादन करने में पूरी तरह समर्थ है जितनी की आवश्यकता है । अतः, हमें अवश्य ही इस संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और ऐसा करके देश की बचत होगी और किसान को भी लाभ पहुंचेगा ।

अगला प्रश्न; अब इस में और कुछ भी नहीं रह गया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देंगे ? आप केवल सिर हिला रहे हैं । महोदय, यदि आप केवल सिर हिला देंगे, तो हमें कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । कृपया कहिए, हां ।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां ।

ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण को चुस्त बनाना

*509. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

श्री प्रताप भानु शर्मा :

क्या वित्त मंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के ढांचे और कार्यकरण की तुलनात्मक पुनरीक्षा के बारे में 3 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1919 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण, ढांचे और संगठन को सुचारू बनाने के प्रस्ताव तैयार किए हैं और उन पर विचार किया है ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी घोषणा और उन पर कार्यान्वयन किस तारीख तक किए जाने की संभावना है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ;

(घ) क्या सरकार को इन बैंकों के कार्यकरण में कमियों और अपर्याप्तता का पता है क्योंकि यह बैंक ब्याज की विभेदक दर के अंतर्गत ऋण देने में भी असमर्थ हैं ;

(ङ) सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ; और

(च) नवगठित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण के किन-किन क्षेत्रों से संबद्ध किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण और संगठनात्मक ढांचे को और दोष रहित बनाया जा सके । सरकार नें इस मामले पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने मुख्य रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता के बारे में अध्ययन करने का काम कृषि वित्त निगम को सौंपा है । आशा है कृषि वित्त निगम शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ।

सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने के लिए भी एक कार्यकारी दल का गठन किया है ताकि उनके संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने और कुल मिला कर उनकी क्षमता में सुधार करने के लिए उचित उपायों का पता लगाया जा सके । कार्यकारी दल ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत पात्र ऋणकर्ताओं को ऋण प्रदान करते हैं और इस योजना के अधीन दिए गए ऋणों के बारे में प्रायोजक बैंकों से पुनर्वित्त प्राप्त करते हैं । प्रायोजक बैंकों से विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन उधार देने के लक्ष्य के प्रयोजन से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उपलब्ध कराई गई धनराशि को भी ध्यान में रखने की अपेक्षा की जाती है ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के काम के साथ अधिक से अधिक सम्बद्ध किया जा रहा है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर निगरानी रखने का काम अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किया जाता है । इसी प्रकार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों का निरीक्षण का काम, जो पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था, अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अन्तरित कर दिया गया है ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : विवरण से यह पता लगता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण और संचालन को दोषरहित बनाया जा सके ।

क्या मैं जान सकता हूं कि ये विशिष्ट संशोधन कौन-कौन से हैं और उनका प्रस्ताव कब किया गया था और उनके संबंध में कार्यवाही करने के लिए सरकार की ओर से विलम्ब क्यों हुआ है ?

श्री जनार्दन पुजारी : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन निम्नलिखित हैं :—

(क) वर्तमान प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों का विभाजन तथा एकीकरण ;

(ख) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के संबंध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की भूमिका को कानूनी समर्थन देना ;

(ग) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की भूमिका, जिसमें सांविधिक निरीक्षण, पुनर्वित्त पोषण करके वित्तीय समर्थन प्रदान करना, बैंक के कार्यकरण के सम्बन्ध में कुल पर्यवेक्षण तथा समन्वय आते हैं ।

पर्यवेक्षण तथा समन्वय हेतु, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए कानूनी समर्थन का प्रस्ताव किया गया है ।

इस समय प्रायोजक बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को पांच वर्षों की अवधि के लिए सीमान्तिक सहायता दें । अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा यह प्रस्ताव किया गया हैं कि पांच वर्षों से अधिक के लिए सीमान्तिक सहायता देने हेतु उपबन्ध किया जा सकता है । अब तक यह केवल पांच वर्षों तक ही सीमित हैं ।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के प्रतिनियुक्त अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में उन्हें तीन महीनों के नोटिस पर वापस भेजा जा सकता है । यह उपबन्ध करने का प्रस्ताव किया गया है कि बिना कोई नोटिस दिये उसे वापस भेजा जा सकता है ।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की जारी शेयर पूंजी 25 लाख रुपया है । अब यह प्रस्ताव किया गया है कि जारी शेयर पूंजी 25 लाख रु० से अधिक की हो सकती है ।

कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ये कुछ सिफारिशें हैं । सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है । ये विचाराधीन हैं । यथासम्भव शीघ्र कोई निर्णय ले लिया जायेगा ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मंत्री महोदय ने मुझे वह तिथि नहीं बतायी हैं जब उन्हें ये संशोधन प्राप्त हुये थे जिससे मैं यह जानने में समर्थ हो सकूं कि क्या विलम्ब हुआ है अथवा नहीं । मैंने यह प्रथम अनुपूरक प्रश्न पूछा है । इन संशोधनों की प्राप्ति की तिथि क्या है ?

श्री जनार्दन पुजारी : इस समय मेरे पास तिथि के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । बाद में मैं सदस्य महोदय को यह तिथि बता दूंगा ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : वक्तव्य के अन्तिम पैरा में यह कहा गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किया जाता है ।

क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस देने का काम भी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अन्तरित कर दिया गया है या यह काम अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है ? यदि यह काम अभी भी रिजर्व बैंक के अधीन है तो इस द्वयात्मकता को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी । इस समय आधे कृत्य भारतीय रिजर्व बैंक के पास हैं और अन्य आधे कृत्य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पास हैं । क्या लाइसेंस देने की नीति के सम्बन्ध में सरकार चालू वर्ष के दौरान यही स्थिति रहने देगी ?

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 270 जिलों में 170 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है । इसके विपरीत हमने 183 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले हैं जो लक्ष्य से अधिक हैं और हमने ये बैंक 319 जिलों में खोले हैं ।

170 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 8,200 शाखाएं खोलनें का लक्ष्य था । यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है बैंकों ने देश भर में 10,132 शाखाएं खोली हैं । । अतः वर्तमान प्रणाली बहुत सन्तोषजनक और अच्छी है । माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बनने के बाद 1975-76 से जो हजारों शाखाएं ग्रामीण अंचलों में खुली हैं उनसे निश्चित रूप से गांवों की अर्थ-व्यवस्था में सुधार हुआ है और गरीबों की मदद करने के दरवाजे खुले हैं और हमारी सरकार का यह कदम निश्चित रूप से प्रशंसनीय रहा है पर आज की बदलती हुई आवश्यकता को देखते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिस समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आर०आर० बीज का गठन हुआ था, उस समय इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए हमारे पास कोई वित्तीय एक्स संस्था नहीं थी, जिस की वजह से कमर्शियल बैंकों को स्पोंसर करने का यह निर्देश दिया गया था और जिम्मेवारी दी गई थी पर इस के बाद जब नेबार्ड बैंक बन गया, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक बन गया, तो इस के बाद इस के संचालन की पूरी जिम्मेवारी नेबार्ड बैंक पर ही होनी चाहिए । क्या इस बारे में सरकार कोई विचार कर रही है ? देश में नई शाखाएं खोलने की जिम्मेवारी और दायित्व नेबार्ड बैंक का ही होना चाहिए और उसे उसमें शामिल होना चाहिए ।

(बी) पार्ट मेरे क्वेश्चन का यह है कि मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि जो डी० आर० आई० की स्कीम है, उसमें ऋण छोटे व्यवसायी और छोटे काश्तकारों को दिया जाता है और वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा दिया जाता है पर जहां तक मुझे जानकारी है, उसका प्रतिशत कुल जो क्रेडिट प्लान बैंक का रहता है, उसका एक परसेन्ट रहता है कमर्शियल बैंक में और स्वयं वह उसके वित्तीय एडवान्सेज में चला जाता है और उस राशि को वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उपलब्ध नहीं करा पाता है और ज्यादातर इस का निगेटिव रेप्लाई ही आर०आर०बी० द्वारा दिया जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कुल क्रेडिट प्लान का एक परसेन्ट टार्गेट कमर्शियल बैंक को दिया जाता है, उसी तरह से ऐसा ही टार्गेट आर०आर० बीज को क्यों नहीं सरकार देती है ।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : यह सच है कि जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाये गये तो कोई शिखर निकाय नहीं था । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसके बाद बना । इस प्रयोजन के लिए मुख्य प्रश्न सुसंगत था । इसीलिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सिफारिशें की हैं । सरकार द्वारा स्थापित कार्यकारी दल भी सभी पहलुओं यथा ढांचागत संगठन, क्षमताएं, योग्यताएं सम्बन्धी सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है और इसकी सिफारिशों पर सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी । इसीलिए मैंने कहा है कि हम सरकार द्वारा स्थापित कार्यकारी दल की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

जहां तक अन्तरीय ब्याज दर योजना का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि प्रायोजक बैंक इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं और उन्होंने एक लक्ष्य भी निर्धारित किया है । जहां तक बैंककारी क्षेत्र का सम्बन्ध है माननीय सदस्य ने यह सही कहा है कि 'अन्तरीय ब्याज दर के अन्तर्गत' दी जाने वाली न्यूनतम सहायता एक प्रतिशत है, लेकिन अखिल भारतीय औसत जो दिसम्बर 1983 के अन्त में 1.2 तक पहुंच गया था, अब 1.17 से अधिक हो गया है । जहां तक अन्तरीय ब्याज दर योजना का सम्बन्ध है, 368 करोड़ रुपये की राशि बकाया है । बैंकों ने 37 लाख से अधिक लोगों को सहायता दी है । इनमें से लगभग 18.5 लाख व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं । आज यह स्थिति है और जहां भी सुधार की कोई गुंजाइश होगी, उस पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा । इसीलिए, हमने कार्यकारी दल बनाया है और इस दल से परिवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् हम सूची प्रणाली में निश्चित रूप से कुछ सुधार करेंगे ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर पुजारी, उनकी बात सुनकर मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए । क्या यह नाबार्ड छोटे-बड़े किसान की बात करके ही कर्जा देता है ?

[अनुवाद]

क्या ये किसानों में कोई भेद करते हैं—कौन बड़ा है कौन छोटा है ? जब हमने 12 एकड़ और 17 एकड़ की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी है तो कौन बड़ा है और और कौन छोटा ? क्या ये इनमें कोई भेद करते हैं ? ये ऐसा क्यों करते हैं ? भारत में हर एक जगह अधिकतम सीमा निश्चित की गयी है । ये किसानों में भेद कैसे कर सकते हैं ? आज यह भेदभाव क्यों है ? क्या आप बता सकते हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : आपके सुझाव के बारे में मैं निश्चित रूप से उनसे कहूंगा कि वे इसकी जांच करें ।

अध्यक्ष महोदय : लोगों को अदालत में जाना पड़ता है और विभाजन करते हैं और 12 एकड़ जमीन को तीन लड़कों में बंटवाते हैं और इस पर अनावश्यक रूप से पैसा खर्च होता है क्योंकि अन्यथा उन्हें ऋण नहीं मिल सकता । यह उन पर अनावश्यक बोझ है । यह बहुत खराब बात है । मैं लोगों से मिला हूं और उनसे पूछा है ।

श्री जनार्दन पुजारी : श्रीमन् मैं इसकी जांच कराऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात उससे सम्बन्धित नहीं है, लेकिन ये लोग बिजली का कनैक्शन लेने में ऐसा करते हैं। जिसके पास 12 एकड़ जमीन है ये लोग उसे ऋण नहीं देते। कृपया आप इसकी जांच कराइये।

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका का सम्बन्ध है इसका काम छोटे और सीमान्त किसानों तथा ऐसे ग्रामीण शिल्पकारों, ग्रामीण और निर्धन लोगों को जिनकी आय 6500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, सहायता देना है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : बैंकों की कार्यप्रणाली पर डिस्कशन होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे। कर लेंगे।

महाराष्ट्र के खनिज भण्डारों का सर्वेक्षण

[अनुवाद]

*510. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के खनिज भण्डारों का कितना सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) इस प्रकार के सर्वेक्षणों के जिला-वार परिणाम क्या हैं; और

(ग) क्या महाराष्ट्र में उपलब्ध विपुल खनिज संसाधनों के सघन सर्वेक्षण का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के समक्ष है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) 1984 तक महाराष्ट्र के 56% क्षेत्र को क्रमबद्ध भूवैज्ञानिक मानचित्रण में शामिल किया जा चुका है तथा अधिक विस्तृत पैमाने पर कार्य अभी भी जारी है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर अब तक ज्ञात महत्वपूर्ण खनिजों में कोयला, लौह अयस्क, बेनेडीफेरस मैग्नेटाइट, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट, चूनापत्थर, बाक्साइट, डोलोमाइट, जस्ता-तांबा अयस्क, टंगस्टन आदि शामिल हैं।

(ख) सर्वेक्षण के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राज्य सरकार द्वारा खनिज निक्षेपों का पता लगाया गया है, उनका जिला-वार ब्यौरा इस प्रकार है :-

जिले का नाम	खनिज	भण्डार
1	2	3
अहमदाबाद	चूना-पत्थर	5,40,000 टन
अमरावती	चीनी मिट्टी	5,36,000 टन
	फायरक्ले	17,26,000 टन
भंडारा	क्रोमाइट	54,000 टन
	कोरंडम (औद्योगिक)	7,937 टन
	कायनाइट	22,29,000 टन
	मैंगनीज	1,08,00,000 टन

1	2	3
	सिलिमेनाइट	2,35,000 टन
	टाक/स्टेटाइट सोपस्टोन	26,000 टन
	वेनेडियम अयस्क	62,00,000 टन
	जस्ता (धातु)	2,75,000 टन
	(जोड़ भंडारा नागपुर)	
चन्द्रपुर	बैराइट	44,000 टन
	तांबा (धातु)	2,46,000 टन
	डोलोमाइट	8,40,00,000 टन
	फायरक्ले	10,26,000 टन
	लौह अयस्क	16,23,00,000 टन
	क्वार्ट्ज/सिलिका सैंड	6,89,000 टन
	चूनापत्थर	1,74,55,00,000 टन
	टंगस्टन	अनुमान नहीं
धूलिया	चूनापत्थर	4,01,00,000 टन
कोल्हापुर	बाक्साइट	6,54,00,000 टन
	क्वार्ट्ज/सिलिका सैंड	5,49,000 टन
कोलावा	बाक्साइट	2,14,00,000 टन
नागपुर	तांबा (धातु)	38,000 टन
	डोलोमाइट	13,86,00,000 टन
	फायरक्ले	35,51,000 टन
	लाइमस्टोन	3,17,00,000 टन
	मैगनीज अयस्क	54,00,000 टन
	टंगस्टन (डब्ल्यू ओ$_3$ अंश)	1,860 टन
नांदेड़	चूनापत्थर	21,20,000 टन
रत्नागिरि	बाक्साइट	52,00,000 टन
	चायनाक्ले	20,39,000 टन
	फेल्सपार	1,750 टन
	इलेमेनाइट सैंड	41,29,000 टन
	क्वार्ट्ज/सिलिका सैंड	5,80,94,000 टन
	टाक/स्टेटाइट सोपस्टोन	79,70,000 टन
	क्रोमाइट	1,32,000 टन
	लौह अयस्क	6,32,00,000 टन
सांगली	चूनापत्थर	15,00,000 टन
सतारा	बाक्साइट	92,00,000 टन
थाणे	बाक्साइट	9,00,000 टन
	चायनाक्ले	66,000 टन
यवतमाल	डोलोमाइट	3,75,00,000 टन
	चूनापत्थर	1,66,33,00,000 टन

1	2	3
चन्द्रपुर और यवतमाल	कोयला	20,077.8 लाख टन
नागपुर और चन्द्रपुर	कोयला	883.0 लाख टन
चन्द्रपुर	कोयला	900.6 लाख टन
नागपुर तथा जिला छिंदवाड़ा (म०प्र०) का काम्प्टी कोयला क्षेत्र	कोयला	7,972.1 लाख टन

(ग) खनिजों का सर्वेक्षण और गवेषण लगातार चलने वाला कार्य है और यह महाराष्ट्र में भी चल रहा है। फील्ड सत्र 1984-85 के दौरान नागपुर, भंडारा और चन्द्रपुर जिलों में टंगस्टन बजरी-स्वर्ण और आधार-धातु अयस्क; नागपुर जिले में जस्ता अयस्क; जिला नागपुर के दक्कन ट्रैप कवर से नीचे कोयला स्रोतों, रत्नागिरि (सिंध दुर्ग) में औद्योगिक खनिजों के लिए खोज का प्रस्ताव है और इस पर अमल किया जा रहा है।

श्री हुसेन दलवाई : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी गैर-सरकारी एजेन्सी ने रत्नागिरि जिले के तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है और उसे वहां खनिजों के काफी बड़े भंडार मिले हैं, जिससे यूरेनियम का उत्पादन किया जा सकता है और इस एजेंसी ने महाराष्ट्र सरकार तथा भारत सरकार से खनिजों की खोज करने के लिए अनुमति मांगी है, लेकिन उसे इस आधार पर अनुमति नहीं दी गई कि यह काम भारत सरकार स्वयं करेगी। सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। वास्तव में संवृद्ध यूरेनियम की कमी के कारण हमें अपने आणविक रिऐक्टर चलाने में बहुत कठिनाई पेश आ रही है। जब इतने बड़े भंडार उपलब्ध हैं तो भारत सरकार निर्णय लेने में विलम्ब क्यों कर रही है ?

श्री बसन्त साठे : जहां तक आणविक खनिजों का सम्बन्ध है, उनकी खोज का काम हमारे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता। ऐसा कोई आवेदन किया गया था, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह काम मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता, शायद इसलिए आवेदन मेरे मंत्रालय को सम्बोधित नहीं किया गया है। लेकिन यदि माननीय सदस्य आणविक ऊर्जा से सम्बद्ध मंत्रालय को आवेदन सम्बोधित करें तो खनिज की इस खोज के बारे में शायद उनके पास पूरी जानकारी होगी। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा।

श्री हुसेन दलवाई : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब महाराष्ट्र में बाक्साइट के बड़े भंडार थे और जिसके आधार पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग से अनुमति और भारत सरकार से आर्थिक स्वीकृति लेने के पश्चात् रत्नागिरि में एल्यूमीनियम का एक कारखाना स्थापित किए जाने का प्रस्ताव था और यह कार्य छटी पंचवर्षीय योजना में भी चलता रहा और अब तक इस पर भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा दो करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन किसानों से जमीन अधिग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं हुआ है। यह जिम्मेवारी का एक गम्भीर प्रश्न है। जब योजना आयोग और इस सदन ने भी इस योजना को, जो दो पंचवर्षीय योजनाओं में चलती रही, स्वीकृति दे दी तो इस पर आगे कार्यवाही क्यों नहीं की गई और वास्तविक परिणाम प्राप्त क्यों नहीं हुए ? यह एक गम्भीर मामला है और भारत सरकार को स्तिथि स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या मामला है और वह इतनी भारी मात्रा में खनिजों का दोहन क्यों नहीं कर रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : यह सच है कि पश्चिमी क्षेत्र में और विशेषकर रत्नागिरि जिले में तथा कोल्हापुर जिले में बाक्साइट के बड़े भंडार मिले हैं। लेकिन ये बाक्साइट एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए लाभदायक नहीं है। इससे एक किस्म का अलूमिना उत्पन्न हो सकता है। मुझे यही पता चला है। मैंने स्वयं यही सवाल पूछा था कि जो एल्यूमिनियम संयंत्र स्वीकृत किया गया था, उसका क्या हुआ।

प्रो० मधु दण्डवते : सरस्वती नदी की तरह यह लुप्त हो गया है।

श्री वसन्त साठे : मेरे प्रिय मित्र श्री दण्डवते उसी क्षेत्र के हैं। मैंने सोचा कि कम से कम इनके सरकार में आ जाने से उस संयंत्र के बारे में कुछ न कुछ अवश्य किया गया होगा लेकिन मैंने इस सम्बन्ध में पूछताछ की और मुझे बताया गया है कि एल्यूमीनियम संयंत्र लगाना व्यावहारिक नहीं समझा गया है। यदि एलूमिना के उत्पादन के लिए राज्य सरकार या कोई गैर-सरकारी पार्टी भी इच्छुक है तो हम खुले दिमाग से इस पर विचार करेंगे। मैं राज्य सरकार से आने वाले किसी भी प्रकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार हूं और वहां उपलब्ध बाक्साइट को इस्तेमाल करने के लिए संयंत्र लगाने हेतु हम यथासम्भव सहायता देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, सरकार ने कहा है चूंकि बिजली की पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध नहीं है, इसलिए एल्यूमिनियम संयंत्र लगाना व्यवहारिक नहीं है, लेकिन एलूमिना संयंत्र के लिए काफी कम बिजली की आवश्यकता होगी। क्या एलूमिना संयंत्र लगाने पर आप विचार करेंगे।

श्री वसन्त साठे : मैंने यही कहा है। राज्य सरकार को पहल करने दो।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पांडे : अध्यक्ष महोदय, वर्धा में कोयले के विशाल भंडार हैं और अभी तक जितना भी उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह सारा पावर प्लांट को फीड करने के लिए किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि कोयले से, या कोल बेस्ड और भी इंडस्ट्रीज स्थापित की जा सकती हैं। जहां-जहां कोयले के भंडार हैं वहां वहां कोयले पर आधारित दूसरी इंडस्ट्रीज को स्थापित करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री वसंत साठे : यह बात सही है कि वर्धा वैली के एरिये में काफी कोल भंडार मिले हैं और उनको निकाला गया है। यह काफी बड़ी योजना सेवैंथ फाइव ईयर प्लान में बनाई गई है। जहां तक कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज का सवाल है कोयले का सबसे अच्छा उपयोग पावर जेनरेशन में देखा गया है। जो हमारा कोल है पावर जेनरेशन के लिए अच्छा है। दूसरी प्रोडक्शन जैसे कि फर्टिलाईजर की प्रोडक्शन—अनेक देशों में कोल वेस्ट मिनरल्स से होती है। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में लोग खोलने को तैयार हों तो हम उन्हें पूरा प्रोत्साहन देने को तैयार हैं।

बंगलौर शहर में आयकर छापे

[अनुवाद]

*511. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1985 से फरवरी, 1985 के अन्त तक बंगलौर शहर में कितने आय कर छापे मारे गये; और

(ख) इन छापों में कितना धन प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) तथा (ख). आयकर विभाग ने बंगलौर शहर में जनवरी तथा फरवरी, 1985 के दौरान 8 तलाशियां ली जिनमें प्रथम दृष्टया लगभग 9.04 लाख रुपये मूल्य की लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई।

श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रत्येक मामले में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई और क्या किसी को दोषी पाया गया है।

श्री जनार्दन पुजारी : पकड़े गए दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच चल रही हैं और माननीय सदस्य जानते हैं जब भी कोई चीज पकड़ी जाती है, तो कागजात भी पकड़े जाते हैं। अभियोगात्मक साक्ष्य का पता लगाया जायेगा इससे और भी भेद खुलेंगे। इस सब में समय लगता है। यहां भी जब आगे छानबीन चलेगी तो बहुत सी नयी बातें सामने आयेंगी। और तथ्य सामने आयेंगे।

श्री वी०एस०कृष्ण अय्यर : मेरा प्रश्न बिलकुल साधारण हैं। मैं सरकार से, विशेषकर मौजूदा सरकार से, एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। इसीलिए, मैंने जनवरी-फरवरी-1985 की विशिष्ट अवधि के लिए पूछा, क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि वह और उनकी सरकार काले धन का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्प है। मेरा अनुभव है कि पहले जब भी चीजें जब्त की गई, उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं बाद में कई लोग और अधिक सम्माननीय नागरिक बन गए हैं। यही हुआ है। इसलिए, महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि कोई व्यक्ति 10 रुपये की चोरी करता है तो उसे जेल हो जायेगी और यदि वह नौकरी में हो तो उसे बर्खास्त कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : उसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी हैं। उन्हें इस मामले का तर्कसंगत निष्कर्ष निकालना चाहिए। करों की चोरी राष्ट्र के प्रति अपराध है। करों का भुगतान न करना राष्ट्र के प्रति अपराध है।

अध्यक्ष महोदय : जो उत्तर इन्होंने दिया है उसके अलावा वह और क्या कह सकते हैं ?

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : इन्होंने इसका तर्कसंगत निष्कर्ष नहीं निकाला है। ऐसे अनेक मामले हैं

अध्यक्ष महोदय : इससे क्या लाभ है ? आप केवल सभा का समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : महोदय, मैं केवल यह चाहता हूं कि चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, सरकार को इस मामले में कानून के अनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कार्यवाही की जा रही है। कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सरकार आवश्यक दण्ड देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़गी।

राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खनिज सर्वेक्षण

+

***512 श्री वृद्धि चन्द्र जैन :**

श्री हरीश रावत :

क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण, खनिज समन्वेषण निगम तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा अब तक खनिज सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) इसमें कितनी सफलता मिली है;

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां प्रचुर मात्रा में खनिज मिलता है, भू-विज्ञान संबंधी गतिविधियां चलाने का है ;

(घ) क्या सरकार का विचार बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली और सिरोही जिलों के सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्रों में भी, जहां खनिज प्रचुर मात्रा में है, भू-विज्ञान संबंधी गतिविधियां शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तथा किस प्रकार ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). खनिजों की खोज एक लगातार चलने वाला कार्य है और यह कार्य मुख्यतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) और केन्द्र सरकार के उपक्रम खनिज गवेषण निगम लि० द्वारा किया जाता है । राज्य सरकारों के भूतत्व व खनन निदेशालय भी अपने-अपने राज्यों में खनिज खोज करते हैं ।

भारतीय भू सर्वे ने राजस्थान के झुन्झुनु, अलवर, भीलवाड़ा, सीकर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, नागौर तथा सिरोही आदि जिलों में कई खनिजों के लिए सर्वेक्षण किया है । उसने हरियाणा के भिवानी, महेन्द्रगढ़, अम्बाला, हिसार, गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिलों में, उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून, टेहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, मिर्जापुर, वाराणसी, बान्दा, झांसी, ललितपुर, इलाहाबाद, जालौन, हमीरपुर रायबरेली, सीतापुर तथा बदायूं जिलों में खनिजों हेतु सर्वेक्षण किया है । खनिज गवेषण निगम लि० ने राजस्थान के झुन्झुनु, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, नागौर, डूंगरपुर तथा बाड़मेर जिलों, हरियाणा के भिवानी तथा उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और मिर्जापुर जिलों में खनिज सर्वेक्षण किया है ।

राजस्थान के खान और भूतत्व निदेशालय ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, नागौर तथा बीकानेर जिलों में खनिज सर्वेक्षण किया है । उत्तर प्रदेश शासन के भूतत्व व खान निदेशालय ने उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों सहित कई जिलों में सर्वेक्षण किया है । हरियाणा सरकार के भूतत्व व खनन निदेशालय ने भी इसी तरह हरियाणा के कई जिलों में खनिज सर्वेक्षण किए हैं ।

इन सर्वेक्षणों के आधार पर इन राज्यों में मुख्य खनिजों के अनुमानित भंडार निम्नलिखित हैं :–

(भंडार लाख टनों में)

खनिज का नाम	राजस्थान में भंडार	हरियाणा में भंडार	उत्तर प्रदेश में भंडार
कोयला	शून्य	शून्य	6,856.5
लिग्नाइट	1,049.8	—	—
लौह अयस्क (हेमाटाइट)	158.4	—	—
मैगनेटाइट (निम्न ग्रेड अयस्क)	0.84	80.84	—
मैंगनीज अयस्क	3.2	—	—
चूनापत्थर	53,196.9	519.6	13,667.8
डोलोमाइट	901.5	63.7	752.5
तांबा अयस्क	1,085.7	150.0	7.7
सीसा-जस्ता अयस्क	3,349.8	—	10.3
बाक्साइट	10.7	—	140.2
फास्फोराइट	830.7	—	298.8
बेराइट	10.93	—	0.25
कायनाइट	0.10	—	—
जिप्सम	10,708.2	—	3.9
मैंगनेसाइट	2.6	—	1,736.8
टंगस्टन अयस्क	62.0	—	टंगस्टन अयस्क (शीलाइट) हेतु खोज चल रही है।
टिन अयस्क	—	80	—
बेन्टोनाइट	1,012.4	—	—
पाइराइट/पाइरोटाइट	1,239.9	—	—
ग्रेफाइट	4.95	—	—
फ्लूराइट	29.8	—	—
राक साल्ट (हेलाइट)	बड़ी मात्रा (1438 बिलियन टन)	—	—

(ग), (घ) और (ङ). फील्ड सत्र 1984-85 के दौरान भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान तथा हरियाणा के मरूस्थलीय और पहाड़ी क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में कई खनिज खोजें की जा रही हैं। भूवैज्ञानिक गतिविधियों के अन्तर्गत मुख्यत: भूवैज्ञानिक मानचित्रण, भूभौतिकीय परीक्षण, भूरासायनिक सेम्पलिंग, विस्तृत मानचित्रण, पिटिंग-ट्रेंचिंग और यथा-आवश्यकता ड्रिलिंग की विधियां अपनायी जाती हैं।

[हिन्दी]

श्री बुद्धिचन्द्र जैन : क्या यह सही है कि राजस्थान प्रांत के सीमावर्ती बाड़मेर जिले में मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन द्वारा जो एक्सप्लोरेशन किया गया है, उसके द्वारा लिग्नाइट का अपार भण्डार मिला है और जियालाजीकल सर्वे आफ इंडिया, डायरेक्टोरेट आफ जियालाजी एण्ड माइन्स, राजस्थान ने जो सर्वे किया है जैसलमेर में, उसके द्वारा लाइम-स्टोन का अपार भण्डार मिला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि लिग्नाइट का जो भण्डार मिला है बाड़मेर जिले के कपूरड़ी ग्राम में और जैसलमेर में जो लाइम-स्टोन मिला है, उसकी क्या क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी में है उसकी उपयोगिता क्या रहेगी इस संबंध में मंत्री महोदय जानकारी दें।

श्री बसंत साठे : इन चीजों की जांच हो रही है जैसे ही उनकी उपयुक्तता निर्धारित होगी, जैसे लिग्नाइट से निवेली में पावर प्रोडक्शन आदि काम हो रहे हैं, उसी तरीके से लिग्नाइट का उपयोग और दूसरे मिनरल जो हैं, देश के हित में की जाए, अभी इसकी जांच हो रही है।

श्री बुद्धिचन्द्र जैन : मैंने प्रश्न पूछा था कि लिग्नाइट जो प्राप्त हो रहा है, उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है। और लाइम स्टोन की क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री बसंत साठे : मैंने बताया है कि इसकी जांच हो रही है कि क्या क्वालिटी है और कितनी क्वांटिटी में है और इसका क्या उपयोग होगा। इसकी जांच शासकीय स्तर पर की जा रही है। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बता सकता हूं, आप कहते हैं कि जवाब नहीं दिया।

श्री बुद्धिचन्द्र जैन : आप कह रहे हैं कि जांच हो रही है, हमें जानकारी मिल चुकी है, लेकिन आपके पास जानकारी नहीं आई, यह कैसे हो सकता है? दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि जियालाजीकल सर्वे आफ इंडिया और मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन अपनी जियालाजीकल एक्टीविटीज को बाकी जिलों, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि में बढ़ाने का कार्यक्रम बना रहे या नहीं, इसकी प्रगति क्या है, इस संबंध में जानकारी देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, नागौर, पाली तथा सिरोही जैसे प्रदूषणोन्मुख क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से भूवैज्ञानिक मानचित्रण तथा पर्यावरणीय अध्ययन किये जा रहे हैं। बाड़मेर में योजनाबद्ध मानचित्रण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

इसका क्या फायदा है। मेरे पास भी यही इन्फार्मेशन है कि सिस्टेमेटिक मेपिंग और स्टडी की जा रही है इससे आपको क्या तसल्ली होगी, मुझे तो है नहीं। इससे ज्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है.....(**व्यवधान**)

श्री मूल चन्द डागा : जांच तेजी से करवाइए।.....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : ज्योंही योजनाबद्ध मानचित्रण से कुछ अधिक पता चलेगा मैं पूरी जानकारी दे सकूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय मंत्री महोदय से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे अपने मंत्रालय के अधिकारियों के कक्ष से जानकारी प्राप्त करें ।

श्री वसंत साठे : मुझे अपने सहायकों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है । मुझे विश्वास है कि कम से कम आप इससे इन्कार नहीं करेंगे । मैं यह कह रहा हूं कि हमारे देश के सभी खनिज संसाधनों का व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिये तथा जिन संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग की संभावना हो, राष्ट्रीय हित में उसका उपयोग हमें अवश्य करना चाहिये । मैं इसके प्रति बहुत उत्सुक हूं । महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इसे करने में सफल होंगे ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि वृद्धि चन्द्र जी अभी तक छाए रहे हैं ।

श्री हरीश रावत : अभी तो जैन साहब का नम्बर था । मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि कुछ भण्डारों की जांच क्वालिटी के विषय में चल रही है । कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जैसे मैंगनेसाइट और लाइम-स्टोन जिनके बहुत बड़े-बड़े रिजर्व यू०पी० में हैं । उनमें इस समय खदान का काम चल रहा है लेकिन जो माइनिंग वर्क वहां पर चल रहा है, वह ओपन कास्ट माइनिंग सिस्टम से आपरेट किया जा रहा है । माइनिंग के बाद जो जमीन छूट जाती है, उसको रिक्लेम करने का काम माइनर नहीं करते । इसका जो बुरा प्रभाव वहां के इको सिस्टम पर पड़ रहा है, उसको नियंत्रित करने के लिए ताकि ओपन कास्ट माइनिंग सिस्टम न हो बल्कि अन्डर-ग्राउन्ड माइनिंग हो और उसको लैण्ड रिक्लेमिंग का पार्ट बना दिया जाए । इस संदर्भ में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ।

श्री वसन्त साठे : यह बिल्कुल सही सवाल है । हम लोग भी इससे बड़े चिंतित हैं । खासकर हिमालय के जो भाग हैं और वहां जिस तरह से माइनिंग करके सारे पेड़ वगैरह काटकर और इकोलाजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, वह बड़ी चिंता की बात है । इसके लिए नियंत्रित करने का काम बहुत कुछ राज्य सरकार के अंतर्गत आ जात है कि कैसे कानून से पर्यावरण को बचाया जा सकता है । इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं और ध्यान भी दे रहे हैं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : रामपुरा-अगुचा में दो किलो मीटर के एरिया में जिंक का सर्वे कराया गया । हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा डिपाजिट वहां पर मिला है । ऐसी जानकारी मिली है कि वहां से लेकर शाहपुरा तक जो करीब चालीस किलोमीटर का एरिया है, वहां पर पूरे एरिया में जिंक का भण्डार है । इस बारे में आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने सर्वे भी किया है । क्या यह सही है कि सारे एरिया में जिंक और रॉक फास्फेट बहुत बड़ी तादाद में उपलब्ध है । उसके सम्बन्ध में पूरा डिटेल्ड सर्वे कराकर इस पर आधारित कारखाने स्थापित करने के लिए क्या वहीं पर व्यवस्था करेंगे ।

श्री वसंत साठे : बिल्कुल करेंगे । जिंक का डिपाजिट अगुचा के एरिया में काफी अच्छी तादाद में मिला है । उसका लैंड, और जिंक के निर्माण के लिए किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैंने कहा था कि चालीस किलो मीटर का एरिया है ।

.....**[व्यवधान]**

श्री बसंत साठे : जितना जहां-जहां मिले, सिर्फ चालीस ही नहीं बल्कि सौ किलोमीटर भी मिल जाए तो उसका पूरा उपयोग करेंगे ।

भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की खरीद और बिक्री

[अनुवाद]

*514. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन निगम द्वारा 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में कच्चे पटसन की कुल कितनी मात्रा की खरीद की गई और उसका मूल्य क्या था ;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान भारतीय पटसन निगम द्वारा बाजार में कच्चे पटसन की कुल कितनी मात्रा बेची गई ; और

(ग) 1985-86 में इसका खरीद लक्ष्य क्या है ?

पूर्ति तथा वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) पटसन वर्ष 1985-86 (जुलाई-जून) के लिए भारतीय पटसन निगम द्वारा अभी तक कोई अभिप्राप्ति लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

विवरण

(क) 1982-1983, 1983-84 और 1984-85 में भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीदे गए कच्चे पटसन की कुल मात्रा तथा उसकी खरीद कीमत निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष (जुलाई-जून)	जे०सी०आई० द्वारा खरीदी गई मात्रा जिसमें सहकारी समितियों के द्वारा की गई खरीद भी शामिल है (लाख गांठों में प्रत्येक गांठ 180 कि० ग्रा० की)	देहाती बाजारों पर जे०सी०आई० की खरीद कीमत (कीमत रु० में/प्रति क्विंटल)	
		एक्स-साउथ बंगाल (टीडी-5)	एक्स-आसाम (डब्ल्यू-5)
1982-83	8.60	204.50 से 229.50	175.00 से 185.00
1983-84	8.39	275.00 से 325.00	245.00 से 285.00
1984-85	10.16	650.00 से 950.00	575.00 से 920.00

(ख) भारतीय पटसन निगम द्वारा 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान कच्चे पटसन की बेची गई कुल मात्रा निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष (जुलाई-जून)	जे०सी०आई० द्वारा बेची गई कच्चे पटसन की मात्रा		
	घरेलू बाजार		निर्यात बाजार
	भारतीय पटसन	आयातित पटसन	भारतीय पटसन
1982-83	20.45†	—	0.72
1983-84	8.10	—	—
1984-85 (31-3-85 तक)	10.16	1.60	—

†पूर्व वर्षों से आगे लिए गए स्टाक सहित ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : महोदय, विवरण में यह कहा गया है कि गत वर्ष 1984-85 में भारतीय पटसन निगम ने पटसन की केवल 10.16 लाख गांठों की ही खरीद की थी । पटसन उद्योग की कुल आवश्यकता 82 लाख गांठों की है ; तीन लाख गांठों का आयात किया जाता है तथा 79 लाख गांठों की स्वदेशी बाजार से खरीद की जाती है । भारतीय पटसन निगम का मूल उद्देश्य क्या था ? क्या इसके उद्देश्य बाजार में कृत्रिम कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खरीद का नहीं था और क्या इसी कारण हाल ही में पश्चिम बंगाल में अनेक मिलों के बन्द होने की नौबत नहीं आ गई है ? क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में भारतीय पटसन निगम अपने आधारभूत ढांचे का विस्तार करेगा ताकि वह देश में पटसन मिलों की कुल आवश्यकता का कम से कम 50 प्रतिशत माल खरीद सके ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : पटसन निगम का मूल उद्देश्य मुख्य रूप से पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करना रहा है । बाद में, उसे कच्चे पटसन को निर्यात तथा आयात करने और एन०जे०एम०ए० की ओर से वाणिज्यिक क्रियाकलाप करने एवं बाद में निजी मिलों के लिए भी उनसे सीधी खरीद की व्यवस्था के आधार पर कार्य करने का दायित्व सौंपा गया था । मूल उद्देश्य वही है अर्थात् उत्पादकों को समर्थनकारी मूल्य दिलाना । यह कहना ठीक नहीं है कि एक नया मूल्य ढांचा विकसित करके आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि पटसन निगम बाजार में उपलब्ध पटसन की 50 प्रतिशत खरीद कर सके । वस्तुतः हम इस बात से चिंतित हैं कि वर्तमान आधारभूत ढांचे का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है । बाजार में पटसन के मूल्य समर्थन मूल्य से अधिक हैं तथा समर्थन मूल्य पर खरीद करने की आवश्यकता नहीं है । खरीद केन्द्रों पर लगभग कोई गतिविधि नहीं है ; वहां पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के पास अधिक काम नहीं है । मूल्यों में कमी तथा बड़े पैमाने पर समर्थन मूल्य पर खरीद संबंधी परिस्थितियों में ही इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : कच्चे पटसन के मूल्यों के कारण पश्चिम बंगाल में 16 से अधिक पटसन मिलें बन्द हो चुकी हैं जिसके परिणामस्वरूप न केवल पश्चिम बंगाल अपितु उत्तरी भारत के तीन लाख व्यक्ति से अधिक बेरोजगार हो चुके हैं । इस पर एक ध्यानकर्षण प्रस्ताव

भी रखा जा चुका है। आपसे एक प्रतिनिधिमंडल भी मिला था इसे ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय देश की अर्थव्यवस्था के लिए इसे राष्ट्रीय महत्व का समझते हुए पश्चिम बंगाल का दौरा करके पटसन मिलों की पुनः चालू करने तथा कच्चे पटसन की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार से विचार-विमर्श करेंगे ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : सदन को याद होगा कि पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों की बन्दी के संबंध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। मैंने इस सदन को आश्वासन दिया था कि मैं इस मामले में पहल करके राज्य सरकार, जे० एम० ए० प्रतिनिधियों तथा कामगारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाऊंगा। मैंने तुरन्त राज्य सरकार को लिखकर उनसे स्थिति का मूल्यांकन करने को कहा था। उन्होंने 26-2-1985 को बैठक बुलाई था। मुझे पता चला है कि उन्होंने आज या कल एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई है तथा मुझे एक या दो दिन के भीतर उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी उनकी रिपोर्ट मिलते ही मैं यहां या कलकत्ता में एक बैठक बुलाने हेतु अविलम्ब कार्यवाही करूंगा तथा पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों को पुनः चालू करने के लिए समुचित प्रयास करूंगा। यह हम सभी के लिए एक गंभीर मामला है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : दीर्घकालीन समस्या को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या वह कच्चे पटसन व्यापार को सरणीबद्ध करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ? ध्यानाकर्षण पर चर्चा वाले दिन उन्हें इसका उत्तर देने का समय नहीं था।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : यह मामला तत्काल सरकार के विचाराधीन नहीं है। मैंने उस दिन इस संबंध में बताया था।

[हिन्दी]

श्री डूमर लाल बैठा : अध्यक्ष महोदय, जूट के भाव के बारे में बताया गया है कि इसकी स्केरसिटी हो गई है, इस लिए भाव बढ़ गए हैं। मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि जूट ग्रोअर्स की हालत सबसे खराब इस लिए हो गई है कि जब जूट ज्यादा पैदा हो जाता है तो जूट की कीमत कम हो जाती है और जब जूट कम पैदा करता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती हैं। उसकी स्थिति बहुत बुरी होती जा रही हैं। क्या सरकार इस तरह के उपाय करेगी कि जितनी जूट की खपत देश में है और जितनी बाहर आप भेजना चाहते हैं, उसके हिसाब से किसान खेती करें ताकि उन्हें किसी किस्म की परेशानी न हो ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : हर वर्ष कृषि मंत्रालय के परामर्श के बाद मूल्य निर्धारित किया जाता है, सपोर्ट प्राइस। सरकार इस बात को निश्चित करने की चेष्टा करती है कि जो किसान जूट पैदा करते हैं, उनको न केवल सपोर्ट प्राइस मिले, बल्कि रैमुनरेटिव प्राइस भी मिल सके। आगे आने वाले दिनों में भी इस बात का काफी ध्यान रखा जाएगा।

आय कर की बकाया राशि को बट्टे-खाते में डालना

[अनुवाद]

+

*516. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :**

श्री अमल दत्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 के दौरान आयकर की 345 करोड़ रुपए की बकाया राशि बट्टे-खाते में डाल दी गई, जिसमें विभिन्न कम्पनियों की ओर देय 152 करोड़ रुपए की कर राशि भी शामिल है ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनकी बकाया कर राशि बट्टे-खाते में डाल दी गई ;

(ग) आयकर विभाग द्वारा इस तरह की कार्यवाही किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त राशि को बट्टे-खाते में डालने का अधिकार किसने दिया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) जी नहीं । लेकिन 25,233 मामलों के संबंध में कुल 6.82 करोड़ रुपए की रकम बट्टे-खाते डाली गई थी जिसमें 160 कम्पनी मामलों से सम्बन्धित 2.28 करोड़ रुपए शामिल थे ।

(ख) कम्पनी मामलों के ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) बट्टे-खाते डाले जाने के कारण ये हैं–

(i) बकाया मांग वसूली योग्य नहीं है ; और

(ii) कोई परिसम्पत्तियां वसूली के लिए उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) आयकर की अशोध्य मांगों को बट्टे-खाते डालने की शक्तियों का प्रयोग केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा यथाविनियमित वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 के अनुसार किया जाता है । ये हैं–

प्राधिकारी का नाम	मौद्रिक शक्तियां
(i) आयकर आयुक्त	प्रत्येक मामले में असीमित शक्तियां
(ii) निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त	प्रत्येक मामले में 10,000 रु० तक
(iii) आयकर अधिकारी ग्रेड "क"	प्रत्येक मामले में 1,000 रु० तक
(iv) आयकर अधिकारी ग्रेड "ख"	प्रत्येक मामले में 500 रु० तक

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रश्न मैंने यह पूछा था कि "आयकर की बकाया राशि को बट्टे खाते डालने के क्या कारण हैं ?" इसके दो कारण दिए गए हैं (एक) बकाया मांग वसूली योग्य नही हैं, और (दो) कोई परिसम्पत्तियां वसूली के लिए उपलब्ध नहीं है । दूसरा कारण तो समझ में आता है परन्तु पहले उत्तर के बारे में क्या कारण हैं ? इन कम्पनियों की बकाया राशि को बट्टे-खाते में डालने के अन्य क्या कारण हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, प्रश्न तैयार करते समय माननीय सदस्य ने कहा था कि उनका यह अनुमान है कि 345 करोड़ रु० की राशि को बट्टे-खाते डाला गया है । यह सही

नहीं है केवल 2.28 करोड़ रुपए की राशि ही बट्टे-खाते डाली गई है जो सम्पूर्ण भारत की 160 कम्पनियों की है। यह स्थिति है। यहां यदि आप मांग या बकाया राशि के संग्रहण की तुलना में बट्टे-खाते डाली गई राशि की प्रतिशतता पर विचार करें तो पाएंगे कि 1983-84 में जो राशि बट्टे-खाते डाली गई थी वह एक प्रतिशत भी नहीं है अपितु, 0.82 प्रतिशत है। बाद में इसमें कमी आई है। 1979-80 में 10.53 करोड़ रु० की राशि बट्टे-खाते डाली गई थी पर 1983-84 में यह कम होकर 7.40 करोड़ रु० रह गई है। मैंने कारणों का उल्लेख पहले ही कर दिया है। यदि संबंधित व्यक्ति का अता-पता ज्ञात नहीं है, यदि वह दिवालिया है या यह राशि वसूल नहीं की जा सकती है तथा यदि वह व्यक्ति कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है तभी राशि को बट्टे-खाते डाला जाता है। बट्टे-खाते डालने के बाद भी यह नहीं माना जाता कि हम अपना दावा छोड़ देंगे। अगामी 30 वर्षों तक यदि वह वसूली योग्य हो तो बट्टे-खाते डालने के पश्चात् भी वह राशि वसूल की जा सकती है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से प्राधिकारी हैं जो राशि को बट्टे-खाते डाल सकते हैं और उनकी शक्ति की सीमा कितने रुपयों तक है? यह कहा जाता है कि प्रत्येक मामले में आयकर आयुक्त की असीमित शक्ति है। क्या आप बताएंगे कि इसका क्या अर्थ है तथा क्या ऐसे कोई सरकारी दिशानिर्देश हैं जिनके अन्तर्गत आयकर आयुक्त बट्टे-खाते डालने संबंधी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है? या क्या यह यादृच्छिक है तथा क्या वह कुछ भी कर सकता है?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय यह यादृच्छिक नहीं है। आयकर आयुक्त के लिए यह सीमा 10,000 रु० और इससे अधिक है। तत्पश्चात् एक लाख से 10 लाख रु० तक के लिए एक क्षेत्रीय समिति है। क्षेत्रीय समिति इन सभी पहलुओं की जांच करने पर निर्णय लेती है। 10 लाख रु० और इससे अधिक के मामले में सदस्य की सहमति लेनी होती है.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण

[अनुवाद]

*513. **श्री सोमजी भाई डामोर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग में किस किस क्षेत्र में कम्प्यूटरीकरण प्रारंभ किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण से रोजगार और पदोन्नति के अवसर कम हो जायेंगे;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिल्ली में स्थायी लेखा संख्या आवंटित करने तथा विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए एक माइक्रो कम्प्यूटर का पहले से ही प्रयोग किया जा रहा है। इस समय चार महानगरों में अर्थात बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास, प्रत्येक में, निम्नलिखित कार्यों के लिए एक-एक मिनी कम्प्यूटर स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है :

(i) अधिक राजस्व देने वाले मामलों में करों की मनुष्य द्वारा की गई संगणना की परिशुद्धता की निगरानी करना;

(ii) विभाग की केन्द्रीय कार्य योजना की तिमाही समीक्षा करना;

(iii) प्रमुख क्षेत्रों के कार्य निष्पादन के आंकड़ों का संकलन करना;

(iv) आयुक्त प्रभारों के केन्द्रीय कोषागार एकक में प्राप्त चालानों पर कार्यवाही करना;

(v) स्थायी लेखा संख्या (पी०ए०एन०) आवंटित करना;

(vi) आयकर अधिनियम की धारा 80 द द क के अन्तर्गत भारत से बाहर सेवा करार की शर्तों के अनुमोदन के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करना ।

मद्रास के लिए एक मिनी कम्प्यूटर खरीदने के लिए निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं तथा उन पर कार्यवाही की जा रही हैं ।

(ख) से (घ) : आयकर विभाग में ऊपर उल्लिखित सीमा तक कम्प्यूटरों के सीमित प्रयोग से रोजगार के अवसरों तथा पदोन्नति के अवसरों पर किसी प्रकार की कमी आने की कोई संभावना नहीं है। विभाग में कम्प्यूटरीकरण किए जाने के समूचे विषय का अध्ययन करने के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है ।

भारत और पोलैंड के बीच दीर्घावधि व्यापार समझौता

*515. **श्री राज कुमार राय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पोलैंड के बीच दीर्घावधि व्यापार योजना, रुपया व्यापार को जारी रखने के लिए नए व्यापार और भुगतान कराने तथा दोहरे कराधान से बचने के लिए एक अन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) इस समय भारत का व्यापार संतुलन कितना है; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : पिछले चार वर्षों के दौरान, व्यापार भारत के पक्ष में रहा है । 1984-85 के पहले छः महीनों के दौरान व्यापार भारत के पक्ष में लगभग 26 करोड़ रुपए रहा ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सुविधाएं देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश जारी करना

*517. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को सुविधाएं देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को कुछ निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में उक्त वित्तीय सहायता देने के लिए जिला-वार कितनी बैंक शाखाएं खोली गई हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बैंकों से सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या के बारे में प्रतिवेदन मांगा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम समय-समय पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को बैंक ऋण सुलभ कराने के लिए अनुदेश देता रहता है । किसी राज्य में कार्यरत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पता लगाए गए पात्र ऋणकर्त्ताओं को वित्तीय सहायता सुलभ कराने की अपेक्षा की जाती है। दिसम्बर, 1984 के अंत में उड़ीसा में कार्यरत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या 1561 थी । सरकार को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक राज्य में लाभार्थियों की संख्या, उन्हें दिए गए बैंक ऋणों और संवितरित वार्षिक सहायता के संबंध में मासिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त होती रहती हैं ।

भिलाई इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

*518. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण करने और उसके कार्यकरण में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि व्यय करने का विचार है; और

(ग) उपर्युक्त इस्पात संयंत्र में छठीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ किये गये आधुनिकीकरण कार्यक्रम और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ किए जाने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ।

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) : इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय सुधार करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । इस्पात कारखानों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए उनमें परिवर्द्धन, फेर-बदल तथा प्रतिस्थापन करने हेतु उन्हें प्रत्येक वर्ष धन राशि आवंटित की जाती है । छठी पंचवर्षीय योजनावधि में भिलाई इस्पात कारखाने ने परिवर्द्धन, फेर-बदल तथा प्रतिस्थापन कार्यों पर लगभग 69.42 करोड़ रुपये की राशि खर्च की थी । छठी पंचवर्षीय योजनावधि में भिलाई इस्पात कारखाने में कार्यान्वित की जा रहीं मुख्य-मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं :—

(i) धमन भट्टी में कोल डस्ट इन्जेक्शन;

(ii) खुले मुंह की भट्टियों को दोहरे मुंह की भट्टियों में बदलना;

(iii) धमन भट्टियों में बेहतर आवेश (चार्ज) वितरण के लिए ग्रोटआमर प्रक्रिया को अपनाना;

(iv) इस्पात कारखानों की वार्षिक क्षमता को 25 लाख टन से बढ़ाकर 40 लाख टन करना। विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन आधुनिक प्रौद्योगिकीयों का समावेश करने की परिकल्पना की गई है, वे इस प्रकार हैं :—

(क) इस्पात बनाने के लिए बेसिक आक्सीजन भट्टी प्रक्रिया अपनाना;

(ख) इस्पात की निरन्तर ढलाई;

(ग) धमन भट्टियों में बेल-लेस चार्जिंग;

(घ) कास्ट हाउस स्लैग ग्रेन्यूलेशन;

(ङ) इस्पात गलन शाला में गौण-लैडल परिष्करण प्रक्रिया अपनाना;

(च) 4.3/4.5/5.0 मीटर की पारम्परिक ऊंचाई की कोक ओवन बैटरियों के स्थान पर 7 मीटर ऊंची बैटरी लगाना; तथा

(छ) मिलों में थाइरिस्टर नियंत्रण।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई इस्पात कारखाने के उत्पादन में अड़चनों को दूर करने तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) एक व्यापक प्रस्ताव तैयार कर रही है। सरकार द्वारा योजना के अनुमोदित करने के पश्चात् ही इस योजना के लागत अनुमानों तथा तकनीकी पहलुओं को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा।

वर्ष 1985-86 के दौरान भिलाई इस्पात कारखाने में परिवर्द्धन, फेर-बदल तथा प्रतिस्थापन कार्यों पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

जनता कपड़े की उपलब्धता

[हिन्दी]

*519. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नियंत्रित कपड़े, साड़ियों और धोतियों की इस समय कितनी मांग है और इस में से कितने प्रतिशत मांग पूरी हो जाती है ;

(ख) क्या जनता कपड़ा निर्धन लोगों को उपलब्ध कराने की बजाए प्रायः अनुचित तरीकों से बेचा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ; और

(घ) इस संदर्भ में कितने व्यक्ति दोषी पाए गए हैं और उन्हें दिए गए दण्ड का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) मार्च 1981 की वस्त्र नीति में राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा हथकरघा क्षेत्र दोनों के द्वारा नियन्त्रित कपड़े के उत्पादन की कुल मात्रा 650 मिलियन वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। 1984-85 के लिए 'जनता' कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य 360 मिलियन वर्ग मीटर था और 1985-86 के लिए 370 मिलियन वर्ग मीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत नहीं लाई गई है।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

दार्जिलिंग में चाय बागानों का पुनरोद्धार

[अनुवाद]

*520. श्री आनन्द पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग में चाय बागानों के पुनरोद्धार के संबंध में अब तक कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) चाय बागानों के पुनरोद्धार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (घ). दार्जिलिंग का चाय उद्योग मुख्यतः झाड़ियों के पुराने होने से, जिनमें से अधिकांश झाड़ियां बहार देने की अवस्था पार कर चुकी हैं, कम उत्पादकता होने के फलस्वरूप अधिक ऊंची उत्पादन-लागत के कारण समस्याओं का सामना करता रहा है ।

दार्जिलिंग में चाय बागानों की सहायता के उद्देश्य से पुनर्रोपण के लिए अधिक उपदान और विस्तार रोपण के लिए अधिक विकास-भत्ता दिया जा रहा है । सरकार ने बैंकों को कम ब्याज पर इमदाद देने की एक योजना मंजूर की है ताकि पुनर्रोपण, कायाकल्प और विस्तार रोपण को जीवन क्षम करके दार्जिलिंग बागानों को फिर से जीवन प्रदान करने के लिए परियोजनाएं बनाई जा सकें । इसके अलावा, नाबार्ड ने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मार्जिन राशि, ऋण-स्थगन और भुगतान अवधि सम्बन्धी विभिन्न शर्तों में छूट भी दी है । दार्जिलिंग चाय पर उत्पाद-शुल्क भी 1.25 रु० प्रति किलो० ग्रा० से घटाकर 0.20 रु० प्रति कि० ग्रा० कर दिया गया है ।

तथापि, दार्जिलिंग बागानों की संभाव्यताओं में मुख्य सुधार विगत हाल में दार्जिलिंग चाय की कीमतों में काफी सुधार हो जाने से आया है । उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है । जबकि इसने उन्मूलन और पुनर्रोपण के रूप में अस्थाई रूप से उत्साह तोड़ने का काम किया है, दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य में चाय बागानों को फिर से जीवन प्रदान करने के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रोत्साहनों का उपयोग करने की उद्योग की क्षमता में सुधार हुआ है ।

राज्यों को सरकारी व्यय में कमी करने के लिए दिशा निर्देश

*521. श्री सुरेश कुरुप : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सरकारी व्यय में कमी करने के संबंध कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो जारी किए गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केरल सरकार उन दिशा-निर्देशों का पालन कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). सरकारी व्यय कमी करने के संबंध में भारत सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को कोई विशेष मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए हैं । फिर भी, चूंकि राज्यों के ओवरड्राफ्टों में वृद्धि होती जा रही थी,

इसलिए भारत सरकार ने राज्यों को सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उनके ओवरड्राफ्ट उस स्तर से अधिक नहीं होने चाहिएं जो वे 28-1-1985 को थे।

(ग) जब से निर्देश जारी किए हैं, तब से केरल सरकार का ओवर-ड्राफ्ट सात निरन्तर कार्य दिवसों से अधिक के लिए ओवर-ड्राफ्ट के उस स्तर से अधिक नहीं हुआ है जिस पर वह 28-1-1985 को पहुंच गया था।

त्रिपुरा में नए चाय बागान लगाने का प्रस्ताव

*522. **श्री अजय विश्वास :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने त्रिपुरा में नए चाय बागान लगाने का कोई प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितने हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है ; और

(ग) क्या यह सच है कि त्रिपुरा सरकार इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि उपलब्ध कराने को तैयार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) . चाय बोर्ड द्वारा तैयार किए गए सातवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में त्रिपुरा में 775 हैक्टार पर रोपण विस्तार के कार्यक्रम की व्यवस्था है। ऐसा पता चला है कि त्रिपुरा की राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए त्रिपुरा चाय विकास निगम को लगभग 1200 हैक्टार भूमि उपलब्ध भी करा दी है।

विदेशी सहयोग

*523. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित अन्य विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करने के पक्ष में है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या मार्ग-निदेश जारी किए गए हैं और नीति में उक्त परिवर्तन किन मानदण्डों के आधार पर किया गया है ;

(ग) क्या इससे हमारे देश के उद्योगों को हानि होगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार का कदम उठाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) . (क) से (घ) : विदेशी सहयोग के क्षेत्र में सरकार ने चयनात्मक आधार की नीति को ही जारी रखा है और इसी बात को जनवरी, 1983 में घोषित प्रौद्योगिकी नीति सम्बन्धी वक्तव्य में भी दुहराया गया है। आम तौर पर उन क्षेत्रों में विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए विचार किया जाता है, जिनमें स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं होती और वह भी तब जब ऐसा सहयोग युक्तियुक्त शर्तों पर प्राप्त हो सके।

एयर इंडिया के बोइंग 747 विमान के शौचालय से सोना बरामद किया जाना

*524. **श्री राम बहादुर सिंह :**

श्री जी० जी० स्वैल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मार्च, 1985 को सहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के बोइंग-747 विमान के शौचालय से 30 लाख रुपए मूल्य का 1200 तोले सोना बरामद किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) . 22 मार्च, 1985 को दुबई/आबू धाबी से पहुंचने वाले एयर इंडिया के हवाई जहाज की सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा ली गई तलाशी के फलस्वरूप कपड़े की विशेष प्रकार से तैयार की गई दो खानों वाली दो पेटियां बरामद की गई जिन्हें "इकानामी क्लास" के निकट शौचालय के अन्दर "डिस्पोजल ट्रे" के नीचे छिपाकर रखा गया था । इनकी जांच करने पर प्रत्येक पेटी में से सोने की 60 छड़ें पाई गईं जिनका कुल वजन 1200 तोला था और जिनका मूल्य 29.73 लाख रु० है । बरामद किया गया सोना अब सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत जब्त कर लिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नागपुर में एक एल्यूमिनियम अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करना

*525. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार महाराष्ट्र में नागपुर में एक एल्यूमिनियम अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है; और

(ग) इस परियोजना को आरम्भ करने के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्तः मन्त्रालयी निदर्शन (स्टियरिंग) दल की सिफारिशों के अनुसार एल्यूमिनियम अनुसंधान, विकास और डिजाइन केन्द्र की स्थापना हेतु नागपुर को उपयुक्त स्थल बताया गया है ।

(ग) परियोजना लोक-निवेश बोर्ड तथा सरकार के अनुमोदन के बाद शुरू की जायेगी ।

विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की राशि

*526. श्री बी० बी० देसाई : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1985-86 में विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की राशि को घटाकर 10.5 बिलियन डालर किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राशि पहले की अनुमानित आवश्यकता की 13.3 बिलियन डालर की राशि से 2.8 बिलियन डालर कम है;

(ग) क्या प्राप्त समाचारों के अनुसार यह कटौती इसलिए की गई है क्योंकि वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या कम है;

(घ) क्या अमरीका उक्त बैंक के पूंजी-आधार में आम वृद्धि करने सम्बन्धी तीसरे विश्व की मांग का विरोध करने हेतु आधार तैयार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इससे भारत पर किस हद तक कुप्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) . अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा राजकोषीय वर्ष, 1985 (1 जुलाई, 1984 से 30 जून, 1985 तक) के लिए दिए जाने वाली ऋण की राशि को 10.5 अरब डालर और 11.5 अरब डालर की सीमा के बीच में रखा गया है, जबकि पहले इसका अनुमान इसको 12.6 अरब डालर और 13.3 अरब डालर के बीच रखे जाने का था ।

(ग) इसका एक कारण परियोजनाओं की कमी होना बताया गया है ।

(घ) और (ङ) . विश्व बैंक सामान्य पूंजी वृद्धि की आवश्यकता पर विचार कर रहा है और इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । हमें किसी ऐसे देश विशेष की जानकारी नहीं है जो सामान्य पूंजी वृद्धि की आवश्यकता का विरोध कर रहा हो ।

जहाज तोड़क उद्योग

[अनुवाद]

3657. श्री आर० अन्नादाम्बी : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अपने नौवहन उद्योग में अपना महत्व खोता जा रहा है जबकि अन्य देश उस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं;

(ख) क्या मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड ने जहाज तोड़ने के उद्योग की कमर तोड़ दी है;

(ग) क्या मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन को समाप्त कर दिया जाएगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गए नीति सम्बन्धी मार्ग निर्देशों के अनुसार बेकार जहाजों के आवक्त की देख-रेख के लिए इस सरणीबद्ध निकाय के स्थान पर जहाज तोड़ने सम्बन्धी एक अन्य संस्था बनायी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० भटवर सिंह) : (क) और (ख) . भारत में जहाज तोड़ने वालों को सप्लाई किये गए जहाजों का कुल टन-भार इस प्रकार है :-

1979-80	91,615 एल०डी०टी०	
1980-81	1,28,683 एल०डी०टी०	
1981-82	1,96,654 एल०डी०टी०	
1982-83	2,06,000 एल०डी०टी०	
1983-84	4,32,520 एल०डी०टी०	
1984-85	3,29,000 एल०डी०टी०	(आंकड़े अस्थायी हैं)

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप देश में जहाज तोड़ने के कार्यों में वृद्धि हुई है । केवल वर्ष 1984-85 में जहाज तोड़ने के कार्य में आंशिक रूप से गिरावट आयी थी क्योंकि इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्क्रैप बनाने के लिए पर्याप्त टन-भार के जहाज उपलब्ध नहीं थे । मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन (एम०एस०टी०सी०) माध्यम अभिकरण के रूप में विदेशी ध्वज पोतों का प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों पर आयात करने तथा देश में जहाज तोड़ने वाली इकाईयों को समान रूप से वितरण करने का कार्य करती है । इसके अलावा एम०एस०टी०सी० जहाज तोड़ने के उद्योग को बिल में छूट देकर वित्तीय सहायता तथा तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिले-सिलाये वस्त्रों और कपड़ों के निर्यात से सम्बन्धित 'मल्टी-फाईबर' करार का नवीकरण

3658. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिले-सिलाये वस्त्रों और कपड़ों के निर्यात से सम्बंधित 'मल्टी फाइबर' करार के नवीकरण के बारे में सरकार ने क्या नीति अपनायी है;

(ख) क्या सरकार ने हाल के विचार-विमर्श में अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर कोटे प्राप्त करने का समर्थन किया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सिले-सिलाये वस्त्रों और कपड़ों के व्यापार के संदर्भ में सरकार व्यापार और भाड़े सम्बन्धी सामान्य करार (जी०ए०टी०टी०) की शर्तों को हटाने पर जोर क्यों नहीं दे रही है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) . बहु-रेशा प्रबन्ध की वर्तमान अवधि जुलाई, 1986 में समाप्त हो रही है । इस अवधि के बाद प्रबन्ध के भविष्य के प्रश्न को गाट वस्त्र समिति में क्रमागत आधार पर उठाया जाएगा । भारत सरकार विकसित आयातक देशों में उत्पन्न हो रही स्थितियों, विकसित निर्यातक देशों के समग्र दृष्टिकोण के साथ साथ भारतीय वस्त्र उद्योग तथा व्यापार के हित को ध्यान में रखते हुए, बातचीत से इसकी स्थिति का पता लगाएगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के गैर सरकारी निदेशकों/अध्यक्षों द्वारा पद का दुरुपयोग

3659. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुछ गैर-सरकारी निदेशकों और अध्यक्षों द्वारा अपने पदों का दुरुपयोग करने के मामले सामने आये हैं;

(ख) ऐसे कितने मामलों को सरकार की जानकारी में लाया गया है;

(ग) क्या उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक/अध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति करने से पूर्व सरकार द्वारा उनके पूर्ववृत्तों तथा पृष्ठभूमि की पड़तालें नहीं की जाती;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने अपने पद का दुरुपयोग करने वाले उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): **(क) और (ख)** . ऐसे कुछ मामले हुए हैं जिनमें गैर-सरकारी निदेशकों का आचरण उनके पद को देखते हुए अनुचित पाया गया । अलबत्ता, ऐसा आचरण अपवाद ही है । तथापि, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ जिसमें अध्यक्षों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग सिद्ध हुआ हो ।

(ग) और (घ) . प्राक्कलन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसरण में, राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक-मण्डलों में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की पृष्ठभूमि और पूर्ववृत्त के बारे में सरकार का आयकर तथा प्रवर्तन सम्बन्धी दृष्टिकोणों से जांच करने का विचार है ।

(ङ) और (च) . राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक सरकार की इच्छानुसार पद पर रह सकते है और उनकी नियुक्ति तत्काल समाप्त की जा सकती हैं । हाल में दो मामलों में ऐसा किया गया जब निदेशकों का आचरण उनके पद के अनुरूप नहीं पाया गया था । सरकार पद का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये वचनबद्ध है ।

भारत की संचित निधि से वेतन पाने वाले व्यक्ति

3660. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950-51 और 1984-85 में, भारत की संचित निधि से, परिलब्धियां, वेतन और भत्ते, मानक भत्ता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि में इन व्यक्तियों को कितनी धनराशि की अदायगी की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : **(क) और (ख)** . सूचना 1950-51 अथवा 1984-85 किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं है ।

भाग (क) के बारे में जो अद्यतन सूचना उपलब्ध है वह 31 मार्च, 1981 की है । रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय के अनुसार, 31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों (नियमित) (सशस्त्र सेनाओं के गैर-असैनिक कर्मचारियों को छोड़कर) की संख्या 34.07 लाख थी

जहां तक भाग (ख) का सम्बन्ध है अद्यतन उपलब्ध सूचना वर्ष 1982-83 के लिए है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों (सशस्त्र सेनाओं के गैर-असैनिक कर्मचारियों और संघ शासित क्षेत्रों तथा विदेशों में भारतीय मिशनों के कर्मचारियों को छोड़कर) के यात्रा भत्ते सहित वेतन और भत्तों पर कुल व्यय 3566.38 करोड़ रुपये है।

आयकर विभाग के कर्मचारियों के लिए संवर्ग प्रबन्ध योजना

3661. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई संवर्ग प्रबन्ध योजना तैयार नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आयकर विभाग के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों के लिए तीसरी संवर्ग प्रबन्ध योजना तैयार की गई है जिसके परिणामस्वरूप उच्चस्तर पर बहुत अधिक पदों का सृजन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का विचार आयकर विभाग के तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए संवर्ग प्रबन्ध योजना तैयार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क), (ख) और (ङ) . संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद् के निर्णय के अनुसार समूह "ग" संवर्गों की उन श्रेणियों के सम्बन्ध में संवर्ग समीक्षाएं की जानी हैं जिनमें अपेक्षाकृत बहुत ही प्रगतिरोध होता है। पद तभी सृजित किए जाने होते हैं/उन्हें पदोन्नत किया जाना होता है यदि उनमें सेवा सम्बन्धी संभावनाओं को सुधारने तथा प्रगतिरोध को कम करने की आवश्यकता के अनुपर्याप्त कार्यात्मक औचित्य होता है। आयकर विभाग में समूह "ग" संवर्गों की स्थिति की समीक्षा की गई है तथा इन संवर्गों में प्रगतिरोध को देखते हुए, जहां उचित पाया गया, वहां प्रवरण ग्रेड पद सृजित किए गए हैं।

(ग) तथा (घ) . आयकर विभाग के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों की तृतीय संवर्ग समीक्षा के प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन हैं।

बाजारों से उधारी में वृद्धि

3662. **डा० कृपा सिन्धु भोई :**
श्री पीयूष तिरकी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में बाजारों से उधार लेने के मामलों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं; और

(ग) उक्त प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) . 1985-86 के बजट अनुमानों में केन्द्रीय सरकार द्वारा 5100 करोड़ रुपए के निवल बाजार उधार लिए जाने

की परिकल्पना की गई है, जबकि 1980-81 में 2579 करोड़ रुपए के बाजार-उधार लिए गए थे ।

बाजार उधार पंचवर्षीय आयोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सामान्य संसाधनों का एक भाग है ।

यद्यपि पिछले वर्षों में बाजार उधारों की राशि में निरपेक्ष रूप में वृद्धि हुई है, लेकिन यह 1985-86 (बजट अनुमान) में 18509 करोड़ रुपए के आयोजना-व्यय के संसाधनों का केवल 27.6 प्रतिशत है, जबकि 1980-81 में यह 27.6 प्रतिशत थी ।

वर्ष 1980-81 में केन्द्रीय सरकार की 21600 करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियों में बाजार उधारों का हिस्सा 11.9 प्रतिशत था जो घटकर 1985-86 (बजट अनुमान) में 47946 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का 10.6 प्रतिशत रह गया है ।

बिहार में कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से उपकरणों की खरीद

3663. **श्री वाई० पी० यादव :** क्या **इस्पात, खान और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से अब तक उपकरणों की खरीद पर भारी निवेश किया गया है;

(ख) क्या इतनी भारी धनराशि के केवल 25 प्रतिशत भाग का ही उपयोग किया गया परन्तु दावा 45 प्रतिशत का किया गया है;

(ग) क्या इन उपकरणों के अतिरिक्त पुर्जों की खरीद गैर-सरकारी निर्माताओं से की जा रही है, और वे पुर्जे बहुत घटिया किस्म के हैं तथा यह खरीद अध्यक्ष की सहमति के साथ सीधे कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो जनवरी, 1983 से फरवरी, 1985 के दौरान कितने अतिरिक्त पुर्जों की खरीद की गई और उस पर कितना व्यय हुआ;

(ङ) उक्त पुर्जों को मूल निर्माताओं से न खरीदने के क्या कारण हैं; और

(च) इस समय उपकरणों के फालतू पुर्जों का प्रबन्ध, मरम्मत और रखरखाव किस प्रकार किया जा रहा है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (च) . सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली हवाई अड्डे पर परिधानों का जब्त किया जाना

3664. **श्री आनन्द पाठक :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1985 के शुरू में नई दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर-फ्रांस के एक माल वाहक जहाज को रोका गया था और उसमें निर्यातार्थ परिधानों को जब्त किया गया था जिन्हें गलत श्रेणी में रखकर धोखे से निर्यात किया जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अन्तर्ग्रस्त सीमा-शुल्क एजेंटों और निर्यातकों आदि का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिनके कारण विदेशों में देश का नाम बदनाम होता है ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दिल्ली हवाई अड्डे पर एअर-फ्रांस के किसी भी "फ्रेटर" को नहीं रोका गया था । तथापि, दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने निर्यात नियंत्रण आदेश के संदिग्ध उल्लंघन और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत गलत घोषणा करने के सिलसिले में कुल 65.66 लाख रुपए मूल्य की चौसठ निर्यात-खेपों को पकड़ा है । ये खेपें विभिन्न पच्चीस निर्यातकर्त्ताओं की हैं और छः क्लियरिंग एजेंटों ने इन निर्यातकर्त्ताओं में से कुछ निर्यातकर्त्ताओं के कागजात पेश किए हैं । मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(ग) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न होने पाए, इसके लिए निवारक उपाय तेज करने और निर्यात कार्यों के भली-भांति पर्यवेक्षण करने सम्बन्धी आदेश दे दिए गए हैं ।

पश्चिम बंगाल में "शिप-ब्रेकिंग" यूनिटों को पोतों का आबंटन

3665. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शिप ब्रेकिंग उद्योग को पोतों का आबंटन करने के सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई जाती है;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल में पुराने तथा स्थापित किए गए "शिप ब्रेकिंग" यूनिटों को आबंटन अथवा नीलाम द्वारा पोत प्राप्त होंगे; और

(ग) इन यूनिटों का ब्यौरा क्या है और उनको कितने पोत आबंटित किए गए ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड के पास पंजीकृत जहाज तोड़ने वालों को निम्नलिखित आधार पर जहाज उपलब्ध कराये जाते हैं :

(i) टेंडर आमन्त्रित करके सबसे अधिक बोली बोलने वाले को भारतीय ध्वज पोतों की बिक्री ;

(ii) बम्बई तथा कलकत्ता को छोड़कर अन्य स्थलों पर जहाज तोड़ने की पंजीकृत इकाइयों को मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा "लागत सहित आधार" पर विदेशी ध्वज पोतों का आवंटन ।

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान पश्चिम बंगाल में जहाज तोड़ने की एक इकाई को निविदा के आधार पर 5504 एल०डी०टी० भार का मात्र एक जहाज बेचा गया है । इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जहाज तोड़ने की इकाई द्वारा मैसर्ज सिन्धिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड से दो भारतीय ध्वज पोत खरीदे गये थे ।

सीमा-शुल्क कलक्टरी, बम्बई के भाण्डागारों में पड़े जब्तशुदा माल के लम्बित मामले

3666. **श्री आर०एम० भोये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमा-शुल्क कलक्टरी, बम्बई के भाण्डागार में पड़े जब्तशुदा माल से सम्बद्ध उन मामलों की संख्या कितनी है जो विनिर्णय, अपील और पुनरीक्षा कार्यवाहियों और अभियोजन के लिए लम्बित पड़े हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

कोटा रहित बाजारों में बिक्री बढ़ाने के लिये वस्त्र निर्यातकों की आनाकानी

3667. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वस्त्रों के निर्यातक अभी भी कोटा रहित बाजारों में बिक्री बढ़ाने में आनाकानी करते हैं और कोटा युक्त क्षेत्रों में रजिम चोरी छिपे और आसान सौदा करना पसन्द करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कोटा रहित निर्यात बाजारों को विकसित करने और कोटा रहित देशों में वस्त्र के निर्यात का लाभ उठाने के उद्देश्य से वस्त्र उद्योग को सहमत कराने हेतु क्या उपाय अपनाये हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं । उपलब्ध जानकारी के अनुसार गैर-कोटा बाजारों की परिधान निर्यात ऊर्ध्वमुखी प्रवृति दर्शाते रहे हैं ।

(ख) सरकार ने गैर-कोटा बाजारों के विकास के लिये अनेक उपाय किये हैं । इनमें शामिल हैं :

(1) सी०सी०एस० उन 5 लोकप्रिय परिधान संवर्गों के सम्बन्ध में स्वीकार्य है जो कि केवल गैर-कोटा देशों को निर्यात किये गये हों ।

(2) आयात-निर्यात नीति में विशिष्ट नए बाजारों के निर्यातों के आधार पर उच्च दर पर आर०ई०पी० लाइसेंसों की अनुमति है ।

(3) निर्यात संवर्धन परिषदों और निर्यात सदनों को बाजार विकास निधि से ऊंची दरों पर अनुदान उस स्थिति में स्वीकार्य है जब कि वे अफ्रीकी और लातीनी अमरीकी देशों में प्रदर्शनियों में भाग लें ।

1983-84 और 1984-85 के दौरान गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात

3668. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितनी गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात शुरू किया गया; और

(ख) क्या गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में प्रतिवर्ष विविधता लाने के लिए कोई निर्यात पद्धति अपनाई जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) आयात तथा निर्यात नीति 1983-84 के परिशिष्ट 22 (निर्यात उत्पादों की चुनिन्दा सूची) में जोड़ी गई गैर-परम्परागत मदें (चुनिन्दा उत्पाद) थीं (1) कागज की लुग्दी से बनी वस्तुएं (2) निर्जलीकृत प्याज (3) सूरजमुखी बीज निस्सारण और (4) साल बीज निस्सारण। आयात व निर्यात नीति, 1984-85 में परिशिष्ट-16 (निर्यात उत्पादों की चुनिन्दा सूची) में जोड़ी गई गैर-परम्परागत मदें (चुनिन्दा उत्पाद) थीं (1) परफ्यूमरी यौगिक (2) तेल रहित चावल भूसी निस्सारण (विलायक निस्सारण प्रक्रिया द्वारा उत्पादित) तथा बिनौला निस्सारण (विलायक निस्सारण प्रक्रिया द्वारा उत्पादित) और (3) साल बीज वसा।

(ख) परम्परागत और गैर-परम्परागत दोनों मदों के भारतीय निर्यातों को बढ़ाने के लिए आयात और निर्यात नीति उपाय बराबर तैयार किए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं : उत्पादन को बढ़ाने तथा उसका विविधीकरण के लिए उपाय, हमारे निर्यातों को और प्रतियोगी बनाना, हमारे उत्पादों के लिए नए बाजारों का पता लगाना तथा बेहतर मूल्य वसूली के लिए वस्तुओं की प्रोसैसिंग। सरकार के पास उपलब्ध विभिन्न नीति साधनों का उपयोग इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है तथा जैसे और जब आवश्यक होता है उनमें समायोजन किया जा रहा है।

जापान के साथ व्यापार सन्तुलन

3669. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान जापान के साथ व्यापार सन्तुलन की स्थिति क्या रही और उक्त देश को किए गए निर्यात और वहां से किए गए आयात के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं; और

(ख) जापान से आयात की गई प्रमुख मदें क्या हैं;

(ग) क्या जापान के साथ हमारा व्यापार बढ़ाने के लिए कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1983-84 के दौरान जापान के साथ व्यापार शेष नीचे दिए अनुसार है :

(रु० मिलियन में)

वर्ष	जापान को निर्यात	जापान से आयात
1983-84	8173	14152

(ख) जापान से आयात की प्रमुख मदें हैं सामान्य मशीनरी, विद्युत मशीनरी, परिवहन मशीनरी, लोहा तथा इस्पात, वस्त्र माल, रसायन तथा अन्य हल्के औद्योगिक उत्पाद।

(ग) और (घ) : 4 फरवरी, 1958 को जापान के साथ एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए / करार की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

करार के अन्तर्गत प्रत्येक देश के कानूनों व विनियमों के अनुसार अदायगी, प्रेषणों तथा धन के अन्तरणों के सम्बन्ध में दोनों में से किसी भी देश राष्ट्रिकों तथा कम्पनियों को जो व्यवहार प्रदान किया जाएगा वह किसी तृतीय देश के राष्ट्रिकों तथा कम्पनियों को दिये जाने वाले व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा । दोनों में से किसी भी देश के राष्ट्रिकों तथा कम्पनियों को कर लगाने और कारोबार तथा व्यवसाय से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्यकलापों के संचालन आदि से सम्बन्धित विषयों के बारे में परममित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान किया जाये । दोनों में किसी भी देश के व्यापारी पोतों को सम्बन्धित देश के पत्तनों, स्थानों और समुद्र में परममित्र राष्ट्र प्रदान किया जायेगा । दोनों देशों को अपने व्यापार का विस्तार करने और आर्थिक सम्बन्ध मजबूत बनाने तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान के परस्पर आदान प्रदान और प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से परस्पर लाभ के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना है ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम में कानूनी प्रतिधारकों की नियुक्ति

3670. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम में नियुक्त किये गये कानूनी प्रतिधारकों की संख्या कितनी है;

(ख) उनकी नियुक्तियां किन शर्तों पर और कब से की गई हैं;

(ग) इनमें से कितनों को 28 फरवरी, 1984 तक की उनकी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है;

(घ) क्या कुछ प्रतिधारकों की बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तथा (ख) . एन०टी०सी० (डब्ल्यू०बी०ए०बी०ओ०) ने तीन अधिवक्ताओं को विधिक प्रतिधारकों के रूप में नियुक्त किया है । उनकी नियुक्ति की शर्तें व तारीख नीचे दी गई हैं :

1 . श्री अमरनाथ सिंह, अधिवक्ता, पटना

2-8-1982 को नियुक्त किया गया । मानदेय के रूप में 500 रु० प्रति मास । यदि सहायक निगम की ओर से उपस्थित होना अपेक्षित हो तो सामान्य उपस्थिति शुल्क 119 रु० की दर पर । गया काटन एण्ड जूट मिल्स और बिहार कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स के सम्बन्ध में कराधान को छोड़कर सिविल मामले समय समय पर उन्हें भेजे जाते हैं । गया और मुकामेह की यात्रा के मामले में उन्हें निकटतम मार्ग का प्रथम श्रेणी का वास्तविक ट्रेन किराया और 50 रु० प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता देय है ।

2. श्री ए० एस० राय, अधिवक्ता, कलकत्ता

2-8-1982 को नियुक्त किया गया । मानदेय के रूप में 1000 रु० प्रति मास । यदि बकाया ऋणों की वसूली से सम्बन्धित मामलों, किरायेदार तथा अन्यथा के रूप में सहायक निगम के पास विभिन्न परिसरों सहित भूमि सम्बन्धी मामलों के लिये कलकत्ता उच्च न्यायालय में

सहायक निगम के लिये उपस्थित होना अपेक्षित हो तो सामान्य उपस्थिति शुल्क 170 रु० । कलकत्ता से 20 किलोमीटर बाहर किसी भी स्थान की यात्रा के लिये वास्तविक प्रथम श्रेणी का किराया और सौंपे गये विभिन्न न्यायालय मामलों में किये गये सभी आनुषंगिक व्यय ।

3. श्री टी० पी० शाह, अधिवक्ता, कलकत्ता

1976 में नियुक्त किया गया । वह सहायक निगम के सभी 18 एककों के सम्बन्ध में आयकर तथा बिक्री कर मामलों के लिये प्रतिधारक हैं । 800 रु० (समेकित) की दर पर मासिक प्रतिधारण शुल्क अदा किया जाता है । 1981 से उनका प्रतिधारण शुल्क बढ़ाकर 1000 रु० प्रति मास कर दिया गया है । उन्होंने हाल ही में अपना प्रतिधारण शुल्क 1500 रु० प्रति मास की दर पुन: तय करने के लिये सम्पर्क किया है जो कि सहायक निगम के विचाराधीन है ।

(ग) से (ङ) श्री अमरनाथ सिंह, अधिवक्ता को 24-3-84 को दिसम्बर, 1983 तक की उनकी देय राशियों का भुगतान किया गया । उनसे कोई और बिल प्राप्त नहीं हुए हैं ।

श्री ए०एस० राय को मार्च, 1985 के महीने में फरवरी, 1985 तक की उनकी देय राशियों का भुगतान किया गया ।

श्री टी०पी० शाह को कोई राशि देना बकाया नहीं है ।

भारत में विदेशी बैंकों की तुलना में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अर्जित लाभ

3671. **श्री एन० डेनिस :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमा पूंजी में वृद्धि की दृष्टि से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अर्जित लाभ भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ की तुलना में कम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) . सरकारी क्षेत्र के बैंकों और भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की 1982 और 1983 की अवधि को कुल जमा राशियों और निवल लाभ के आंकड़े नीचे दिये गए हैं :—

(करोड़ रुपये)

	जमा		लाभ	
	1982	1983	1982	1983
सरकारी क्षेत्र के बैंक	47153	55311	78	84
विदेशी बैंक	1608	1929	17	21

जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उन्हें अपने परिचालनों से लाभ हो लेकिन उनका मुख्य प्रयोजन राष्ट्रीय बैंकिंग नीति के हितों में सहायक होना है । इन नीतियों का उद्देश्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को रियायती ब्याज दर पर अधिक मात्रा में ऋण देना है । इन बैंकों को

रूग्ण एककों की भी रियायती दरों पर सहायता करनी होती है। इसके अतिरिक्त सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अनाज की खरीद के लिए अग्रिम और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से भी उनकी लाभप्रदता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पिछड़े क्षेत्रों में काफी संख्या में शाखाएं खोलनी होती हैं जिनको प्रारम्भ से न लाभ न हानि की स्थिति तक पहुंचने में काफी समय लगता है। ऐसे मामलों में विदेशी बैंकों के दायित्व सीमित हैं।

रूई का निर्यात

3672. **श्री अमरजीत सिंह :**
श्री महेश सिंह :

क्या **पूर्ति और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुई का निर्यात आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और आगामी वर्ष के दौरान रूई की किस किस्म और कितनी मात्रा का निर्यात किया जाएगा; और

(ग) निर्यात से कितनी आय प्राप्त होने की आशा है और इससे स्वदेशी उद्योग किस प्रकार प्रभावित होगा ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख). जी हां। रूई के निर्यात के सम्बन्ध में निर्णय देश में रूई की मांग तथा सप्लाई स्थिति और विद्यमान कीमत रुख की जांच के बाद समय समय पर लिये जाते हैं। चालू रूई वर्ष के दौरान अब तक निर्यात के लिए लम्बे तथा अधिक लम्बे रेशे की रूई की 1.95 लाख गांठों की मात्रा को रिलीज किया गया।

(ग) जब तक मात्राओं के वास्तविक निर्यात न हो जाएं, निर्यात आय का सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि विभिन्न किस्मों की अनुमति होती है तथा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। निर्यात के लिए रूई की केवल उन किस्मों/मात्राओं की अनुमति है जो हमारी घरेलू जरूरतों से बेशी समझी जाती हैं। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा अनुमत रूई के निर्यातों से घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पश्चिमी कोयला क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए प्रस्ताव

3673. **श्री राम समुझावन :** क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी कोयला क्षेत्रों को दो भागों यथा पश्चिम क्षेत्र जिसका मुख्यालय नागपुर में हो और केन्द्रीय भारत जिसका मुख्यालय बिलासपुर में हो, में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव अब किस स्तर पर है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) . वेस्टर्न कोल-फील्ड्स लि० को दो कंपनियों में बांटने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

हल्दी का निर्यात करना और हल्दी बोर्ड स्थापित करना

3674. **श्री बी० सोमनेड्रीसवरा राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 में भारत से विभिन्न देशों को कुल कितनी मात्रा और कुल कितने मूल्य की हल्दी का निर्यात किया गया;

(ख) देश में 1982-83 और 1983-84 के दौरान कितनी मात्रा में हल्दी का उत्पादन हुआ; और

(ग) क्या हल्दी के उत्पादन और निर्यात का नियमन और विकास करने के लिये कॉफी और चाय बोर्डों की तरह ही हल्दी बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) तथा (ख) . 1982-83 और 1983-84 में निर्यात की गई हल्दी की मात्रा एवं मूल्य और हल्दी का उत्पादन नीचे दिया गया है :

वर्ष	निर्यात (मे०टन में)	मूल्य (हजार रु० में)	उत्पादन (हजार मे० टन में)
1982-83	7594.8	42354.3	173
1983-84	10891.9	110550.1	194

(ग) हल्दी बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, सरकार ने हल्दी सहित, मसालों की सभी मदों के एकीकृत विकास के लिये एक बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है ।

उड़ीसा में वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा किसानों को ऋण

3675. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें कृषि के विकास के लिए किसानों को ऋण देने के निदेश दिए गए थे;

(ख) उन विभिन्न बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्ष के दौरान उड़ीसा में किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराए; और

(ग) उन वर्षों के दौरान उड़ीसा में प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक द्वारा वितरित किए गए ऋणों की राशि क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को, किसानों को ऋण देने के निदेश दिए गए थे ताकि मार्च, 1985 के अन्त तक प्रत्यक्ष कृषि ऋणों का हिस्सा बढ़ाकर उनके कुल बकाया ऋणों का 15% कर दिया जा सके ।

(ख) निम्नलिखित वाणिज्यिक बैंक, उड़ीसा राज्य में कृषि ऋण दे रहे हैं :—

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. इलाहाबाद बैंक
3. आंध्र बैंक
4. बैंक आफ बड़ौदा
5. बैंक आफ इंडिया
6. केनरा बैंक
7. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
8. कारपोरेशन बैंक
9. देना बैंक
10. इंडियन बैंक
11. इंडियन ओवरसीज बैंक
12. न्यू बैंक आफ इंडिया
13. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स
14. पंजाब नेशनल बैंक
15. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
16. सिंडिकेट बैंक
17. यूनियन बैंक आफ इंडिया
18. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
19. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
20. विजया बैंक
21. फैडरल बैंक
22. लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि०

(ग) पिछले तीन वर्षों में, उड़ीसा राज्य में किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष कृषि ऋणों का बैंक समूह-वार संवितरण इस प्रकार है :—

(लाख रुपये)

बैंक समूह का नाम	निम्नलिखित के अंत में		
	मार्च, 1980	मार्च 1981	मार्च 1982
1	2	3	4
स्टेट बैंक समूह			
1. खातों की संख्या	55850	260170	140712
2. संवितरित राशि	1228.14	6327.05	2973.63
राष्ट्रीयकृत बैंक			
1. खातों की संख्या	28881	44420	48448
2. संवितरित राशि	443.64	728.17	847.69

1	2	3	4
गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक			
1. खातों की संख्या	3420	1	—
2. संवितरित राशि	78.53	0.12	—
जोड़			
1. खातों की संख्या	88151	304591	189160
2. संवितरित राशि	1750.31	7055.34	3821.32

अनिवासी भारतीयों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना

3676. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों और अन्यों द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कोई अभिनव योजना तैयार की है अथवा उन परेशानियों को दूर करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए हैं जिससे अनिवासी भारतीयों को भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करने से अब तक रोका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अनिवासी भारतीयों की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) . सरकार ने भारतीय राष्ट्रिकता/भारतीय मूल के अनिवासी व्यक्तियों को देश में धनराशियां भेजने और निवेश के लिए उनकी पूंजी आकर्षित करने के प्रयोजन से बहुत सी सुविधाएं प्रदान की हैं। 1982 से घोषित की गई सभी स्कीमें इस समय लागू हैं । इनमें नए उद्योगों की स्थापना करने, सामान्य शेयरों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में पूंजी का निवेश करने और बैंकों. में धनराशियों को जमा के रूप में रखने आदि की सुविधाएं शामिल हैं । नवम्बर, 1983 में, सरकार ने अनिवासी भारतीयों से प्राप्त होने वाले औद्योगिक निवेश सम्बन्धी समस्त प्रस्तावों का त्वरित निपटारा करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग में एक विशेष अनुमोदन समिति का गठन किया था । हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी, अनिवासी भारतीयों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के अधीन उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में उसके द्वारा तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनायी जा रही विद्यमान प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया है ताकि इन पद्धतियों को और सरल बनाया जा सके ।

इन सुविधाओं से, विशेषकर अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों में प्रेषणाओं और जमा रकमों के रूप में काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा देश में आई है । औद्योगिक एककों में प्रत्यावर्तन और गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर निवेश करने के बहुत से प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है ।

अजीकल के पास एक "शिप ब्रेकिंग" यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव

3677. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कन्नानौर जिले में अजीकल के निकट एक "शिप ब्रेकिंग" यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव था;

(ख) क्या इस यूनिट का पंजीकरण नहीं किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) . केरल के कन्नानौर जिले में अजीकल नामक स्थान के समीप जहाज तोड़ने के लिए मैसर्स स्टील इंडस्ट्रियल्स केरल लिमिटेड को एक आशय-पत्र दिया गया है । उन्होंने तोड़ने के लिए एक जहाज का आवंटन करने के लिए मैसर्स मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन के पास पंजीकरण करवा लिया है ।

(ग) और (घ) . प्रश्न ही नहीं उठते ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों की तुलना में लिपिकीय कर्मचारी वर्ग को अधिक वेतन

3678. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन्स तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न श्रमिक संघों के बीच चौथे द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद अधिकारियों की तुलना में लिपिकीय कर्मचारी-वर्ग अधिक वेतन प्राप्त कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस असंगति को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों के वेतनमान में सुधार करने के लिए बातचीत किस स्थिति में है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) . अधिकारियों के वेतनमान का न्यूनतम वेतन, लिपिकीय वर्ग के वेतनमान से अभी भी अधिक है ।

(घ) इंडियन बैंक्स एसोसिएशन्स ने अधिकारियों की एसोसिएशनों के साथ परामर्श की प्रक्रिया पूरी कर ली है ।

भारत एल्यूमिनियम कारपोरेशन लि० के मुख्यालय को नई दिल्ली से स्थानान्तरित करना

3679. **श्री डी० पी० अवेजा** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड (बाल्को) को छोड़कर किसी भी एल्यूमिनियम कारपोरेशन का नई दिल्ली में मुख्यालय नहीं है;

(ख) क्या भारत एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड का एल्यूमिनियम प्रगालक तथा बाक्साइट खानें दिल्ली की अपेक्षा कोरबा, कलकत्ता और भोपाल के अधिक निकट हैं;

(ग) क्या "बाल्को" को इसके प्रारम्भ से ही भारी घाटा हो रहा है तथा "बाल्को" के अधिकारियों द्वारा संयंत्रों तथा खानों, आदि तक दौरा करने पर भारी धनराशि व्यय की जाती है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे व्यय को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा नई दिल्ली में "बाल्को" के मुख्यालय को रखने का क्या औचित्य है; और

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव बाल्को मुख्यालय को ऐसे स्थान पर ले जाने का है, जो "बाल्को" के एल्यूमिनियम प्रगालक तथा बाक्साइट खानों के अधिक निकट है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (बाल्को) की फुटकापहाड़ और अमरकंटक (मध्य प्रदेश) बाक्साइट खानें नई दिल्ली तथा कलकत्ता की बजाए कोरबा और भोपाल के अधिक निकट हैं । विकासाधीन गन्दमार्दन बाक्साइट खान (उड़ीसा), तथा तारीख 2-6-1984 को राष्ट्रीयकृत और बाल्को में समाहित विधानबाग, एल्यूमिनियम कारपोरेशन, आसनसोल (पश्चिमी बंगाल) नई दिल्ली तथा भोपाल की बजाए कलकत्ता के अधिक निकट हैं ।

(ग) और (घ). यह सही नहीं है कि बाल्को को हो रहा घाटा खानों और कारखानों के निरीक्षणकर्त्ता अधिकारियों के बढ़े-चढ़े दौरा खर्च के कारण है । इस खाते पर नाम मात्र का खर्च है कोरबा में प्रोजेक्ट एवं परिचालन कार्यों के लिए बोर्ड स्तर का प्रभारी निदेशक है तथा सहयोगी अधिकारी और इंजीनियर तैनात हैं । गन्दमार्दन खान परियोजना तथा विधानबाग एल्यूमिनियम यूनिट आसनसोल का कार्य कंपनी के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी देख रहे हैं । तथापि घाटा मुख्यतः बिजली की अनुपलब्धि के कारण हैं, जिसके परिणामस्वरूप, क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं हो रहा है, जिसके निर्माण में भारी पूंजी लगी हुई है ।

(ङ) मामला उच्चतम स्तर पर सरकार के विचाराधीन है ।

आयकर अधिकारियों द्वारा आगरा में प्राइवेट फैमिली ट्रस्टों के मामलों का पूरा किया जाना

3680. **श्री केशव राव पारधी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 के दौरान आयकर कार्यालय, आगरा के सर्किल-II ए, वार्ड द्वारा प्राईवेट फैमिली ट्रस्टों के मामले पूरे कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन आयकर अधिकारियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने सर्किल-II ए, वार्ड में उन मामलों पर कार्यवाही की थी;

(ग) क्या इन मामलों पर आयकर के उन अधिकारियों ने अनियमित रूप से कार्यवाही की थी, जिनका अधिकार क्षेत्र उस सर्किल में नहीं था; और

(घ) यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां ।

(ख) सर्वश्री जोगिन्द्र सिंह, एम० एन० दीक्षित, गणेशी लाल और एम० एम० लाल, आयकर अधिकारियों ने 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान प्राइवेट फैमिली ट्रस्टों के मामलों में कार्यवाही की ।

(ग) और (घ). सितम्बर, 1982 में मूल अधिकार क्षेत्र संबंधी आदेश में कुछ खामी ध्यान में आई जिसे दिसम्बर 1983 में ठीक कर लिया गया था। फरवरी 1984 में एक आयकर अधिकारी को निलम्बित भी किया गया और प्राइवेट फैमिली ट्रस्टों के कुछेक मामलों में बदनीयती से कार्यवाही करने के लिए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

एशियन विकास बैंक ऋण के लिए भारत के आवेदन पर अनिर्णय की स्थिति

3681. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियन विकास बैंक से 2 बिलियन डालर के ऋण के लिए भारतीय आवेदन पर अभी भी अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह गतिरोध कब तक दूर होने की सम्भावना है;

(ग) इस ऋण को गैर सरकारी और राज्य क्षेत्र की किस प्रकार की परियोजनाओं पर खर्च किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस ऋण से पश्चिम बंगाल को इसकी किसी भी परियोजनाओं के लिए धनराशि दी जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च). भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के प्रबधन्कों को बैंक से तीसरी सामान्य पूंजी वृद्धि (1987 को समाप्त) के दौरान ऋण लेने से संबंधित अपने आशय से अवगत करा दिया है। इस अवधि के दौरान भारत को दिए जाने वाले ऋण की वास्तविक राशि और उससे वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं पर बात-चीत चल रही है।

महंगाई भत्ते में संशोधन के संबंध में श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक

3682. **श्री चम्पन थामस :**

प्रो० मधु दंडवते :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महंगाई भत्ते के संशोधन के संबंध में 21 मार्च, 1985 को श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय पर कोई निर्णय लिये बिना उक्त बैठक स्थगित हो गयी थी; और

(ग) किन-किन प्रमुख मुद्दों पर असहमति थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उपर्युक्त बैठक में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया था। तदुपरान्त, सरकार ने केन्द्रीय मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों से और परामर्श करने

के बाद परिशोधित महंगाई भत्ता दरों के बारे में निम्नलिखित अन्तिम निर्णय किये हैं, जिनके विषय में वित्त मंत्री ने भी 12 अप्रैल, 1985 को लोक सभा में एक वक्तव्य दिया था।

(1) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शिमला श्रृंखला 1960-100) में प्रत्येक अंक की वृद्धि पर वर्तमान औद्योगिक महंगाई भत्ते की दर 1.30 रुपये से बढ़ाकर 1.65 रुपये कर दी जायेगी। यह दर 1 अप्रैल, 1983 से लागू होगी और अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 492 अंकों से ऊपर की सभी वृद्धियों पर लागू होगी।

(2) परिशोधित दर वर्तमान अवधि अर्थात् 1 अप्रैल, 1985 से देय होगी। 1 अप्रैल, 1983 से 31 मार्च, 1985 तक की अवधि की बकाया राशि का हिसाब लगाया जायेगा तथा इसकी आधी राशि का नकद भुगतान भी किया जायेगा। शेष अर्द्ध राशि सम्बन्धित उद्यमों के पास रखी जायेगी तथा उसका 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित एक वर्ष बाद भुगतान किया जायेगा।

(3) महंगाई भत्ता परिशोधन की आवृत्ति तिमाही आधार पर चालू रहेगी।

आयकर विभाग के कर्मचारियों को मकानों का आवंटन

[हिन्दी]

3683. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयकर विभाग के कर्मचारियों की आवासीय समस्या को हल करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार उनकी आवासीय समस्या किस प्रकार हल करने का है; और

(घ) इस समय आयकर विभाग के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिनका सेवा काल दस वर्षों से अधिक हो गया है, परन्तु उन्हें अभी तक मकान नहीं मिला है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निर्माण तथा आवास मंत्रालय द्वारा नियंत्रित सामान्य पूल में से आयकर विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उपलब्ध आवास के अलावा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए विभिन्न स्थानों पर रिहायशी मकान बनाने के लिए कई प्रस्तावों को स्वीकृत किया है तथा यह एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार के प्राधिकरणों तथा प्राइवेट पार्टियों दोनों से चुनिंदा आधार पर बने बनाए फ्लैट भी खरीदे गए हैं।

(घ) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा इसे समस्त देश में फैले हुए विभिन्न आयकर आयुक्तों से प्राप्त करना होगा। विभिन्न आयकर आयुक्तों से ऐसी सूचना एकत्र करना एक समय खपाऊ प्रक्रिया है तथा उन परिणामों के अनुरूप नहीं होगी जिन्हें प्राप्त किए जाने की मंशा है।

हल्दिया में तटवर्ती इस्पात संयंत्र की स्थापना

[अनुवाद]

3684. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में एक तटवर्ती इस्पात संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस्पात की मांग की तुलना में जिन क्षमताओं के बारे में योजना बना ली गई है और जिन्हें पहले से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इस्पात क्षेत्र में पूंजी-निवेश के लिए धन की उपलब्धि को देखते हुए हल्दिया में निकट भविष्य में एक नया इस्पात कारखाना लगाने की कोई सम्भावना नहीं है ।

सरकारी उपक्रमों को हुई हानि

[हिन्दी]

3685. **श्री पीयूष तिरकी :**

डा० ए० के० पटेल :

श्री सी० गंगा रेड्डी :

श्री कृष्ण प्रताप सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 के दौरान केन्द्रीय सरकार के 191 उपक्रमों में से 82 उपक्रमों को हानि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस हानि का विवरण क्या है;

(ग) उक्त हानि होने के कारण क्या थे; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं कि भविष्य में इन उपक्रमों को हानि न हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) . वर्ष 1982-83 में 193 उपक्रमों में से 82 उपक्रमों ने घाटा उठाया था । घाटा उठाने वाले उपक्रमों के नाम और प्रत्येक द्वारा उठाये गये घाटे की रकम का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1982-83 के खण्ड-1 में विवरणी संख्या 2.7 (ख) में पृष्ठ 60-62 पर उपलब्ध है जिसे 28-2-1984 को लोक सभा पटल पर रखा गया था ।

(ग) मोटे तौर पर घाटे के कारण इस प्रकार हैं :—

(1) घाटा उठाने वाले उद्यमों में ऐसे अनेक रुग्ण एकक शामिल हैं जिन्हें रोजगार सुरक्षा प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र से अधिग्रहीत किया गया है। इन उद्यमों में लाभकारिता पर पुरानी और अप्रचलित मशीनों, फालतू जन शक्ति आदि के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(2) इस्पात, कपड़ा और नौवहन आदि जैसे उद्यमों में मांग की मन्दी के कारण क्षमता के उपयोग में गिरावट आई है। कपड़ा क्षेत्र के अन्तर्गत बम्बई स्थित कपड़ा मिलों में हड़ताल के कारण घाटा और बढ़ गया है।

(3) बिजली और कोयले की अनुपलब्धता/अपर्याप्त उपलब्धता।

(4) दिल्ली परिवहन निगम की भांति अलाभकारी मूल्य।

(5) नियंत्रित मूल्यों का प्रचलन जैसा कि कोयला, उर्वरक आदि के लिये है।

(घ) इन उपक्रमों को घाटा न उठाना पड़े, इसके लिए सरकार द्वारा किये गए कुछ सद्उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) सरकार को जहां-कहीं क्षमता के उपयोग में निरंतर गिरावट दिखाई पड़ी है तो उसके विशिष्ट कारणों की जांच करने तथा अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए उसने अनेक गहन अध्ययन दल गठित किए हैं।

(2) सरकार प्रमुख परियोजनाओं के निष्पादन तथा उनके कार्य शीघ्र पूरे होने का निरन्तर परिवीक्षण कर रही है।

(3) सरकार, सरकारी उद्यमों की प्रबन्ध व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं जिनमें कार्मिक, संगठनात्मक ढ़ांचे आदि में परिवर्तन शामिल है, की निरन्तर समीक्षा कर रही है, ताकि उनका कार्य-निष्पादन बेहतर बनाया जा सके।

(4) जहां-कहीं औचित्यपूर्ण होने पर संतोलक सुविधाओं और निजी उपयोगार्थ विद्युत संयंत्रों के लिए अतिरिक्त पूंजी-निवेश की व्यवस्था की जाती है। सरकार ने बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किये हैं जिनमें से निम्नलिखित उपाय उल्लेखनीय हैं अर्थात्

(क) अतिरिक्त क्षमता पैदा करना,

(ख) संयंत्र का आधुनिकीकरण,

(ग) प्रशिक्षण,

(घ) ताप बिजली संयंत्रों आदि के अनुरक्षण कार्य में सुधार करना।

(5) जहां-कहीं समुचित जान पड़ने पर प्रौद्योगिकी उन्नयन, संयंत्र एवं उपस्कर का आधुनिकीकरण और उत्पादों का विविधीकरण शुरू किया जाता है।

उड़ीसा काटन मिल, जगतपुर में वित्तीय संकट

[अनुवाद]

3686. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उड़ीसा काटन मिल, जगतपुर वित्तीय संकट का सामना कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संकट को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या उक्त काटन मिल का आधुनिकीकरण करने हेतु सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) फिलहाल उड़ीसा काटन मिल, जगतपुर किसी वित्तीय कठिनाई का सामना नहीं कर रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). जी हां । इस एकक के आधुनिकीकरण जिसमें चरण I, चरण II शामिल हैं तथा विस्तार हेतु व्यवस्था के लिये कुल मंजूर राशि 320.72 लाख रु० है । 290.37 लाख रुपये की योजनाएं पहले ही कार्यान्वित हो चुकी हैं ।

भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े क्षेत्रों को मंजूर किया गया ऋण

3687. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई ऋण मंजूर किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुल आबंटित धनराशि में से पिछड़े क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को राज्य-वार कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने वर्ष 1982 में 282.01 करोड़ रुपए, वर्ष 1983 में 334.53 करोड़ रुपए और वर्ष 1984 में 414.09 करोड़ रुपए तक के ऋण मंजूर किये थे ।

(ग) भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा पिछड़े क्षेत्रों को मंजूर की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के पास अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमकर्त्ताओं द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं को मंजूर की गई सहायता के संबंध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

(लाख रुपये)

क्रम सं०	राज्य	1982	1983	1984
1.	आंध्र प्रदेश	1295	1598	4461
2.	असम	201	515	234
3.	बिहार	—	—	303
4.	गुजरात	1423	3665	2807
5.	हरियाणा	197	496	803
6.	हिमाचल प्रदेश	379	78	233
7.	जम्मू और कश्मीर	100	—	229
8.	कर्नाटक	1629	1569	1794
9.	केरल	258	32	175
10.	मध्य प्रदेश	1537	910	2278
11.	महाराष्ट्र	1002	1211	1538
12.	उड़ीसा	556	412	1634
13.	पंजाब	477	850	1007
14.	राजस्थान	589	1292	1273
15.	तमिलनाडु	1424	2294	1005
16.	उत्तर प्रदेश	707	1050	2614
17.	पश्चिम बंगाल	448	764	650
18.	अरूणाचल प्रदेश	30	16	25
19.	दादर और नगर हवेली	—	—	35
20.	गोवा	132	42	1
21.	पांडिचेरी	202	142	253
22.	नागालैंड	—	16	—
23.	सिक्किम	—	80	—
24.	अंडमान और निकोबार	—	—	20
	जोड़ :	12587	17032	23372

सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों से दो महीने के वेतन की वसूली

3688. **श्री एन०वी० रत्नम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों से दो महीने के वेतन की वसूली को रोकने के आदेश दिए हैं;

(ख) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका में सरकार से उस धनराशि का पुनर्भुगतान करने के निर्देश दिए हैं; और

(ग) यदि अब तक पुनर्भुगतान नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं तथा इसका पुनर्भुगतान कब तक किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) सेवा निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों से पारिवारिक पैंशन योजना, 1964 में अंशदान के रूप में दो महीने का वेतन वसूल किया जाता था। इस प्रश्न का संबंध संभवत: उसी कटौती से है। उदारीकरण उपाय के रूप में, इस अंशदान को उन सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में समाप्त कर दिया गया जो 22-9-1977 को अथवा उसके बाद सेवा-निवृत्त हुए।

(ख) वित्त मंत्रालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय की कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत

3689. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत का ब्यौरा क्या है?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। तथापि, कपड़े, गैर-सूती तथा मिश्रित/ब्लैंडिड कपड़े की 1983 के दौरान प्रति व्यक्ति खपत निम्नोक्त प्रकार रही।

कपड़े की श्रेणी	अखिल भारत (मीटरों में)
सूती	10.12
गैर सूती	1.44
मिश्रित/ब्लैंडिड	2.14
योग	13.70

सीमा शुल्क नियमों को उदार बनाना

3690. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा सीमा शुल्क नियमों को उदार बनाने की मांग की जाती रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). विदेशों में रह रहे भारतीयों से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों के परिणामत: सामान नियमों को मार्च, 1983 में उदार बनाया गया था और शुल्क मुक्त मोक को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों को, उनकी संविदा की अवधि समाप्त होने पर भारत लौटते वक्त 5,000/- रुपये मूल्य तक की व्यक्तिगत वस्तुओं और घरेलू सामान को सीमा शुल्क की अदायगी के बिना लाने की इजाजत दी गई थी। सामान नियमों को और उदार बनाने का इस समय कोई विचार नहीं है।

छोटा नागपुर, बिहार में कोयले का उत्पादन

3691. **श्री राम रतन राम :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में देश के कुल कोयला उत्पादन का 60 प्रतिशत उत्पादन होता है ; और

(ख) क्या चालू वित्त वर्ष अर्थात् 1985-86 में केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत कोयले के उत्पादन में वृद्धि के लिए धन का प्रावधान 1446 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2090 करोड़ कर दिया गया है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में वर्ष 1984-85 में कोल इंडिया लि० की खानों में तथा टिस्को, इस्को और दामोदर घाटी निगम की खानों में कोयले का उत्पादन लगभग 55 मिलियन टन रहा जबकि देश में कोयले का उत्पादन 147.45 मिलियन टन था। कोल इंडिया लि० के क्षेत्रों में यह शामिल हैं —ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का निरसा और कापासरा क्षेत्र, भारत कोकिंग कोल लि० की सभी खानें तथा तालचेर और सिंगरौली क्षेत्र को छोड़कर सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की सभी खानें। यह उत्पादन देश के उत्पादन का 37.3% है।

(ख) वर्ष 1984-85 में कोल इंडिया लि० के लिए आबंटित रु० 836.03 करोड़ (संशोधित अनुमान) की तुलना में योजना आयोग ने कोल इंडिया लि० के लिए वर्ष 1985-86 के दौरान 851.50 करोड़ रुपया आबंटित किया है।

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंडल के शिष्टमंडल की चीन यात्रा

3692. **श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंडल की ओर से एक शिष्टमंडल बड़े पैमाने पर व्यापार तथा संयुक्त उद्यमों की स्थापना की संभावना का पता लगाने के लिए चीन गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन हेतु चीनी परिषद् (सी०सी०पी०आई०टी०) के निमन्त्रण पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाणिज्य तथा उद्योग मंडल की ओर से एक 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने 24 मार्च से 7 अप्रैल, 1985 तक चीन का दौरा किया। प्रतिनिधिमण्डल बीजिंग, शंघाई, नानजिंग, गुवान्जू और शेनफेन विशेष आर्थिक जोन गया। सी०सी०पी०आई० टी० की उप-परिषदों द्वारा शंघाई, जियांग्सू और गुवान्जू में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। संयुक्त उद्यमों की स्थापना के क्षेत्रों का भी पता लगाया गया।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता

3693. **श्री सी० पी० ठाकुर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय विकास बैंक द्वारा विभिन्न राज्यों को स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता की राशि कितनी है और उसमें से कितनी राशि वितरित की गई है ;

(ख) इस संबंध में अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की स्थिति क्या है ; और

(ग) इसमें पाये गये अन्तर को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) द्वारा मंजूर की गई राज्य-वार सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) द्वारा मंजूर की गई सहायता में बिहार का हिस्सा 1981-82 के 2.04% से बढ़ कर 1982-83 में 3.35% हो गया लेकिन 1983-84 में घट कर 2.50% रह गया ।

(ग) पता लगाए गए पिछड़े क्षेत्रों में जिनमें बिहार के ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं, उद्यमियों को औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते विभिन्न प्रोत्साहन जैसे आधारभूत विकास के लिए ब्याज मुक्त ऋण, प्रवर्तकों का कम अंशदान, परिवर्तनीयता खण्ड का न रखा जाना और ब्याज की दर में रियायत आदि दिए जाते हैं । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बिहार में उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम (ई०डी०पी०) शुरू किया है तथा ऐसे और कार्यक्रमों की योजना है ।

विवरण

मंजूर की गई सहायता* का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए)

(अवधि : जुलाई-जून)

क्रम सं०	राज्य	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	14,380	15,431	33,738
2.	असम	1,424	1,630	2,121
3.	बिहार	3,275	6,966	6,423
4.	गुजरात	27,539	26,760	32,680
5.	हरियाणा	4,470	8,675	10,411
6.	हिमाचल प्रदेश	2,320	2,079	2,452
7.	जम्मू और कश्मीर	1,757	1,871	2,757
8.	कर्नाटक	11,147	14,155	22,966
9.	केरल	3,790	5,652	6,893
10.	मध्य प्रदेश	8,218	8,105	11,408
11.	महाराष्ट्र	24,580	29,053	28,531
12.	मणिपुर	73	45	213

*इसमें परियोजना ऋण, हामीदारी, उदार ऋण, टी०डी०एफ० ऋण, पुनर्वित्त, बिलों का पुनर्भाजन और गारंटियां शामिल है ।

1	2	3	4	5
13. मेघालय		215	155	83
14. नागालैंड		206	102	178
15. उड़ीसा		6,953	9,212	10,917
16. पंजाब		3,835	8,834	8,247
17. राजस्थान		8,262	14,326	9,643
18. सिक्किम		17	38	285
19. तमिलनाडु		13,309	22,118	26,037
20. त्रिपुरा		320	144	34
21. उत्तर प्रदेश		12,218	14,840	23,592
22. पश्चिम बंगाल		5,759	10,508	10,992
23. संघ राज्य क्षेत्र		6,736	7,029	5,684
कुल		1,60,803	2,07,738	2,56,285

भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का विभिन्न राज्यों में पूंजी निवेश

3694. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात में कितना-कितना पूंजी निवेश किया है ;

(ख) यदि इसमें कोई भेदभाव किया गया है तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन वित्तीय संस्थानों के माध्यम से समूचे पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राथमिकता देने का विचार है जिससे कि उन्हें अन्य राज्यों के बराबर लाया जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 (दिसम्बर, 1984 तक) के दौरान पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई०सी०आई०सी०आई०) द्वारा मंजूर और संवितरित की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । किसी खास राज्य/क्षेत्र के लिए संस्थागत सहायता का प्रवाह सम्बद्ध राज्य/क्षेत्र से प्राप्त होने वाले अर्थक्षम प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करता है । सातवीं पंचवर्षीय आयोजना अवधि के दौरान पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को मिलने वाली वित्तीय सहायता की राशि इन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले अर्थक्षम प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करेगी ।

विवरण

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा मंजूर और संवितरित की गई सहायता का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

(अप्रैल-मार्च)

राज्य		1982–83		1983–84		1984–85 (दिसम्बर 1984 तक)	
		आई०डी० बी० आई०	आई०सी० आई०सी० आई०	आई०डी० बी० आई०	आई०सी० आई०सी० आई०	आई०डी० बी० आई०	आई०सी० आई०सी० आई०
पश्चिम बंगाल	मं०	91.05	17.06	102.94	12.21	84.70	10.61
	सं०	61.64	9.50	72.36	17.85	68.39	12.48
असम	मं०	22.20	2.03	18.02	5.30	25.88	2.82
	सं०	9.37	—	8.31	1.13	11.21	1.80
उड़ीसा	मं०	75.85	9.03	79.56	12.61	290.47	34.47
	सं०	52.19	74.33	59.13	61.80	40.93	8.97
महाराष्ट्र	मं०	206.06	66.75	292.35	88.82	236.96	53.74
	सं०	207.25	63.01	218.91	61.80	176.97	56.77
बिहार	मं०	47.85	5.67	78.80	9.14	45.60	3.97
	सं०	38.96	9.58	35.71	5.81	21.73	5.22
गुजरात	मं०	248.83	57.43	386.24	80.62	171.01	39.17
	सं०	178.90	37.95	166.73	38.56	133.78	40.19

मं० : मंजूर की गई । सं० : संवितरित की गई ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हिपको विकास निधि की जमा राशियों पर ब्याज की अग्रिम अदायगी की अनुमति

3695. **श्री विजय कुमार मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने "हिपको" विकास निधि, हैदराबाद की जमा राशियों पर ब्याज की अग्रिम अदायगी किए जाने की अनुमति दे दी है ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक को मालूम है कि "हिपको" विकास निधि ने 6 करोड़ 26 लाख रुपये से अधिक की राशि एकत्र की है ;

(ग) क्या भारतीय जीवन बीमा नियम के दो भूतपूर्व अध्यक्ष इस कंपनी के निदेशक मंडल में हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 30 सितम्बर, 1984 को कम्पनी के तुलन पत्र के अनुसार कम्पनी के पास कोई जमा राशि नहीं थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

केरल सरकार द्वारा इमारती लकड़ी का कम आयात शुल्क पर आयात करने की अनुमति के लिए अनुरोध

3696. **श्री के मोहनदास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में बहुत से लघु उद्योगों के लिए इमारती लकड़ी का कम आयात शुल्क दर पर आयात करने की अनुमति देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केरल सरकार ने यह अनुरोध किया है कि उन्हें कम शुल्क-दरों पर इमारती लकड़ी के आयात की अनुमति दी जाए।

(ख) और (ग). दिनांक 17 मार्च, 1985 से, कतिपय विनिर्दिष्ट किस्म की लकड़ी और इमारती लकड़ी पर उस स्थिति में मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से अधिक के सीमाशुल्क से छुट दी गई है, जब उनका आयात भारत में किया जाए।

निर्यात और आयात नीति संबंधी समितियों की सिफारिशें

3697. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात और आयात नीति के संबंध में आबिद हुसैन और डी०वी० कपूर समितियों की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ;

(ख) उक्त समितियों की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उनकी किसी सिफारिश को कार्यान्वित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ). चूंकि इन समितियों की रिपोर्टों का संबंध उन विभिन्न आर्थिक नीतियों से है जो बनाई जा रही हैं, अतः सिफारिशों का ब्यौरा देना लोक हित में नहीं होगा।

दूषित शिम्पों (झींगा मछलियों) के निर्यात के बारे में जांच

3698. **श्री आयनल अबेदिन** :

श्री अजय बिस्वास :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों को निर्यात किए गए दूषित शिप्पों (झींगा मछलियों) के पूर्ण मामले की जांच का आदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ग) इसमें दोषी पाए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) इन व्यक्तियों के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) उक्त कार्यवाहियों से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(च) भविष्य में इस प्रकार के निर्यात को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (च) समुद्री उत्पादों के निर्यातों के संबंध में क्वालिटी समस्याएं, समय समय पर न केवल भारत से ऐसे निर्यातों के संबंध में उत्पन्न हुई हैं बल्कि अन्य उत्पादक देशों से होने वाले निर्यातों के संबंध में भी उत्पन्न हुई हैं।

समुद्री उत्पादों के हमारे निर्यातों की क्वालिटी सुधारने और संदूषण को दूर करने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गयी हैं और प्रोत्साहन दिए गए हैं। निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा क्वालिटी के लिए परीक्षण भी किया जा रहा है और हम प्रमुख आयातक देशों में प्राधिकारियों के साथ निरीक्षण तथा क्वालिटी नियंत्रण के लिए स्वीकृत मानदण्डों और प्रक्रियाओं को तय करने का प्रयास कर रहे हैं।

निर्यात निरीक्षण अभिकरण झींगा मछली के संबंध में संदूषण की समस्याओं को न्यूनतम करने के लिए हिदायतें जारी की हैं। जहां कहीं शिकायतें होती हैं, इस उद्देश्य के लिए बनाए गए नियमों तथा विनिदमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

विशेष भुगतान साधन अनुपात और नकदी रिजर्व अनुपात तथा बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को धन दिया जाना

3699. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों से विशेष भुगतान साधन अनुपात (एम०एल०आर०) और नकदी रिजर्व अनुपात (सी०आर०आर०) को किस स्तर तक बनाए रखने की आशा की जाती है;

(ख) बैंकों द्वारा विशेष भुगतान साधन अनुपात और नकदी रिजर्व अनुपात बनाए रखने के लिए उनको किस दर पर ब्याज की अदायगी की जाती है;

(ग) बैंकों से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कम ब्याज की दर पर कितना अग्रिम धन देने की आशा की जाती है; और

(घ) क्या भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों से भी यह आशा की जाती है कि वे विशेष भुगतान साधन अनुपात और नकदी अग्रिम धन देने के मामले में रिजर्व अनुपात बनाए रखें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंकों में कोई विशेष भुगतान साधन अनुपात नहीं होता। संभवतः माननीय सदस्य का आशय सांविधिक भुगतान

साधन अनुपात से है। इस समय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए जो सांविधिक भुगतान साधन अनुपात निर्धारित किया गया है वह 36 प्रतिशत हैं। इस अनुपात में एक प्रतिशत बिन्दु की क्रमानुसार वृद्धि किए जाने की घोषणा की गई है अर्थात् 8 जून, 1985 से यह अनुपात 36.5 प्रतिशत और 6 जुलाई, 1985 से 37 प्रतिशत होगा। नकदी रिजर्व अनुपात 9 प्रतिशत है। बैंकों से 11 नवम्बर, 1983 के स्तर से ऊपर मांग और सावधि देयताओं में निवल वृद्धि के 10 प्रतिशत के बराबर वर्धमान नकदी रिजर्व अनुपात रखने की अपेक्षा की जाती है। पहले के वर्धमान नकदी रिजर्व अनुपात के अधीन 31 अक्तूबर, 1980 को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो अतिरिक्त नकद राशि रखी थी उसे अक्तूबर और दिसम्बर 1984 में जारी की गई रकमों के अलावा वापस नहीं निकाला जा सकता।

(ख) 3 प्रतिशत के सांविधिक न्यूनतम अनुपात से अधिक रखी गयी नकद राशियों पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता हैं। सांविधिक भुगतान साधन अनुपात में मुख्यत: सरकारी और अनुमोदित प्रतिभूतियां और कुछ अन्य मदें होती हैं तथा इन से होने वाली आय की वार्षिक दर बैंकों द्वारा निवेश की गयी राशियों की परिपक्वता संरचना पर निर्भर करती हैं।

(ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से यह कहा गया था कि मार्च 1985 तक उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का हिस्सा उनके कुल ऋणों के 40 प्रतिशत के बराबर पहुंच जाना चाहिए।

(घ) भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों से भी सांविधिक भुगतान साधन अनुपात और नकद रिजर्व अनुपात रखने की अपेक्षा की जाती हैं। इन बैंकों को भी उनके द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले अग्रिमों को बढ़ाने के लिए कहा गया हैं। लेकिन मार्च 1985 तक कुल अग्रिमों के 40 प्रतिशत का लक्ष्य विदेशी बैंकों पर लागू नहीं किया गया हैं।

बैंकों में सुरक्षा प्रबंधों संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट

3700. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों में सुरक्षा प्रबंधों की जांच करने तथा बैंकों में सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत बनाने के उपाय सुझाने हेतु, अगस्त, 1982 में गठित कार्यदल की रिपोर्ट में, जो वर्ष 1983 में वित्त मंत्रालय द्वारा बैंकों को भेज दी गई थी; उल्लिखित सिफारिशों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) सरकारी उद्यमों संबंधी विशेषज्ञ समिति द्वारा जिसने चुनींदा सरकारी उद्यमों के कार्यकरण का अध्ययन किया था और उनके कार्य निष्पादन में सुधार करने के उपायों का सुझाव दिया था, भेजी गई रिपोर्टों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंकों में सुरक्षा प्रबंध विषयक उच्च शक्ति-प्राप्त कार्यकारी दल ने बैंकों के सुरक्षा-प्रबंधों में सुधार करने के लिये जिन विभिन्न उपायों की सिफारिश की थी, उनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण उपाए ये हैं :—

1. बैंक की शाखाओं के स्थानीय पुलिस के साथ सम्पर्क में सुधार।
2. प्रत्येक बैंक में, पर्याप्त अनुभव वाले मुख्य सुरक्षा अधिकारी के अधीन एक कुशल सुरक्षा ढांचे की स्थापना।

3. सुरक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं के विषय में बचाव ।

4. उन शाखाओं में सुरक्षा-गार्डों की तैनाती जिनमें ऐसी दुर्घटना की आशंका हो ।

5. बैंक मण्डलों और मुख्य कार्यपालकों द्वारा सुरक्षा-प्रबंधों की समीक्षा ।

इन सिफारिशों के अनुसरण में, एक विशेषज्ञ उप समिति ने, बैंकों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये थे । उक्त उप समिति द्वारा तैयार किए गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों को मद्दे नजर रखते हुए और अपने-अपने कार्यालयों की परिस्थितियों और सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार, बैंकों को कार्यकारी दल की सिफारिशों पर कार्रवाई करने की सलाह दी गई थी । तदनुसार, बैंकों द्वारा इस संबंध में विभिन्न चरणों में कार्रवाई की जा रही है ।

(ख) योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य, श्री मोहम्मद फजल की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने कोयले, उर्वरकों, इंजीनियरी, नौवहन, भारतीय टेलीफोन उद्योग) आई०पी०सी०एल०, नेवली लिगनाईट कारपोरेशन, इस्पात, सरकारी उद्यम ब्यूरो और सामान्य मुद्दों पर दस रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं । इस्पात और सामान्य मुद्दों से संबंधित रिपोर्टों को छोड़कर सरकार ने सभी रिपोर्टों पर विचार कर लिया है । स्वीकृत सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है ।

हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा पारित प्रस्तावों का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

3701. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की वर्ष 1984 में कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) इन बैठकों में कितने प्रस्ताव पारित किये गये; और

(ग) इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1984 में वित्त मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दो बैठकें हुई ।

(ख) वित्त मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का मुख्य कार्य सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों में मंत्रालय को परामर्श देना है और समिति की बैठकों में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किये जाते ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विश्व कपास व्यापार में भारत का हिस्सा

[अनुवाद]

3702. **श्री सिंगारवादिवेल :**

श्री अमरसिंह राठवा :

क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व कपास व्यापार में इस समय भारत का कितना हिस्सा है;

(ख) क्या कुछ वर्षों में भारत के हिस्सों में कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) इसमें वृद्धि हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान विश्व रुई व्यापार में भारत का भाग निम्नोक्त प्रकार है :–

वर्ष	विश्व रुई व्यापार में भारत का भाग
1981-82	1.35 प्रतिशत
1982-83	2.74 प्रतिशत
1983-84	1.61 प्रतिशत

रुई विकास के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप इन वर्षों में रुई का उत्पादन बढ़ा है । तथापि, चूंकि रुई वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, देश में उत्पादित अधिकांश रुई का घरेलू वस्त्र उद्योग द्वारा उपयोग की जाती है । कपास की वे किस्में जिनका उत्पादन हमारी घरेलू जरूरतों से वेशी होता है विदेशों को निर्यात की जाती है ।

फूलों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

[हिन्दी]

3703. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान फूलों का कितना निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) किन किस्मों के फूलों का निर्यात किया जा रहा है तथा क्या अरुणाचल सरकार द्वारा उगाए गए 'ओरडिस' फूल की अनेक किस्मों को अन्य स्थानों पर भी उगाया जा सकता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1984-85 में कट-फ्लावर्स/फ्रैश फ्लावर्स और आर्किड पौधों के अनुमानित निर्यात निम्नलिखित अनुसार हैं :–

(1) कट-फ्लावर्स/फ्रैश फ्लावर्स .. .. .. 22.71 लाख रु०

(2) आर्किड पौधे ... . 5.16 लाख रु०

(ख) ग्लैडियोली, ट्यूब गुलाब निर्यात की जाने वाली फूलों की प्रमुख किस्मों में से हैं। यह समझा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में उगाए जाने वाले आर्किडियस फूलों की किस्मों को समरूपी जलवायु स्थितियों वाले अन्य क्षेत्रों में उगाया जा सकता है ।

बीस सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त करने में वित्तीय संस्थानों की भूमिका

[अनुवाद]

3704. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीस सूत्री कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाने के लिये सरकारी वित्तीय संस्थानों (बैंकों के अतिरिक्त) को उचित अनुदेश जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के कार्यक्रम और नीति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने मई 1983 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को एक पत्र लिखा था जिसमें 20-सूत्री कार्यक्रम के वित्तीय संस्थाओं से संबंधित पहलुओं पर तेजी से अमल करने के उपायों के बारे में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने पर उचित जोर देने का अनुरोध किया गया था । इस विषय पर कोई नए अनुदेश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

3705. **श्री अनादि चरण दास** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० में विशेष कर उड़ीसा में मार्च, 1982 और मार्च, 1985 में कुल कितने कर्मचारी थे;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के थे;

(ग) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण नियमों का पालन किया जा रहा है, और इस प्रयोजन के लिए रोस्टर रखे जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो यदि कोई कमी है तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) इन समुदायों के लिए आरक्षित कोटा को भरे जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इस अवधि के दौरान कितने आरक्षित पद व्यपगत हो गए ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० में 1 मार्च, 1982 और 1 मार्च, 1985 को यथा-स्थिति क्रमश: 125 और 1439 कर्मचारी उड़ीसा में कार्यरत थे । उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 1-3-1982 को क्रमश: 8 और 1 तथा 1-3-1985 को क्रमश: 186 और 94 कर्मचारी थे ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मूल कारण है विशेषतया उच्च टेक्नोलोजी वाली, किन्तु कम श्रमिक प्रधान कम्पनी नाल्को के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में योग्य उम्मीदवारों की व्यापक कमी ।

(ङ) इस कमी को पूरा करने के लिए लम्बे समय से पड़ी आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया है, जिसके अन्तर्गत विशिष्ट विज्ञापन विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं और प्रशासनिक दक्षता के अनुरूप मानकों में छूट भी शामिल है ।

(च) कोई नहीं ।

1984-85 के दौरान वस्त्र निर्यात में वृद्धि

3706. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1984-85 में वस्त्र निर्यात में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है; और किन-किन मुख्य नगरों से निर्यात किया गया (रुपयों में निर्यात के आंकड़ों सहित) ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी हां। वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा दिए गए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल, 1984 से फरवरी, 1985 तक, 1983-84 की उसी अवधि के 631.68 करोड़ रु० की तुलना में, परिधान निर्यात 827.56 करोड़ रु० के हुए जो 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। नगर-वार निर्यात आंकडे नहीं रखे जाते हैं।

"स्ट्रिक्ट यू० एस० एड पालिसी टू हिट इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3707. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 मार्च, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "स्ट्रिक्ट यू० एस० एड पालिसी टू हिट इण्डिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे देश की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) स्थिति से निपटने के लिए, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने तीन वर्षों, 1984-86 के दौरान भारत के लिए द्विपक्षीय सहायता के लिए निम्नलिखित आंकड़ों को शामिल किया है।

(लाख डालर)

	1984 वास्तविक	1985 अनुमानित	1986 प्रस्तावित
विकास संबंधी आर्थिक सहायता	875	850	850
पी० एल०-480 शीर्षक-II	1151	906	935.4
अन्तर्राष्ट्रीय मिलिट्री शिक्षा और प्रशिक्षण	—	—	3.5
जोड़	2026	1756	1788.9

तीसरे विश्व के विभिन्न देशों के लिए संयुक्त राज्य राजकोषीय वर्ष 86 (सितम्बर 85-अक्तूबर 86) में अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के प्रस्तावों पर सदन और सीनेट की संबंधित समितियों द्वारा विचार किया जा रहा है। इन प्रस्तावों द्वारा देश की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में हानि

3708. श्री एस० बी० सोलंप : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम को आज तक कुल कितनी हानि हुई है ;

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अंतर्गत कितनी मिलें हैं और कितने कर्मचारी काम करते हैं ;

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम में अब तक कितनी राशि निवेशित की गई है ;

(घ) आधुनिकीकरण के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है ; और

(ङ) कौन-कौन सी और कितनी मिलें लाभ अर्जित कर रही हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम को 1974-75 से 1984-85 तक लगभग 617 करोड़ रु० की हानियां हुई हैं ।

(ख) 31-12-1984 को यथास्थिति 103 राष्ट्रीकृत मिलों में (101 प्रचालन में) कामगारों की संख्या मिलों में लिपिकीय स्टाफ तथा अधिकारियों को छोड़ कर 1.56 लाख थी ।

(ग) 31-3-1985 तक राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में 932.85 करोड़ रु० की राशि का निवेश किया गया है ।

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने 347 करोड़ रु० के परिव्यय के साथ सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीयकृत एककों के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना तैयार की है ।

(ङ) उन मिलों की संख्या, जिन्होंने 1982–83, 1983–84 तथा 1984–85 के वर्षों के दौरान निवल लाभ कमाए, नीचे दी गई है :—

वर्ष	निवल लाभ कमाने वाले एककों की संख्या
1982–83	15
1983–84	9
1984–85	2

वर्ष 1984–85 के दौरान जिन मिलों ने निवल लाभ कमाया उनके नाम निम्नलिखित अनुसार हैं :—

1. बारशी टैक्सटाइल मिल, बारशी जिला, शोलापुर ।
2. पंकज मिल्स, कोयम्बटूर ।

भिलाई शहर में विद्यालयों में अध्यापकों के वेतनमान

3709. श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई शहर में विद्यालयों के अध्यापकों को भी दुर्गापुर और राउरकेला शहरों के विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों को इस समय दिए जाने वाले वेतनमान भिलाई शहर में विद्यालयों के अध्यापकों को भी दिए गए हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० गटवर सिंह): (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कोयला खानों के निकट रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार

[हिन्दी]

3710. **श्री शिव प्रसाद साहू** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों के संबंध में यह प्रावधान है कि केवल उन्हीं लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जायेंगे जिनकी तीन एकड़ से अधिक भूमि अधिगृहीत की गई है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि कोयला खानों के निकट रहने वाले अधिकतर लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब लोग हैं जिनके पास तीन एकड़ भूमि नहीं है और हालांकि उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है परन्तु उन्हें इस तर्क पर रोजगार नहीं दिए जाते कि उनकी भूमि तीन एकड़ से कम है जिसके परिणामस्वरूप वे लोग बेघर और बेरोजगार हो गए हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसा प्रावधान करने का है कि उन लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे जिनकी तीन एकड़ से कम भूमि अधिगृहीत की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) जब कोयला परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो कोयला कंपनियां भू-वंचितों को रोजगार देती हैं । अधिगृहीत भूमि में से गैर-सिंचाई वाली भूमि के प्रत्येक तीन एकड़ के लिए एक रोजगार और सिंचाई वाली भूमि के प्रत्येक दो एकड़ के लिए एक रोजगार दिया जाता है । ऐसे रोजगार देने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के संबंध में कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जाता है और सभी भू-वंचितों के साथ एक जैसा ही बर्ताव किया जाता है ।

(ग) स्थिति की पुनरीक्षा करने का कोई विचार नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय व्यापार

[अनुवाद]

3711. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तुर्की संयुक्त समिति की हाल ही में नई दिल्ली में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बठक में किन मामलों पर बातचीत हुई ;

(ग) तुर्की को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है ; और

(घ) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) तृतीय देश की परियोजनाओं के अलावा, कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार सहयोग संबंधी विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ ।

(ग) तुर्की को निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदें हैं टैक्सटाइल फैब्रिक्स, तैयार कपड़े तथा संबंधित उत्पाद, टैक्सटाइल यार्न, मशीनरी और परिवहन उपकरण ।

(घ) संयुक्त समिति की बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने, व्यापार मेलों में भाग लेने, प्रतिनिधि मण्डलों का आदान प्रदान, संयुक्त उद्यमों, तृतीय देश की परियोजनाओं में सहयोग जैसे विभिन्न निर्यात संवर्धन उपायों के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की इच्छा प्रकट की ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्थानीय लोगों की भर्ती के संबंध में नियम

[हिन्दी]

3712. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों में खोली जाने वाली राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाओं के लिये अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती में स्थानीय लोगों को वरीयता देने के लिये कोई नियम बनाया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है कि आदिवासी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के प्रभावी विस्तार के लिये स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाये ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सभी बैंकों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने वाली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिकारियों की भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर और लिपिकीय स्टाफ की भर्ती क्षेत्रीय आधार पर खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाती है । जहां तक अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती का संबंध है, यह भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालयों के जरिये की जाती है । भारत सरकार की घोषित नीति के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है । बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती को बढ़ाने के वास्ते विशेष कदम उठाते रहे हैं ।

उड़ीसा की इब घाटी में कोयले के भण्डार

[अनुवाद]

3713. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार उड़ीसा की इब घाटी में कितनी मात्रा में कोयले के भंडार विद्यमान हैं ; और

(ख) उनकी गवेषणा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए हाल के निर्धारण के अनुसार इब घाटी कोयला क्षेत्र, जिला-संबलपुर, उड़ीसा में 11,145 मिलियन टन कोयले के कुल भंडार स्थापित किए गए है ।

(ख) खनन योग्य कोयले के भंडार निर्धिष्ट करने के लिए इब घाटी कोयला क्षेत्र में विस्तृत समन्वेषण कार्य किया जा रहा है। दो नई परियोजनाओं यथा—बेलपहाड़ ओपेनकास्ट और लाजकुरा ओपेनकास्ट का काम हाथ में ले लिया गया है जिनकी वार्षिक क्षमता क्रमशः 2.0 मि० टन और 1.0 मि० टन प्रति वर्ष है। इन परियोजनाओं में कोयले का उत्पादन हाल ही में शुरू हो गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तीन अतिरिक्त खानें खोलने का प्रस्ताव है यथा—शमसेश्वरी ओपेनकास्ट, गोपालपुर ओपेनकास्ट और बेलपहाड़-II ओपेनकास्ट। परन्तु यह खानें खोलने में शर्त यह है कि कोयले की मांग की पुष्टि हो जाए।

खेतड़ी तांबा परियोजना का कार्यालय

[हिन्दी]

3714. **श्री मोहम्मद अयूब खां :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना का कार्यालय कलकत्ता में स्थित है ;

(ख) इस कार्यालय को खेतड़ी से इतनी दूर स्थापित करने का क्या औचित्य है;

(ग) क्या उपर्युक्त कार्यालय को जयपुर में स्थापित करने का कोई विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यालय को जयपुर कब तक स्थानांतरित कर दिया जाएगा ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं। यह कार्यालय खेतड़ी नगर, राजस्थान में ही है। खेतड़ी कापर कम्पलैक्स सर्वश्री हिन्दुस्तान कापर लि० की तीन परियोजनाओं में से एक है। हिन्दुस्तान कापर लि० का मुख्यालय कलकत्ता में है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सवाल ही नहीं उठता।

बिहार के राजमहल कोलफील्ड्स एरिया में कोयले का खनन

[अनुवाद]

3715. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के एक आदिवासी जिला, सांथाल परगना के राजमहल कोलफील्ड्स एरिया में कोयला खनन की व्यापक क्षमता है ;

(ख) क्या इस क्षेत्र के पांच कोयला बेसिनों में से, केवल एक बेसिन से कोयला निकालने की व्यवस्था की गई है जिससे फरक्का और कहलगांव सुपर ताप बिजली संयंत्रों को कोयले की सप्लाई की जायेगी और कोयले के भण्डारों का उपयोग करने हेतु और भी व्यापक क्षमता मौजूद है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो कोयले के उपर्युक्त विशाल संसाधनों का उपयोग करने हेतु सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख). राजमहल कोयला क्षेत्र में खनन योग्य कोयले की संभावना का अभी निर्धारण होना है। अब तक राजमहल कोयला क्षेत्र बनाने वाले पांच बेसिनों में से केवल "हूरा बेसिन" में विस्तृत समन्वेषण कार्य पूरा हो गया है और खनन योग्य कोयले की विशाल संभावना स्थापित कर ली गई है। चूंकि अभी केवल हूरा बेसिन का समन्वेषण हुआ है, इसलिए दोहन के लिए फिलहाल इस बेसिन का ही विकास किया जा रहा है। पांच मि० टन प्रति वर्ष क्षमता वाली राजमहल ओपेनकास्ट परियोजना स्वीकृत हो चुकी है और इसका निर्माण हो रहा है। इस परियोजना से फरक्का सुपर ताप बिजली घर और कहलगांव सुपर ताप बिजली घर की कोयले की आरंभिक आवश्यकताएं पूरी होंगी।

(ग) राजमहल परियोजना की क्षमता को बढ़ाकर 10 मिलियन टन प्रति वर्ष करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दो मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली राजमहल 'सी' नामक एक दूसरी परियोजना की योजना बनाने का भी प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं से फरक्का सुपर ताप बिजली घर और कहलगांव सुपर ताप बिजली घर की बढ़ रही जरूरतें पूरी की जाएंगी।

राजस्व प्रशासन के अतिरिक्त एकक का सृजन करने हेतु उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता

3716. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में राजस्व प्रशासन के अतिरिक्त एककों का सृजन करने हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिये उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिये उड़ीसा सरकार को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

अफीम की वसूली

[हिन्दी]

3717. **श्री बाल कवि बैरागी**

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफीम की वसूली नीति, जिसके अनुसार सरकार किसानों से अफीम खरीदती है, कब बनायी गयी थी;

(ख) उक्त नीति किस आधार पर बनायी गयी थी ;

(ग) क्या सरकार अब किसानों को अफीम की उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में उनके अफीम उत्पाद का मूल्य देती है ;

(घ) लागत मूल्य और वसूली मूल्य के बीच की विसंगति को दूर करने की दृष्टि से सरकार का विचार अफीम की नयी वसूली नीति कब से शुरू करने का है ;

(ङ) क्या सरकार को मालूम है कि स्लैब प्रणाली शुरू करने से इस समय किसानों को कम भुगतान किया जा रहा है ;

(च) यदि हां, तो इस नीति की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). प्रत्येक वर्ष सामान्यतया जुलाई-अगस्त के महीने में होने वाली वार्षिक विभागीय नारकोटिक्स बैठक में आगामी फसल वर्ष में पोस्त की काश्त से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाता है, जिसमें किसानों को, अफीम का देय वसूली मूल्य सम्बन्धी मुद्दा भी शामिल है, और विचारार्थ सरकार को सिफारिशें की जाती हैं ।

भारत में अफीम का उत्पादन लाजिमी तौर पर निर्यात के लिये किया जाता है । विश्व भर में स्वापक कच्ची सामग्री की अत्यधिक सप्लाई होने के कारण, भारतीय अफीम को वैकल्पिक कच्ची सामग्री, विशेष रूप से पोस्त की भूसी के सांद्रण के कारण उत्तरोत्तर बढ़ रही प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है । पोस्त के काश्तकारों को देय मूल्य के प्रश्न की इन बातों को ध्यान में रख कर जांच की जाती है—अफीम के निर्यात मूल्य को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने की जरूरत ; पोस्त की काश्त वाले क्षेत्रों में उगाई जाने वाली नकद फसलों से किसानों को होने वाली आय के संदर्भ में किसानों को पोस्त की काश्त से होने वाली तुलनात्मक आय; उत्पादन की लागत सरकारी कारखानों में अफीम का मौजूदा स्टाक, आदि । अफीम की मूल्य संरचना नियत करते वक्त इस बात को सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाता है कि काश्तकारों को पोस्त की फसल से होने वाली आय उसके उत्पादन की लागत से अधिक है।

(ङ) से (छ) . काश्तकारों को देय मूल्य के सम्बन्ध में मूल्य-खण्ड व्यवस्था कई वर्षों से लागू है जिसके अन्तर्गत, प्रति हेक्टेयर उच्चतर उत्पादन के लिए प्रोत्साहन स्वरूप उच्च मूल्य-दरों से भुगतान की व्यवस्था है । काश्तकारों को देय अफीम के मौजूदा मूल्य से काश्तकारों को पर्याप्त मेहनताना मिलता है ।

जैसाकि ऊपर बताया गया है, फसल वर्ष 1985-86 के लिए काश्तकारों को देय अफीम के मूल्य के प्रश्न की जांच सभी संगत बातों को ध्यान में रखकर इस वर्ष होने वाली 'वार्षिक विभागीय नारकोटिक्स बैठक' में की जाएगी ।

भारतीय स्टेट बैंक, फतेहपुर, जिला कांगड़ा में पेंशन, ग्रेचुटी आदि की अदायगी के बकाया मामले

[अनुवाद]

3718. **श्री ई०एस०एम० फकीर मोहम्मद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में पेंशन, ग्रेचुटी, पेंशन का राशिकृत मूल्य तथा सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर की गई तदर्थ राहत की बकाया राशि के कितने मामले बकाया पड़े हैं ;

(ख) उपरोक्त मामलों में अदायगी में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस संबंध में संबंधित बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) इन मामलों का कब तक निपटारा होने और पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों को अदायगी किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 12 अप्रैल, 1985 की स्थिति के अनुसार बैंक की फतेहपुर शाखा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में पेंशन और उपदान (ग्रेच्युटी) की अदायगी का कोई मामला बकाया नहीं है ।

अलबत्ता, समय-समय पर सरकार द्वारा मंजूर की गई तद्र्थ राहत की बकाया राशियों का समायोजन करने के 19 मामलों में कुछ देरी हुई थी । ये मामले भी अब निपटा दिए गए हैं और राशियां पेंशन भोगियों के खाते में जमा कर दी गई हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अंतर शाखा लेन-देनों का समायोजन पूरा करने के लक्ष्य

3719. श्री आर० प्रभु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों में अन्तर शाखा लेनदेनों का समायोजन पूरा करने के लिए कोई विशिष्ट समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). बैंकों की शाखाओं की भारी संख्या और अन्तर शाखा लेन-देनों के लेखापालन के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपनायी जा रही केन्द्रीयकृत प्रणाली को देखते हुए, लेन-देनों की तारीखों और उनके वास्तविक समाधान के बीच हमेशा अन्तर रहता है जो अलग-अलग बैंकों द्वारा अपनाई जा रही प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुसार, तीन और छः महीनों के बीच हो सकता है । दैनिक अनुसूचियों को देर से प्रस्तुत करने और/अथवा उनका गलत संकलन करने, कुछ पुराने रिकार्डों के न मिलने, अब तक समाधान का काम हाथ से करने के कारण बैंकों में अन्तर शाखा लेखाओं क समाधान का काम बकाया रह जाता है । बैंक उस स्थिति पर विचार कर रही है। और उन्होंने बाकी काम को कम करने के लिए इस दिशा में कई कदम भी उठाए हैं । उपर्युक्त को देखते हुए अन्तर-शाखा लेन-देनों के समाधान को पूरा करने के लिये रिजर्व बैंक द्वारा कोई विशिष्ट समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गये हैं ।

सरकार और रिजर्व बैंक, बैंकों से, इस दिशा में प्रणालियों और प्रक्रियाओं को दोष रहित बना कर समाधान के कार्य को अद्यतन बनाने के लिए कारगर और ठोस प्रयास करने के और समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत बकाया काम को निपटाने के लिए, समय-समय पर आग्रह करते रहे हैं । अन्तर शाखा लेखाओं के समाधान के बकाया काम को निपटाने में बैंकों द्वारा की गयी प्रगति की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छमाही आधार पर निगरानी की जा रही है ।

उत्तरी बिहार को कोयले की सप्लाई

3720. श्री ललितेश्वर शाही : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान गरहारा (बरौनी) और नारायणपुर अनन्त (मुजफ्फरपुर) के रैक खाली करने वाले स्टेशनों पर कोयले के कितने रैक भेजे गए;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उत्तरी बिहार के स्टेशनों को कोयले के कितने वैगन भेजे गए; और

(ग) उत्तरी बिहार को कोयले की अधिक सप्लाई करने के लिए यदि उनका कोई कदम उठाने का विचार है, तो वह क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार में कोयले का अवैध खनन

3721. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में कोयले के अवैध खनन के मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इससे ग्रस्त पाए गये व्यक्तियों और संगठनों के नाम क्या हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग). कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम में 1976 में संशोधन किया गया था और इस संशोधन के जरिए उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें अधिनियम में कोयला खनन का प्राधिकार दिया गया है बाकी किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी भी रूप में कोयला खनन करने की मनाही कर दी गई थी और जो कम्पनियां लोहा और इस्पात के उत्पादन में लगी हों उनको छोड़कर सभी गैर सरकारी कंपनियों को कोयले के खनन का कोयला निकालने के लिए दिए गए पट्टे समाप्त कर दिए गए थे । गैर-कानूनी कोयला खनन को एक दंडनीय अपराध भी बना दिया गया था और इसके लिए रु० 20,000/-तक के जुर्माने और तीन साल तक की कैद की सजा की व्यवस्था है । उच्चतम न्यायालय ने अपने 11-4-1980 और 7-5-1980 के निर्णयों द्वारा इन प्रावधानों को वैध ठहराया है ।

इन निर्णयों के बाद गैर कानूनी कोयला खनन एक बड़ी सीमा तक रोक लिया गया है । फिर भी, कोयला पट्टी बहुत विशाल है और कुछ लोग कभी-कभी कानून को तोड़ते हैं और चोरी छिपे छुटपुट गैर कानूनी कोयला खनन करते हैं ।

राज्य सरकारों और कोयला कंपनियों से अपराधियों के खिलाफ समेकित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है । राज्य सरकारों ने जिला प्राधिकारियों को पहले ही निर्देश दे दिए हैं कि

भारतीय दंड संहिता के साथ पठित अधिनियम के अधीन दंडात्मक और निवारक कार्रवाई की जाए। कोयला कंपनियों को भी निदेश दिया गया है कि कोयले की गैर कानूनी निकासी के मामले जब कभी पता चलें तो संबंधित प्राधिकारियों को उनकी रिपोर्ट दी जाए।

बैंक ग्राहक-शिकायत कक्षों की स्थापना

3722. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक बैंक ग्राहक-शिकायत कक्ष की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे ही कक्ष अन्य नगरों में भी स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या ग्राहक-शिकायतें मुख्य रूप से चैकों, ड्राफ्टों आदि के भुगतान में विलम्ब से उत्पन्न हो रही है; और

(ङ) क्या ऐसे विलम्ब को दूर करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए दिल्ली में एक ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है। पंजाब नेशनल बैंक इस केन्द्र के सुचारू रूप से चलाने और उसका नियंत्रण करने के लिए नेता बैंक की भूमिका-निभाएगा। केन्द्र में प्राप्त शिकायतें संबन्धित बैंकों को कार्रवाई के लिए भेजी जाएंगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे शिकायतें प्राप्ति की तारीख के अधिक से अधिक तीन सप्ताह के अन्दर-अन्दर निपटा दी जाएं। जहां निर्दिष्ट अवधि के अन्दर-अन्दर निपटान संभव न हो वहां शिकायतकर्त्ता को अन्तरिम उत्तर भेज दिया जाएगा। जिन मामलों में संबंधित बैंक से एक महीने के अन्दर-अन्दर उत्तर प्राप्त नहीं होता या जहां उत्तर संतोषजनक नहीं है उन में शिकायतकर्त्ता सरकार को लिख सकता है और मामले के तुरन्त निपटान के लिए कदम उठाएं जाएंगे।

योजना को देश के अन्य मुख्य केन्द्रों में लागू करने पर विचार दिल्ली में योजना के संचालन को कुछ समय तक देखने के बाद किया जाएगा।

(घ) कुछ शिकायतें चैकों, ड्राफ्टों आदि के भुगतान में देरी के संबंध में हैं।

(ङ) बैंकों के बढ़ते हुए कार्यों और उन से की जाने वाली अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ग्राहक सेवा की क्वालिटी को सुधारने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

बैंकों से जल्दी धन निकालना सुलभ करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अपनी कई शाखाओं में टेलर योजना शुरू की है।

"डनकुनी कोल काम्पलेक्स" चालू किया जाना

3723. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह घोषित किया था कि "डनकुनी कोल काम्पलेक्स" दिसम्बर, 1984 में या इससे पहले ही चालू हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्धारित तारीख तक उक्त लक्ष्य प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजना में हुए विलंब के कारण हैं: भूमि अर्जन में आरंभिक कठिनाइयां, प्रौद्योगिकी का आयात, जमीन में भराव का अत्यधिक काम पूरा करना, आयात प्रतिबंधों के कारण कम्प्रेसरों के क्रय आदेश देने में विलंब ।

(ग) परियोजना के निर्माण का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है और कुल काम का लगभग 50% काम अब तक पूरा हो चुका है ।

(घ) परियोजना में मार्च, 1987 तक उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है ।

चर्म निर्यात परिषद् को राजधानी में स्थानान्तरित करना

3724. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से इस बात का आग्रह किया गया है कि एकीकृत चर्म निर्यात परिषद् को राजधानी में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). चमड़ा क्षेत्र के निर्यातों की वृद्धि के वर्तमान पैटर्न से तथा विभिन्न क्षेत्रों में परिषद् की सहायता देने से मद्रास स्थित चमड़ा निर्यात परिषद् के प्रमुख कार्यालय को दिल्ली में स्थानान्तरित करने का कोई औचित्य नहीं है ।

पालघाट, केरल में स्वर्ण-निक्षेपों के बारे में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किया गया अध्ययन

3725. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने केरल के पालघाट क्षेत्र में स्वर्ण-निक्षेपों के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन के क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार की इस क्षेत्र में स्वर्ण का वाणिज्यिक दोहन करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) केरल के पालघाट जिले में सिवरानी नदी और अट्टापदी घाटी में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को बहुत सूक्ष्म मात्रा में स्वर्ण देखने को मिला है ।

(ख) और (घ) . चूंकि इन सर्वेक्षणों के परिणाम उत्साहवर्द्धक नहीं थे, इसलिए इस इलाके में स्वर्ण के वाणिज्यिक खनन का सवाल ही नहीं उठता है ।

रेशे वाली (स्टैपल्ड) रुई की गांठों का निर्यात

[हिन्दी]

3726. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लम्बे और अधिक लम्बे रेशे वाली रुई की कितनी गांठों के निर्यात करने का विचार किया गया है तथा यह काम किन संस्थानों को सौंपा गया है और इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इस वर्ष राज्यों में रुई का कितना उत्पादन हुआ है तथा देश में इसकी कितनी मांग है और शेष रुई के निर्यात के लिए अनुमति देने में क्या हिचक है; और

(ग) कपास निगम के अतिरिक्त निर्यात का काम किन संस्थानों को सौंपा गया है और उसके क्या कारण हैं तथा उन संस्थानों की ओर ध्यान न देने के क्या कारण हैं जो रुई-उत्पादकों के हितों की देखभाल करती हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) चालू रुई वर्ष के दौरान लम्बे तथा अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली रुई की 2 लाख गांठों के निर्यात का निर्णय लिया गया है । इसमें से 1.95 लाख गांठों की मात्रा भारतीय रुई निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य सहकारी रुई उपजकर्त्ता विपणन परिसंघ, गुजरात राज्य सहकारी रुई परिसंघ और आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन परिसंघ के नाम में निर्यात के लिए पहले ही रिलीज कर दी गई है । रुई की केवल उन्हीं किस्मों को निर्यातों के लिए रिलीज किया जाता है जो हमारी घरेलू आवश्यकताओं से अधिशेष है ।

(ख) रुई सलाहकार बोर्ड द्वारा चालू रुई वर्ष के दौरान विभिन्न रुई उपजकर्त्ता राज्यों में रुई का कुल उत्पादन 2 फरवरी, 1985 को 84.75 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया गया है । तथापि, ऐसे संकेत हैं कि उत्पादन 84.75 लाख गांठों से अधिक हो सकता है । मिल खपत (82 लाख गांठ) और मिल से अलावा प्रयोगकर्त्ताओं द्वारा खपत (4.65 लाख गांठ) सहित कुल खपत लगभग 86.65 लाख गांठ होने का अनुमान है । देश में रुई की स्थिति की समय समय पर समीक्षा की जाती है और रुई के निर्यात/आयात के संबंध में समुचित निर्णय यथावश्यक रूप में लिए जाते हैं ।

(ग) भारतीय रुई निगम लिमिटेड द्वारा निर्यातों के अलावा निर्यात कोटे राज्य शीर्ष सहकारी विपणन परिसंघों जैसे कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी रुई उपजकर्त्ता विपणन परिसंघ, गुजरात राज्य सहकारी रुई परिसंघ और आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन परिसंघ के नाम में रिलीज किए गए हैं । ये सभी संगठन रुई उपजकर्ताओं के हितों का ध्यान रखते हैं ।

1984 के दौरान पकड़ा गया प्रतिबंधित सामान

[अनुवाद]

3727. **श्री राधाकान्त डिगाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 के दौरान सोना, चांदी, हीरे, घड़ियों और इलेक्ट्रानिक जैसे पकड़े गये प्रतिबंधित सामान का हवाई अड्डे और समुद्री पत्तन-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : निम्नलिखित प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर वर्ष 1984 के दौरान पकड़े गये निषिद्ध माल का कुल मूल्य इस प्रकार है :—

(मूल्य : लाख रुपए)

बम्बई	कलकत्ता	मद्रास	दिल्ली	त्रिवेन्द्रम	अमृतसर	जोड़
719.91	156.15	194.31	464.24	185.82	0.02	1720.45

(ये आंकड़े अनन्तिम हैं)

प्रत्येक बन्दरगाह तथा हवाई अड्डे के सम्बन्ध में पकड़े गए निषिद्ध माल के मद-वार आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं । तथापि, वर्ष 1984 के दौरान पश्चिमी समुद्रतट, पूर्वी समुद्रतट और समस्त भारत में पकड़े गये निषिद्ध माल का मद-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

(मूल्य : लाख रुपये)

	सोना	घड़ियां	संश्लिष्ट फैब्रिक	इलेक्ट्रानिकीय माल	हीरे और रत्न	चांदी	अन्य वस्तुएं	जोड़
पश्चिमी समुद्रतट	5.83	9.10	13.82	12.06	0.11	0.20	18.21	59.33
पूर्वी समुद्रतट	2.19	0.42	3.37	4.75	0.01	शून्य	9.98	20.72
समस्त भारत	10.09	11.14	18.41	19.99	0.39	0.25	40.29	100.56

(ये आंकड़े अनन्तिम हैं)

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर पकड़ा गया सामान

3728. श्री टी० बशीर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर 1984 के दौरान और चालू वर्ष के अब तक यात्रियों से पकड़े गये सामान का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान जब्त किए गए मदों की बिक्री से कितनी धनराशि वसूल हुई; और

(ग) कितने मूल्य के सामान का निपटान नहीं किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जैसी कि रिपोर्ट मिली हैं, वर्ष 1984 और 1985 (जनवरी से मार्च तक) के दौरान त्रिवेन्द्रम हवाई

अड्डे पर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा यात्रियों से पकड़े गए माल का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(मूल्य : लाख रुपयों में)

पकड़ी गई जिस का नाम	वर्ष	
	1984 (जनवरी से दिसम्बर तक)	1985 (जनवरी से मार्च तक)
सोना	71.58	37.49
हीरे तथा रत्न	0.50	शून्य
कलाई घड़ियां	7.27	0.91
भारतीय/विदेशी मुद्रा ..	3.71	00.3
विविध असबाब माल ..	102.76	21.46
जोड़ :	185.82	59.89

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

वर्ष 1984 और वर्ष 1985 (जनवरी से मार्च तक) के दौरान जब्त किए गए माल की बिक्री से वसूल हुई रकम क्रमश: 24.20 लाख रुपए और 17.00 लाख रुपए थी ।

(ग) दिसम्बर, 1984 के अंत में और मार्च, 1985 के अंत में त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे में जो माल बिना निपटाए पड़ा हुआ था उसका मूल्य क्रमश: 3.63 करोड़ रुपए और 4.03 करोड़ रुपए था ।

पीयरलैस जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा की गई अनियमितताएं

3729. **श्री सी० गंगा रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को पीयरलैस जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो ये अनियमितताएं किस प्रकार की हैं तथा दोषी व्यक्तियों से स्पष्टीकरण मांगने के उद्देश्य से इस संबन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार को पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट० कम्पनी लिमिटेड की गतिविधियों के बारे में समय-समय पर अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाता है ।

दि पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी, लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत कम्पनी है और इसके कार्यों का प्रबन्ध इसके निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस कम्पनी का प्रशासन केंद्रीय सरकार अथवा कम्पनी विधि बोर्ड के नियंत्रण के अधीन नही है। कम्पनी को 10 अगस्त, 1979 को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के अधीन अपना कारबार समाप्त करने का नोटिस दिया गया था। लेकिन कम्पनी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस कम्पनी का 1978-79 में निरीक्षण किया था। भारतीय रिजर्व बैंक का यह मत है कि इस कम्पनी द्वारा जिस लेखा प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उससे कम्पनी के कार्यों की स्थिति के बारे में सही और सच्चा पता नहीं मिलता। इसके अलावा कम्पनी कार्य विभाग ने 21 दिसम्बर, 1983 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 290क के अधीन इस कम्पनी के लेखाओं का निरीक्षण करने का आदेश दिया। लेकिन कम्पनी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से एक सशर्त स्थगन प्राप्त कर लिया और खंड पीठ के सम्मुख अपील दायर कर दी। अतः सरकार को इस कम्पनी के कार्यों के बारे में सही-सही जानकारी नहीं है।

पीतल के व्यापार में गिरावट

[हिन्दी]

3730. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :** क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद जिले में पीतल उद्योग, जो लगभग 60 करोड़ रुपए का था, कच्चे माल के मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण अब लगभग समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो पीतल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सस्ती दरों पर कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह): (क) जी नहीं, अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार देश से धातु के कलात्मक सामान का निर्यात मूल्य 1982-83 के 53.61 करोड़ रु० से बढ़कर, 1983-84 में 72.7 करोड़ रु० हो गया। धातु के कलात्मक सामान में, मुरादाबाद के पीतल के कलात्मक सामान का मुख्य भाग है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों से वसूल की जाने वाली ब्याज दर में कमी करना

[अनुवाद]

3731. **श्री सुभाष यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण पर सामान्यतः कितनी ब्याज दर वसूल की जाती है;

(ख) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक कृषि मौसम में कृषि प्रयोजन हेतु राज्य सरकारों को धनराशि देते समय ब्याज का एक बड़ा भाग स्वयं रख लेता है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को ब्याज के अपने उक्त भाग में कमी करके ब्याज दर कम करने का कोई अभ्यावेदन दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या अभ्यावेदन को निर्णय तथा विचार हेतु निदेशक बोर्ड के समक्ष रखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को मंजूर किये गये ऋण पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहली जुलाई, 1984 से सामान्यत: 5.50 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है ।

(ख) से (ङ). सामान्यत: इस ऋण में से दिये जाने वाले अल्पावधि अग्रिमों का अधिकांश भाग राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि प्रयोजनों के लिये 7 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर पर दे दिया जाता है । राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को 1.5 प्रतिशत का नाम-मात्र का जो मार्जिन मिलता है, वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किया गया है । यह निर्धारण उक्त बैंक को सौंपे गये विभिन्न कार्यों, संस्था-निर्माण, निरीक्षण, परीक्षण, पर्यवेक्षण आदि के लिए बैंक की संवर्धनात्मक और विकासात्मक भूमिका को ध्यान में रखते हुए विस्तृत लागत के अनुमान के आधार पर किया गया है । राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को अपना मार्जिन कम करने के लिये एक सुझाव मिला था । मामले की जांच की गई थी और यह महसूस किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किया गया मार्जिन राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अपने कार्यों के उचित निर्वहन के लिये आवश्यक हैं । यह सुझाव राष्ट्रीय बैंक के निदेशक मण्डल के सम्मुख नहीं रखा गया था ।

"रेकेट इन बैंक गारन्टीज बस्टेड शीर्षक" से समाचार

3732. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मार्च, 1985 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "रेकेट-इन बैंक गारन्टीज बस्टेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि इस प्रकार की धोखाधड़ी के मामलों का पता बैंक अपने आप लगाएं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि कानपुर की प्रधान शाखा में नियुक्त उसके एक अधिकारी ने, रबड़ की मुहरें बनाने वाले एक व्यक्ति से यह सूचना प्राप्त होते ही कि

उसे उस अधिकारी के हस्ताक्षर का एक ब्लाक बनाने का आर्डर मिला है, स्थानीय पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने जाल बिछाया और श्री कमरूद्दीन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि पुलिस ने कई दस्तावेज, मोहरें आदि भी बरामद किए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि कानपुर पुलिस ने अपराधी से लैटर हैड और उन बैंक सर्टिफिकेटों की फोटो प्रतियां भी कब्जे में ली हैं जो बैंक की मुरादाबाद शाखा द्वारा 22 जून, 1981 और 31 जुलाई, 1981 को एक स्थानीय एकक के पक्ष में जारी किए गए बताए जाते हैं जिनमें बैंक द्वारा निर्यात हुंडियों के बारे में स्थिति बताई गई है।

पंजाब नेशनल बैंक के अनुसार अपराधी से बैंक के अधिकारियों के हस्ताक्षरों की रबड़ की मोहरें या जाली कागज बरामद नहीं हुए।

केनरा बैंक को ऐसी किसी जाली गारंटी का पता नहीं चला जो उसकी दिल्ली, कानपुर और लखनऊ की शाखाओं द्वारा जारी की गई बताई गई हो।

(ग) बैंकों को जारी की गई गारंटियों का तब तक पता नहीं चल सकता जब तक गारंटियों के लाभार्थी गारंटी जारी किए जाने की पुष्टि का मामला बैंकों के साथ न उठाएं या उन व्यक्तियों द्वारा, जिनकी ओर से गारंटियां जारी की गई बताई जाती हों, चूक किए जाने पर ऐसी जाली गारंटियों की याचना न की जाए। चूंकि बैंकों को ऐसे कपटपूर्ण लेन-देनों का तब तक पता नहीं चल सकता जब तक ये लेन-देन उनके ध्यान में न लाए जाएं इसलिए लाभार्थियों के सहयोग के बिना ऐसे कपटपूर्ण कृत्यों का पता लगाना सम्भव नहीं है। फिर भी, सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम अनुदेश जारी कर दिए हैं कि वे अपने पक्ष में दी गई बैंक गारंटियों को तब तक स्वीकार न करें जब तक जारी करने वाले बैंक द्वारा उसकी वास्तविकता की पुष्टि न कर दी जाए। ऐसा सभी लाभार्थी कर सकते हैं कि वे गारंटियां तभी स्वीकार करें जब उनको वास्तविकता की जांच सावधानी पूर्वक गारंटी जारी करने वाले बैंक से कर ली गई हो।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें

3733. **श्री एस० बी० चन्नशेखर मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी महासंघ तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र पर हाल में बम्बई में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सभी अन्य कर्मचारी संगठनों को इस समझौते में शामिल किया गया है; और

(घ) इसे अक्षरशः कार्यान्वित करने के लिए और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश पुजारी) : (क) से (घ) "अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी महासंघ" के नाम से जाना जाने वाला कोई कर्मचारी संगठन नहीं

है । तथापि, जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों ने विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के साथ श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में उनके द्वारा दिए गए मांग-पत्रों पर 31-8-1984 और 9-2-1985 के दौरान कई बार बातचीत की है। प्रबन्धकों और पांच कर्मचारी यूनियनों के बीच 9-2-1985 को वेतनमानों में संशोधन करने और अन्य लाभों के दिए जाने के बारे में सहमति हो गई है। चूंकि सरकार को कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम संशोधित अधिनियम, 1981 के अधीन जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों और यूनियनों में हुई सहमति के अनुसार सेवा शर्तों में संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना 11 अप्रैल, 1985 को जारी कर दी गई है ।

पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता

3734. **श्री चित्त महाता :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेंशन-भोगियों को सेवारत कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पेंशन-भोगियों को न्यूनतम पेंशन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न देने का भी निर्णय लिया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं, । पेंशन-भोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत की दर तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं जिसने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पेंशन भोगियों की सामाजिक और अन्य जिम्मेदारियां उस स्तर की नहीं होती जैसी कि सेवारत कर्मचारियों की होती हैं, उनके लिए निम्नतर दर की सिफारिश की थी। ऐसी सम्भावना है कि चौथा वेतन आयोग इस मामले की जांच करेगा ।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सेवानिवृत्ति पेंशन को राशि सेवानिवृत्ति से पहले अन्तिम 10 महीनों के दौरान ली गई औसत परिलब्धियों, सेवा वर्षों की संख्या आदि जैसी कुछ शर्तों से सम्बद्ध है। चौथे वेतन आयोग द्वारा इन पहलुओं की भी जांच किए जाने की सम्भावना है ।

बिहार राज्य की कोयला खानों के श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच राष्ट्रीय कोयला मजूरी करार

3735. **श्री वाई० पी० योगेश :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की कोयला खानों में जनवरी, 1982 से फरवरी, 1985 तक कोयले और "हार्ड कोक" की खुदाई के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार राज्य की कोयला खानों के श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच हुए राष्ट्रीय कोयला मजूरी करार संख्या एक, दो और तीन का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक करार का वैधता संबंधी स्थिति क्या है;

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित अवधि के दौरान बिहार के खान श्रमिकों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए ;

(घ) उपरोक्त (क) में उल्लिखित अवधि में बिहार के खान श्रमिकों के लिए तैयार किए गए कल्याण कार्यक्रमों विशेष रूप से चिकित्सा, आवास और मजदूरी भुगतान व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उपरोक्त (ख) में उल्लिखित सुरक्षा उपायों और (ग) और (घ) में क्रमशः उल्लिखित सुरक्षा उपायों के अनुसार राष्ट्रीय कोयला मजूरी करारों की शर्तों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए कोई एजेन्सी नियुक्त की गई है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) कोयला खनन कार्य का पूरा राष्ट्रीयकरण हो चुका है । बिहार में टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० की ग्रहीत खानों को छोड़कर कोयले का अन्य सभी खनन कार्य सरकारी क्षेत्र में है । हार्ड कोक का खनन नहीं होता है बल्कि इसका निर्माण किया जाता है ।

(ख) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता में जिन बातों की व्यवस्था रहती है वह हैं—कोयला कामगारों की मजदूरी में संशोधन, विभिन्न भत्तों का भुगतान, सेवा लाभों का प्रावधान और कल्याण सुविधाओं का प्रावधान, आदि । तीन समझौतों की वैधता की अवधि नीचे दी गई है :—

रा० को० म० स०—I	1-1-1975 से 31-12-1978
रा० को० म० स०—II	1-1-1979 से 31-12-1982
रा० को० म० स०—III	1-1-1983 से 31-12-1986

(ग) कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी समिति की सिफारिशों के आधार पर, कोयला खनिकों की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें यह बातें शामिल हैं : कोयला खानों में आन्तरिक सुरक्षा संगठन स्थापित करना, कोयला फेसों पर टोकरी से लदान करने के स्थान पर कन्वेयरों और यंत्रीकृत लोडरों से लदान करना, कानों की सुरक्षा के लिए समुचित प्रबंध के बिना खानों में कामगारों का प्रवेश रोकना, रज्जु ढुलाई से होने वाली दुर्घटनाओं और गैस विस्फोट आदि से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना तथा भूमिगत आग और धंसाव पर काबू पाने के लिए तरीके निकालना ।

(घ) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता—III में यह व्यवस्था है कि कोल इंडिया लि० कोयला खनिकों के लिए 15,000 मकान प्रति वर्ष बनाएगा । इस समझौते में यह व्यवस्था भी है कि समझौते की अवधि समाप्त होने तक अस्पतालों में कर्मचारियों और बिस्तरों का अनुपात 1:120 से कम नहीं होगा । कोयला खनिकों को मजदूरी का भुगतान राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता—III के ही अनुसार, किया जाता है ।

(ङ) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता—III के खंड 12.3.1. के अनुसार, समझौते के किसी प्रावधान के निर्वचन या कार्यान्वयन के संबंध में किसी संदेह या कठिनाई का हल निकालने का काम कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षी समिति या इस समिति द्वारा गठित कोई उप-समिति को करना चाहिए ।

एल्यूमिनियम की चादरों का उत्पादन

3736. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का एल्यूमिनियम उद्योग देश की एल्यूमिनियम चादर उत्पादकों की आवश्यकता को पूरा करने में आत्म निर्भर है ;

(ख) यदि हां, तो एल्यूमिनियम का वास्तविक उत्पादन कितना होता है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सबसे बड़े उत्पादक एकक का क्या नाम है और उसकी क्षमता कितनी है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) एल्यूमिनियम चद्दरों के देशी उत्पादन से उसकी घरेलू मांग कुल मिलाकर पूरी हो रही है। घरेलू उत्पादन की तुलना में एल्यूमिनियम चद्दरों का आयात मामूली है।

(ख) 1984–85 में एल्यूमिनियम धातु का उत्पादन 276,492 टन हुआ।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) एल्यूमिनियम धातु की सबसे बड़ा उत्पादक यूनिट हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड है, जिसकी लायसेंस क्षमता 120,000 टन वार्षिक है। एल्यूमिनियम चद्दरों का सबसे बड़ा उत्पादक यूनिट इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड है, जिसकी लाइसेंस क्षमता 33,175 टन वा षक है।

न्यू बैंक आफ इंडिया तथा ओरियन्टल बैंक को हिमाचल प्रदेश में अपनी शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस जारी किया जाना

3737. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 1985 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान न्यू बैंक आफ इंडिया और ओरियन्टल बैंक को हिमाचल प्रदेश में अपनी शाखाएं खोलने के लिए कोई लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शाखाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए जिले-वार लाइसेंस दिए गए हैं तथा कौन-कौन सी शाखायें अब तक खोली जा चुकी हैं; और

(ग) शेष शाखाओं के कब तक खोले जाने की संभावना है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि न्यू बैंक आफ इंडिया को पंजगाई जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में अपनी शाखा खोलने के लिए पहली फरवरी, 1985 को एक लाइसेंस जारी किया गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार यह शाखा अभी तक खोली नहीं गयी है। बैंक को जारी किए गए लाइसेंस की वैधता–अवधि एक वर्ष है तथा बैंक से यथाशीघ्र अपनी शाखा खोलने के लिए कहा गया है। ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स को हिमाचल प्रदेश में अपनी शाखा खोलने के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

हिमाचल ग्रामीण बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश में नई शाखाएं खोला जाना

3738. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री कांगड़ा और मंडी जिलों में ग्रामीण बैंकों के खोले जाने के बारे में 4 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9983 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान हिमाचल ग्रामीण बैंक द्वारा जिला-वार, नई शाखाएं खोलने के लिए प्रस्तुत किए गए नए प्रस्ताव कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ये शाखाएं खोलने के लिए इस बीच लाइसेंसों की मंजूरी दे दी है; यदि हां, तो किन-किन शाखाओं के लिए लाइसेंस मंजूर किए गए हैं;

(ग) उन शाखाओं के नाम क्या हैं जो अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी प्राप्त करने की प्रतीक्षा में हैं; और

(घ) उक्त लाइसेंस जारी करने में देरी के क्या कारण हैं और इनके कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) हिमाचल ग्रामीण बैंक ने सूचित किया है कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक से अपने अधिकार क्षेत्र में, जिसमें मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिले आते हैं, निम्नलिखित केन्द्रों पर अपनी शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंसों के लिए आवेदन किया है :—

जिला मंडी

1. लेडा
2. धलवानंद छातरी

जिला कुल्लू

1. सरसरी
2. क्लाथ
3. कुल्लू

जिला कांगड़ा

1. लाहरू
2. चनौर
3. धमार
4. गनोह संसारपुर तरीस
5. पीर सलहूई
6. राजिआना
7. अडेडीहट्टी
8. गुप्त गंगा

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुप्तगंगा, छतरी और कुल्लू केन्द्रों पर शाखा खोलने के लिए लाइसेंस मंजूर कर दिए हैं। चूंकि वर्ष 1982-85 की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश में शाखा विस्तार कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बाकी केन्द्रों पर शाखा खोलने के हिमाचल ग्रामीण बैंक के अनुरोध पर 1980-85 की शाखा विस्तार नीति के अन्तर्गत विचार करने का निर्णय किया है।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नए क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाना

3739. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में बैंकिंग कार्यों में कुशलता और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने हेतु विशेष क्षेत्रों के लिए अनेक क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान खोले गये नए क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है और उनका क्षेत्राधिकार क्या है ;

(ग) प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन शाखाओं की औसत संख्या कितनी है और प्रत्येक जोन (स्थानीय मुख्यालय) के अधीन इस प्रकार के क्षेत्रों की संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या हिमाचल प्रदेश/जम्मू और काश्मीर राज्यों की विशेष भौगोलिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों में स्थानीय मुख्यालय बनाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, पांच क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं । इन क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम तथा उनके अधिकार क्षेत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोले गये क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम	अधिकार क्षेत्र
1. पणजी (गोवा)	गोवा संघ राज्य क्षेत्र और महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़, सिन्धुदुर्ग और रत्नागिरि जिले ।
2. सिलीगुड़ी	सिक्किम राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, पश्चिम दीनाजपुर और माल्दा के जिले ।
3. हुबली	कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़, धारवाड, बेलगांव, रायचूर, बिदार, बीजापुर और गुलबर्गा जिले ।
4. पूर्णिया	बिहार राज्य में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, माधीपुरा और खगरिया जिले ।
5. ग्वालियर	मध्य प्रदेश राज्य में ग्वालियर शिवपुरी, भिंड, मोरेना, दतिया, गुना, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, सागर, छत्तरपुर, टीकमगढ़ और दमोह जिले ।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि एक क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत औसतन 147 शाखाएं आती हैं । एक स्थानीय प्रधान कार्यालय के अधीन औसतन 4 क्षेत्रीय कार्यालय आते हैं ।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

वाणिज्य मन्त्रालय में पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग

3740. **श्री आर० एम० भोये** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में देश के भीतर अपने पत्र-व्यवहार में देश की राजभाषा हिन्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय में कोई हिन्दी सलाहकार समिति गठित की गयी है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुई उसकी बैठकों के संबंध में क्या ब्यौरा है ; और

(घ) अपने मंत्रालय में हिन्दी के प्रसार के लिए उनका क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं । इस मंत्रालय द्वारा पत्र-व्यवहार में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग किया जा रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उसकी बैठकों के संबंध में ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है :—

वर्ष	हुई बैठकों की सं०	बैठक की तारीख
1982	1	29-10-1982
1983	2	27-7-1983
		28-10-1983
1984	1	20-7-1984

(घ) सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार मंत्रालय में हिन्दी के प्रसार के लिए सभी संभव कदम पहले ही उठाए जा रहे हैं जैसे कि चैक प्वाइंट लागू करना, तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करना, सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग में प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिए निरीक्षण, प्रोत्साहन योजनाएं, हिन्दी कार्यशालाओं, हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिताओं का आयोजन आदि ।

पान के पत्तों के निर्यात में वृद्धि

3741. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार पान के पत्तों के निर्यात संवर्धन के बारे में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो पान के पत्तों का निर्यात किन-किन देशों को बढ़ाया गया है;

(ग) धनराशि के रूप में निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) निर्यात में और आगे वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) निर्यात संवर्धन उपाय के रूप में सरकार ने अक्तूबर, 1984 में मद्रास-कराची क्षेत्र के संबन्ध में पान के लिए विशिष्ट वस्तु दर शुरू की जो 500 कि०ग्रा० के लिए 9.35 रु० की दर से है तथा 1000 कि०ग्रा० और ज्यादा के लिए 7.80 रु० की दर से है जबकि पहली दर 11.65 रु० प्रति कि०ग्रा० थी।

विवरण

गत पांच वर्षों के दौरान निर्यात किए गए पान की मात्रा और मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :—

मात्रा : मे० टन में
मूल्य : लाख रु० में

क्र० स०	देश का नाम	1980–81		1981–82		1982–83		1983–84		1984–85	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	बहरीन	22	21.57	26	3.10	आंकड़े अनन्तिम हैं। देशवार निर्यातों के आंकड़े अभी संबन्धित निर्यात संवर्धन परिषदों को नहीं भेजे गए हैं।					
2.	केनिया	17	3.23	19	3.11						
3.	कुवैत	46	3.90	60	5.39						
4.	बेपाल	37	2.56	19	0.89						
5.	ओमान	72	6.07	155	16.20						
6.	कतार	17	1.41	37	3.74						
7.	सऊदी अरब	109	8.81	179	19.36						
8.	संयुक्त अरब अमीरात	43	4.16	7	0.82						
9.	ब्रिटेन	50	5.71	53	6.44						
	कुल	435†	40.02†	574†	66.62	365	40	629	80	448	74

विदेशों को घटिया उत्पादों की सप्लाई करने वाली कम्पनियां

3742. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कम्पनियां विदेशों को घटिया उत्पादों की सप्लाई कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और इन कम्पनियों ने किन-किन देशों को उक्त उत्पादकों की सप्लाई की;

(ग) उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा;

(ङ) उन दोषी उत्पादकों को दण्डित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(च) भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

† अन्य देशों को कम निर्यात भी शामिल हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1983–84 के दौरान निर्यात निरीक्षण परिषद के बम्बई स्थित क्वालिटी शिकायत प्रकोष्ठ में विभिन्न कम्पनियों के विरुद्ध क्वालिटी नियंत्रण के लिए अधिसूचित और क्वालिटी नियंत्र के लिए अनधिसूचित, दोनों मदों की क्वालिटी के सम्बन्ध में लगभग 600 शिकायतें प्राप्त हुई।

(ख) निर्यात आमतौर पर सं० रा० अमरीका, सोवियत रूस, जापान, ब्रिटेन, हांगकांग, सिंगापुर, जर्मन गणराज्य, कनाडा, प० जर्मनी, बुलगारिया, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, दुबई आदि आदि जैसे देशों को हुए। कम्पनियों के किस प्रकार के ब्यौरे प्राप्त करने हैं स्पष्ट नहीं है।

(ग) आमतौर पर विदेशी खरीददारों द्वारा निर्यातकों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं।

(घ) हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्वालिटी शिकायतों की वजह से वित्तीय कठिनाइयों का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ङ) निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के उपबन्धों और सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत भी अनेक निर्यातकों को दण्डित किया गया है।

(च) सरकार घटिया स्तर के माल के निर्यातों को रोकने के लिए समय समय पर निरोधक तथा निवारक कार्यवाही करती है।

आलू का निर्यात करने की योजना

3743. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आलू के निर्यात का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आलू उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) आलू क निर्यात की मुक्त रूप से अनुमति है।

(ग) आलू उपजकर्त्ताओं के हितों की रक्षा के लिए निम्नोक्त उपाय किए गए हैं :

(i) उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में, जिनमें देश में कुल उत्पादन का लगभग 77% उत्पादन होता है, बाजार हस्तक्षेप कार्यवाही शुरू की गई है।

(ii) बाजार हस्तक्षेप कीमत 50 रु० प्रति क्विंटल है और हानियों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच समान रूप से वहन किया जाता है। कार्यान्वयन अभिकरण नैफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लि०) तथा राज्य सहकारी समितियां हैं जो कि किसानों के अपने संगठन हैं।

(iii) स्थायी प्रबन्ध के रूप में सभी राज्य सरकारों को जब कभी भी आवश्यक हो आलू सम्बन्धी बाजार हस्तक्षेप योजना का लाभ उठाने की सलाह दी गई है।

उड़ीसा में काफी की खेती की संभावनाओं का पता लगाना

3744. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में काफी की खेती की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या नीति हैं; और

(ग) उड़ीसा के किस जिले में काफी के पौधे लगाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) काफी बोर्ड द्वारा गैर-परम्परागत क्षेत्रों में (उत्तर-पूर्वीय क्षेत्र से अन्य) जिसके अन्तर्गत उड़ीसा राज्य भी आ जाता है, काफी की खेती के लिए उपयुक्त भूमि खोजने हेतु एक सर्वेक्षण किया गया है ।

(ग) उड़ीसा राज्य मृदा संरक्षण विभाग ने, जिसको काफी खेती का कार्य सौंपा गया है, कोरापुट, कलहंडी, फूलबानी तथा गंजम के पर्वतीय जिलों में 900 हैक्टार क्षेत्र पर काफी का रोपण किया है ।

विदेशों को घटिया स्तर के पटसन के सामान की सप्लाई

3745. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से घटिया स्तर का पटसन का सामाग सप्लाई किये जाने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या पटसन के निर्यात में भी कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा, पटसन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) विदेशों से भारतीय पटसन उत्पादों की क्वालिटी के सम्बन्ध में सामान्यतः कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) जी हां, तथापि 1984-85 के चालू वर्ष में प्रवाह विपरीत रहा है जबकि पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात मात्रा व मूल्य दोनों की दृष्टि से अधिक हुए ।

(ग) पटसन सामान के निर्यातों को बढ़ाने के लिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं :

(i) उद्योग द्वारा बराबर के निष्पादन के आधार पर पटसन कालीनी अस्तर कपड़ और यार्न पर उच्चतर नकद मुआवजा सहायता प्रदान करना है ।

(ii) उत्तरी अमरीका को कालीन अस्तर कपड़े के निर्यातों के लिए 50:50 हानि वहनता आधार पर राज्य व्यापार निगम पटसन उद्योग सार्थ संघ का बनाया जाना ।

(iii) समय समय पर बाजार अभिमुख व्यापार प्रतिनिधिमण्डल प्रायोजित करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने का प्रबन्ध करना ।

(iv) अनुसंधान तथा विकास प्रयासों द्वारा निर्यात उत्पादों के विकास को बढ़ावा देना ।

(v) अनुसंधान तथा विकास प्रयासों और निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए पटसन उपकर की प्राप्तियों में से एक नई पटसन उत्पाद विकास परिषद और एक पटसन निधि का गठन ।

केन्द्रीय ऊन बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव

3746. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या **पूर्ति और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य वस्तुओं के लिए गठित बोर्डों की तरह केन्द्रीय ऊन बोर्ड स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य रूपरेखा और कृत्य क्या हैं उसका गठन कब होगा;

(ग) क्या बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित करने का विचार है जोकि आस्ट्रेलियाई वूलटाप्स के आयात का केन्द्र रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा और उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) ऊन तथा ऊनी वस्त्र उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई थी । अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । इसने अन्य बातों के साथ साथ ऊन बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की है । इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के, जिनमें ऊन बोर्ड सम्बन्धी सिफारिश भी शामिल है, प्रभावी तथा तीव्र कार्यान्वयन के लिए निर्णय लेने के लिए सरकार ने एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है ।

दिखावटी खर्चों का निर्धारण करने हेतु जारी किए गए दिशानिर्देश

3747. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या **वित्त** मंत्री आयकर अधिकारियों द्वारा पकड़े गए दिखावटी खर्च दिखाये जाने सम्बन्धी मामलों के बारे में 22 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 757 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिखावटी खर्चों का निर्धारण करने के लिए आयकर अधिकारियों ने कौन से दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) इस प्रकार के लाखों रुपए के उन मामलों का क्या ब्यौरा हैं और इन मामलों में से कितनों में मामले को तर्कसंगत निष्कर्ष पर ले जाया गया; और

(ग) इन कर अपवंचकों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गयी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) यह प्रश्न कि क्या यह खर्च आडम्बरपूर्ण है अथवा नहीं, कर निर्धारिती की हैसियत पर निर्भर करता है । कर निर्धारणों को कानूनी समय-सीमाओं के अनुसार पूरा किया जाता है ।

बैंकिंग बोर्डों के सदस्यों और चेयरमैनों की नियुक्ति और चयन से सम्बन्धित नियम

3748. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न बैंकिंग बोर्डों के सदस्यों और चेयरमैनों की नियुक्ति और चयन के बारे में बैंकिंग भर्ती बोर्ड विधेयक के पारित होने के बाद कोई नियम और विनियम निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय बैंकिंग सेवा आयोग से है ।

अधिनियम में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं और ये नियुक्तियां करने का अधिकार केन्द्र सरकार को दिया गया है । अत: इस सम्बन्ध में नियम या विनियम बनाने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का 1984-85 के दौरान लाभ

3749. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री मुकुल वासनिक :
श्रीमती किशोरी सिंह :

क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को इस्पात की कीमतों में वृद्धि होने और 1983-84 में इसे ब्याज अवकाश दिए जाने के कारण 1984-85 में दस करोड़ रुपए से अधिक का लाभ कमाने की आशा थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक अवसर पर इस्पात की कीमतों में कितनी वृद्धि की गई और प्रत्येक अवसर पर कीमतों में की गई वृद्धि किस-किस तारीख से लागू हुई; और

(ग) सामान्य मुद्रा स्फीति की दृष्टि से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बिक्री मूल्यों में वृद्धि और अर्थव्यवस्था पर मूल्यों में उक्त वृद्धि के कारण पड़े कुल प्रभाव का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) आशा है कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) को वर्ष 1984-85 में लाभ होगा । लेखों को अंतिम रूप देने के पश्चात् ही लाभ की वास्तविक राशि का पता चल सकेगा । वर्ष 1983-84 में 'सेल' को ब्याज से छूट (इन्टरेस्ट होलिडे) दिया गया था । इससे इसकी वर्ष 1984-85 की लाभदायकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

(ख) गत तीन कैलेन्डर वर्षों में संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा इस्पात के मूल्यों में निम्नानुसार संशोधन किया गया था :-

वर्ष	से प्रभावी	औसतन वृद्धि (प्रतिशत)
1982	1-4-1982	11
	2-4-1982	
	23-10-1982	
1983	1-4-1983	4
	24-7-1983	4
1984	22-6-1984	15
1985	21-2-1985	15

1.4.1982 तथा 1.4.1983 से प्रभावी मूल्य वृद्धि से उत्पादकों को कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि यह मूल्य-वृद्धि रेल भाड़े के समीकरण हेतु धन की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई थी। 22.6.1984 से प्रभावी मूल्य-वृद्धि से उत्पादकों को लगभग 12½ प्रतिशत ही प्राप्त होगा क्योंकि मूल्यों में 15 प्रतिशत की कुल वृद्धि में रेल भाड़े के समीकरण हेतु की गई वृद्धि का समायोजन, संयुक्त संयंत्र समिति का कर तथा इंजीनियरी साज-सामान निर्यात सहायता निधि को पुनः चालू करने जैसी बातों के लिए व्यवस्था भी शामिल है।

(ग) मूल्यों में की गई वृद्धि का अर्थ-व्यवस्था पर मामूली प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 1984-85 में की गई मूल्य-वृद्धि का थोक बिक्री मूल्य सूचकांक पर लगभग 0.8 प्रतिशत प्रभाव पड़ने का अनुमान है।

इस्पात तथा कच्चे लोहे के मूल्यों में वृद्धि से स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के कारखानों (इस्को को छोड़कर) की बिक्री में हुई वृद्धि का ब्यौरा इस प्रकार है।

(करोड़ रुपए)

1982-83	231
1983-84	164
1984-85 (अनुमानित)	370

नौकाओं का निर्माण तथा अंडमान और निकोबार प्रशासन को उनकी सप्लाई

3750. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पूर्ति और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति और निपटान महानिदेशक ने अंडमान और निकोबार प्रशासन को फैरी सेवाओं और माल ढोने के लिये समुद्री नौकायें देने हेतु ऐसी कितनी नौकाओं के आदेश दिये हैं;

(ख) उनमें से कितने आदेश पूरे नहीं किये गये और उसके क्या कारण थे;

(ग) सरकार का विचार उन पार्टियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का है जो आदेश पूरा करने में निरन्तर असफल रही है और क्या उक्त कार्य पूरा करने के लिये नई पार्टियां खोजी गई हैं, और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान अण्डमान व निकोबार प्रशासन के लिए समुद्री जलयानों की सप्लाई के लिए दिए गए ठेकों की संख्या आठ है।

(ख) चार। इन ठेकों के निष्पादन में देरी मुख्यतया पूर्तिकर्ताओं की वित्तीय कठिनाइयों के कारण हुई है।

(ग) दोषी फर्मों के विरुद्ध ठेके की शर्तों क अनुसार कानूनी कार्यवाही की गई है। जो ठेके निष्पादित नहीं हुए उनमें से कुछ ठेकों को अन्य फर्मों को दे दिया गया, जिनका अंशतः निष्पादन कर दिया गया है या निष्पादन किया जा रहा है।

(घ) निष्पादन के लिए सम्बित ठेकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दे दिए गए हैं।

विवरण

निष्पादन के लिए लम्बित ठेके

1. ए/टी० सं० एस वी-3/236 दि० 31-7-75, मैसर्स क्लेबैक बोट कम्पनी को चार यात्री जलयानों की सप्लाई के लिए ठेका दिया गया । पहला जलयान सितम्बर, 80 में दे दिया गया । दूसरा जलयान 85 प्रतिशत तक पूर्ण हो गया है तथा जून, 1985 तक सुपुर्द किये जाने की आशा है । तीसरे और चौथे जलयान का कार्य दूसरी अवस्था तक अर्थात 30 प्रतिशत तक पूर्ण हो गए हैं ।

2. ए/टी सं० एम०ई-1/084 दि० 10-7-79, मैसर्स ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कवीनडा को दो नौकाओं की सप्लाई के लिए ठेका दिया गया । दोनों नौकाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा उन जलयानों को पोर्ट ब्लेयर भेजने के लिए फर्म से सम्पर्क किया जा रहा है ।

3. ए/टी सं० एम०ई-1/119 दि० 1.11.83, मैसर्स यूनिक एन्टरप्राइजिज कोचीन को 200 टन माल वाहक जलयान के लिए ठेका दिया गया । यह ठेका मैसर्स अरुण सी क्राफ्टस, अलीप्पी को दिए गए ठेका सं० एम०ई-1/098 दि० 18.7.80 की सप्लाई न होने के कारण जोखिम खरीद पर दिया गया है । यह जलयान तीसरी अवस्था तक अर्थात् लगभग 45% तक पूर्ण हो गया है । फर्म से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार जलयान के जून 85 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

4. ए/टी सं० एम०ई-1/096 दि० 7-6-80, मैसर्स हिंडाक इंजीनियरिंग, कलकत्ता को एक हास्पिटल-कम बैंकिंग कम सप्लाई शिप के लिए ठेका दिया गया । जलयान चौथी अवस्था तक अर्थात् लगभग 65 प्रतिशत पूर्ण हो गया था । तथापि, ठेका दि० 8.6.84 को फर्म के जोखिम और लागत पर रद्द करना पड़ा । आंशिक रूप से बना शिप अब भी फर्म के पास है, तथा आगे की जाने वाली कार्यवाही के लिए मामले पर, विधि मंत्रालय के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है ।

कृषि उत्पाद, निर्यात विकास प्राधिकरण

3751. **प्रो० निर्मला कुमारी शकतावत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों के प्रचार और विदेशों को निर्यात में अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का एक कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण गठित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कृषि उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए इस प्राधिकरण के अन्य प्रस्तावित कृत्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). एक कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव है जो साधित खाद्य पदार्थ उद्योग के विकास में मदद करेगा; साधित खाद्य पदार्थों और मूल्य-वर्धित कृषि उत्पादों के निर्यातों का संवर्धन करेगा; निर्यात-अभिमुख उत्पादन तथा उत्पाद विकास का संवर्धन करेगा; पैकेजिंग

डिजाइनों के सुधार में, मूल्य-वर्धित उत्पादों के विपणन के सुधार में मदद करेगा और साधित खाद्य पदार्थों के निर्यातों में क्वालिटी नियंत्रण सुनिश्चित करेगा ।

बम्बई के कपड़ा मिलों में हड़ताल

3752. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लम्बे अर्से तक हड़ताल के पश्चात् बम्बई के कपड़ा मिलों के कितने श्रमिक अभी भी बेरोजगार हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उनको रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जानकारी के अनुसार, फरवरी, 1985 के पहले कार्य दिवस को दैनिक रोजगार में कामगारों की संख्या हड़तालपूर्व रोजगार की तुलना में लगभग 49,000 कम थी ।

(ख) सरकार ने अक्तूबर, 1983 में 13 कपड़ा उपक्रमों के प्रबन्ध को उनमें लगे कामगारों के हित की रक्षा करने के लिए पहले ही अपने हाथ में ले लिया है । सरकार ने देश के सूती कपड़ा क्षेत्र में बंद मिलों की समस्याओं की जांच करने के लिए अधिकारियों के समूहों का गठन किया है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हुआ घाटा

3753. **श्री बी० वी देसाई** : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सभी नौ सहायक इकाइयों ने घाटे को कम करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या वर्ष 1983-84 में हुए 100 करोड़ रुपये के कुल घाटे को उत्तरोत्तर कम किया जाएगा;

(ग) उन मिलों की कुल संख्या कितनी है जिनके घाटे में कमी करने की भारतीय कपड़ा निगम द्वारा मार्च, 1985 में योजना तैयार की गई है;

(घ) इन घाटों में कितनी कमी की जायेगी; और

(ङ) इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां । एन टी सी के सभी 9 अनुषंगी निगमों द्वारा घाटे को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ख) से (घ). 1983-84 के दौरान, एन टी सी के अधीन राष्ट्रीयकृत मिलों को 137 करोड़ रु० का घाटा हुआ । अप्रैल-दिसम्बर, 1984 के दौरान औसत मासिक घाटा लगभग 15 करोड़ रु० का रहा । जनवरी—मार्च 1985 के दौरान औसत मासिक घाटा कम होकर लगभग 11 करोड़ रु० रह गया । यह कमी जनवरी-मार्च 1985 के दौरान एन टी सी के सभी अनुषंगी निगमों द्वारा प्राप्त की गई ।

(ङ) इन मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए किए गए अथवा किए जा रहे कतिपय उपाय निम्नोक्त प्रकार हैं :-

(1) विभिन्न उपलब्ध माध्यमों से रूई की समय पर वसूली करने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं ।

(2) नकद घाटे को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी की प्रतिपूर्ति की गई है ।

(3) बिजली की कमी पर काबू पाने के लिए स्वजनित्र क्षमता की व्यवस्था की गई है ।

(4) सभी स्तरों पर लागत में कमी करने के लिए लागत नियंत्रण प्रणालियां आरम्भ की गई हैं ।

(5) उपलब्ध स्रोतों का बेहतर प्रबन्ध करने के लिए अनुषंगी निगमों के प्रबन्ध को सुदृढ़ किया जा रहा है ।

(6) मिलों के प्रबन्ध में कामगारों की सहभागिता की योजना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

(7) गैर-परिचालन प्रशासन खर्चों को कम करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

चुनावों के लिए विदेशी धन

3754. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के एक तस्कर को, जो हाल ही में हुए विधान सभा के चुनावों में एक उम्मीदवार था, कुछ सऊदी स्रोतों से गुप्त रूप से 2 करोड़ रुपये दिये गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या चुनावों के लिए विदेशी धन के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) विदेशी अभिदाय (विनिगमन) अधिनियम, 1976 में यह व्यवस्था है कि किसी भी प्रत्याशी द्वारा चुनाव के लिए कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं किया जाएगा । फिर भी यदि किसी प्रत्यासी ने ऐसे प्रत्याशी के लिए उसके विधिवत् रूप से नामांकित किये जाने की तारीख से तत्काल पूर्व 180 दिनों के अन्दर चुनाव के लिए ऐसा कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त किया हो तो उसे चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में विधिवत् रूप से नामांकित किए जाने की तारीख से 15 दिनों के अन्दर निर्धारित फार्म में निर्धारित तरीके से उसकी सूचना देनी होती है । हाल ही में हुए विधान सभा चुनावों में चुनाव के लिए किसी भी प्रत्याशी से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

दिल्ली के भट्ठा खान मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना

3755. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के भट्ठा खान मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को देश भर में कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) इस स्कीम में ऐसे सभी कामगार तथा पर्यवेक्षी कर्मचारी शामिल हैं, जिन्होंने 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करली है। मृत्यु की दशा में प्रति कामगार 15,000/- रु० की अधिकतम बीमा राशि दी जाती है तथा घायल होने पर विभिन्न राशियां दी जाती हैं। बीमा किस्तें दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अदा की जाती है।

(ग) कोई भी नियोक्ता समूह-बीमा योजना लागू कर सकता है।

कामगार मुआवजा अधिनियम उपदान संदाय अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधानों तथा खानों पर लागू विविध अधिनियमों में खान-कर्मचारियों के वित्तीय लाभों की व्यवस्था है।

सामान्य बीमा निगम का एक क्षेत्रीय कार्यालय बिहार में खोला जाना

3756. **श्री सी०पी० ठाकुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम का बिहार में कोई क्षेत्रीय कार्यालय है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) बिहार में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रश्न साधारण बीमा निगम द्वारा संबंधित मानदण्ड के अनुसार गुण-दोष के आधार पर तय किया जाएगा।

कन्नड़ भाषियों द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बंगलौर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर भूख हड़ताल

3757. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बंगलौर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में कितने कन्नड़ भाषी कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या कुछ कन्नड़ भाषी जो स्थानीय उम्मीदवारों के रूप में कार्य कर रहे थे हटा दिये गये थे; और

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बंगलौर स्थित कार्यालय के समक्ष कन्नड़ भाषियों और कन्नड़ संघों द्वारा भूख हड़ताल किये जाने के कारण राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बंगलौर कार्यालय का कार्य कई दिन तक ठप्प रहा था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में नियुक्तियां अखिल भारतीय स्तर पर योग्यता के आधार पर की जाती हैं। अलबत्ता, विगत में, अखिल भारतीय परीक्षा होने तक, कुछ पद दिहाड़ी के आधार पर भरे गये

थे । अप्रैल, 1983 में नाबार्ड ने क्लर्कों, टाइपिस्टों और आशुलिपिकों के पदों के लिए विज्ञापन दिया था । इसके पश्चात् लिखित परीक्षा ली गई और इंटरव्यू लिया गया । योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किए जाने पर दिहाड़ी पर काम करने वाले उन व्यक्तियों के नाम काट दिए गए जो योग्यता सूची में 544 तक अंक प्राप्त नहीं कर सके थे । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बंगलौर स्थित कार्यालय में दिहाड़ी पर काम करने वाले 12 क्लर्कों में से 9 क्लर्कों को परीक्षा के आधार पर स्थायी रूप से रख लिया गया था । दिहाड़ी पर काम करने वाले तीन क्लर्कों को इस लिए नहीं रखा जा सका क्योंकि वे योग्यता सूची में बहुत नीचे थे, राष्ट्रीय बैंक ने बंगलौर स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय को, स्थानीय प्राधिकारियों की मदद से, यदि आवश्यक हो, कार्यालय के सुचारु संचालन के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए कहा है । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए इस बात का ध्यान रखा गया है कि बैंक के महत्वपूर्ण काम का हर्जा न हो ।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन से सहायता प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनियां

3758. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन भारतीय कंपनियों ने (उनका कार्यक्षेत्र दर्शाते हुए) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन से सहायता प्राप्त की;

(ख) क्या सरकार को इन कम्पनियों द्वारा प्राप्त की गई सहायता के उचित उपयोग के बारे में जानकारी है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार यह पता लगाने का है कि इन कंपनियों द्वारा इस सहायता का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित भारतीय कंपनियों को अन्तर्राष्ट्रीय सहायता देने का अनुमोदन किया है :-

वर्ष	कंपनी का नाम	प्रयोजन/परियोजना	कुल सहायता (लाख संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर के समतुल्य)
1	2	3	4
1982-83	1. भारतीय रेयन निगम लिमिटेड	सीमेंट	89
	2. भारत फोर्ज कंपनी लिमिटेड	गढ़ाई	169
	3. मोदी रबड़ लिमिटेड	सीमेंट	163
		जोड़	421

1	2	3	4
1983-84	1. इंडिया इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी लिमिटेड	पट्टा वित्तपोषण	55
	2. ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यु० (वीविंग) कंपनी लिमिटेड	सीमेंट चरण I	46
	3. लीजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	पट्टा वित्तपोषण	55
	4. बिहार स्पोंज आयरन लिमिटेड	लोहा तथा इस्पात	117
		जोड़	273
1984-85	1. ब्जाज आटो लिमिटेड	आटो स्कूटर	220
	2. ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यु० और (वीविंग) कंपनी लिमिटेड	सीमेंट चरण-II	99.6
		जोड़	319.6

(ख) और (ग). अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन द्वारा सहायता सरकार की गारंटी के बिना दी जाती है और भारतीय कंपनियों द्वारा इसका उपयोग रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित केवल कंपनी और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन के बीच हुए निवेश करार में दी गई शर्तों और प्रयोजन के अनुसार किया जाता है।

भारत को फोर्ड फाउंडेशन से मदद

3759. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी और ग्रामीण गरीबी दूर करने की परियोजनाओं के लिए भारत को पिछले तीन वर्षों के दौरान फोर्ड फाउंडेशन से मिली सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन परियोजनाओं के लिए यह सहायता मिली थी उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राप्त सहायता का पूर्ण उपयोग किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1087/85**]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिए गए अग्रिम

3760. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 1984 (दिसम्बर, 1984 तक) में लघु उद्योगों को दी गई अग्रिम की राशि वर्ष 1983 की इसी अवधि में दी गई राशि की तुलना में अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो अग्रिमों की राशि में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को राज्य-वार और वर्ष-वार इस प्रकार कितनी राशि मंजूर की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1983 की तुलना में वर्ष 1984 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों के अग्रिमों में वृद्धि का मुख्य कारण सहायता प्राप्त लघु औद्योगिक एककों की संख्या में वृद्धि होना है ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1983 और 1984 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

दिसम्बर के अन्तिम शुक्रवार को	खातों की संख्या (लाखों में)	बकाया राशि (करोड़ रुपयों में)
1983	12.25	5050.58
1984	14.10	6115.08

भारतीय रिजर्व बैंक के पास उल्लिखित अवधि के राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति में राष्ट्रीयकृत बैंकों को सहायता देने के लिए ब्लाक स्तरीय सलाहकार समितियां

3701. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :**
श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ समय पहले राज्य सरकारों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों का पता लगाने में और कार्यक्रम की क्रियान्विति में राष्ट्रीयकृत बैंकों की सहायता के लिए राज्य की एजेंसियों की मदद हेतु ब्लाक स्तर पर सलाहकार समितियां गठित करने के लिए कार्यवाही करने की सलाह दी थी;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को ऋण लेने वालों की शिकायतों को देखने और जहां तक संभव हो सके उन्हें दूर करने के लिए जिला स्तर पर एक उप-दल गठित करने की भी सलाह दी थी;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या केन्द्र सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्टों की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि उपरोक्त (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों से की गई कार्यवाही की रिपोर्टें भेजने के आदेश देने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). जी हां, तत्कालीन वित्त मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को सम्बोधित दिनांक 3 अगस्त, 1983 के अपने पत्र में उन्हें ऐसी ब्लाक स्तरीय सलाहकार समितियों तथा जिला स्तरीय उप समूहों (सब-ग्रुप) का गठन करने की सलाह दी थी।

(ग) से (च). 15 राज्यों अर्थात् सिक्किम, केरल, मणिपुर, बिहार, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से उत्तर प्राप्त हो गये हैं। चार राज्यों अर्थात् हरियाणा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान ने सूचित किया है कि इन राज्यों में तैयार किया गया वर्तमान ढांचा संतोषजनक रूप से काम कर रहा प्रतीत होता है और फिलहाल उसमें कोई फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं। जबकि कर्नाटक सरकार ने इस सुझाव को पूरी तरह से क्रियान्वित कर दिया है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह विचार व्यक्त किया है कि केवल ब्लाक स्तरीय समितियां गठित करने की जरूरत है और जिला स्तरीय उप-समूह बनाना आवश्यक नहीं है। अन्य राज्यों ने आमतौर पर इस सलाह का स्वागत किया और बताया है कि वे इसकी जांच करवा रहे हैं। राज्य सरकारों को दिए गए सुझाव एक तरह से सिफारिश और सलाह की किस्म के थे। अलबत्ता, केन्द्र सरकार इन के बारे में राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है।

चीन द्वारा भारत से लौह अयस्क और क्रोम की खरीद

3762. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषद ने अपने दौरे के दौरान भारत से लौह अयस्क और क्रोम की खरीद की इच्छा व्यक्त की थी;

(ख) क्या यह मामला खनिज और धातु व्यापार निगम के अधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम लिमिटेड लौह अयस्क तथा क्रोम अयस्क की बिक्री के सम्बन्ध में चीन में संबंधित संगठनों के साथ गत 2-3 वर्षों से बातचीत करता रहा है। इन विचार विमर्शों के फलस्वरूप, 1983-84 के दौरान चीनी पक्ष के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हुए और 30,000 मे० टन लौह अयस्क और 30,000 मे० टन क्रोम अयस्क चीन को भेजा गया।

खनिज व धातु व्यापार निगम से एक प्रतिनिधि मण्डल ने मार्च, 1985 के अन्तिम सप्ताह में बीजिंग का दौरा किया और 1985 के दौरान 170,000 मे० टन लौह अयस्क और 1985 की तृतीय तिमाही में 10,000 मे० टन क्रोम अयस्क की बिक्री संबंधी संविदाओं को अन्तिम रूप दिया।

इस्पात के उत्पादन में वृद्धि

3763. **श्री शिव रंजन दास मुंशी :** क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1984 से जनवरी, 1985 की अवधि के दौरान इस्पात के कुल उत्पादन में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० का निर्यातकों को अधिक ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण का विचार इस्पात के वर्तमान मूल्यों में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां। अप्रैल, 1984 से जनवरी 1985 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० (सेल) के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन से 14 प्रतिशत अधिक रहा है।

(ख) "सेल" अब इस्पात के आयात हेतु माध्यम अभिकरण के रूप में काम नहीं करती है इसलिए "सेल" द्वारा आयातकर्त्ताओं को ऋण देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित लोहे तथा इस्पात की मदों के मूल्य "सेल" द्वारा नहीं बल्कि मुख्य उत्पादकों की संयुक्त संयन्त्र समिति द्वारा निर्धारित करके घोषित किए जाते हैं।

अगले बारह महीनों में इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने की कोई संभावना नहीं है बशर्ते कि संयुक्त संयन्त्र समिति को अपरिहार्य आर्थिक कारणों से मूल्यों में वृद्धि करने के लिए बाध्य होना पड़े।

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

3764. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई हैं; और

(ख) इस राज्य में वर्ष 1985-86 के दौरान ऐसी शाखाएं खोलने हेतु किन किन स्थानों को चुना गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिसम्बर, 1984 के अन्त में उड़ीसा में वाणिज्यिक बैंक कार्यालयों की बैंक समूह-वार स्थिति से संबन्धित प्राप्त सूचना नीचे दी गई है :—

बैंक समूह	शाखाओं की संख्या
भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगी बैंक	336
220-राष्ट्रीयकृत बैंक	559
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	663
अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	3
कुल	1561

(ख) सातवीं आयोजना की अवधि के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

मैंगनीज की खानें

3765. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में मैंगनीज की कितनी खानें हैं;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन खानों से मैंगनीज का औसत उत्पादन कितना हुआ;

(ग) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा की गई हाल ही की खोज में कुछ नए मैंगनीज क्षेत्रों का पता लगा है; और

(घ) इन क्षेत्रों की स्थिति और मैंगनीज के अनुमानित भण्डारों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) वर्ष 1984 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जिन खानों में उत्पादन होने की जानकारी मिली है उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

आन्ध्र प्रदेश	23
बिहार	4
गुजरात	3
गोआ	57
कर्नाटक	68
मध्य प्रदेश	12
महाराष्ट्र	12
उड़ीसा	44
	223

(ख) वर्ष 1980 से 1984 के दौरान मैंगनीज अयस्क का वार्षिक औसतन उत्पादन 1,426,000 टन रहा है ।

(ग) और (घ). भारतीय भू-सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाल ही में मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में मैंगनीज के नए क्षेत्रों (प्राप्ति स्थानों अथवा निक्षेपों) का पता नहीं लगाया गया है । फिर भी, मैंगनीज अस्यक के ज्ञात क्षेत्रों/निक्षेपों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मैंगनीज अयस्क क्षेत्र) में से उठवा, चिकला, मीराजपुर तथा डोंगरी—बुजुर्ग क्षेत्रों में मैंगनीज अस्यक के निक्षेपों की गहराई का अध्ययन करने पर यह पता चला है कि इन निक्षेपों से 23.49 मिलियन टन अतिरिक्त मैंगनीज अस्यक प्राप्त किया जा सकेगा ।

कुल सरकारी राजस्व में आयकर का योगदान

3766. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर से प्राप्त राशि कुल सरकारी राजस्व का मात्र 4 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में कर देने वालों की संख्या कितनी है और पिछले तीन वित्तीय वर्ष में पृथक-पृथक कुल सरकारी राजस्व का कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त आयकर तथा कुल राजस्व के बीच प्रतिशतता निरन्तर घटती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयकर से प्राप्त रकम को प्रतिशत अनुपात निम्नानुसार है (वर्ष 1984-85 के लिए केवल संशोधित अनुमान दिये जा रहे हैं क्योंकि अन्तिम आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं)।

(रुपये करोड़ों में)

वित्त वर्ष	सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां	प्राप्त आयकर प्राप्तियां (निगम कर अर्थात कम्पनियों पर कर को छोड़कर)	कालम 2 से 3 का प्रतिशत अनुपात	आयकर प्राप्तियां (निगम कर सहित)	कालम 2 का 5 का प्रतिशत अनुपात
1	2	3	4	5	6
1981-82	19848.67	1475.50	7.43%	3445.47	17.35%
1982-83	22730.62	1569.72	6.91%	3754.23	16.52%
1983-84	25738.18	1699.14	6.60%	4191.87	16.28%
1984-85	30708.50	1810.00	5.89%	4634.00	15.09%
(संशोधित अनुमान)		(संशोधित अनुमान)		(संशोधित अनुमान)	

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रश्न के भाग (क) के दिए गए उत्तर से यह देखा जा सकता है कि हालांकि आयकर प्राप्तियों में राशि-वार वृद्धि हुई है, तो भी प्रतिशत अनुपातों के अनुसार गिरावट आई है। इस गिरावट का कारण कुछ अन्य करों में आयकर की दर से ऊंची दर पर वृद्धि होना हो सकता है।

फरीदाबाद की लाल बजरी की खानों के सम्बन्ध में दिल्ली और हरियाणा के बीच विवाद

3767. श्री मूलचन्द डागा : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और हरियाणा के बीच फरीदाबाद की लाल बजरी की खानों के संबंध में विवाद हल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) उपर्युक्त खानों में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई दुर्घटनाओं के कारण वर्ष-वार कितने मजदूरों की मृत्यु हुई;

(घ) यह विवाद कितने समय तक चला और प्रतिपूर्ति को उपर्युक्त मामलों का निपटारा कौन कर रहा था; और

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रतिपूर्ति की कुल कितनी राशि अदा की गई ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बलवन्त ताठे) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि सीमांकन का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है ।

(ग) 1982—3
1983—14
1984—1

(घ) और (ङ). विवाद लगभग 6 वर्षों से चल रहा बताया गया है । मुआवजे के निर्णय हेतु मामले कामगार मुआवजा आयुक्त के न्यायालय में विचाराधीन हैं । फिर भी, दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने 1981, 1982 तथा 1983 के दौरान 50,000/- रु० की अनुग्रह राशि का भुगतान किया है ।

~~परिधान निर्यात कोटा और पंचवर्षीय योजनाओं में परिधान उद्योग में कार्यरत जनबल~~

3768. श्री आलम्ब पाठक : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से पूर्व तथा उसके समाप्त होने पर, दूसरी से छटी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ और समाप्ति पर दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की परिधान निर्यात उद्योग के मामले में क्रमवार स्थिति क्या थी;

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से पूर्व और उसके समाप्त होने पर तथा दूसरी से छटी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ और समाप्ति पर बम्बई, कलकत्ता दिल्ली और मद्रास का परिधान निर्यात कोटा कितना था; और

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से पूर्व तथा उसकी समाप्ति पर तथा दूसरी से छटी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ और समाप्ति पर बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में परिधान उद्योग में कितना जनबल कार्यरत था ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) परिधानों के निर्यात के सम्बन्ध में जानकारी नगरवार नहीं रखी जाती है ।

(ख) निर्यात एककों अथवा निर्यातकों का स्थान सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत निर्यात हकदारी प्रदान करने के लिए कोई आधार नहीं है । निर्यात हकदारी नीति सम्पूर्ण देश पर लागू होती है ।

(ग) विभिन्न नगरों में परिधान उद्योग में लगी जनबल शक्ति के सम्बन्ध में जानकारी नहीं रखी जाती है ।

~~परिधान निर्यातकों को सहायता~~

3769. श्री आलम्ब पाठक : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 मार्च, 1985 के "इकनोमिक टाइम्स" में "ऐपक रि-एनस्टेट्स" सस्पेनडिड एक्सपोर्टस शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगे :—

(i) इन 28 परिधान निर्यातकों के निदेशकों/भागीदार/मालिकों के नाम सहित नाम और पता दर्शाने वाली सूची;

(ii) प्रत्येक निर्यातक द्वारा पृथक रूप से किये गए अपराध का स्वरूप; और

(iii) कार्यकारी समिति के उन सदस्यों क नाम क्या हैं जिन पर निलम्बन आदेशों को वापस लेने के निर्णय का आरोप लगाया गया है और क्या कार्यकारी समिति के सदस्य भी स्वयं निर्यातक हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या करने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) (i) तथा (ii) एक सूची सभा-पटल पर रखे गए अनुबन्ध (क) में दी गई है। जिसमें निदेशकों/भागीदारों/स्वामियों के नामों सहित नाम तथा पते एवं सम्बन्धित 28 परिधान निर्यातकों द्वारा किए गए कथित आरोप का स्वरूप दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1088/85]।**

(iii) बैठक में उपस्थित कार्यकारी समिति के गैर सरकारी सदस्यों के नाम अनुबन्ध (क) में दिए गए हैं। अनुबन्ध (ख) में दिए गए हैं। सभा पटल पर रखे गए अनुबन्ध (ख) में सभी सदस्य परिधान निर्यातक ही हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1088/85]।**

(ग) सरकार ने अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद को साख पत्रों की जांच करने के लिए निदेश दिया था। जिसके परिणामस्वरूप इन अनियमितताओं का पता चला था सरकार ने अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद से तत्काल पंजीकरण समाप्त करने की कार्यवाही को अन्तिम रूप देने के लिए कहा है।

बैंक सेवा आयोग की स्थापना

3770. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यद्यपि बैंक सेवा आयोग विधेयक को गत सत्र के दौरान पारित कर दिया गया था, फिर भी प्रस्तावित बैंक सेवा आयोग की स्थापना में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : बैंकिंग सेवा आयोग को चलाने के लिए आयोग का गठन करने के वास्ते तौर-तरीके बनाए जा रहे हैं जिनमें उपयुक्त दर्जे, अनुभव दृष्टिकोण आदि वाले व्यक्तियों का पता लगाना भी शामिल है।

त्रिपुरा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलना

3771. **श्री अजय बिस्वास** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी दो वर्षों के दौरान त्रिपुरा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : सातवीं योजना अवधि की शाखा लाइसेंसिंग नीति को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राज्यों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशि और ऋणराशि

3772. **श्री अजय बिश्वास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विभिन्न राज्यों में (राज्य-वार) कुल जमा और कुल ऋण की राशि क्या है; और

(ख) सरकार की वर्तमान ऋण नीति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जून, 1984 के अन्त की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा राशियों और अग्रिमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ऋण नीति का मूल उद्देश्य बराबर यही है कि उत्पादक प्रयोजनों के लिए, मुद्रास्फीति का दबाव पैदा किये बिना, ऋण सम्बन्धी सभी वास्तविक आवश्यकताएं पूरी की जाएं और इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए कि बैंकिंग प्रणाली के साधनों का उपयोग मोटे तौर पर सुनियोजित विकास के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप हो। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में जिन परिवर्तनों की घोषणा की गई है उनमें से कुछ ये हैं :—

(1) पहली अप्रैल, 1985 से ब्याज की अधिकतम दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत करना।

(2) निर्यात की कतिपय श्रेणियों के लिए ब्याज की दर को 14.5 प्रतिशत से घटाकर 14.0 प्रतिशत करना।

(3) 8 जून, 1985 और 6 जुलाई, 1985 से दो चरणों में सांविधिक तरलता अनुपात को 36 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 प्रतिशत करना।

(4) खाद्य ऋणों के शतप्रतिशत पुनर्वित्त की अधिकतम सीमा को 4600 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5800 करोड़ रुपये करना। यह वृद्धि तीन चरणों में की जानी। 2 अगस्त 1985 से 5000 करोड़ रुपये, 30 अगस्त, 1985 से 5400 करोड़ रुपये और 27 सितम्बर, 1985 से 5800 करोड़ रुपये।

(5) खाद्य ऋण पुनर्वित्त के सम्बन्ध में कतिपय पुनर्वित्त दरों में 1 अक्तूबर, 1985 से 10 प्रतिशत से 11.5 प्रतिशत तक वृद्धि और 8 अप्रैल, 1985 से आपात पुनर्वित्त के सम्बन्ध में 11 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक की वृद्धि।

(6) 8 अप्रैल, 1985 से सावधि जमा राशियों के लिए निर्धारित परिपक्वता अवधि की संख्या 9 से घटाकर 5 कर दी गयी। 8 प्रतिशत की अधिकतम निर्धारित दर के अन्दर-अन्दर, एक वर्ष से कम की परिपक्वता अवधियों के लिए अलग-अलग बैंक 15 दिन या अधिक की परिपक्वताओं के लिए ब्याज की दरें निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र हैं इसके अलावा एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष से कम की अवधि की जमा राशियों अन्तरिम ब्याज की दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत कर दी गयी।

चयनात्मक ऋण नियन्त्रण को युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए भी कुछ उपायों की घोषणा की गयी थी। ये उपाय हैं :—

(1) इन नियन्त्रणों के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के स्टाक के बदले प्रति ऋण कर्त्ता कुल अग्रिमों की छूट के लिए अधिकतम सीमा को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करना।

(2) रोलर आटा मिलों को गेहूं के बदले, चयनात्मक ऋण नियन्त्रणों के उपबन्धों से पूरी छूट दे दी गयी।

(3) ऐसे मामलों में, जिनमें ऋणों के स्तर की परिकल्पना की गयी हो, ऋणों के अनुमत स्तरों का निर्धारण करने के लिए आधार अवधि को हाल ही की निकट की अवधि के पास ले आया गया।

(4) अनाज, दालों, वनस्पति तेलों और वनस्पति, रूई और कपास, चीनी, गुड़ और खाण्डसारी के मामलों में निर्धारित अलग-अलग न्यूनतम मार्जिन को कम किया गया है। लेकिन न्यूनतम मार्जिन निर्धारण से दी गयी मौजूदा विशिष्ट छूटें बराबर जारी रहेंगी। लेकिन तिलहनों के मामलों में न्यूनतम मार्जिन के वर्तमान स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तथापि बैंकों से यह कहा गया है कि वे इन्वेन्टरी सम्बन्धी मापदण्डों पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा राशियों और अग्रिमों का राज्यवार ब्यौरा*

(जून 1984 के अन्त में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(राशि करोड़ रुपयों में) जमा	अग्रिम
राज्य		
1. आंध्र प्रदेश	35,14	26,67
2. असम	6,78	3,12
3. बिहार	27,63	10,93
4. गुजरात	43,29	21,79
5. हरियाणा	11,49	7,93
6. हिमाचल प्रदेश	3,86	1,71
7. जम्मू एवं कश्मीर	3,04	1,19
8. कर्नाटक	28,81	24,43
9. केरल	18,87	13,54
10. मध्य प्रदेश	21,89	13,01

*इसमें भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगी बैंकों तथा 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के आंकड़े शामिल हैं।

1	2	3
11. महाराष्ट्र	104,84	99,43
12. मणिपुर	23	14
13. मेघालय	94	23
14. नागालैंड	52	20
15. उड़ीसा	6,93	5,91
16. पंजाब	33,84	14,85
17. राजस्थान	14,22	10,17
18. सिक्किम	31	3
19. तमिलनाडु	35,31	34,17
20. त्रिपुरा	59	35
21. उत्तर प्रदेश	60,90	29,62
22. पश्चिमी बंगाल	60,58	34,72
संघ शासित क्षेत्र		
1. चण्डीगढ़	4,75	10,88
2. दिल्ली	56,15	33,97
3. गोवा, दमन एवं दीव	5,56	1,76
4. पाण्डेचेरी	87	51
5. अन्य सभी†	94	19
टिप्पणी :-आंकड़े अनन्तिम हैं। जोड़	58828	40145

†अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, अरूणाचलप्रदेश, दादरा एवं नागर हवेली, लक्ष्यद्वीप और मिजोरम सहित।

अगरतला में जीवन बीमा निगम कार्यालय का दर्जा बढ़ाना

3773. **श्री अजय बिस्वास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अगरतला स्थित जीवन बीमा निगम के वर्तमान कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर उसे डिवीजन में बनाने का है क्योंकि अगरतला एक राज्य की राजधानी है; और

(ख) जीवन बीमा निगम का कोई डिवीजन खोलने के मानदण्ड क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। नौ राज्यों की राजधानियों में जीवन बीमा निगम का कोई डिवीजनल कार्यालय नहीं है।

(ख) जीवन बीमा निगम का डिवीजनल कार्यालय खोलने के मानदण्ड निम्नलिखित हैं :

(i) किसी वित्तीय वर्ष में नए कारबार की मात्रा 20,000 पालिसियों से अधिक को पूरा करने की होनी चाहिए।

(ii) सेवित पालिसियों की संख्या दो लाख से अधिक होनी चाहिए।

(iii) प्रत्येक वर्ष कुल प्रीमियम आय 3 50 करोड़ रुपए से अधिक की होनी चाहिए।

जब्त किए गए सामान की सीमाशुल्क विभाग के गोदामों से बिक्री

3774. **श्री राम बहादुर सिंह**

श्री आर० एम० भोये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमाशुल्क विभाग के गोदामों में 21 मार्च, 1985 तक कुल कितनी मात्रा में जब्त किया गया माल पड़ा था और उसका ब्यौरा तथा मूल्य क्या है;

(ख) जब्त किया गया कुल कितना सामान वर्ष 1984-85 के दौरान विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से जनता को बेचा गया; और

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान सीमा शुल्क विभाग के गोदामों से कितने मूल्य का जब्तशुदा सामान बेचा गया और किस-किस श्रेणी के व्यक्तियों को सामान बेचा गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सीमा शुल्क विभाग के गोदामों में 31 जनवरी, 1985 की स्थिति के अनुसार मौजूद जब्तशुदा माल (जिसके सम्बन्ध में आंकड़े तत्काल उपलब्ध हैं) का कुल मूल्य नीचे दिया गया है, जिसमें मुख्य-मुख्य मदों का मूल्य भी दर्शाया गया है :—

(मूल्य : लाख रुपये में)

सोना	1038
चांदी	496
घड़ियां	567
संश्लिष्ट फैब्रिक	697
इलेक्ट्रोनिकीय सामान	393
हीरे और रत्न	582
मुद्रा	274
अन्य माल	2968
जोड़ ..	7015

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ख) और (ग). विभिन्न सहकारी समितियों को बेचे जाने वाले जब्तशुदा माल के कुल मूल्य के सम्बन्ध में आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लि०, सहकारी समितियों आदि सहित निपटान के अनुमोदित विभिन्न माध्यमों से वर्ष 1984 तथा वर्ष 1985 (31 जनवरी, 1985 तक, जिसके सम्बन्ध में आंकड़े तत्काल उपलब्ध हैं) के दौरान निपटाए गये जब्तशुदा माल का कुल मूल्य इस प्रकार है :—

(मूल्य : लाख रुपये में)

1984	1985 (31 जनवरी, 1985 तक)
5640	497

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

विद्युत क्षेत्र को कोयले की सप्लाई

3775. **श्री बी०बी० देसाई** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र को कोयले की सप्लाई की समस्याओं का अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) विद्युत क्षेत्र को कोयले की सप्लाई के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने के संबंध में किन उपायों का सुझाव दिया गया है;

(घ) विद्युत क्षेत्र को कोयले की सप्लाई में किस सीमा तक सुधार हुआ है; और

(ङ) विद्युत संयंत्रों ने अपनी क्षमता में किस हद तक वृद्धि की है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग). सरकार ने बिजली घरों को कोयला सप्लाई से संबंधित समस्याओं की जांच के लिए श्री मोहम्मद फजल की अध्यक्षता में जो समिति नियुक्त की थी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों में बिजली घरों को कोयला सप्लाई के विभिन्न पहलुओं से संबंधित बातें शामिल हैं और यह इस प्रकार हैं : निश्चित कोयलरियों से बिजली घरों को संयुजित करना, बिजली घरों को कोयले का परिवहन, कोल इंडिया लि० और राज्य बिजली बोर्डों के बीच समझोतों पर हस्ताक्षर, आदि। समिति की सिफारिशों की जांच कर ली गई है और सरकार ने उनमें से अधिकांश मंजूर कर ली हैं। कोयला कंपनियों, रेलवे और अन्य एजेंसियों से कहा गया है कि वे समिति की सिफारिशों पर समुचित कार्रवाई करें।

(घ) बिजली घरों को कोयले की सप्लाई 1984-85 में बढ़कर 62.21 मि०ट० + 2.15 मि०ट० मिडलिंग हो गई है जबकि 1983-84 में यह 56.11 मि०ट० + 2.00 मि०ट० मिडलिंग थी।

(ङ) वर्ष 1984-85 में बिजली का उत्पादन 15,66,51 मिलियन यूनिट रहा जबकि कार्यक्रम 1,54,00 मिलियन यूनिट का ही था। वर्ष 1984-85 के दौरान ताप बिजली उत्पादन की क्षमता में 2662 मेगावाट्स की वृद्धि की गई जिसमें गैस टरबाईनों से बिजली उत्पादन भी शामिल है।

व्यापार और भाड़ा संबंधी सामान्य करार के बारे में बातचीत के लिए भारत द्वारा व्यक्त विचार

3776. **श्री बी०बी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और लगभग अन्य सभी विकासशील देशों ने यह विचार व्यक्त किए हैं कि व्यापार और भाड़ा संबंधी सामान्य करार के बारे में बातचीत के एक नए दौर का कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि इसके कोई सार्थक परिणाम निकलने वाले नही हैं;

(ख) क्या भारत ने कहा है कि बातचीत के किसी भी नए दौर में विशेषकर विकासशील देशों के लिए साख और विश्वसनीयता की कमी होगी क्योंकि पूर्व स्वीकृत वायदों पर अमल नहीं किया गया है;

(ग) क्या भारत ने यह भी कहा है कि इस समय बातचीत के नए दौर से विकासशील देशों पर केवल नए उत्तरदायित्व आएंगे और पिछले वायदों को भुला दिया जाएगा ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में भारत ने क्या अन्य विचार व्यक्त किए हैं; और

(ङ) अन्य विकासशील देशों ने भारत द्वारा व्यक्त विचारों का किस सीमा तक समर्थन किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ङ). नवम्बर, 1985 में संवेदाकारी पत्रकारों के वार्षिक अधिवेशन में गाट के विकासशील सदस्य देशों की ओर से भारत द्वारा प्रस्तुत संयुक्त वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया कि जब तक नवम्बर,1982 में हुई गाट मंत्रीस्तरीय बैठक में पारित कार्य का कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जाएगा विशेषत: विकासशील देशों के लिए वार्ताओं के नए दौर जैसी पहल करने की कोई विश्वसनीयता तथा प्रासंगिकता नहीं होती । संयुक्त दस्तावेज के अन्तर्गत बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली के ढांचे के अन्तर्गत यथार्थ व्यापार उदारीकरण प्राप्ति के लिए विकासशील देशों की वचनबद्धता की ओर संकेत करते हुए उल्लेख किया गया कि विकासशील देश यह स्वीकार नहीं कर सके कि व्यापार उदारीकरण करने का दायित्व उन्हें दिया जाए । संयुक्त दस्तावेज के अन्तर्गत विकसित देशों से गाट से असंगत उपायों को समाप्त करने और नये उपाय लागू न करने, जिनसे विकासशील देशों के निर्यातों पर प्रतिबंध लगता है, और विकासशील देशों के व्यापार के विशेष हित के गाट कार्य के कार्यक्रम के अन्य पहलुओं के प्राथमिकता आधार पर कार्यान्वयन के लिए गंभीर प्रयास करने की सहमति देने के अपने आश्वासन को कार्यान्वित करने की अपेक्षा की गई । इसके अन्तर्गत उल्लेख किया गया कि यदि इन आश्वासनों को पूरा कर दिया गया तो विकासशील देश, जहां तक उनका संबंध है, गाट में विशिष्ट व्यापार वार्ताओं का प्रस्ताव देने में पहल करने पर विचार करने की स्थिति में होंगे जिसका आधारभूत उद्देश्य विकासशील देशों के निर्यातों के लिए विकसित देशों के बाजारों में पर्याप्त विस्तार करने का होगा । इस प्रकार की विशिष्ट व्यापार वार्ताओं को केवल माल के व्यापार तक ही सीमित रखना चाहिए ।

भारत अमरीकी व्यापार को बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता

3777. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी वाणिज्य सचिव का विचार भारत-अमरीकी व्यापार को बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता हेतु मई, 1985 के दौरान नई दिल्ली की यात्रा करने का है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा अमरीकी वाणिज्य सचिव के साथ किन-किन विषयों को उठाए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या वह सभी मामले जो लम्बित पड़े हैं और वह मामले जिनके संबंध में अमरीका द्वारा करारों को अभी तक पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया, अमरीकी सरकार के साथ उठाए जाएंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग). अमरीकी वाणिज्य सचिव का मई, 1985 के दौरान नई दिल्ली का दौरा करने और वाणिज्य मंत्री से विचार-विमर्श करने का कार्यक्रम है ।

बैठक की कार्यसूची को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । तथापि, आपसी हितों के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा ।

रबड़ के मूल्यों में गिरावट

3778. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम खपत के कारण रबड़ के मूल्यों में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादकों के हित की रक्षा के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) खपत में कमी के कारण तथा चरम उत्पादन मौसम के कारण सप्लाई में वृद्धि के कारण नवम्बर, 1984 से जनवरी, 1985 की अवधि के दौरान रबड़ की कीमत में गिरावट आई ।

(ख) सरकार रबड़ की सप्लाई तथा मांग की स्थिति और उसकी कीमत प्रवृत्ति पर निरन्तर निकट से निगरानी रखती है । आयातों की अनुमति न्यूनतम उसी सीमा तक होती है जो सप्लाई और मांग के बीच के अन्तराल को पूरा करने के लिए आवश्यक हों और इस प्रकार रबड़ के छोटे कास्तकारों सहित रबड़ उपजकर्त्ताओं के हितों की रक्षा की जाती है । लघु जोत क्षेत्र में रबड़ की खेती के संवर्धन के लिए भी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ।

कच्चे रेशम का उत्पादन और निर्यात

3779. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे रेशम के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान कितने रेशम का निर्यात किया गया; और

(घ) वर्ष 1984-85 के लिए रेशम का उत्पादन लक्ष्य क्या था ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ). जी हां, कच्चे रेशम का उत्पादन जोकि वर्ष 1981-82 में 5249 एम०टन था, 1982-83 और 1983-84 में बढ़कर क्रमश: 5748 एम० टन और 6423 एम० टन हो गया । 1984-85 वर्ष के लिए रेशम के उत्पादन का लक्ष्य 6754 एम० टन था ।

(ग) भारत से 1984-85 के दौरान (फरवरी, 1985 के अंत तक) रेशम की कुल निर्यात की गयी मात्रा 154.12 लाख वर्ग मीटर (अनन्तिम) है ।

बिजली में कटौती के कारण राउरकेला इस्पात संयंत्र के उत्पादन में उल्लेखनीय कमी

3780. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली में कटौती के कारण, राउरकेला इस्पात संयंत्र के उत्पादन में उल्लेखनीय कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिजली की कमी को पूरा करने और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। विशेष रूप से वर्ष के पहले तीन महीनों में उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली की कम सप्लाई किए जाने के कारण वर्ष 1984-85 के दौरान राउरकेला इस्पात कारखाने के उत्पादन पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम-स्वरूप वर्ष 1984-85 के दौरान राउरकेला इस्पात कारखाने में विक्रय इस्पात का उत्पादन 1,98,300 टन कम हुआ।

(ग) बिजली की कमी को दूर करने के लिए मई तथा जून, 1984 के दौरान मध्य-प्रदेश और उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती ग्रिडों से बिजली ली गई थी। जुलाई, 1984 से मानसून शुरू होने और आन्ध्र प्रदेश के ग्रिड द्वारा दी गयी बिजली के परिणामस्वरूप अगस्त 1984 से लेकर राउरकेला इस्पात कारखाने की बिजली की सप्लाई में धीरे-धीरे वृद्धि की गई थी। परन्तु 15 अप्रैल 1985 से आन्ध्र प्रदेश के ग्रिड से बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है क्योंकि अब यह ग्रिड इस कारखाने को बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है। इसी बीच वर्तमान ग्रीष्म काल के दौरान बिजली की संभावित कमी को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के ग्रिड द्वारा कुछ बिजली सप्लाई की गई है। दीर्घकालिक उपाय के रूप में राउरकेला में 120 मेगावाट क्षमता का एक गृहित विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। अन्त: मंत्रालय स्तर पर सतत समीक्षा के द्वारा यथा संभव बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

निर्यात नीति में परिवर्तन

[हिन्दी]

3781. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपनी निर्यात नीति में भी कुछ परिवर्तन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस्म का और उसके क्या उद्देश्य हैं ;

(ग) क्या सरकार को उसके परिणामस्वरूप पर्याप्त आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है ; और

(घ) यदि हां, तो कितना और यदि नहीं, तो उपरोक्त परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाली 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्यात लाइसेंसिंग नीति 12 अप्रैल, 1985 को ही घोषित की गई है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

रेशम कीट पालन विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता देना बन्द किया जाना

[अनुवाद]

3782. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने कर्नाटक में रेशम कीट पालन विकास परियोजना के लिए सहायता देनी बन्द कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इसका भारत से रेशम निर्यात की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस प्रकार विदेशी मुद्रा की आय में कमी होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा इस्पात उत्पादन के लिए पश्चिम जर्मन टैक्नोलोजी प्राप्त करना

3783. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड इस्पात उत्पादन के लिए पश्चिम जर्मन टैक्नोलोजी प्राप्त करने का प्रयास कर रही है जिससे बिजली और कोयले के उपयोग को समाप्त किया जा सकेगा जोकि इस समय इस्पात तैयार करने के वर्तमान तरीके में मुख्य संघटक माने जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या इसी तरीके को सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में भी प्रयोग किया जा सकता है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० मटवर सिंह) : (क) और (ख). जी, हां । टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि वे भारत में "ऊर्जा इस्टतमीकरण भट्टी" की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रौद्योगिकी अंतरित करने के करार के लिए पश्चिम जर्मनी के "कोर्फ" के साथ बातचीत चल रही है । इस प्रक्रिया में इस्पात बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से बिजली अथवा कोककर कोयले की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें विद्युत ताप भट्टी जैसे आधारभूत लक्षण हैं । इसमें ईंधन के रूप में भट्टी की दीवार की परिधि में लगाए गए बर्नरों की मार्फत आक्सीजन के इंजेक्शन के साथ-साथ संशोधित कोयले का इस्तेमाल किया जाता है । लेकिन इस प्रक्रिया को जमशेदपुर स्थित उनके सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने के लिए इस्तेमाल में लाने का इरादा नहीं है ।

(ग) जी, नहीं

मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरी लिमिटेड द्वारा उत्पाद शुल्क का अपवंचन

3784. **श्री राम अवत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "विक्स" के निर्माता "विक्स" को आयुर्वेदिक उत्पाद बता कर उत्पाद शुल्क की चोरी कर रहे हैं ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मैसर्स ग्लैक्सो लिमिटेड द्वारा 1984-85 के दौरान "विक्स" पर कितना उत्पाद शुल्क अदा किया गया ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं । "विक्स" उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद सं०

14ङ के अधीन उन पेटेंट अथवा स्वत्वाधिकार की औषधियों के रूप में उत्पादन शुल्क अदा किया जा रहा है, जिनमें एल्कोहल, अफीम, भारतीय हैम्प अथवा अन्य नारकोटिक औषध-द्रव्य अथवा अनन्य रूप से आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध अथवा होम्योपैथिक दवाइयों से भिन्न अन्य नार्कोटिक द्रव्य नहीं हों।

(ख) भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) "विक्स" उत्पाद मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान लिमिटेड, बम्बई द्वारा निर्मित किया जा रहा है। मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरी लिमिटेड, बम्बई, किसी "विक्स" उत्पाद का निर्माण नहीं करता है।

मैसर्स वजीर सुल्तान तम्बाकू कंपनी द्वारा उत्पाद शुल्क विनियमों का उल्लंघन

3785. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मैसर्स वजीर सुल्तान तम्बाकू कंपनी द्वारा बनाये जाने वाले सिगरेटों पर देय उत्पाद शुल्क के विनियमों के कथित उल्लंघन के संबंध में उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त कंपनी से देय राशि की कोई वसूली की गई है ; और

(घ) क्या मैसर्स वजीर सुल्तान कंपनी के प्रतिनिधियों ने हाल ही में उनके द्वारा देय उत्पाद शुल्क को माफ करने और उनके मामले को शीघ्र निपटाने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मै० वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के उपबंधों के उल्लंघन किए जाने संबंधी कोई भी सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (घ). उत्तर के भाग (क) को देखते हुए इनके प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

इलायची की भूसी का निर्यात

3786. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय इलायची की भूसी का निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) क्या इससे स्वयं इलायची पर कु-प्रभाव नहीं पड़ता ;

(ग) क्या इलायची की भूसी का निर्यात रोकने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ). निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में संशोधन करके दिनांक 13 फरवरी, 1985 की राजपत्र अधिसूचना सं० ई० (सी०) ओ०, 1977/ए० एम० (297) के द्वारा इलायची निस्सारण/भुक्तशेष बीजों/भूसी पर पहले ही रोक लगा दी गई है।

मसाला बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव

3788. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड का गठन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). एक मसाला बोर्ड बनाने का विनिश्चय किया गया है जोकि इलायची, कालीमिर्च और अन्य मसालों के निर्यात के एकीकृत विकास के लिए उत्तरदायी होगा। बोर्ड उन कार्यों के लिए भी उत्तरदायी होगा जो इस समय इलायची के लिए इलायची बोर्ड और जो मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा किए जा रहे हैं। यह अलग-अलग तथा मिश्रित मसालों के मूल्य वर्धन तथा उपभोक्ता विपणन को भी बढ़ाएगा।

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

3790. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी राशि के ऋण दिए गए ;

(ख) अन्य राज्यों में दिए गए ऋणों की तुलना में इस राज्य में कितने प्रतिशत ऋण प्रदान किए गए ; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए वर्ष-वार ऋण की कुल कितनी राशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों के राज्य वार ब्यौरे के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक समूह के अनुसार प्रकाशित किए जाते हैं। तदनुसार वर्ष 1981, 1982 और 1983 के लिए बिहार से संबंधित सूचना नीचे दी गई है :—

बिहार राज्य में बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों का बैंक समूह-वार ब्यौरा

(राशि लाख रुपए)

	दिसम्बर, 1981	दिसम्बर, 1982	दिसम्बर, 1983
1. भारतीय स्टेट बैंक समूह	32,002	42,278	48,975
2. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक	38,392	45,706	52,928
3. 6 राष्ट्रीयकृत बैंक	1,015	1,135	1,367
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4,299	6,807	9,477
5. अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	408	447	574
6. सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	76,116	96,374	1,13,321

आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) वर्ष 1981, 1982 और 1983 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए अग्रिमों का राज्य-वार ब्यौरा और कुल अग्रिमों में उनकी प्रतिशत हिस्सा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) वर्ष 1981, 1982 और 1983 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने बिहार राज्य में कृषि के लिए क्रमशः 226.8 करोड़ रुपए 258.5 करोड़ रुपए और 290.9 करोड़ रुपए के अग्रिम दिए थे ।

विवरण

(करोड़ रुपए)

राज्य/क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	दिसम्बर, 1981		दिसम्बर, 1982		दिसम्बर, 1983	
	अग्रिम	कुल अग्रिम की प्रतिशतता	अग्रिम	कुल अग्रिम की प्रतिशतता	अग्रिम	कुल अग्रिम की प्रतिशतता
1	2		3		4	
I. उत्तरी क्षेत्र	**6,906**	**22.9**	**7,950**	**22.3**	**8,496**	**20.6**
हरियाणा	611	2.0	702	2.0	815	2.0
हिमाचल प्रदेश	111	0.4	138	0.4	162	0.4
जम्मू व कश्मीर	180	0.6	228	0.6	260	0.6
पंजाब	1,122	3.7	1,251	3.5	1,477	3.6
राजस्थान	706	2.3	864	2.4	1,053	2.6
चंडीगढ़	644	2.1	666	1.9	726	1.8
दिल्ली	3,532	11.7	4,101	11.5	4,002	9.7
II. पूर्वोत्तर क्षेत्र	**253**	**0.8**	**329**	**0.9**	**400**	**0.9**
असम	192	0.6	243	0.7	292	0.7
मेघालय	12	0.02	16	0.04	20	0.05
मणिपुर	7	0.02	9	0.03	12	0.03
नागालैंड	8	0.03	15	0.04	19	0.05
त्रिपुरा	29	0.01	38	0.01	46	0.1
अरूणाचल प्रदेश	2	0.01	3	0.01	5	0.01
मिजोरम	2	0.01	3	0.01	4	0.01
सिक्किम	1	—	2	0.01	3	0.01
III. पूर्वी क्षेत्र	**4,040**	**13.4**	**4,937**	**13.8**	**5,602**	**13.6**
बिहार	761	2.5	964	2.7	1,133	2.7
उड़ीसा	357	1.2	486	1.4	604	1.5
पश्चिम बंगाल	2,919	9.7	3,484	9.8	3,861	9.4
अ०व०नि० द्वीप समूह	3	0.01	3	0.01	4	0.01
IV. मध्य क्षेत्र	**2,903**	**9.6**	**3,448**	**9.7**	**4,148**	**10.1**
मध्य प्रदेश	866	2.9	986	2.8	1,234	3.0
उत्तर प्रदेश	2,037	6.7	2,462	6.9	2,914	7.1

1	2		3		4	
V. पश्चिमी क्षेत्र	8,466	28.1	10,207	28.6	12,407	30.0
गुजरात	1,754	5.8	1,915	5.4	2,139	5.2
महाराष्ट्र	6,544	21.7	8,115	22.7	10,082	24.4
गोवा, दमन व दीव	2	0.01	175	0.05	182	0.4
दादर व नगर हवेली	166	0.6	2	0.01	3	0.01
VI. दक्षिणी क्षेत्र	7,587	25.2	8,808	24.7	10,240	24.8
आंध्र प्रदेश	1,728	5.7	2,046	5.7	2,479	6.0
कर्नाटक	1,772	5.9	2,125	6.0	2,505	6.1
केरल	1,220	4.1	1,375	3.9	1,616	3.9
तमिलनाडु	2,826	9.4	3,215	9.0	3,590	8.7
पांडिचेरी	41	0.1	47	0.1	50	0.1
लक्षद्वीप	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
सकल जोड़	30,155	100.0	35,679	100.0	41,292	100.0

टिप्पणी :—सम्भव है कि पूर्णांक की वजह से जोड़ सही न बैठे ।

व्यापार घाटा

3791. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 को देश का कुल व्यापार-घाटा क्या था ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस भारी व्यापार घाटे का मुकाबला करने के लिये सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) . 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में व्यापार घाटे के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । 1984-85 के पहले 10 महीनों के उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर, अप्रैल, 1984–जनवरी 1985 के दौरान व्यापार घाटा 3863.87 करोड़ रु० था जबकि पिछले वर्ष के उन्हीं 10 महीनों में व्यापार घाटा 4294.76 करोड़ रु० रहा ।

(ग) सरकार द्वारा निर्यातों में वृद्धि करने और चुनिन्दा क्षेत्रों में आयात प्रतिस्थापन की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं । अप्रैल, 1985 से मार्च, 1988 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए हाल में घोषित की गई आयात तथा निर्यात नीति मुख्यरूप से निर्यातों को बढ़ावा देने तथा प्रभावी आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देने के लिए तैयार की गई है । यह नई आयात-निर्यात नीति 12-4-1985 को सभा पटल पर रखी जा चुकी है ।

पाकिस्तान को चाय की तस्करी

3792. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**
श्री अजीत कुमार साहा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत और पाकिस्तान के बीच चाय के मूल्यों में भारी अंतर के कारण पाकिस्तान को चाय की तस्करी के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस तस्करी को तुरन्त रोकने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या कथित तस्करी के कार्यों में लगे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, ग्रुप अथवा ग्रुपों का पता लगाया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) . सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से इस बात का संकेत नहीं मिलता है कि भारत से पाकिस्तान को चाय का बड़े पैमाने पर तस्कर-निर्यात हो रहा है ।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित सीमाशुल्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय तस्करी को रोकने के लिए सामान्यतया सतर्क बने रहते हैं । इस क्षेत्र में सीमाशुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तंत्र को कर्मचारी और उपकरण उपलब्ध करा कर सुदृढ़ बना दिया गया है । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ निकट ताल-मेल बैठाकर तस्करी-रोधी उचित उपाय किये जा रहे हैं । समुचित कार्यवाही के लिये इस मामले की सतत् समीक्षा भी की जाती है ।

(घ) से (च) . उपर्युक्त को देखते हुए इनका प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय स्टेट बैंक के दिल्ली मंडल में सफाई वालों (स्वीपर्स) की सेवाओं को नियमित किया जाना

3793. **श्री केशवराव धारधी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक के दिल्ली मंडल में अंशकालिक (पार्ट टाइम) आधार पर कुल कितने सफाई वाले (स्वीपर्स) कार्य करते हैं ;

(ख) ये सफाई वाले (स्वीपर्स) (पार्ट टाइम) अंशकालिक आधार पर कब से कार्य कर रहे हैं ;

(ग) इन (पार्ट टाइम स्वीपर्स) सफाई वालों को नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उन्हें कब तक नियमित करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त 31.12.1984 तक की सूचना के अनुसार बैंक क दिल्ली मण्डल की विभिन्न शाखाओं में लगभग 375 सफाई कर्मचारी अंशकालिक आधार पर कार्य कर रहे थे ।

(ख) बैंक की विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में सफाई कर्मचारियों को इस लिए अंशकालिक आधार पर रखा जाता है, क्योंकि इन सभी कार्यालयों में इन के लिए पूरे दिन का काम नहीं होता। बताया गया है कि ये अंशकालिक सफाई कर्मचारी 1–7 वर्ष तक या अधिक समय से वर्तमान पद पर काम कर रहे हैं।

(ग) और (घ). अंशकालिक सफाई कर्मचारियों को नियमित रूप से पे रोल पर रखा जाता है और उन्हें किए गए काम के घन्टों के मुताबिक अंशकालिक वेतनमान के आधार पर वेतन दिया जाता है। काम के आकार/साफ किए जाने वाले/झाड़ू दिए जाने वाले क्षेत्र में बढ़ोतरी के अनुरूप अंशकालिक वेतनमान मजदूरी अगले ऊंचे अंशकालिक वेतनमान मजदूरी में बढ़ा दी जाती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से मत्स्य पालन के क्षेत्र को वित्त

3794. **श्री डी० पी० अदेजा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्त के संबंध में प्राथमिकता वाले क्षेत्र का दर्जा दिया है :

(ख) सरकार ने इस पर निगरानी रखने और राष्ट्रीकृत बैंकों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र की, जो कि पूरी तरह से निर्यात आधारित हैं, आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने का निदेश देने हेतु क्या कदम उठाए हैं ;

(ग) क्या वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक मछली पकड़ने वाली कंपनियों को आर्थिक संकट में मंजूर किये गये ऋणों की वापसी की तालिका को बदल सकते हैं और दंडात्मक ब्याज माफ कर सकते हैं ;

(घ) मछली पकड़ने के क्षेत्र के बीमार यूनिटों की सहायता के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिये गये निर्देशों, नीतिगत दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या जनवरी, 1985 से इस संबंध में कोई नई नीतियां प्रारम्भ की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). मत्स्य पालन विकास के सभी पहलुओं अर्थात् मछली पकड़ने से उनके निर्यात तक, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उपस्करों का वित्तपोषण करने, तालाबों का फिर से ठीक करने (ताजा जल में मछली पकड़ने) मछली प्रजनन आदि को कृषि से सम्बद्ध क्रियाकलाप माना गया है और इस प्रकार इसे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के बारे में बैंकों के कार्य निष्पादन की जिला स्तरीय परामर्शी सीमित/राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठकों में समीक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार बैंकों को समय समय पर इस संबंध में अनुदेश भी जारी करते रहते हैं।

(ग) और (घ). जी, हां। राहत कार्यों में ऋणों की वापसी का पुनर्निर्धारण भी शामिल होता है। अर्थक्षम रुग्ण औद्योगिक एककों के संबंध में बैंकों से गुणदोषों के आधार पर पुनरुद्धार कार्यक्रम कार्यान्वित करने की अपेक्षा की जाती है। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त कार्यचालन पूंजी/सावधि ऋण सहायता, ब्याज दर और मार्जिन की अपेक्षाओं में रियायत, अतिदेयों का निधीकरण आदि शामिल है।

(ङ) सरकार ने जनवरी, 1985 के बाद कोई नई नीति लागू नहीं की है।

आयातित मत्स्य पोतों के मालिकों की कठिनाइयां

3795. **श्री डी० पी० जडेजा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पादों का आयात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को आयातित मत्स्य पोतों के उन मालिकों की कठिनाइयों की जानकारी है, जिनके अपने निजी प्रोसेसिंग संयंत्र नहीं हैं ;

(ग) विद्यमान समुद्री उत्पाद प्रोसेसिंग संयंत्रों की विशाल क्षमता का उपयोग करते हुए आयातित मत्स्य पोत मालिकों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात की अनुमति देने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) आयातित मत्स्य पोत मालिकों की विद्यमान कठिनाइयों को दूर करने के लिये किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ताकि वे विद्यमान पंजीकृत निर्यातकों के माध्यम से अपनी पकड़ी गई मछलियों का निर्यात करके अपनी निर्यात वचनबद्धता को पूरा कर सकें ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) समुद्री उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं :—प्राउन खेती का संवर्धन, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास के लिए संयुक्त उद्यम तथा अन्य योजनाएं, विविधीकृत मछली पालन, फिशिंग गीयर तथा क्राफ्ट्स में सुधार, संसाधन संयंत्रों का आधुनिकीकरण और मूल्यवर्धित मदों के लिए प्रोत्साहन ।

(ख) से (घ) आयातित फिशिंग ट्रालर मालिकों के सामने, उनके निर्यात दायित्वों को पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने फिशिंग ट्राउलरों के मालिकों द्वारा, जिन्होंने इन ट्राउलरों के आयात के समय निर्यात वचनबद्धताएं की थीं, निर्यात वचनबद्धताओं को पूरा करने के उद्देश्य के लिए, समुद्री उत्पादों के संसाधनों को की गई सप्लाइयों को निर्यातों के रूप में मानने का विनिश्चय किया है । लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक हिदायतें जारी कर दी गई हैं ।

ऐसे ट्राउलर मालिकों को निर्यात उद्देश्यों के लिए अपने द्वारा पकड़ी मछलियों के संसाधन के लिए विद्यमान संयंत्रों का प्रयोग करने की अनुमति है ।

मद्रास हवाई अड्डे पर विदेशी मुद्रा जब्त किया जाना

3796. **श्री डी० पी० जडेजा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983 और 1984 में मद्रास हवाई अड्डे पर भारतीय पार-पत्र रखने वाले अनेक विमान यात्रियों को विदेशी मुद्रा सहित गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्रमशः वर्ष 1983 और 1984 में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा मद्रास हवाई अड्डे पर ऐसे कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; और

(ग) वर्ष 1983 और 1984 में इस संबंध में उनसे कुल कितनी धनराशि जब्त की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) . वर्ष 1983-84 के दौरान मद्रास हवाई अड्डे पर पकड़े गये भारतीय पासपोर्ट धारक हवाई-यात्रियों की संख्या

और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उनके पास से पकड़ी गई विदेशी मुद्रा का मूल्य दर्शाने वाले ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	पकड़े गये हवाई यात्रियों की संख्या	पकड़ी गई विदेशी मुद्रा का मूल्य (लाख रुपयों में)
1983	65	9.66
1984	81	16.76

पिथौरागढ़ और देहरादून जिलों (उत्तर प्रदेश) में अवैध खनन की रोकथाम के उपाय

[हिन्दी]

3797. **श्री हरीश रावत** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ और देहरादून जिलों में कुछ खान मालिकों द्वारा खनन संबंधी कानूनों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जाना लगातार जारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अवैध खनन की रोकथाम के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) पिथौरागढ़ और देहरादून जिलों में खनन कानूनों के उल्लंघन का पता चला है ।

(ख) जहां कहीं खनन कानूनों के उल्लंघन का पता चला है, राज्य सरकार ने पट्टों की समय-पूर्व समाप्ति तथा उनके नवीकरण न करने की कार्रवाई की है । पट्टाधारियों ने न्यायालय की शरण ली है तथा स्थगन आदेश ले लिए हैं । संबंधित प्राधिकारियों द्वारा खनन कानूनों के अन्तर्गत निरीक्षण किए जा रहे हैं ।

नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को लाइसेंस जारी करना

3798. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह जानकारी है कि अनेक राष्ट्रीयकृत बैंक नई शाखायें खोलने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् भी वास्तव में नई शाखाएं नहीं खोलते हैं ;

(ख) यदि हां, तो नई शाखायें खोलने के संबंध में बैंकों की इस उदासीन प्रवृत्ति के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु जारी किये गये लाइसेंसों, जो विभिन्न राष्ट्रीयकृत तथा मान्यता प्राप्त बैंकों के पास लम्बित हैं, की राज्य-वार संख्या कितनी है और ये कब से लम्बित हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें 28 फरवरी, 1985 की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों के पास शाखाएं

खोलने के लिए लम्बित पड़े लाइसेंसों प्राधिकार पत्रों की संख्या का राज्य-वार और जनसंख्या समूह-वार ब्यौरा दिया गया है। बैंकों के पास इतनी बड़ी संख्या में लम्बित पड़े लाइसेंसों/प्राधिकार पत्रों का कारण यह है कि अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि के शाखा विस्तार कार्यक्रम के अधीन बड़ी संख्या में प्राधिकार पत्र इस नीति अवधि के अन्त में जारी किए गए थे। इसके अलावा, पता लगाए गए कई केन्द्रों में आधारभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। इस की वजह से वैकल्पिक केन्द्रों का निर्धारण व आवंटन करना पड़ा। आवंटित केन्द्रों पर तेजी से शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में कृतिक बल गठित कर दिए गए हैं जिनमें राज्य सरकारों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि होते हैं।

विवरण

28 फरवरी, 1985 की स्थिति के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों के पास लम्बित पड़े लाइसेंसों/प्राधिकार पत्रों का राज्य-वार और जनसंख्या समूह-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण/अर्ध शहरी	शहरी/महानगर पत्तन नगर	कुल
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	379	37	416
असम	387	2	389
बिहार	740	6	746
गुजरात	262	38	300
हरियाणा	70	10	80
हिमाचल प्रदेश	63	1	64
जम्मू और कश्मीर	68	2	70
कर्नाटक	236	55	291
केरल	116	22	138
मध्य प्रदेश	558	27	585
महाराष्ट्र	449	154	603
मणिपुर	34	1	35
मेघालय	27	1	28
नागालैंड	15	—	15
उड़ीसा	229	12	241
पंजाब	151	15	166
राजस्थान	493	8	501
सिक्किम	—	—	—
तमिलनाडु	132	38	170
त्रिपुरा	28	—	28
उत्तर प्रदेश	1,434	45	1,479
पश्चिम बंगाल	866	119	985

1	2	3	4
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	1	2
अरुणाचल प्रदेश	29	—	29
चण्डीगढ़	2	3	5
दादरा व नगर हवेली	—	--	—
दिल्ली	1	61	62
गोवा, दमन व दीव	3	—	3
लक्षद्वीप	—	—	—
मिजोरम	31	—	31
पांडिचेरी	1	1	2
कुल	6,805	659	7,464

28 फरवरी, 1985 तक किए गए आवंटनों और इस कार्यालय को जनवरी, 1985 के अंत तक खोली गई शाखाओं की सूचना पर आधारित ।

उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत संयंत्रों को अच्छे किस्म के कोयले की पूर्ति

3799. **श्री हरीश रावत :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों को अच्छी किस्म का कोयला समय पर नहीं मिल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों को समय पर अच्छे किस्म के कोयले की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने, कम कैलोरी मूल्य का कोयला प्राप्त होने और कोयले में फालतू पदार्थों के होने तथा साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कुछ बिजली घरों को कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के संबंध में भी शिकायत की थी ।

(ख) कोयले को ठीक आकार देने और फालतू सामग्री का निकालना सुनिश्चित करने के लिए कालियरियों में कोयला रख-रखाव संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इस बीच में कोयला कम्पनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि आदमी लगाकर बड़े आकार के कोयले को तोड़ा जाए और फालतू सामग्री को अलग कर दिया जाए। सभी स्तरों पर कड़ी निगरानी के कारण किस्म में काफी सुधार हुआ है ।

जहां तक मात्रा का प्रश्न है, रेलवे से अनुरोध किया गया है कि वे उन बिजली घरों को प्राथमिकता के आधार पर कोयला पहुंचाएं जहां स्टाक कम है । कोयले का पर्याप्त स्टाक जमा करने के उद्देश्य से कोयले के स्टाकों की स्थिति की विभिन्न स्तरों पर लगातार पुनरीक्षा की जाती है ।

अलमोड़ा जिले में चिलियानौला में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलना

3800. **श्री हरीश रावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा जिले में चिलियानौला में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह शाखा कब तक खोले जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) . भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चिलियानौला, जिला-अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में शाखा खोलने के बारे में उसे हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक, सातवीं योजना अवधि की शाखा लाईसेंसिंग नीति के अन्तर्गत जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है, इस प्रस्ताव पर विचार करेगा ।

त्रिपाठी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेने हेतु किए गए प्रयास

[अनुवाद]

3801. **श्री एस० एम० गुरडडी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री कर के स्थान पर पांच पदार्थों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने के संबंध में त्रिपाठी समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेने हेतु मुख्य मंत्रियों से विचार विमर्श करने के लिए अग्रेतर प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) : 2-11-1983 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह पारित किया गया था कि त्रिपाठी समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकारों के बीच मतैक्य प्राप्त करने के प्रयास जारी रखे जाने चाहिएं । चूंकि बिक्री कर मुख्यत: राज्य कराधान का विषय है, इसलिए बिक्री कर प्रणाली में कोई भी सुधार राज्यों के साथ परामर्श तथा उनके सहयोग से ही किया जा सकता है । अब तक किए गए प्रयासों से मतैक्य प्राप्त नहीं हुआ है ।

केरल के नीलाम्बुर क्षेत्र में सोने के भंडार

3802. **श्री जी० जी० स्वैल :** क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में केरल के नीलाम्बुर क्षेत्र में सोने के भारी भंडार मिले हैं;

(ख) देश के अन्य कौन-कौन से क्षेत्रों में सोना पाया गया है; और

(ग) क्या नीलम्बुर में पाए गए निक्षेप वाणिज्यिक दृष्टि से लाभकारी है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) . (क) जी, नहीं । वर्ष 1964-65 में भी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने केरल के नीलाम्बुर क्षेत्र में लगभग 8.00 मिलियन घनमीटर स्वर्णमय कंकड़ भंडारों की पुष्टि की थी, जिसमें करीब 1972 कि०ग्रा० सोना है । राज्य सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से नीलाम्बुर घाटी में 30 मिलियन घनमीटर स्वर्णमय कंकड़ के

भंडारों का संकेत मिला है, जिसमें प्रति घनमीटर पर औसतन 0.1 ग्राम सोना है। सोने की मात्रा 300 कि० ग्रा० आंकी गई है। नीलाम्बुर के निकट प्राथमिक सोना होने की भी सूचना है, जहां औसतन 4 ग्राम प्रतिटन स्वर्ण वाले लगभग 0.3 मिलियन टन अयस्क भंडार होने का अनुमान है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में जिला चित्तूर के चिगारगुंटा और मालापाकोंडा में, जिला अनन्तपुर के कोटापल्ली ब्लाक में और कर्नाटक के हट्टी तथा यडण गोल्ड फील्ड के विस्तार में स्वर्ण होने का पता चला है। बिहार के सोनापेट क्षेत्र; उड़ीसा के सलाईकोना, कलीमा, तथा तालकोई क्षेत्र; मध्य प्रदेश के रायगढ़ के भू-भाग; तमिलनाडु के धर्मपुर; उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सिवालिक पट्टी के भू-भागों में भी स्वर्ण खनिजीकरण के लिए खोज शुरू की गई है।

(ग) केरल सरकार द्वारा स्वर्ण की कछारी खनन संभावना की पुष्टि के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की मदद से परीक्षण स्तर पर खनन हेतु कदाचित एक चल संयंत्र का डिजाइन विकसित कर लिया गया है। इन निक्षेपों का वाणिज्यिक विदोहन उनकी प्रौद्यो-आर्थिक साध्यता पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से धोखाधड़ी के मामलों में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

[हिन्दी]

3803. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों में शामिल श्रेणीवार कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(ख) अब तक उनमें से कितने मामले निपटाए गए हैं; और

(ग) कितने मामलों के संबंध में अभी तक कार्यवाही चल रही है और कब से ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है उपलब्ध सूचना के अनुसार धोखाधड़ी के मामलों में अन्तर्ग्रस्तता के कारण दंडित अधिकारियों की संख्या वर्ष 1982 में 528, वर्ष 1983 में 609 और वर्ष 1984 (30.6.84 तक) में 338 थी। इस में अदालतों द्वारा दोषी सिद्ध किए गए अधिकारी भी शामिल हैं। दिनांक 30 जून, 1984 को उन कर्मचारियों की संख्या 473 थी जिनके विरुद्ध अदालतों में कार्रवाई विचाराधीन थी और उक्त तारीख को उन कर्मचारियों की संख्या 1283 थी जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई लम्बित थी।

आदिवासी क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलना

[अनुवाद]

3804. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बैंकों की शाखाएं खोली गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो किन बैंकों ने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अपनी शाखाएं नहीं खोली हैं;

(घ) क्या लक्ष्य प्राप्त न करने पर संबंधित बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो जिन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है उनका बैंक वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) . अप्रैल, 1982 से मार्च 1985 तक की अवधि के लिए शाखा लाईसेंसिंग नीति में बैंक शाखाओं के उचित स्थानिक वितरण को सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के सुधार पर अधिक जोर दिया गया । इसका उद्देश्य मार्च 1985 के अन्त तक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 17 हजार की जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय सुलभ कराना था । पर्वतीय क्षेत्रों, कम आबादी वाले क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है और बैंककारी सुविधाओं की उपलब्धता के मौजूदा अन्तर, पता लगाए गए समूहों की बैंककारी जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि आदि को मद्दे नजर रखते हुए ऐसे इलाकों में शाखाएं खोलने के मामले में अपेक्षाकृत उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है ।

सितम्बर, 1984 के अन्त में देश में शाखाएं खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पास लम्बित पड़े लाइसेंसों/प्राधिकार पत्रों की संख्या के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :—

बैंक समूह	लम्बित लाईसेंसों/ प्राधिकार पत्रों की संख्या	जिसमें से ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्रों के लिए लाईसेंसों/ प्राधिकार पत्रों की संख्या
भारतीय स्टेट बैंक	611	502
भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक	148	86
20 राष्ट्रीयकृत बैंक	1418	1021
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3652	3650
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	163	101
जोड़	5992	5360

अलाट किए गए केन्द्रों में जल्दी से शाखाएं खोलने के विचार से भारतीय रिजर्व बैंक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में कृतिक बलों का गठन किया गया है जिसमें राज्य सरकारों, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में रिक्तियां

[हिन्दी]

3805. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में अलग-अलग श्रेणियों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यह पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) . तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार 1.1.85 को बकाया रिक्त पदों की स्थिति इस प्रकार थी :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
अधिकारी	1659	1744
क्लर्क	3857	4808
अधीनस्थ कर्मचारी	1544	1497
जोड़	7060	8049

(ग) : बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से बैंकों और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों ने जो विभिन्न उपाय किए हैं, उनमें ये शामिल हैं :—

1. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए भर्ती पूर्व/पदोन्नति पाठ्यक्रम आयोजित करना;
2. भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को सेवा संबंधी मापदण्डों में विशेष छूट देना;
3. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के इंटरव्यू तब अलग से किए जाते हैं जब बोर्ड इंटरव्यू पैनल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्य को सहयोजित कर लेते हैं;
4. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती और पदोन्नति के लिए अलग से परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं;
5. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नियुक्त करना और उच्च प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना आरक्षित रिक्त स्थानों पर आम उम्मीदवारों की नियुक्ति न करना ।

ऐसे किए गए विशेष उपायों के परिणामस्वरूप बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या में काफी सुधार हुआ है ।

उड़ीसा में जीवन बीमा निगम के नये डिवीजन की स्थापना

[अनुवाद]

3806. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के डिवीजनल मुख्यालय किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) किन-किन राज्यों में इस समय केवल एक डिवीजन कार्य कर रहा है;

(ग) क्या देश में विशेषकर उड़ीसा जैसे राज्यों में जहां पर एक ही डिवीजन है, नए डिवीजन स्थापित करने का कोई विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जीवन बीमा निगम के डिवीजनल मुख्यालय निम्नलिखित 43 शहरों में स्थित हैं :—

दिल्ली, जालंधर, चंडीगढ़, अजमेर, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, वाराणसी, इन्दौर, जबलपुर, रायपुर, कलकत्ता, जलपाईगुड़ी, आसनसोल, गौहाटी, सिलचर, पटना, मुज्जफरपुर, जमशेदपुर, कटक, बंगलौर, उडुपि, धारवाड़, हैदराबाद, कुडप्पा, विशाखापत्तनम्, मसूलीपट्नम, मद्रास, तंजावूर, मदुरई, कोयमबत्तूर, कौजिकोड, त्रिवेन्द्रम, राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, बंबई, सतारा, पुणे, नासिक तथा नागपुर ।

(ख) उड़ीसा और पंजाब राज्य में एक-एक डिवीजनल कार्यालय है ।

(ग) से (ङ) : देश में नए डिवीजनल कार्यालय खोलने का प्रश्न जीवन बीमा निगम द्वारा प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर तय किया जाता है ।

गंधमर्दन पहाड़ियों में बाक्साईट अयस्क के खनन के कारण पर्यावरणीय खतरा

3807. **श्रीमती अयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थानीय लोगों में गंधमर्दन पहाड़ियों में, जहां पर एक बारहमासी नाले के किनारे एक प्रसिद्ध मन्दिर स्थित है, बाक्साईट अयस्क खनन के कारण पर्यावरणीय भय व्याप्त है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए पर्यावरणीय संरक्षण हेतु कोई वृहत योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने और पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यावरणीय संरक्षण समिति के गठन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लि०, राज्य सरकार और स्थानीय लोगों के प्रतिनिधि शामिल हों ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . भारत सरकार का पर्यावरण विभाग पर्यावरण संबंधी अनुमोदन देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है और उस विभाग के दिशा-निर्देश पर बाल्को ने एक विस्तृत पर्यावरण प्रबन्ध योजना बनाई है। पर्यावरण विभाग इस योजना की जांच कर रहा है । इस योजना में खनन कार्यों के प्रभावों के अलावा निक्षेपों की भूवैज्ञानिक और भू-बनावट विशेषताओं, वनस्पतियों व जीवजन्तुओं, जलवायु, जल प्रवाह की स्थिति, रिहाइश आदि सहित खनन-पूर्व पर्यावरण की स्थिति का अध्ययन भी शामिल है । इस योजना में पर्यावरण सुरक्षा उपायों के अन्तर्गत वर्तमान नदियों और जल स्त्रोतों के प्रदूषण की रोकथाम, वायु-प्रदूषण और विस्फोट अन्य खतरों की

रोकथाम तथा पर्यावरण की देख-रेख हेतु समुचित श्रमशक्ति और प्रबंध से युक्त पुनरुद्धार की स्कीम का समावेश है ।

(घ) चूंकि जमीन (वन और वन्येतर जमीन) दिए जाने संबंधी सभी प्रस्तावों पर सर्वप्रथम राज्य सरकार द्वारा विचार और निपटान किया जाता है, और उसके बाद उनकी भारत सरकार के वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जांच की जाती है, इसलिए स्थानीय पर्यावरण संरक्षण समिति बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों में उड़ीसा के प्रतिनिधित्व

3808. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय, विभिन्न राज्यों और विशेषकर पिछड़े राज्यों को, बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के बोर्डों पर गैर-सरकारी निदेशकों को नामित करने में उपयुक्त प्रतिनिधित्व देने की जायरूक नीति का पालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के किन-किन बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में उड़ीसा के गैर-सरकारी निदेशक हैं; और

(ग) उड़ीसा को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) . राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 और 1980 की धारा 3 के अंतर्गत चयन के निर्धारित मानदण्ड और प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । इसी प्रकार वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों में निदेशकों का नामांकन संबंधित अधिनियमों में निर्धारित उपबंधों के अनुसार किया जाता है । अलबत्ता, यह उल्लेखनीय है कि सरकारी बैंकों के अधिकतर गैर-सरकारी उन निदेशकों का कार्यकाल जिन्होंने तीन वर्ष की अपनी अवधि पूरी कर ली है, सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है । लेकिन भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बोर्डों में उड़ीसा के व्यक्ति अभी भी हैं।

तमिलनाडु में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करना

3809. **श्री एन० डेविस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के परामर्श से तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो शाखाओं की स्थिति मुख्यालयों और कार्य क्षेत्र आदि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) फिलहाल तमिलनाडु में पाण्ड्यन ग्राम्य बैंक नामक एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है । इस की स्थापना 9.3.1977 को की गई थी जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संचालन कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पाण्डयन ग्राम्य बैंक का मुख्यालय सन्तूर में है और रामनाथपुरम और तिरुनेल-वेली के दो जिले इसके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

राज्य वित्त संस्थानों द्वारा ऋण देने की योजना

3810. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार समाज के कमजोर वर्गों को जिनका जीवन यापन का कोई साधन नहीं है, राज्य वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण देने की योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) समाज के कमजोर वर्गों को 20–सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता देने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को दी जा रही केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). राज्यों की वित्तीय संस्थाएं संबंधित राज्य सरकार के समग्र मार्ग-निर्देशन और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करती हैं। जहां तक वाणिज्यिक बैंकों का संबंध है, उन से मार्च, 1985 के अन्त तक कुल बैंक ऋण का कम से कम 10 प्रतिशत कमजोर वर्गों को देने के लिए कहा गया था। इन वर्गों में यह आते हैं :—

(क) छोटे और सीमान्तिक किसान, भूमिहीन मजदूर, शिकमी किसान और बटाईदार किसान

(ख) शिल्पकार, ग्राम और कुटीर उद्योग

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारी

(घ) विभेदी ब्याज दर योजना के हिताधिकारी

(ङ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कमजोर वर्गों की आय बढ़ाने में सहायता पहुंचाना है। जनवरी, 1985 के अंत तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 2838.74 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए और 1509.38 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई।

नए 20–सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण गरीबों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और इस प्रयोजन के वास्ते आवश्यक आधारभूत तथा अन्य सुविधाएं जुटाए जाने पर अधिक बल दिया गया है। बैंकों को अपनी ऋण नीति में परिवर्तन कर के इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है।

थर्मल ग्रेड कोयले का उत्पादन

3812. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थर्मल ग्रेड कोयला किन-किन राज्यों में पाया जाता है;

(ख) उड़ीसा में थर्मल ग्रेड कोयले के अनुमानत: कितने भंडार हैं; और

(ग) थर्मल ग्रेड कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे):(क) कोयला भंडारों को ताप कोयला भंडारों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता । वास्तव में तो कोयला भंडारों का विभिन्न प्रकार के भंडारों में वर्गीकरण भारतीय मानक क्रियाविधि के अनुसार विश्लेषण के आधार पर किया जाता है और श्रेणी-III और IV के कोयले का आमतौर पर ताप बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है । ताप बिजली बनाने के लिए उपयुक्त कोयला जिन कोयला क्षेत्रों में पाया जाता है वे इन राज्यों में हैं :

पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और खासी जयन्ती हिल्स ।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट (सितम्बर, 1984) के अनुसार उड़ीसा राज्य में कोयले के कुल भंडार लगभग 29,534 मिलियन टन होने का अनुमान है (इब घाटी : 11,145 मिलियन टन और तालचेर 18,389 मिलियन टन) । इन भंडारों में से लगभग 995 मिलियन टन प्रमाणित वर्ग के हैं और इनका ताप बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है ।

(ग) बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त कोयले के उत्पादन में वृद्धि का कार्यक्रम कोयले की कुल मांग पूरी करने के लिए कोयले के कुल उत्पादन में वृद्धि की योजना का एक अंग है । कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) वर्तमान खानों का पुनर्गठन ।

(2) नई खानें खोलना ।

(3) ओपेनकास्ट तकनालाजी का बड़े पैमाने पर प्रयोग शुरू करना ।

(4) भूमिगत खनन स्थलों का क्रमश: यंत्रीकरण ।

(5) भूमिगत खानों में लांगवाल फेस शुरू करना ।

चमड़े के जूतों के तकनीशियनों को प्रशिक्षण और चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं का निर्यात

3813. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़े के जूते बनाने वाले 20 तकनीशियनों को इटली में प्रशिक्षण के लिए चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो चमड़े के जूते बनाने वाले विशेषज्ञों को भारत तथा विदेशों में प्रशिक्षण देने के लिए अन्य क्या उपाय किए जाने हैं ;

(ग) चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं के निर्यात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चमड़े की वस्तुओं के निर्माण में लगे छोटे कारीगरों, लघु उद्योगों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन, ऋण सुविधाओं शेडों के आवंटन, प्रशिक्षण आदि का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) द्विपक्षीय सहायता के अधीन विदेशों तथा भारत में अनेक लघु उद्योग सेवा संस्थानों, उनके विस्तार केन्द्रों तथा केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण केन्द्रों के जरिए, प्रशिक्षण देना चमड़ा फुटवियर विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने के लिए अन्य अपेक्षित उपाय हैं ।

(ग) मूल्य वर्धित चमड़ा उत्पादों के निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों की आसानी से पहुंचने, प्रचार के अलावा, विदेशों में व्यापार मेलों में सहभागिता, बिक्री-सह-अध्ययन दल को प्रायोजित करना, बाजार सर्वेक्षण आदि चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों के निर्यात में सुधार के लिए किए जा रहे कुछ उपाय हैं ।

(घ) गत तीन वर्षों अर्थात् 1981-82 ,1982-83 और 1983-84 के दौरान चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के निर्यात लगभग-क्रमशः 415 करोड़ रु० , 400 करोड़ रु०, और 440 करोड़ रु० थे ।

(ङ) शू-अपर्स, चमड़ा फुटवियर, चमड़े के परिधान तथा चमड़े का माल अनन्यतः लघु क्षेत्र में विकास के लिए आरक्षित है और उद्योग को आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए भी चुना जाता है । लघु क्षेत्र तथा अत्यन्त छोटे क्षेत्र को उपलब्ध सभी प्रोत्साहन एवं सुविधाएं चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद उद्योग के लिए भी उपलब्ध है, इनमें शामिल हैं, रियायती वित्त, औद्योगिक शेड्स, किराया खरीद आधार पर मशीनरी की सप्लाई, तकनीकी सहायता और सरकारी अभिकरणों की मार्फत व्यवस्था की गई प्रशिक्षण सुविधाएं ।

मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक बैंको की नई शाखाएं

3814. **श्री भानु प्रताप शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में वाणिज्यिक बैंकों की कितनी नई शाखाएं खोलने का विचार था और कितनी नई शाखाएं खोली गई;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न स्थानों पर खोली जाने वाली सभी प्रस्तावित शाखाओं को उनके लाइसेंसों में निर्धारित समय में नहीं खोला जा सका ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन नई शाखाओं को खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (घ) अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 17,000 की जनसंख्या के पीछे मार्च, 1985 के अन्त तक एक बैंक कार्यालय खोलने का था । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश के ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 693 अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोले जाने थे । उपर्युक्त आवश्यकता के मुकाबले, वर्तमान नीति अवधि के दौरान, राज्य में बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को 1074 ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्र आवंटित किए गए । इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश, में बैंकों को 44 शहरी केन्द्र भी आवंटित किए गए । अप्रैल, 1982 से सितम्बर, 1984 तक की अवधि के दौरान, जिसके लिए सूचना उपलब्ध है बैंकों ने मध्य प्रदेश में

791 शाखाएं खोली हैं आवंटित किए गए बाकी केन्द्रों में शाखाएं तेजी से खोलने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में एक कृतिक बैंक का गठन किया है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

कताई मिलों की स्थापना के संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार का अभ्यावेदन

3815. **श्री वी० लोकनाथीश्वरा राव :** क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह अभ्यावेदन दिया है कि आन्ध्र प्रदेश को प्राथमिकता वर्ग क और ख में रखा गया क्योंकि यह विनिर्दिष्ट मापदण्डों को पूरा करता है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने दो कताई मिलें बुनकर क्षेत्र के अन्तर्गत चितौड़ जिले में सत्यवेरदू श्रीकाकुलम जिला में नरसन्नपेटा तथा दो मिलें उत्पादक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रकाशन जिला में पारूचूर में और कुरनूल जिले में नन्दयाल में स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो अभ्यावेदन पर क्या कार्रवाई की गई ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश में कुछ जिले/क्षेत्र प्रेस नोट सं० 4/1/81/बी०ए०डी० (खण्ड-III) दिनांक 27-4-1983 में की गई अधिसूचना के अनुसार श्रेणी "ख" पिछड़े क्षेत्रों में शामिल किए गए हैं। उसके बाद आन्ध्र प्रदेश सरकार से किसी क्षेत्र को श्रेणी "क", "ख", तथा "ग" पिछड़े क्षेत्रों में शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) तथा (ग) आंध्र प्रदेश सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें हथकरघा बुनकर सहकारी क्षेत्र में दो कताई मिलें एक चित्तूर जिले में तथा दूसरी श्रीकाकुलम जिले में स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। वित्तीय स्रोत पर दबाव के कारण छठी योजना के दौरान इन दो एककों को वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम उपजकर्त्ता क्षेत्र में दो एककों के लिए सहायता पहले ही मंजूर कर चुका है जिसमें से एक एकक केन्द्र द्वारा आयोजित योजना के अन्तर्गत प्रकाशन जिले के पारूचूर में होगा तथा दूसरा कृषि औद्योगिक परियोजना एन०सी०डी०सी०-III के अन्तर्गत कुरनूल जिले के नन्दयाल में होगा ।

बिहार को कोयले की सप्लाई

3816. **श्री ललितेश्वर शाही : क्या इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तरी बिहार के उद्योगों को कोयले की कमी के कारण नुकसान हो रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल द्वारा परिवहन न होने के कारण बिहार को अन्य स्थान की अपेक्षा महंगा कोयला मिल रहा है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए यदि कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है तो वह क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० के उत्पादन में वृद्धि के कारण, उत्तर-बिहार के उपभोक्ताओं की कुल जरूरतें पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं है। परन्तु रेल द्वारा प्रेषण में कठिनाई के कारण, उन उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत का पूरा कोयला रेल से नहीं मिल रहा है जिन उपभोक्ताओं की रेल प्रेषण में अग्रता पीछे आती है। इसलिए उपभोक्ताओं को निर्दिष्ट कोलियरियों से सड़क द्वारा अपना कोयला ले जाने की अनुमति दे दी गई है जितना कोयला रेल से ले जाने में कम रह जाता है। विभिन्न राज्यों में उपभोक्ता स्थलों पर कोल इंडिया लि० के स्टाकयार्डों से और एक्स-वैगन वितरण द्वारा भी कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है।

सरकार केवल खान-मुहाना कीमतें ही तय करती हैं। कोयले की उपभोक्ता कीमतें अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग होती है और इस अंतर का आधार केवल परिवहन की लागत और उसका साधन ही नहीं होता बल्कि रायल्टी और अन्य सांविधिक प्रभारों की अलग-अलग दरें भी होती हैं।

कोयला मूल्यों का संशोधन

3817. **श्री ललितेश्वर शाही** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972-73 से आज तक कोयले के मूल्यों में कितनी बार संशोधन किया गया है;

(ख) 1972-73 में कोयले का मूल्य क्या था और इस समय इसका क्या मूल्य है; और

(ग) वेतन और मूल्य वृद्धि के बीच क्या अनुपात है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से अब तक कोयले की कीमतों में छः बार संशोधन किया गया है।

(ख) राष्ट्रीयकरण के समय कोयले की औसत खान-मुहाना कीमत रु० 37.50 प्रति टन थी। इस समय कोल इंडिया लि० द्वारा उत्पादित कोयले की औसत खान-मुहाना कीमत रु० 183.00 प्रति टन और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा उत्पादित कोयले की औसत खान-मुहाना कीमत रु० 192.00 प्रति टन है।

(ग) वर्ष 1973-74 में चालू कीमत पर कामगारों की प्रति व्यक्ति प्रतिपाली औसत आमदनी रु० 16.49 और वर्ष 1983-84 में रु० 81.51 थी। वर्ष 1973-74 की तुलना में मजदूरी और कीमतें दोनों ही पांच गुना बढ़ी हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम के विभाजन के संबंध में भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी संघ द्वारा भेजा गया नोट

3819. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी संघ ने इस बात का उल्लेख करते हुए कि निगम के विभाजन का परिणाम भयानक होगा, उनके पास कोई नोट भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उनका विचार, नोट में दिए गए सुझाव के अनुसार, एक विकल्प के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्य की शाखाओं में बड़े पैमाने पर विकेन्द्रित करने के प्रश्न की जांच करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन किए जाने के कारण पड़ने वाले सम्भावित प्रभावों के विषय में सरकार को कई लोगों से काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनके विषय वस्तु को नोट कर लिया गया है।

(ग) नए कारबार को प्राप्त करने से लेकर परिपक्व दावों के निपटाने तक के जीवन बीमा निगम के सारे काम का विकेन्द्रीकरण करके उसे शाखाओं को सौंपे जाने से सम्बद्ध कार्य को बम्बई तथा कलकत्ता डिवीजनों को छोड़कर बाकी सारे डिवीजनों में कार्यान्वित कर दिया गया है।

सेवा-निर्यातों के लिये सुविधाएं

3820. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें आगामी वर्षों में सेवा-निर्यात में वृद्धि होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेवा-निर्यात पर भी वैसी ही सुविधाएं दी जायेंगी जो जिन्सों और निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) परामर्शी सेवाओं से विदेशी मुद्रा आय 1973-74 में लगभग 1 करोड़ रु० थी और बढ़कर 1983-84 के दौरान लगभग 62 करोड़ रु० हो गई है। भारतीय निर्यात संगठन परिषद (एफ०आई०ई०ओ०) ने 1989-90 तक परामर्शी सेवाओं के स्तर को बढ़ाकर लगभग 250 करोड़ रु० करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) तथा (ग) भारतीय परामर्शी संगठनों को निम्नलिखित प्रोत्साहन तथा सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

(1) वे परामर्शी सेवा निर्यातक, जिनकी सेवाओं के निर्यात के जरिये वार्षिक विदेशी मुद्रा आय 5 लाख रु० से कम नहीं है, व्यवसाय विकास, निविदा दस्तावेजों की खरीद, कमीशन की अदायगी, बोली बन्धपत्रों आदि के लिए विदेशी मुद्रा सुविधाओं के पात्र हैं।

(2) जोखिमों के संबंध में संरक्षक के उद्देश्य से निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम ने सेवा निर्यातों के विशिष्ट सौदों के संरक्षक के लिए नीतियां बनाई हैं।

(3) तकनीकी परामर्शी फर्मों, निर्माण अभिकरणों और डिजाइन इंजीनियरिंग फर्मों से डिजाइनों तथा ड्राइंग्स, कार्यालय उपस्कर, उपकरणों, औजारों तथा सहायक सामान और अन्य मदों के आयात के लिए तदर्थ आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकता है।

(4) बाजार अध्ययन करने, विदेशी कार्यालय खोलने, प्रचार अभियानों और व्यवहार्यता अध्ययनों के लिए उन परामर्शी संगठनों को वित्तीय विकास सहायता प्रदान की जाती है जो भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ के यहां पंजीकृत हैं।

(5) आयकर अधिनियम की धारा 80-O के अधीन परामर्शी संगठन कुल आय का परिकलन करने में निवल विदेशी मुद्रा आय के 50% तक कटौती के हकदार हैं।

(6) एक्जिम बैंक ने एक योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत भारत से सम्पन्न किए जाने वाले परामर्शी कार्यों के संबंध में एक्जिम बैंक से आस्थगित भुगतान सुविधाएं उपलब्ध हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा कन्वेयर बैल्टों की खरीद

3821. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र ने फरवरी, 1985 में कन्वेयर-बैल्टों की खरीद के लिए क्रयादेश दिए हैं ;

(ख) क्या ये क्रयादेश कम दरों की पेशकश प्राप्त होने के बावजूद काफी ऊंची दरों पर दिए गए थे, जिससे संयंत्र को 40 लाख रुपए की हानि हुई है;

(ग) क्या जिन फर्मों ने कम दरों की पेशकश की थी, वे बोकारो इस्पात संयंत्र के स्वीकृत सप्लाई कर्त्ता हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऊंची दरों पर क्रयादेश देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) आर्डर प्रमाणित क्वालिटी का माल सप्लाई कर सकने वाली पार्टियों से तकनीकी रूप से स्वीकार्य निम्नतम दर वाली पेशकशों के आधार पर दिया जाता है। चूंकि कन्वेयर बैल्ट कठिनाई से मिलने वाली मदें हैं अतः आर्डरों को मात्रा के आधार पर निम्नतम दर वाले संभारकों, दूसरी निम्नतम दर वाले संभारकों तथा कुछ मामलों में तीसरी निम्नतम दर वाले संभारकों में बांट दिया जाता हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कारखाने ने कठिनाई से मिलने वाली मदों के लिए मात्र तीन सम्भारकों को प्रमाणित क्वालिटी का माल सप्लाई करने के योग्य पाया। आसानी से उपलब्ध होने वाली मदों के लिए अनुमोदित सूची में रखे गय सभी सम्भारकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है । तथा दर, सुपुर्दगी तथा कार्य-निष्पादन पर विचार करके आर्डर दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि या तो तकनीकी दृष्टि से पेशकशें स्वीकार्य नहीं हैं। अथवा वे पेशकशें ऐसे स्रोतों से प्राप्त हुई हैं जो पहले प्रमाणित नहीं हैं, निम्न दर की पेशकशों को स्वीकार नहीं किया गया था। कुछ मामलों में सप्लाई केस्रोतों में विविधता लाने की दृष्टि से आर्डर बांट दिये गये थे ।

बोकारो इस्पात, संयंत्र द्वारा फरवरी, 1985 में दिए गए क्रयादेश

3822. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र ने फरवरी, 1985, में विभिन्न मदों की खरीद के लिए अनेक क्रयादेश दिए थे;

(ख) क्या इन सभी मामलों में संविदा समिति गठित की गई थी;

(ग) क्या इन सभी समितियों के चेयरमैन जी०एम० (डब्ल्यू) थे, जो 28 फरवरी, 1985 को सेवा-निवृत्त होने वाले थे ;

(घ) क्या ये सभी क्रयादेश कम दरों की पेशकश प्राप्त होने के बावजूद ऊंची दरों पर दिए गए थे;

(ङ) क्या यह बात उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाई गई थी, कि फरवरी, 1985 में बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा सभी मदों की खरीद में अनियमितताएं बरती गई हैं; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री ((श्री के० नटवर सिंह)) : (क) जी, हां।

(ख) 40 लाख रुपए से अधिक मूल्य की निविदाओं की जांच करने के लिए स्थायी निविदा समितियां हैं। अन्य मामलों में सक्षम प्राधिकारी उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार खरीद प्रस्तावों को अनुमोदित करते हैं। खरीदी जानी वाली वस्तु की महत्ता के आधार पर महा-प्रबन्धक (वर्क्स) अथवा महा-प्रबन्धक (परियोजना) स्थायी निविदा समिति की अध्यक्षता करते हैं। निविदा-समिति में सामग्री, वित्त तथा वस्तु के अनुसार अन्य विभागों के सदस्य लिए जाते हैं।

(ग) निम्नलिखित निविदाओं के मामले में स्थायी समिति की अध्यक्षता महा-प्रबन्धक (वर्क्स) ने की थी। इनके मामले में फरवरी, 1985 में आर्डर दे दिया गया था :—

1. कार्बन ब्लाकों की खरीद ।
2. कन्वेयर बेल्टों की खरीद ।

जिन महा-प्रबन्धक (वर्क्स) की अध्यक्षता में उपर्युक्त निविदा समिति की बैठक की गई थी, वे 28 फरवरी, 1985 को सेवा-निवृत्त हो गए थे।

(घ) कुछ मामलों में आपूर्ति में विविधता लाने के उद्देश्य से दो या तीन निम्नतम स्वीकार्य निविदाकर्ताओं को आर्डर दिया गया था ।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (ख) में वर्णित एक मामले में अनियमितताओं के कुछ आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की जांच की जा रही है।

इटली के साथ व्यापार में वृद्धि

3823. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा कदम उठाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से विभिन्न मद हैं जिनके सम्बन्ध में भारत-इटली व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये गये हैं;

(ग) वर्ष 1984-85 में भारत-इटली व्यापार कार्य निष्पादन क्या रहा; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) सरकार इटली सहित अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये सतत रूप से प्रयासशील है। भारत और इटली निरन्तर रूप से अनेक वस्तुओं में व्यापार करते आ रहे हैं।

(ग) तथा (घ)—अप्रैल सितम्बर के लिये उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1984-85 के दौरान भारत-इटली व्यापार में वृद्धि हुई है :—

	अप्रैल 1983	सितम्बर 1984
निर्यात	72.75	94.82
आयात	100.43	103.87
कुल व्यापार . . .	173.18	198.69

"नान कोर" उपभोक्ता को कोयले की कम सप्लाई के लिए हो रही कठिनाईयां

3824. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नान-कोर" क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की कमी सता रही है ;

(ख) यदि हां, तो "नान-कोर" क्षेत्रों में कम कोयला सप्लाई करने के क्या कारण हैं; और

(ग) "नान-कोर" क्षेत्र की कोयले की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० के उत्पादन में वृद्धि के कारण, कोल इंडिया लि० से संयोजित उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं है । परन्तु रेल द्वारा प्रेषण में कठिनाई के कारण उन उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत का पूरा कोयला रेल से नहीं मिल रहा है जिन उपभोक्ताओं की रेल प्रेषण में अग्रता पीछे आती है । इसलिये उपभोक्ताओं को निर्दिष्ट कोलियरियों से सड़क द्वारा उतना कोयला ले जाने की अनुमति दे दी गई है जितना कोयला रेल से ले जाने से कम रह जाता है । विभिन्न राज्यों में उपभोक्ता स्थलों पर कोल इंडिया लि० के स्टाक यार्डों से और एक्स-वैगन वितरण द्वारा भी कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है । परन्तु सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० से सम्बद्ध दक्षिण भारत के उपभोक्ताओं को, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा कोयले के अपर्याप्त उत्पादन के कारण, अपनी जरूरत का पूरा कोयला मिलने में कठिनाई हो रही है । ऐसे उपभोक्ताओं को कोल इंडिया लि० के स्रोतों से यथासाध्य कोयला सप्लाई किया जा रहा है । सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० में कोयले के उत्पादन में भी वृद्धि करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

हंगरी के साथ औद्योगिक तथा व्यापारिक संबंध

3825. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हंगरी के साथ बेहतर औद्योगिक तथा व्यापारिक संबंध स्थापित कर ने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से विशिष्ट मदों पर दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) भारत हंगरी व्यापार और औद्योगिक संबंध कई क्षेत्रों में सहयोग को कवर करते हैं । व्यापार में वृद्धि और विविधीकरण के उद्देश्य से हंगरी के साथ भारत के औद्योगिक और व्यापार संबंधों के संवर्धन के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए व्यापार और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समय-समय पर संयुक्त आयोग, स्थायी कार्य दल संयुक्त कारोबार परिषद् की बैठकें की जाती हैं और व्यापार मेलों आदि में भाग लिया जाता है ।

बैलगाड़ी की आधुनिकीकरण के लिए अमरीकी पेशकश

3826. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलगाड़ी के आधुनिकीकरण के लिये कोई अमरीकी पेशकश प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । तथापि, कृषि तथा सहकारिता विभाग की जानकारी के अनुसार किसी अमरीकी प्रतिनिधि मण्डल के एक सदस्य ने ऐसी पेशकश की थी कि वे अनुपयोगी ट्यूब रहित टायरों और एक्सल असेम्बली की सप्लाई कर सकते हैं । इस सुझाव पर कुछ अनुसंधान और विकास मूल्य की आवश्यकता है । यह केवल देश में उपलब्ध बहिष्कृत टायरों और व्हील असेम्बली के विपणन संवर्धन करने के संबंध में हैं ।

आंध्र प्रदेश में उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मारे गये छापे

3827. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में पिछले दो वर्षों के दौरान तस्करों पर उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) नेल्लोर जिले में पकड़े गए माल का मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1983 और 1984 के दौरान सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत मारे गए छापों और ली गई तलाशियों की संख्या तथा छापों एवं तलाशियों के परिणामतः पकड़े गए माल का मूल्य इस प्रकार है :—

(मूल्य : लाख रुपयों में)

1983		1984	
छापों/तलाशियों की संख्या	पकड़े गए माल का मूल्य	छापों/तलाशियों की संख्या	पकड़े गए माल का मूल्य
640	66.33	7799	115.18

(आंकड़े अनन्तिम है)

(ख) वर्ष 1983 तथा 1984 के दौरान, सीमाशुल्क अधिनियम के तहत नेल्लोर जिले में मारे गए छापों और ली गई तलाशियों के परिणामतः पकड़े गए निषिद्ध माल का मूल्य इस प्रकार है :

वर्ष	पकड़े गए माल का मूल्य (लाख रुपयों में)
1983	6.46
1984	16.55

ऋण प्राधिकृत योजना के संबंध में सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों में भेदभाव

3828. **श्री सुभाष यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण प्राधिकृत योजना के संबंध में सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों के बीच कोई भेदभाव किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है और कब तथा कहां से यह भेदभाव करना प्रारम्भ किया गया;

(ग) भेदभाव के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस भेदभाव के कारण सहकारी बैंकों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) क्या सहकारी बैंकों द्वारा इस भेदभाव को समाप्त करने के लिये "नाबार्ड" को कोई अभ्यावेदन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो भारत में सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों के बीच ऋण प्राधिकृत योजना के संबंध में यह भेदभाव किस अवधि तक समाप्त कर दिया जावेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ऋण प्राधिकार योजना में कतिपय निर्धारित सीमाओं से अधिक कार्यचालन पूंजी अथवा ब्लाक पूंजी की मंजूरी के लिये वाणिज्यिक बैंकों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से और सहकारी बैंकों के मामलों में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से अनुमति प्राप्त करने की परिकल्पना की गयी है । इन सीमाओं की निर्धारित सीमा बिन्दु (कट आफ प्वाइन्ट) कहा जाता है । इस समय सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों के लिये निर्धारित "सीमा-बिन्दु" अलग-अलग हैं । इस अंतर का अभिप्राय भेदभाव नहीं है क्योंकि दोनों प्रकार के बैंकों की परिचालनों और कार्य संबंधी अपेक्षाओं में बिन्दु अंतर है ।

(ख) अक्टूबर 1983 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के लिये कार्यचालन पूंजी सीमा बिन्दु को 300 लाख रुपये से बढ़ाकर 400 लाख रुपये कर दिया । लेकिन यह ढील सहकारी बैंकों को नहीं दी गयी थी जिनका सीमा बिन्दु बराबर 300 लाख रुपये ही रहा । अप्रैल 1984 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सावधि ऋण (ब्लाक पूंजी) की मंजूरी के लिये सीमा बिन्दु 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 100 लाख रुपये कर दी थी । यह ढील भी सहकारी बैंकों को नहीं दी गयी जिनके लिये यह सीमा बराबर 50 लाख रुपये ही रही ।

(ग) सहकारी बैंकों के लिये सीमा बिन्दुओं में संशोधन न करने के कारण ये हैं :—

(1) सहकारी बैंकों के ऋण दिये जाने के साधन वाणिज्यिक बैंकों के साधनों से काफी कम होते हैं ।

(2) सहकारी बैंकों पर लागू ऋण प्राधिकार योजना के पीछे तर्क यह है कि ये बैंक अपने सीमित साधनों का सही और उचित प्रबंध सुनिश्चित करें और यह तर्क वाणिज्यिक बैंकों पर लागू स्कीम से बिलकुल भिन्न है ।

(3) हाल ही में वाणिज्यिक बैंकों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीमा बिन्दु में जो संशोधन किया गया वह परिचालनात्मक दृष्टिकोण से इन बैंकों के लिये इस योजना के कार्य की स्वतन्त्र और गहन समीक्षा करने के बाद ही किया गया था ।

(4) इंवेंटरी नियंत्रण संबंधी टण्डन समिति द्वारा निर्धारित सूचना प्रणाली और चोरे समिति द्वारा संशोधित प्रणाली तथा बुचर समिति की वे सिफारिश भी अब तक सहकारी बैंकों पर लागू नहीं की गयी है जिसका संबंध सावधि ऋण दिये जाने/सावधि ऋणों की भागीदारी से है जो इस समय वाणिज्यिक बैंकों के लिये ऋण प्राधिकार योजना के अंतर्गत अनुशासन के मामले में प्रमुख धुरी है ।

(घ) ऐसा प्रतीत होता है कि सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को अलग-अलग सीमा बिन्दुओं के कारण कोई कठिनाई नहीं हो रही है । उन्हें यथासंभव थोड़े समय में प्राधिकार दे दिये जाते हैं यदि कहीं प्राधिकार देने में देरी होती है तो वह मुख्यतः प्रस्तावों में बैंकों द्वारा प्रस्तुत किये गये अपर्याप्त/अपूर्ण आंकड़ों के कारण होती हैं ।

(ङ) दो राज्य सहकारी बैंकों को छोड़कर, जिन्होंने वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी ढील के अनुसार ढील देने के लिए अध्यावेदन दिया था, किसी और राज्य सहकारी बैंक ने इस संबंध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को कोई पत्र नहीं भेजा है । हाल ही में राज्य सहकारी बैंकों के महा संघ ने सीमा बिन्दु को बढ़ाने के लिये अनुरोध किया है ।

(च) राज्य सहकारी बैंकों के महा संघ से प्राप्त अभ्यावेदन की जांच की जा रही है ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत मंजूरी देने में किया गया विलम्ब

3829. **श्री सुभाष यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत सशर्त ऋणदायी संस्थानों द्वारा अपेक्षित "ब्लाक" पूंजी ऋण के लिये मंजूरी देने में तीन महीने से अधिक समय लेता है जिसके परिणामस्वरूप सहकारी क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के ब्लाक पूंजी निवेश में वृद्धि हो जाती है ;

(ख) यदि हां, तो 1983–84 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा मंजूरी दिये जाने में कितने आवेदन पत्रों पर तीन महीने से अधिक समय लगा और इस समय कितने आवेदन पत्र तीन महीने से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं ; और

(ग) मूल्य वृद्धि के कारण हुए नुकसान का मुआवजा देने और लम्बित आवेदन पत्रों को मंजूरी देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को निर्धारित फार्मूले के आधार पर प्रस्ताव की पात्रता सुनिश्चित करनी होती है और उसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि क्या सावधि ऋणदाता संस्थाओं ने परियोजना का मूल्यांकन कर लिया है या नहीं और सावधि ऋण में अपने हिस्से की रकम की मंजूरी दे दी है या नहीं । संबद्ध सहकारी बैंकों को ब्लाक पूंजी प्रयोजनों के लिये सावधि ऋणों की मंजूरी का प्राधिकार केवल तभी दिया जाता है जब प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुरूप हो ।

(ख) और (ग) वर्ष 1983–84 में राष्ट्रीय बैंक को ऋण प्राधिकार योजना के अंतर्गत 31 ब्लाक पूंजी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । इनमें से 18 प्रस्तावों की मंजूरी दे दी गयी, 10 प्रस्ताव निर्धारित मापदण्ड पूरे न किये जाने के कारण रद्द कर दिये गये और 2 प्रस्ताव बैंकों द्वारा अपनी इच्छा से वापस ले लिये गये । 3 महीने के बाद प्राधिकृत किये गये 11 प्रस्तावों में से 7 प्रस्तावों का

संबंध अस्थायी अपात्रता के कारण प्राधिकार दिये जाने से था। वर्ष 1983–84 से संबद्ध केवल एक प्रस्ताव और 1984-85 में प्राप्त 2 प्रस्ताव ऐसे हैं जो 3 महीने से अधिक समय से लम्बित हैं, जिनके बारे में बैंकों से ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है। पूंजी परिव्यय की आवश्यकताओं को मानकीय लागत के साथ जोड़ दिया जाना ही मुख्य रूप से वित्तीय प्रबंधों के बीच तालमेल के अंतर के लिये जिम्मेदार है जिसके कारण परियोजनाओं के पूरा होने में देर होती है और परिणामस्वरूप लागत बढ़ जाती है।

कृषि पर आधारित सहकारी उद्योगों के लिए ब्लाक पूंजी

3830. **श्री सुभाष यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को कृषि पर आधारित सहकारी उद्योगों के लिये ब्लाक पूंजी उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या यह भी सच है कि यद्यपि प्रस्ताव को प्राप्त करने के पश्चात् बोर्ड की अनेक बैठकें हुई हैं तथापि प्रस्ताव को न तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के निदेशक बोर्ड के समक्ष रखा गया और न ही बोर्ड को इस प्रस्ताव से अवगत कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक बोर्ड के समक्ष कब तक प्रस्तुत करने तथा अन्तिम रूप देने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अभी तक कृषि पर आधारित सहकारी उद्योगों को ब्लाक पूंजी उपलब्ध कराने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के संदर्भ में ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों और विदेशी बैंकों का कार्यकरण

3831. **श्री ई०एस०एम० फकीर मोहम्मद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने बैंक तमिलनाडु में हैं ;

(ख) देश में कार्य कर रहे लाइसेंसशुदा विदेशी बैंकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में विदेशी बैंकों को लाइसेंस देने का है; और

(घ) कार्य कर रहे गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है और उनके पास कुल कितनी जमा राशि है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय देश में 20 राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यरत हैं जिनमें से 2 बैंकों के प्रधान कार्यालय तमिलनाडु राज्य में हैं।

(ख) इस समय देश में 19 विदेशी बैंक कार्यरत हैं।

(ग) भारत में शाखायें खोलने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के वास्ते विदेशी बैंकों के आवेदनों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है और जहां उचित समझा जाता है लाइसेंस जारी कर दिये जाते हैं।

(घ) इस समय देश में 53 गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक (विदेशी बैंकों सहित) कार्यरत हैं। दिनांक 15 मार्च, 1985 को उनके पास अनुमानतः 5958.60 करोड़ रुपये की कुल जमा राशि (अन्तर—बैंक जमा राशियों को छोड़कर) थी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में केन्द्रीय जांच ब्यौरो कक्ष की नियुक्ति

3832. **श्री बी०एस० कृष्णा अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में बैंक प्रबंधकों और अधिकारियों, द्वारा किये गये कदाचार, भ्रष्टाचार तथा दुर्विनियोग के संबंध में जांच करने के लिये एक पृथक केन्द्रीय जांच ब्यूरो कक्ष को नियुक्त करने का है;

(ख) क्या ईमानदार बैंक कर्मचारियों को, यदि वे अपनी संबंधित शाखाओं में हो रहे कदाचारों की सार्वजनिक रूप से सूचना देते हैं तो संरक्षण प्रदान किया जाता है; और

(ग) क्या बैंक कर्मचारियों को अपने बैंकों में हो रहे दुर्विनियोजनों तथा अन्य कदाचारों के संबंध में उच्च अधिकारियों पर आरोप लगाने की अनुमति है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में हुई धोखाधड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों को देखने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो में पहले से ही एक सैल है।

(ख) और (ग) बैंक कर्मचारियों को गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। अतः वे ऐसी कोई बात खुले आम नहीं बता सकते जो सरकारी कर्तव्य निभाते समय उन के नोटिस में आती है। अलबत्ता, बैंक कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि जब कभी उसे किसी भी प्रकार के कदाचार अथवा धोखाधड़ी का पता चले तो वह उसकी सूचना अपने प्रबंधकों को दे।

"बिगेस्ट सीजर आफ कन्ट्राबैंड एण्ड टैक्सटाइल" शीर्षक से समाचार

3833. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मार्च, 1985 के "दि टाइम्स आफ इण्डिया" में "बिगेस्ट सीजर आफ कन्ट्राबैंड एण्ड टैक्सटाइल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निषिद्ध वस्तुओं की धोखाधड़ी को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) तस्करों के विरुद्ध अभियान को तेज कर दिया गया है। सीमाशुल्क विभाग के निगरानी और आसूचना तंत्र को तस्करी के लिये सुलभ क्षेत्रों में जनशक्ति और उपस्करों की दृष्टि से सुदृढ़

बना दिया गया है और यह विभाग तस्करी के लिये सुगम क्षेत्रों और उन वस्तुओं के संबंध में सतर्क रहता है जिनमें ऐसे संश्लिष्ट वस्त्र भी शामिल हैं जो तस्करी के लिये आकर्षक हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय और राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करके उपयुक्त तस्करी विरोधी उपाय भी किये जाते हैं। उपर्युक्त कार्यवाही के लिये मामले की सतत समीक्षा भी की जाती है।

भारतीय वस्त्रों के निर्यात पर अमरीकी सरकार का प्रतिबंध

3834. **श्री आनंद सिंह :**
श्री महेन्द्र सिंह :

क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने अपने यहां भारतीय वस्त्रों के निर्यात पर एक तरफा प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह): (क) तथा (ख) अमरीकी सरकार ने 1984 के दौरान सात परिधान श्रेणियों पर एक तरफा प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने तीन परिधान श्रेणियों पर एक तरफा प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध गाट वस्त्र समिति के वस्त्र निगरानी निकाय के साथ मामला उठाया। वस्त्र निगरानी निकाय ने अमरीकी सरकार द्वारा सभी तीनों श्रेणियों पर लगाए गए प्रतिबन्धों को हटाने की सिफारिश की। अमरीकी सरकार ने दो श्रेणियों पर प्रतिबंध हटा दिया, जबकि एक श्रेणी के बारे में उन्होंने ऐसा नहीं किया और परामर्श करने की मांग की। भारत सरकार ने पांच श्रेणियों पर एक तरफा प्रतिबंध लगाने के संबंध में मार्च, 1984 में अमरीकी सरकार से परामर्श किए जब भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे प्रतिबंधों के लिए कोई औचित्य नहीं था।

व्यापार घाटे के अन्तर में कमी करने के लिये किए गए उपाय

3835. **श्री के० प्रधानी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के व्यापार घाटे के अन्तर को कम करने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 और 1984-85 में भारत के व्यापार घाटे के अन्तर को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्य किया; और

(ग) इस संबंध में वर्ष 1985-86 में क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) व्यापार घाटा कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निर्यातों में वृद्धि करने और बेहतर आयात प्रतिस्थापन के संवर्धन के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 1980-81 से 1983-84 तक के वर्षों और 1984-85 के प्रथम 10 महीनों के (जोकि अद्यतन उपलब्ध अनन्तिम आंकड़े हैं) के लिए निर्यात, आयात तथा

व्यापार, शेष के आंकड़े तथा साथ ही गत वर्ष उन्हीं 10 महीनों की अवधि के लिए तुलनात्मक आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(करोड़ रु०)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार शेष
1980-81	6,711	12,549	—5,838
1981-82	7,806	13,608	—5,802
1982-83	8,908	14,356	—5,448
1983-84	9,872	15,763	—5,891
अप्रैल-जन० 1983-84	7,808	12,102	—4,294
अप्रैल-जन० 1984-85	9,258	13,122	—3,864

*जनवरी, 1985 तक अद्यतन बनाए हुए ।
अनन्तिम और संशोधन के अध्यधीन ।

उपरोक्त सारणी से विदित है कि 1983-84 को छोड़कर हाल के वर्षों में व्यापार घाटे में गिरावट आई है । यह उल्लेखनीय है कि कुल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.) की प्रतिशतता की दृष्टि से व्यापार घाटा 1980-81 में 4.6% से धीरे-धीरे गिरकर 1983-84 में लगभग 3% रह गया ।

(ग) सरकार द्वारा हाल में घोषित अप्रैल, 1985 से मार्च, 1988 तक की 3 वर्ष की अवधि के लिए आयात व निर्यात नीति निर्यातों के लिए विशेष बल देने और बेहतर आयात प्रतिस्थापन प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है । नई आयात-निर्यात नीति दिनांक 12-4-1985 को सदन के सभा-पटल पर पहले ही रख दी गई है ।

सहकारी बैंकों द्वारा अनिवासी भारतीयों के खाते खोलना

3836. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य क्षेत्रों में स्थापित कुछ सहकारी बैंकों ने केन्द्रीय सरकार से उन्हें अनिवासी भारतीयों के खाते खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने राज्य सहकारी बैंक हैं जिन्होंने इस प्रयोजन के लिये भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन भेजे हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उन सहकारी बैंकों को अनिवासी खाते खोलने और उन्हें चालू रखने की अनुमति प्रदान कर दी है; और

(घ) उन सहकारी बैंकों को अनिवासी भारतीयों के खाते खोलने और उन्हें चालू रखने की कब अनुमति प्रदान की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (घ) रुपयों में अनिवासी बाह्य खाते रखने तथा पोंड स्टर्लिंग और अमरीकी डालरों में विदेशी मुद्रा के अनिवासी बाह्य खाते रखने की सुविधा पहले विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 6 की शर्तों के अधीन केवल विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत बैंकों के जरिये ही उपलब्ध थी । भारतीय रिजर्व बैंक को शहरी सहकारी बैंकों से प्रायः ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं कि उन्हें भी रुपयों में अनिवासी खाते रखने

की अनुमति दी जाए इस विषय पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए लगातार दो पिछले वर्षों तक लेखा परीक्षा वर्गीकरण "क" और कम से कम 10 करोड़ की कार्यचालन पूंजी वाले शहरी सहकारी बैंकों और सभी राज्य सहकारी बैंकों को रुपये में अनिवासी (बाह्य) खाते और रुपयों में साधारण अनिवासी खाते रखने की अनुमति दे दी जाए। अनिवासी (बाह्य) खाता नियम 1970 की संशोधनकारी अधिसूचना 21 फरवरी, 1985 को जारी कर दी गई थी और 9-3-1985 को राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई थी।

भारतीय रुपए का अवमूल्यन

3837. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता के बाद भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन हुआ है; और

(ख) स्वतंत्रता से पूर्व की तुलना में इस समय भारतीय रुपए का वास्तविक मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारतीय रुपए का दो बार अर्थात् 22 सितम्बर, 1949 और 6 जून, 1966 को, अवमूल्यन हुआ है। सितम्बर, 1975 के बाद से भारतीय रुपए के मूल्य का निर्धारण भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की करंसियों की भारित डाली के संदर्भ में किया जाता है, और परिवर्तनशील विनिमय दरों के व्यवस्था में, विश्व की प्रमुख करंसियों की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में दोनों दिशाओं में परिवर्तन हुआ है अर्थात् उसके मूल्य में वृद्धि और गिरावट दोनों आती रहीं हैं।

(ख) रुपए की क्रय शक्ति जिसे औद्योगिक कर्मचारियों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (वर्तमान आधार वर्ष 1960 के स्थान पर 1949 = 100 के आधार पर) के सदृश मापे जाने पर यह फरवरी, 1985 में 14.06 पैसे थी। अगस्त, 1947 के आधार पर कोई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नहीं है।

हीरों का निर्यात और बिना तराशे हीरों का आयात

3838. **श्री बी० के० गधावी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से 1984 तक प्रत्येक वर्ष कितने हीरों का निर्यात किया गया;

(ख) देश में बिना तराशे हीरों का कितनी मात्रों में आयात किया गया;

(ग) क्या बिना तराशे हीरों के आयातकर्ता प्रोसेसिंग के दौरान लगभग 70 प्रतिशत नुकसान होने का दावा करते हैं;

(घ) क्या नुकसान की सही प्रतिशतता का अनुमान लगाने के लिए कोई सुव्यवस्थित अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरों का निर्यात निम्न प्रकार था :

	(लाख कैरट)
1980-81	41.51
1981-82	40.60
1982-83	46.56
1983-84	56.47

(ख) 1980-81 से 1983-84 तक देश में आयात किए गए बिना तराशे हीरों की मात्रा इस प्रकार थी :—

	(लाख केरट)
1980-81	187.08
1981-82	263.55
1982-83	253.96
1983-84	283.79

(ग) ऐसा अनुमान है कि विनिर्माण हानि 60% से 85 प्रतिशत के बीच हुई जोकि कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि बिना तराशे हीरों की क्वालिटी तथा आकार कटाई, चिराई तथा घिसाई प्रक्रियाएं, तराशने और पालिश करने के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरणों की क्वालिटी और किस्म तथा साथ ही तराशने वालों का कौशल;

(घ) तथा (ङ). हीरों की बड़े पैमाने पर अलग-अलग किस्में हैं, जिनके लिए विनिर्माण हानियों की सीमा को निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट मानक नहीं हो सकता ।

भारतीय परिधान निर्यात का कोटा

3839. **श्री बनवारी लाल बैरिवा :** क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान भारत से परिधान निर्यात के सम्बन्ध में योरोपियन आर्थिक समुदाय के देशों और अमेरिका के हेतु प्रत्येक श्रेणी और देश के लिए कितना वार्षिक कोटा निर्धारित किया गया था और 1984 तथा 1985 में अद्यतन प्रत्येक देश को वास्तव में कितना निर्यात किया गया;

(ख) वर्ष 1982, 1983 और 1984 में कितने प्रतिशत भारतीय परिधानों के निर्यात पर कोटा प्रतिबन्ध लगाया गया और कोटे के अन्तर्गत प्रत्येक देश को अलग अलग कितना निर्यात किया गया और उपरोक्त में से प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक देश को किए जाने वाले कितने निर्यात पर कोटा प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी विवरण "एक" और विवरण "दो" में संलग्न है ।

विवरण—एक

(हजार अदद में)

देश/श्रेणी	1984		1985 (जनवरी)	
	आधार स्तर	वास्तविक निर्यात	आधार स्तर	वास्तविक निर्यात
संयुक्त राज्य अमेरिका				
335	1,654	1,599	1,753	536
336	3,029	2,861	3,241	772
338/39/40	13,173	13,083	13,568	5,038

1	2	3	4	5
341	28,831	28,260	29,696	1,918
342	3,954	4,121	4,191	1,158
347/48	2,568	2,642	2,748	821
योग	53,209	52,566	55,197	17,943
समग्र जी आर				
11	107.00 (एमवाई-एसई में)	109.22 (एमवाई-एसई में)	114.49 (एमवाई-एसई में)	36.04 (एमवाई-एसई में)
पश्चिम जर्मनी				
4	2,645	3,079	2,524	719
6	1,116	1,144	1,137	274
7	9,454	3,801	9,505	654
8	9,118	4,330	9,166	713
15-बी	557	630	603	142
17	591	328	626	21
26	1,856	988	1,938	90
27	1,643	933	1,686	117
29	1,496	259	1,519	46
योग	28,476	15,498	28,704	2,776
29	225	54	247	6
योग	11,112	6,149	11,291	1,151
डेनमार्क				
4	306	203	313	73
6	137	162	139	33
7	561	471	570	65
8	594	391	601	99
15-बी	67	80	70	13
17	55	47	60	2
26	209	83	216	20
27	200	200	204	22
29	82	86	90	22
योग	2,211	1,723	2,263	349
ब्रिटेन				
4	2,719	2,635	2,767	704
6	512	528	539	147

1	2	3	4	5
7	11,652	5,316	11,639	527
8	9,019	10,129	9,094	2,406
15-बी	716	157	723	22
17	493	87	522	10
26	3,014	1,748	2,048	130
27	1,570	1,443	1,599	124
29	1,110	400	1,131	29
योग	29,785	22,443	30,102	4,101
फ्रांस				
4	1,613	1,702	1,652	429
6	527	323	558	68
7	3,028	2,010	3,127	297
8	1,189	686	1,284	90
15-ए	401	112	424	14
17	457	8	473	1
21	399	48	411	9
24	650	117	689	36
26	1,800	1,299	1,817	186
27	1,147	659	1,177	104
29	591	210	632	61
30-बी	262	48	278	8
योग	12,064	7,222	12,522	1,303

नोट :—(एम. वाई. एम. ई.)=बराबर मिलियन वर्ग गज ।

इटली				
4	1,013	774	1,049	129
6	530	243	553	8
7	1,705	1,163	1,763	100
8	3,676	898	3,746	335
15-बी	152	18	179	3
17	205	8	236	3
26	860	362	911	27
27	772	175	804	18
29	403	90	442	2
योग	9,316	3,731	9,683	625

1	2	3	4	5
बैनेलक्स				
4	931	1,028	953	310
6	348	335	354	50
7	3,705	1,007	3,734	148
8	2,954	3,072	2,993	563
15-बी	210	85	222	4
17	273	43	279	4
21	708	131	729	21
26	1,027	140	1,037	16
27	731	254	743	20
29	225	54	247	6
योग	11,112	6,149	11,291	1,151
आयरलैंड				
4	60	16	64	14
6	38	8	40	नगण्य
7	120	67	124	1
8	196	187	201	36
15-बी	8	2	9	1
17	23	—	24	—
26	25	10	27	3
27	33	9	35	नगण्य
29	24	7	26	—
योग	527	306	550	55
यूनान				
4	47	28	52	—
6	52	9	54	नगण्य
7	80	69	86	5
8	40	9	49	—
15-बी	9	1	12	नगण्य
17	23	5	26	—
26	43	44	46	2
27	41	39	44	5
29	21	21	23	3
योग	356	225	392	15

स्रोत : अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद ।

विवरण–दो

(मात्रा हजार अदद में)

देश	वर्ष	प्रतिबन्धित मदों के निर्यात		गैर-प्रतिबन्धित मदों के निर्यात		कुल निर्यात	
		मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
सं० रा०	1982	41,470	84.93	7,361	15.07	48,831	100.00
अमरीका	1983	68,558	97.81	1,535	2.19	70,093	100.00
	1984	75,421	96.05	3,101	3.95	78,522	100.00
प० जर्मनी	1982	17,482	77.53	5,067	22.47	22,549	100.00
	1983	14,779	77.57	4,273	22.43	19,052	100.00
	1984	15,498	68.17	7,235	31.83	22,733	100.00
फ्रांस	1982	6,872	75.96	2,175	24.04	9,047	100.00
	1983	6,715	73.66	2,401	26.34	9,116	100.00
	1984	7,222	66.66	3,612	33.34	10,834	100.00
इटली	1982	3,735	67.37	1,809	32.63	5,544	100.00
	1983	4,600	74.06	1,611	25.94	6,211	100.00
	1984	3,731	69.08	1,670	30.92	5,401	100.00
बेनीलेक्स	1982	5,819	87.31	846	12.69	6,665	100.00
	1983	4,689	81.41	1,071	18.59	5,760	100.00
	1984	6,149	74.97	2,053	25.03	8,202	100.00
डेनमार्क	1982	1,506	69.59	658	30.41	2,164	100.00
	1983	1,646	65.53	866	34.47	2,512	100.00
	1984	1,723	60.20	1,139	39.80	2,862	100.00
ब्रिटेन	1982	18,234	88.09	2,466	11.91	20,700	100.00
	1983	16,679	83.05	3,405	16.95	20,084	100.00
	1984	22,443	76.53	6,882	23.47	29,325	100.00
आयरलैंड	1982	240	85.11	42	14.89	282	100.00
	1983	263	92.28	22	7.72	285	100.00
	1984	306	75.93	97	24.07	403	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8
यूनान	1982	80	70.18	34	29.82	114	100.00
	1983	119	100.00	शून्य	100.00	119	100.00
	1984	225	90.36	24	9.64	249	100.00
स्वीडन	1982	3,467	99.63	13	0.37	3,480	100.00
	1983	3,287	97.19	95	2.81	3,382	100.00
	1984	4,318	99.38	27	0.62	4,345	100.00
फिनलैंड	1982	386	21.40	1,418	78.60	1,804	100.00
	1983	1,012	83.29	203	16.71	1,215	100.00
	1984	883	83.70	172	16.30	1,055	100.00
आस्ट्रिया	1982	690	43.95	880	56.05	1,570	100.00
	1983	252	15.72	1,351	84.28	1,603	100.00
	1984	243	19.52	1,002	80.48	1,245	100.00
कनाडा	1982	4,097	92.38	338	7.62	4,435	100.00
	1983	5,100	89.85	576	10.15	5,676	100.00
	1984	7,367	67.05	3,621	32.95	10,988	100.00
गैर-कोटा	1982	—	—	59,795	100.00	59,795	100.00
देश	1983	—	—	48,340	100.00	48,340	100.00
	1984	—	—	54,385	100.00	54,385	100.00
कुल योग	1982	1,04,086	55.66	82,902	44.34	1,86,988	100.00
	1983	1,27,699	66.01	65,749	33.99	1,93,448	100.00
	1984	1,45,529	63.12	85,020	36.88	2,30,549	100.00

स्रोत : अपरल निर्यात संवर्धन परिषद् ।

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद तथा उप-समिति की बैठकें

3840. **श्री आनन्द पाठक** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद और उप-समितियों की 1983, 1984 और 1985 में 28 फरवरी, 1985 तक हुई प्रत्येक बैठक का बैठक वार ब्यौरा क्या है :

(एक) ये बैठकें किन-किन तारीखों को और कहां-कहां हुई;

(दो) सदस्यों को यात्रा भत्ते दैनिक भत्ते, के रूप में कितनी धनराशि दी गई; और

(तीन) लंच आदि देने पर कितना व्यय हुआ ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1983 के दौरान बैठकों पर हुए खर्च के ब्यौरे

सं०	बैठकें	तारीख	स्थान	यात्रा भत्ता (केवल विमान किराया वापसी) रु०	लंच पर खर्च रु०	कुल रु०
1	2	3	4	5	6	7
1.	कार्यकारी समिति बैठक	24-1-83	बम्बई	19852.00	3072.00	22924.00
		26-3-83	कलकत्ता	29772.00	5002.60	34774.60
		13-5-83	बम्बई	21678.00	2338.00	24016.00
		14-7-83	दिल्ली	13438.00	2777.75	16215.75
		20-8-83	अशोक, दिल्ली	20878.00	3121.00	23999.00
		29-10-83	दिल्ली	22544.00	34.50	22578.50
		16-11-83	दिल्ली	10696.00	724.70	11420.70
		14-12-83	दिल्ली	10638.00	1901.25	12539.25
		30-12-83	बम्बई	31996.00	2470.00	30466.00
2.	वित्त तथा बजट उप-समिति	17-2-83	दिल्ली	5428.00		5428.00
		13-6-83	दिल्ली	1666.00		1666.00
		10-10-83	दिल्ली	3332.00	30.00	3362.00
3.	जांच समिति	31-3-83	दिल्ली	5646.00	660.50	6306.50
		27-5-83	बंगलौर	8258.00	1913.95	10171.95
		24-6-83	दिल्ली	3470.00	846.45	4316.45
		3-9-83	मद्रास	4356.00	—	4356.00
		22-12-83	मद्रास	8670.00	1328.60	9998.60
4.	सलाहकार समिति निर्यात संवर्धन विदेशों के प्रदर्शनी तथा प्रति-निधिमंडल	7-2-83	दिल्ली	3842.00	—	3842.00
		16-4-83	दिल्ली	1666.00	108.50	1774.50
		13-6-83	दिल्ली	8046.00	219.25	8265.25
		25-8-83	दिल्ली	1666.00	—	1666.00
		2-9-83	बंगलौर	5344.00	1057.10	6401.10
		24-12-83	मद्रास	6304.00	4442.80	10746.80

5. विधि उप-समिति	27-5-83	बंगलौर	4888.00	—	4888.00
	4-6-83	दिल्ली	1666.00	—	1666.00
	14-7-83	दिल्ली	9604.00	—	9604.00
	23-7-83	बम्बई	6570.00	1160.20	7730.20
6. प्रोत्साहन तथा सुरक्षा वापसी उप-समिति	7-4-83	बम्बई	4998.00	—	4998.00
	22-7-83	बम्बई	9466.00	—	9466.00
7. कोटा सलाहकार समिति	16-4-83	दिल्ली	7362.00	—	7362.00
	13-7-83	बम्बई	4998.00	617.50	5615.50
	29-7-83	मद्रास	11036.00		11036.00
	20-9-83	मद्रास	10242.00	1249.00	11491.00
	19-11-83	बम्बई	13046.00		13046.00
	7-3-83	बंगलौर	434.00	1027.75	1461.75
8. 1988 के मामलों के लिए अपील उप-समिति	22-2-83	बम्बई	3754.00	—	3754.00
	4-4-83	बम्बई	1498.00	—	1498.00
9. स्टाफ समिति	6-7-83	दिल्ली	6398.00	266.15	6564.15
	15-9-83	दिल्ली	2366.00	12.25	2378.25
	17-11-83	दिल्ली	2256.00	—	2256.00
		कुल	349768.00	36281.803	86049.80

1984 के दौरान बैठकों पर व्यय के ब्यौरे

क्रमांक	बैठकें	तारीख	स्थान	यात्रा भत्ता (केवल विमान किराया वापसी) रु०	लंच पर खर्च रु०	कुल रु०
1	2	3	4	5	6	7
1.	कार्यकारी समिति बैठक	6-1-84	दिल्ली	15654.00	4386.40	20040.40
		23-3-84	बम्बई	27973.00	3641.50	31614.50
		4-4-84	दिल्ली	18487.00	2597.00	21084.00
		16-6-84	दिल्ली	23112.00	70.00	23182.00
		27-7-84	दिल्ली	18681.60	2385.01	21066.61

1	2	3	4	5	6	7
		9-8-84	बम्बई	8142.00	3420.00	11562.00
		20-9-84	दिल्ली	4032.00	—	14032.00
		5-10-84	बम्बई	16472.00	3014.00	19486.00
		13-10-84	बंगलौर	3618.00	—	3618.00
		22-11-84	दिल्ली	18968.00	2509.65	21477.65
2.	कोटा सलाहकारी समिति	30-1-84	दिल्ली	13288.00	384.00	13672.00
		22-3-84	बम्बई	4904.00	462.00	5366.00
		4-5-84	दिल्ली	4032.00	45.50	4077.50
		9-8-84	बम्बई	6720.00	3206.00	9926.00
		20-11-84	बम्बई	6664.99	3161.00	9825.00
3.	निर्यात संवर्धन समिति	21-1-84	जयपुर	6310.00	2218.85	8528.85
		29-5-84	बम्बई	1666.00	2325.00	3991.00
		15-10-84	बंगलौर	6422.00	2642.10	9064.10
		10-12-84	मद्रास	10698.00	1835.85	12533.85
4.	जांच समिति	17-4-84	मद्रास	3938.00	123.70	4601.70
		28 12-84	दिल्ली	4032.00	—	4032.00
		15-6-84	दिल्ली	—	132.00	132.00
5.	वित्त तथा बजट उप-समिति	5-3-84	दिल्ली	5924.00	28.00	5952.00
		16-7-84	दिल्ली	2366.00	—	2366.00
6.	1980 के मामलों के लिये उप-समिति	30-3-84	बंगलौर	456.00	1009.00	1465.00
		6-3-84	दिल्ली	6398.00	—	6398.00
7.	विधि तथा सदस्यता समिति	23-2-84	दिल्ली	6890.00	297.71	7187.71
		18-4-84	दिल्ली	1666.00	—	1666.00
8.	स्टाफ समिति	26.-4-84	दिल्ली	1666.00	490.24	2156.24
		6-10-84	बम्बई		523.00	523.00
9.	प्रोत्साहन तथा शुल्क वापसी समिति	16-8-84	दिल्ली	3332.00	—	3332.00
10.	कोटा ग्रांडिट उप-समिति	17-1-84	बम्बई	3332.00	—	3332.00
			योग	255843.60	40907.51	296751.11

1985 के दौरान बैठकों पर हुए खर्च के ब्यौरे

(28 फरवरी, 1985 तक)

सं०	बैठकें	तारीख	स्थान	यात्रा भत्ता (केवल विमान किराया वापसी) रु०	लंच पर खर्च रु०	कुल रु०
1	2	3	4	5	6	7
2.	कार्यकारी समिति बैठक	8.1.85	बम्बई	22463.00	3314.00	25777.00
3.	जांच समिति	26-2-85	नई दिल्ली	25366.00	2287.50	27653.50
	कोटा सलाहकार	4-2-85	दिल्ली	4032.00	—	4032.00
	समिति	14-2-85	दिल्ली	2366.00		2366.00
	कोटा सलाहकार समिति	5-1-85	दिल्ली	2348.00	—	2348.00
4.	निर्यात संवर्धन समिति	8-2-85	कलकत्ता	1892.00	—	1892.00
			योग	58467.00	5601.50	64068.50

(स्रोत—अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद)

हशीश तस्करों का अंतर्राज्यीय गिरोह

3841. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में उच्च किस्म की हशीश के तस्करों का अंतर्राज्यीय गिरोह सरकार की नजर में आया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). जम्मू और कश्मीर राज्य की पुलिस ने 19 फरवरी, 1985 से 18 मार्च, 1985 के दौरान कुल 64.400 किलोग्राम हशीश और 700 ग्राम अफीम पकड़ी और तीन महिलाओं सहित तेरह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया ।

त्रिपुरा में तस्करी संबंधी गतिविधियां

3842. **श्री जी० जी० स्वेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में एक छोटा सा हाट गांव बेट टोला इलेक्ट्रोनिक्स की अनेक वस्तुओं तथा नशीली औषधियों और दवाओं की तस्करी का एक बड़ा केन्द्र बन गया है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसे अनेक अन्य केन्द्र हैं और उस क्षेत्र में विद्रोही दलों को भारत में नशीली दवाओं की तस्करी की उनकी गतिविधियों के लिए दिन प्रतिदिन अधिक पनाह मिल रही है; और

(ग) इस खतरे का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा यदि कोई कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुछ बाजारों में जिनमें बाट-टोला भी शामिल है, इलेक्ट्रानिक सामान, प्रसाधन सामग्री आदि जैसी विदेशी उपभोक्ता वस्तुयें बेची जाती हैं। लेकिन नशीली ओषधियों और तस्कर-आयात की गई दवाइयों की खुली बिक्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) तस्करों के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया गया है। तस्करी के सामान का व्यापार करने वाली दुकानों पर पुलिस और अर्ध सैनिक बलों की मदद से सामूहिक छापे मारे जाते हैं। क्षेत्र में तैनात सीमा शुल्क विभाग का निवारक और आसूचना तंत्र तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिये सतर्क रहता है। इसके अतिरिक्त, तस्करी के रुख और ढंग की सतत समीक्षा की जाती है और केन्द्रीय और राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ निकट तालमेल बनाकर तस्करी विरोधी उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

3843. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**
कुमारी पुष्पा देवी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर न भेजने का निर्णय किया है जैसा कि 20 मार्च, 1985 के इकानोमिक टाइम्स में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिये सरकार के पास कोई वैकल्पिक योजना है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से ही कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को उनकी मूल शाखाओं में वापस बुलाया जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो यह नई प्रणाली कब से लागू होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार ने ये अनुदेश जारी कर दिये हैं कि एक सामान्य नीति के रूप में जो सरकारी पदाधिकारी सरकारी क्षेत्र में सेवारम्भ करना चाहते हैं, वे केवल संबद्ध सरकारी उद्यमों में तत्काल अन्तर्लयन होने अर्थात् अपने सरकारी पदों से त्याग-पत्र देने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। किन्तु, निम्नलिखित मामलों में सरकारी पदाधिकारियों को सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्ति की अनुमति दी गई है :

(1) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के उन मुख्य कार्यपालकों तथा प्रादेशिक/क्षेत्रीय मुख्य अधिकारियों के लिये अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति की अनुमति दी जा सकती है, जिन्हें राज्य सरकारों के साथ निरन्तर सम्पर्क और समन्वय रखना पड़ता है तथा जहां संगठनात्मक कार्यकुशलता के लिए राज्य सरकारी सेवा में अर्जित विशेषज्ञता आवश्यक हो।

(2) सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिये भी प्रतिनियुक्ति की अनुमति दी जा सकती है। सरकारी उद्यमों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पदों पर नियुक्त किये गये संगठित सेवा के अधिकारियों की सेवा अवधि वही होनी चाहिये, जितनी सेवा अवधि केन्द्रीय सरकारी सेवा में उनकी प्रतिनियुक्ति के लिये अनुमत्य होगी।

(ख) सरकारी उद्यमों में सरकारी पदाधिकारियों के तत्काल अन्तर्लयन की निर्धारित सामान्य नीति का आधार यह है कि जिन सरकारी उद्यमों में उन्हें सेवा करनी है, उसके लिये उनकी अधिकाधिक वचनबद्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ग) निदेशक मण्डल स्तरीय पूर्वकालिक पदों के लिये सरकार की चयन नीति यह है कि जब तक कि बाहर से विशेषतः बेहतर उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तब तक सरकारी उद्यमों में से ही पदोन्नति द्वारा रिक्तियां भरी जायेंगी तथा यदि आन्तरिक रूप से उम्मीदवार उपलब्ध न हो, तो सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में काम करने वाले उम्मीदवारों को अधिमान्यता दी जायेगी। सरकारी क्षेत्र से उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न हो पाने पर अन्य स्रोतों जैसे सरकारी सेवा तथा निजी क्षेत्र से चयन किया जायेगा। निदेशक मण्डल से निचले पदों के लिये सरकारी उद्यम स्वयं चयन करते हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले सरकारी पदाधिकारियों के लिये वर्तमान सेवा शर्तें लागू होंगी। किन्तु, उनके प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेशों में निर्दिष्ट अवधि को बढ़ाना अनुमत्य नहीं होगा। ये आदेश सरकारी उद्यमों में सेवारत उन मुख्य सतर्कता अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे जिनकी प्रतिनियुक्ति की शर्तें उस सेवा अवधि के आधार पर विनियमित की जायेंगी जो उन्हें केन्द्रीय सेवा में प्रतिनियुक्ति होने पर अनुमत्य होतीं।

(ङ) यह तारीख 6 मार्च, 1985 से लागू होगी।

आंध्र प्रदेश में येलेरू जलाशय परियोजना

3844. **श्री एन० वी० रत्नम:** क्या **इस्पात खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने, येलेरू जलाशय परियोजना पूरी करने के लिये केन्द्र से 50 करोड़ रुपये की ऋण सहायता के लिये अनुरोध किया है;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त परियोजना विशाखापत्तनम की पानी की सप्लाई के लिये आवश्यक है ; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त ऋण देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) वर्ष 1978 में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह अपनी लागत पर कारखाने की सीमा तक पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करायेगी। इसलिये केन्द्रीय सरकार द्वारा इस्पात कारखाने के लिये अनुमोदित पूंजी निवेश में कारखाने की सीमा तक जल की आपूर्ति के लिये खर्च का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। अतः इस्पात विभाग ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को सूचित कर दिया था कि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परियोजना अथवा इस्पात विभाग के लिये इस परियोजना के लिये ऋण के रूप में धन की कोई व्यवस्था करना संभव नहीं होगा।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चिल्लाइये मत । कृपया चिल्लाइये मत । मैं सुनूंगा लेकिन इस तरह नहीं । मैं ठीक ढंग से सुनूंगा । यदि कोई बात है तो मैं सुनूंगा । लेकिन यदि सारे एक साथ बोलेंगे तो कुछ नहीं किया जा सकता ।

प्रो० के०के० तिवारी (बक्सर) : आज सुबह अमृतसर से बहुत बुरी खबर मिली है । इस सभा के भूतपूर्व सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव श्री आर०एल० भाटिया को आतंकवादियों ने गोली मार कर बुरी तरह घायल कर दिया है । पंजाब में प्रति दिन किसी न किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या की जा रही है । गृह मंत्री सौभाग्यवश सभा में उपस्थित हैं । **(व्यवधान)** उन्हें वक्तव्य देना चाहिये । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की चिन्ता को समझता हूं । मैं उसे महसूस करता हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्री तिवारी की चिन्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिये । नागरिकों की जानें असुरक्षित हो गई हैं । गृह मंत्री को आश्वासन देना चाहिये कि नागरिकों की सुरक्षा के लिये सभी संभव उपाय किये जायेंगे । वे भूतपूर्व संसद्-सदस्य हैं, लोक सभा में हमारे साथी रहे हैं और हमें यह सुनिश्चित करना जरूरी है. . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिये । आपको कुछ चीजें समझनी चाहियें । जब मैं यह आश्वासन दे रहा हूं कि आपकी बात सुनूंगा तब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है ।

प्रो० के०के० तिवारी : वहां आतंकवाद बढ़ रहा है ।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी (हावड़ा) : गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्रश्न वक्तव्य देने का नहीं है, कार्रवाई करने का है । मेरा अभिप्राय यह है कि एक आम नागरिक की जान भी महत्वपूर्ण है । जीवन एक बार मिलता है । यदि जान चली गई तो उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता । बात बिल्कुल साफ है कि हमें इसका ध्यान रखना आवश्यक है । गृह मंत्री यहां हैं । वह इस स्थिति की गंभीरता तथा महत्ता को समझेंगे । मैं समझता हूं वह आवश्यक कदम उठायेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात समाप्त क्यों नहीं होने देते ? जब मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं तो आप अनावश्यक रूप से इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? मैं कह रहा हूं कि यह बहुत जरूरी है कि मंत्री जी उन लोगों की ओर ध्यान दें जो बिना लाइसेंस के हथियार लिये फिरते हैं । आप कब तक इन लोगों को ऐसा करने देंगे । क्या होने जा रहा है ? आपको सख्त कदम उठाने की जरूरत है ।

यह मंत्री पर है कि वे सोमवार को सभा को विश्वास में लें । यदि आज ही उनको सूचना प्राप्त हो जाती है तो वह दे देंगे । मैंने उनसे कहा है । उनके पास नवीनतम जानकारी नहीं है । श्री भाटिया अस्पताल में हैं । मैं नहीं जानता कि उनकी हालत अब कैसी है । हम उनके स्वास्थ्य लाभ के लिये प्रार्थना ही कर सकते हैं और हमारी सहानुभूति उनके साथ है । लेकिन जब तक मंत्री

जी ध्यान नहीं देते,—ये लोग जो अवैध हथियार रखते हैं इनके पास नैतिक बल नहीं है, ये अनैतिक लोग हैं, चाहे वे कोई भी हों ।

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : यदि लोगों को इस तरह हथियार लेकर चलने दिया जायेगा तो सुरक्षा नहीं रहेगी ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस संबंध में कुछ करते क्यों नहीं हैं ?

श्री बसन्त साठे : हमें इस संबंध में कुछ करना चाहिये । जापान में हथियार लेकर चलना मना है चाहे वे वैध हों या अवैध । यदि हथियार लेकर चलने दिया जायेगा तो जीवन असुरक्षित रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय : सम्पूर्ण सभा को इस मामले का संज्ञान करना आवश्यक है । मैं इस सम्पूर्ण सभा को यह जिम्मेदारी सौंपता हूं कि वह इस मामले पर ध्यान दे ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान, अब मैं आपका ध्यान एक ऐसे मामले की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके बारे में इस संसद के सभी सदस्य चिंतित होंगे । यह संसद सदस्यों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है इसे मैंने स्वयं देखा है । यह मामला दो वर्तमान संसद-सदस्यों से संबंधित है । कुछ कर्मचारी जो मुख्यत: सम्पदा निदेशालय के थे, 220 विट्ठलभाई पटेल भवन स्थित उन संसद-सदस्यों के घर गये और जब वे लोग भोजन कर रहे थे तब उनके खाने के बरतन वस्तुत: उठाकर बाहर फैंक दिये गये । उनका सारा सामान लाया गया । उन्होंने कहा कि वे संसद-सदस्य हैं । लेकिन अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने ऐसे कितने ही संसद-सदस्य देखे हैं । इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप संसद-सदस्य हैं । आज विपक्ष के संसद-सदस्य की बात है कल सत्ताधारी दल के सदस्य की बात हो सकती है । यह संसद-सदस्यों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें । यद्यपि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कम से कम विशेषाधिकार का मामला स्वीकार किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को देखूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : उस सदस्य ने तो अधिकारियों के हाथों कष्ट उठाया । यदि मैं होता तो मैं उन अधिकारियों को रोकता, शारीरिक रूप से उनका विरोध करता । उसने ऐसा नहीं किया । उन्हें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने दिया जाये । . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपने साथियों, सदस्यों के सम्मान की रक्षा करनी है; वे माननीय व्यक्ति हैं; कल मैंने इस सारे मामले पर विचार किया था और जो मैं कर सकता था वह मैंने कल ही कर दिया । और जिस तरह से आप चाहें मैं वैसे करूंगा । हमारे कंधों पर भी जिम्मेदारी है । हम अलग से भी बात कर लेंगे और आप जो उपाय सुझाएंगे, वैसा करेंगे । मैं तो आपके हाथों में हूं । मैंने कहा है कि मैं तो आपके साथ चलूंगा । सभा जैसा भी कहेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, इस प्रकार नहीं । मैं इस तरह की बात कभी नहीं होने दूंगा ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह विशेषाधिकार का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । लेकिन विशेषाधिकार का प्रश्न उठाए जाने से पूर्व विशेषाधिकार का निर्धारण तो करना पड़ेगा । नहीं ? मैं इस बात को मानता हूं लेकिन मैं नियमों तथा

विनियमों को सबसे अधिक महत्व देता हूं और जब मेरा समाधान हो जायेगा तब मैं इसकी अनुमति दे दूंगा ।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : आपके नियमों को कोई चुनौती नहीं देता । यह प्रणाली है जो अपनाई जा रही है.....

अध्यक्ष महोदय : मेरा समाधान होने पर ही मैं इसकी अनुमति दूंगा ।

डा० ए०के० पटेल (मेहसाना) : मैंने नियम 388 के अधीन सूचना दी है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा । **(व्यवधान)**

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं आप नये सदस्य हैं । मैं इसे देखूंगा, आपसे बात करूंगा और फिर आपको सूचित करूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अस्वीकार नहीं किया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने उनके विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में अनुरोध किया है । जब प्रथम दृष्टया: मामला बनता है तब संबंधित सदस्य को, जो इस घटना से प्रभावित हैं, कुछ कहने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं आपसे बात करूंगा तब आपको बताऊंगा । यदि कुछ हुआ है तो मैं हर बात की अनुमति दूंगा; यहां तक कि मैं इसे विशेषाधिकार समिति को भेजने की भी अनुमति दे दूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : ठीक है, आप उनके विशेषाधिकार के प्रस्ताव को विचाराधीन रखिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही तो कहा है; मैंने इसे अस्वीकार नहीं किया है ।

श्री वसुदेव आचार्य : उन्हें बोलने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं । आप तो पुराने सदस्य हैं । मैं इस प्रकार कभी नहीं करता । क्या मैंने कभी इस प्रकार अनुमति दी है ? क्या मैं पूर्वोदाहरणों से हट रहा हूं ? इसकी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)**

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक (दुर्गापुर) : कल.....**(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है । आप अनावश्यक रूप से हमारे मामले को बिगाड़ रहे हैं । मैंने यही कहा है, हमारा मामला । कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा । इसकी चिन्ता मत करो ।

डा० ए० के० पटेल : मैं अहमदाबाद में पुलिस के अत्याचारों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । मैं पता लगाऊंगा । मैं ऐसा नहीं कर सकता । मैं इस प्रकार इसका संज्ञान नहीं कर सकता ।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

12.08 म०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

डाक विभाग और दूर-संचार विभाग की वर्ष 1985-86 की अनुमानों की ब्यौरेवार मांगें

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्री राम निवास मिर्धा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) डाक विभाग की वर्ष 1985-86 को अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए सं० एल० टी० 735/85]

(2) दूर संचार विभाग के संबंध में वर्ष 1985-86 के लिये केन्द्रीय सरकार के व्यय हेतु अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा परिशिष्ट ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 736/85]

विभिन्न आश्वासनों, परिवचनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वायदों और परिवचनों, वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विवरण संख्या 20—आठवां सत्र, 1982 **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 737/85]**	सातवीं लोक सभा
(2) विवरण संख्या 15—नवां सत्र, 1982 **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 738/85]**	
(3) विवरण संख्या 15—दसवां सत्र, 1982 **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 739/85]**	
(4) विवरण संख्या 14—ग्यारहवां सत्र, 1983 **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 740/85]**	
(5) विवरण संख्या 10—बारहवां सत्र, 1983 **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 741/85]**	
(6) विवरण संख्या 8—तेरहवां सत्र, 1983 **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 742/85]**	
(7) विवरण संख्या 7—चौदहवां सत्र, 1984 **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 743/85]**	
(8) विवरण संख्या 3—पन्द्रहवां सत्र, 1984 **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 744/85]**	
(9) विवरण संख्या 2—पहला सत्र, 1985 **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 745/85]**	आठवीं लोक सभा

रबड़ बोर्ड, कोट्टायम (केरल) के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्य-करण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम (केरल) के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम (केरल के वर्ष 1983-84 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम (केरल) के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(3) उपर्युक्त (1) और (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाल दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 746/85]

12.09 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति तथा किसानों के लिए राहत उपाय करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : महाराष्ट्र में लगातार 4 वर्षों से अकाल पड़ रहा है जिसके कारण वहां के किसानों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है । उन्हें सरकार द्वारा राहत प्रदान करना तो दूर रहा, उनसे जबरन ऋणों की वसूली की जा रही है । ऋणों की राशि भी ब्याज मिलाकर चार गुनी हो चुकी है । उनसे सर्वे टैक्स, ई०जी०एस० टैक्स, इरीगेशन टैक्स आदि अनेकों नामों से उनसे पैसा वसूल किया जा रहा है ।

किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वे बीज भी नहीं खरीद सकते हैं । अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह महाराष्ट्र सरकार को आदेश दें कि तत्काल सभी प्रकार की वसूलियां स्थगित की जायें । केन्द्र सरकार वहां के किसानों को बुआई के लिए बीज तथा खाद सुलभ करायें और बैंकों व अन्य व्यापारिक संस्थानों के ऋण या तो माफ किये जायें अथवा उनका सारा ब्याज माफ किया जाये और उसकी उगाही भी तत्काल रोकी जाये और रोजगार गारंटी के अन्तर्गत छोटे तालाब का पुनर्निर्माण का काम तत्काल शुरू किया जाये ।

(दो) खगरिया (बिहार) के विकास के लिए वहां उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता

डा० सी० एस० वर्मा (खगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, खगरिया बिहार का बहुत अधिक अविकसित जिला है। वहां पर उद्योगों का सर्वथा अभाव है। सिंचाई आदि के भी पर्याप्त साधन नहीं हैं। जो कच्चा माल वहां उपलब्ध है उनका भी दोहन भली प्रकार नहीं किया जा रहा है और उन पर आधारित उद्योग भी नहीं लगाए गए हैं। खगरिया के पिछड़ेपन का एक कारण यह भी है कि वहां मास्टर-प्लान लागू नहीं किया गया है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर मास्टर प्लान लागू कराया जाए तथा उसके विकास के लिए वहां उद्योगों की स्थापना की जाए। केन्द्रीय सरकार खगरिया संसदीय क्षेत्र को अपनी योजना के अन्तर्गत लाकर ही इसका विकास कर सकती है। अन्यथा यह क्षेत्र विकास की सूची से अलग रह जाएगा।

(तीन) राजस्थान में उन किसानों को, जिनकी फसलों को ओलावृष्टि से क्षति पहुंची, सहायता देने के लिए राज्य सरकार को निदेश देने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : 1985 में मार्च के अन्तिम सप्ताह तथा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में राजस्थान में व्यापक ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से अलवर, भरतपुर, सीकर, झुनझुनू जिलों के तथा अन्य जिलों के किसानों की फसलों को शतप्रतिशत से 75 प्रतिशत की क्षति पहुंची है। किसानों ने अपनी खेती के लिए संकर बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों तथा डीजल तेल की खरीद में भारी राशि निवेश की थी। जिन किसानों के कुओं में बिजली लगी हुई है, उन्हें बिजली का व्यय भी देना है। जिन किसानों ने भूमि विकास बैंकों अथवा अन्य वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लिए वे, उन्हें ऋण की किस्त का भुगतान भी करना है। उन्हें ग्राम सहकारी समितियों को देय राशियों का भुगतान इस माह या आगामी माह करना है।

किन्तु ओलावृष्टि द्वारा फसलों के सम्पूर्ण विनाश ने किसानों को कंगाल बना दिया है।

वर्तमान दुर्भिक्ष संहिता के उपबन्ध के तहत तब तक वित्तीय सहायता अथवा क्षति के लिए मुआवजे की व्यवस्था नहीं है जब तक यह क्षति एक राजस्व ग्राम में बोई गई फसलों के कुल क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होती है। दुर्भिक्ष संहिता में यह उपबन्ध नहीं है कि किसी एक किसान को अपनी व्यक्तिगत जोतों पर बोई गई अपनी फसलों को हुई क्षति के आधार पर मुआवजा दिया जा सके।

अतः, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह दुर्भिक्ष संहिता का संशोधन करे तथा ओलावृष्टि से हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए तुरन्त एक अध्ययन दल भेजे। मैं भारत में राजस्थान सरकार को निदेश देने का भी अनुरोध करता हूं कि वह उन किसानों को, जिनकी फसलों को ओलावृष्टि से क्षति पहुंची है तुरन्त मुआवजे का भुगतान करे तथा सभी प्रकार के ऋणों की वसूली को स्थगित करे चाहे वे सहकारी समितियों अथवा सहकारी भूमि विकास बैंकों अथवा वाणिज्यिक बैंकों के हों।

(चार) लोगों को नौकरियां देने हेतु, बुन्देलखण्ड (मध्य प्रदेश) में राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य आरंभ करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड संभाग में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना आदि जिलों में वर्षा न होने के कारण फसल प्रायः नष्ट हो गई है। इन जिलों में सिंचाई के अन्य कोई साधन भी नहीं हैं। यह बेहद गरीब इलाका है। रोजी रोटी कमाने का अन्य साधन भी नहीं है। एन०आर०ई०पी० के अन्तर्गत अगर वहां शीघ्र ही बड़ी मात्रा में राहत कार्य नहीं खोले गए तो गरीब लोग बेकारी और भूख की चपेट में आ सकते हैं।

अतः सरकार शीघ्र अधिक से अधिक राहत कार्य हेतु प्रदेश सरकार को अधिक से अधिक धनराशि देने का कष्ट करे जिससे लोगों की जीविका एवं भरण-पोषण हो सके।

(पांच) पश्चिम बंगाल में सुन्दर बन बाघ परियोजना के आसपास बाघों से उत्पन्न खतरे से लोगों तथा पशुओं को बचाने के उपाय करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन बाघ परियोजना पूरी तरह एक सराहनीय प्रयास तथा एक बड़ा पर्यटक आकर्षण केन्द्र है। किन्तु इस समय इस क्षेत्र में बाघों की संख्या में हुई वृद्धि से न केवल मनुष्यों किन्तु भटके पशुओं के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हाल ही में कुछ घातक घटनायें हुई हैं जिनमें न केवल बन में चरने वाले पशु प्रत्युत कई ग्रामवासी भी बाघों की क्रूरता के शिकार हुए हैं। अब ऐसा समय आ गया जब लोग बन्य उत्पादों अथवा वहां बहने वाली नदियों में मछली पकड़ने या वहां अपने पशुओं को चराने ले जाने के लिए बन में जाने से अत्याधिक डरते हैं। बन के आस पास के ग्रामवासियों के मन में एक प्रकार का आंतक सा फैल गया है। अब समय आ गया है कि सरकार बन के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामवासियों का पुनर्वास करने हेतु कुछ ठोस पग उठायें और विकल्प के तौर पर किसी चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था करे तथा बन क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए कुछ बन रक्षकों को तैनात करे।

(छः) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में अकाल की स्थिति तथा वहां पर राहत कार्य करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। कृषि हेतु वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में पहले से ही अनाज आवश्यकता से कम पैदा हो रहा है। परन्तु इन दो वर्षों में लगातार सूखा पड़ने से स्थिति अत्यधिक चिन्ताजनक हो चुकी है। रबी की फसल 15 प्रतिशत मात्र है। खरीफ की फसल के आसार पूर्णतः समाप्त हैं। जानवरों को खिलाने के लिए घास भी उपलब्ध नहीं है। पीने के पानी के स्रोत लगातार सूखते जा रहे हैं। अतः सरकार से आग्रह है कि :

1. इन क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से बिक्री होने वाले गेहूं व चावल की प्रति यूनिट मात्रा को दुगना कर दिया जाए।

2. एन०आर०ई०पी० एवं आर०एल०जी०ई०पी० के तहत अधिक से अधिक कार्य दिवसों का सृजन किया जाए ।
3. यहां वनीकरण के कार्य को क्रैश प्रोग्राम के रूप में चलाया जाये ।
4. इन क्षेत्रों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित कर यहां बड़े पैमाने पर राहत कार्य प्रारम्भ होने चाहिएं ।
5. पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार को विशेष अनुदान प्रदान करे ।
6. लोगों से ऋणों की वसूली को स्थगित किया जाए ।

धन्यवाद ।

(सात) उड़ीसा में एक डाक मण्डल खोलने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जयन्ताथ पटनायक (कालाहांडी) : *उड़ीसा में कालाहांडी जिला कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर दूर संचार क्षेत्र में और भी पिछड़ा रहा है । इस जिले में अनेक गांव ऐसे हैं जहां शाखा डाकघर नहीं है । इसी प्रकार कई शाखा तथा उप-डाकघरों में कार्यभार बढ़ गया है । इन डाक घरों का दर्जा बढ़ाना बहुत आवश्यक है । किन्तु, यह बड़े खेद की बात है कि उन डाकघरों के दर्जे को बढ़ाने के लिए कोई पग नहीं उठाया गया है ।

इसके कारण स्पष्ट हैं । इसका कारण कालाहांडी में डाक मण्डल के न होना है । कालाहांडी को छोड़कर उड़ीसा में सभी जिलों में डाक मण्डल खोला गया है । इस जिले के लोग डाक मण्डल के खोलने में अनावश्यक विलम्ब के कारण बहुत ही उत्तेजित हैं ।

कालाहांडी में खनिज और वन सम्पदा का बाहुल्य है । इस जिले में अनेक सांस्कृतिक तथा शिक्षा संस्थायें हैं यदि वर्तमान डाक तथा दूर संचार प्रणाली में सुधार नहीं किया गया तो इस जिले के लोग कष्ट सहते रहेंगे ।

इस मांग को दृष्टिगत रखकर मैं मांग करता हूं कि बिना कोई और विलम्ब के कालाहांडी में एक डाक मण्डल खोला जाना चाहिए ।

(आठ) उत्तर प्रदेश में, विशेषकर शाहजहांपुर में, बिजली की अत्यधिक कमी तथा अन्य राज्यों से वहां बिजली देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर) : मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश राज्य में, विशेषकर जिला शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में बिजली की अत्यधिक कमी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जहां बिजली प्रति दिन छः से आठ घंटे से अधिक नहीं मिल रही है ।

बिजली की कमी के कारण शीतागारों में लाखों टन आलू को क्षति पहुंच रही है । शहरी क्षेत्रों में पेयजल की अत्यधिक कमी है । गेहूं की फसल कटाई में बाधा पड़ रही है और खड़ी

*उड़िया में दिये गये वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। अपराध दर बढ़ गई है और उद्योग स्थाई रूप से बन्द होने के खतरे का सामना कर रहे हैं।

मैं मांग करता हूं कि दूसरे राज्यों से बिजली को लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तुरन्त पग उठाएं जाने चाहिए ताकि उस स्थिति से, जिसका सामना समस्त राज्य विशेषकर शाहजहांपुर जिला कर रहा है, बचा जा सके।

12.20 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86— (जारी)

(एक) उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय—(जारी)

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, 1980 के पश्चात् नई औद्योगिक नीति, जिसकी अब हमें बहुत ही शीघ्र घोषित किये जाने की अपेक्षा है, और औद्योगिक नीति के बनाये जाने से पूर्व मैं मन्त्री महोदय के विचारार्थ कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शताब्दी वर्ष है और मुझे आशा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से विचार करेगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरु के आधुनिक भारत के स्वप्न इन्दिरा जी के आत्म-निर्भरता की अर्थ व्यवस्था के स्वप्न और जिसका अनुसरण अब वर्तमान नेता राजीव जी द्वारा किया जा रहा है, को यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखा जाये कि नई औद्योगिक नीति में, जिसे तैयार किया जा रहा है, सरकारी क्षेत्र पर अधिक जोर दिया जाएगा। मुझे यह कहने में खेद हो रहा है कि गत अढ़ाई महीनों से समाचारपत्रों में यह कहा जा रहा है कि सम्भवतः हम अचानक ही सरकारी क्षेत्र के विकास की ओर कुछ उदासीन हो गये हैं और हम गैर-सरकारी क्षेत्र पर कुछ अधिक जोर देने की सोच रहे हैं। मैं गैर-सरकारी क्षेत्र के तेज औद्योगिक विकास और उसकी उत्पादकता का विरोधी नहीं हूं, किन्तु सरकारी क्षेत्र के विस्तार तथा विकास की कीमत पर यह नहीं होना चाहिए। मैं इसका भी उल्लेख करूंगा कि गत कुछ वर्षों में यह प्रवृत्ति बनी है कि सभी प्रकार के राष्ट्रीयकरण को हतोत्साहित किया जाये, सभी प्रकार के प्रबन्ध-ग्रहण को हतोत्साहित किया जाये, और सरकार द्वारा सभी प्रबन्ध संबंधी नियंत्रण को हतोत्साहित किया जाए। आखिरकार गैर सरकारी क्षेत्र क्या है? भारत में गैर सरकारी क्षेत्र गैर सरकारी पूंजी के सही अर्थ में अब गैर-सरकारी क्षेत्र नहीं रहा है, जैसाकि आज विश्व के किसी यूरोपीय या पश्चिमी भाग में देखते हैं, भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र का सिद्धान्त इस अर्थ से सरकारी क्षेत्र का सिद्धान्त है कि जो धन आप गैर सरकारी इकाइयों में लगाते हैं, वह अधिकांशतः वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से आता है। केवल बात यह होती है कि प्रबन्धक कार्य कुशलता और नियंत्रण सरकार के पास नहीं होता है, वे गैर-सरकारी लोगों के पास होता है। अतः लोगों के अधिक धन को लगाकर के बिना सरकारी नियंत्रण के गैर-सरकारी क्षेत्र पर अधिक जोर देने, और इस

तरह से राष्ट्रीयकरण तथा प्रबन्धग्रहण को हतोत्साहित करने की बात मेरी समझ में नहीं आती है। इससे यदि एक समाजवादी समाज को प्राप्ति न सही तो एक न्यायोचित समाज के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सहायता किस प्रकार मिलती है ? अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस विचार से किसी भी प्रकार से प्रभावित न हों कि राष्ट्रीयकरण कर देने से ही देश की सहायता नहीं होगी। इसके विपरीत मैं कह सकता हूं कि यदि वित्तीय नियंत्रण और प्रशासन बहुत ही कार्यकुशल है और वे विशेष सुविधाएं तथा अन्य लाभ, जो गैर-सरकारी क्षेत्र में दिये जाते हैं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी दे दिये जायें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि गैर सरकारी क्षेत्र की तुलना में हम और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। गैर-सरकारी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र की कीमत पर यह सभी अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहा है। सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों का वास्तविक लाभ निजी क्षेत्र को होता है जो अपनी पूंजी का निवेश नहीं करता अपितु लोक वित्तीय संस्थाओं से धन लेकर सरकारी क्षेत्र को उस लाभ से वंचित करता है। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय औद्योगिक नीति निर्धारण करते समय सरकार को कांग्रेस शताब्दी वर्ष में कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने सरकारी क्षेत्र पर अधिक जोर दिया है जिससे वह जनता को यह आश्वस्त कर सके कि हम अपने रास्ते तथा पंडित नेहरू तथा इन्दिरा जी के वायदों पर चल रहे हैं।

मैं इस वाद विवाद में केवल एक पहलू—रुग्ण उद्योग की ही चर्चा करूंगा। पिछले एक माह से मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा हूं कि मंत्रालय रुग्ण उद्योगों को बन्द करने की सोच रहा है। क्यों ? इन एककों को रुग्ण किसने बनाया ? सरकार का क्या दायित्व है ? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल राज्य मात्र राजनैतिक कारणों से ही रुग्ण उद्योगों द्वारा कुप्रभावित नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी सरकार से मेरे मतभेद हो सकते हैं, मैं उन्हें अन्य कई बातों के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता हूं परन्तु मैं एक बात यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी से इस लिए मुंह नहीं मोड़ सकती कि पश्चिम बंगाल ने कभी भी जाति, सम्प्रदाय या क्षेत्रीय संकीर्णता की बात नहीं की है। मैं लिखित प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में भारत के अनेक भागों में क्षेत्रीय आन्दोलनों के द्वारा साम्प्रदायिक तनाव के परिणामस्वरूप भाषाई तथा उग्रराष्ट्रवादी आन्दोलन शुरू हुए जिनके पश्चात् सरकार से समझौते के रूप में उन राज्यों में अनेक उद्योग लगे। क्या आप इसी प्रकार समस्याएं सुलझाएंगे ? आसाम में क्या हुआ ? पंजाब में क्या हो रहा है ? हम न केवल राजनैतिक रूप से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी रेलवे तथा अन्य क्षेत्रों में काफी रियायतें देकर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जिस पश्चिम बंगाल की अर्थ व्यवस्था ने राष्ट्रीय संघर्ष के दिनों से ही पूरे राष्ट्र की सम्पति को शक्ति प्रदान की थी और इसी कारण ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने वहां जाकर उसकी सम्पति को लूटा था। परन्तु अब क्या हो रहा है ? भारत के विभाजन के बाद कपड़ा मिलों की एककों ने अनेक समस्याओं के कारण वहां कार्य करना बन्द कर दिया। आर्थिक समर्थन के बिना प्रमुख उद्योग बन्द होने लगे।

मन्त्री महोदय, यदि आप अपने उत्तर में दर्शाये गए आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि भारतीय औद्योगिक ऋण निगम द्वारा पश्चिम एवं उत्तर भारत में किया गया पूंजी निवेश पूर्वी भारत की तुलना में कहीं अधिक है। मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं कि पूर्वी भारत

में यह कम है क्योंकि पश्चिम बंगाल ने जातिवाद, क्षेत्रवाद तथा साम्प्रदायिकता में विश्वास नहीं करता । इसीलिए आप उनकी समस्याओं को सुलझाने में अधिक रुचि नहीं दिखा रहे हैं । यदि यह स्थिति भारत के किसी अन्य भाग की होती तो आपको देश में गंभीर उथल-पुथल की स्थिति का सामना करना पड़ता । पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इसका दण्ड लगातार भुगतते रहेंगे । आई०टी०बी०आई०, आई०सी०सी० आई० का बंगाल में निवेश बहुत कम है तथा कुल मिलाकर पूर्वी भारत में सबसे कम है । इससे राष्ट्रीय एकता, जोकि हमारा उद्देश्य है, में बाधा पड़ेगी । आपको इस पहलू पर गौर करना पड़ेगा तथा बहानेबाजी की प्रवृति से बचना पड़ेगा । अत: मेरा अनुरोध है कि बंगाल के मामले में इन संस्थाओं के निवेश पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

मैं इन्दिराजी का आभारी हूं कि जब 1971 में बंगाल में बहुत गड़बड़ी थी तो वह वहां गई थीं । उन्होंने वहां के औद्योगिक कर्मचारियों तथा जनता की कठिनाईयों को देखा था । उन्होंने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (आई०आर०सी०आई०) नामक एक संस्था गठित की थी जिसे अब आई०आर०बी०आई० के नाम से जाना जाता है । महोदय, पिछले मास मैं जब उनसे मिला तो मुझे यह जानकर दु:ख हुआ कि उन्होंने किसी एकक की निगरानी संबंधी अपनी नीति अब बदल दी है । अब वे धन देकर एकक की निगरानी नहीं करेंगे । वे किस प्रकार अपने इस उत्तरदायित्व से बच सकते हैं ? आई०आर०सी०आई० तथा आई०आर०बी०आई० का गठन किस लिए किया गया था ? मैं केवल एक उदाहरण दूंगा । मैं हावड़ा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है तथा वहां अधिकांश कुशल मजदूर उपलब्ध हैं । उस निर्वाचन क्षेत्र में अनेक सरकारी एकक भी हैं । उनका उल्लेख मैं बाद में करूंगा । वहां आई०आर०सी०आई० ने लाभ कमाने वाली एककों को धन दिया था । एककों द्वारा लाभ कमाना शुरू करने पर आई०आर०सी०आई० उनका वित्तपोषण नहीं करती । मैं इण्डियन मशीनरी का उदाहरण दूंगा । यह महान उद्योगपति लाला मोहनदास द्वारा स्थापित की गई थी । इसका वित्त पोषण आई०आर०सी०आई० द्वारा किया गया था । उसने 'एवेरो इण्डिया' तथा निजी क्षेत्र की सभी कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा में बड़ी संख्या में मशीनों का निर्माण करके पिछले वर्ष लाभ अर्जित किया । मैंने जब आई०आर०सी०आई० से पूछा कि आप लाभ अर्जित करने वाली अच्छी एकक का वित्त पोषण क्यों नहीं करते ? क्या उद्योगों की सहायता करने का यही तरीका है ? क्या सरकार की यही नीति है ? अत: मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आई०आर०बी०आई० को एक बार पुन: इस बात के लिए मजबूर करें कि वे जहां भी धन लगायें, वहां उन्हीं का वित्तीय नियंत्रण हो । इसके अतिरिक्त, आई०आर०सी०आई० द्वारा सम्पूर्ण एकक का प्रबन्ध संभालने हेतु तकनीकी सहायता भी दी जानी चाहिए । अन्यथा निजी प्रबन्ध को धन देने का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वे सारे धन का अन्यत्र उपयोग करेंगे एकक को रुग्ण बना देंगे । पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है । एक के बाद एक बैंक, लोक वित्तीय संस्थाएं पुराने एककों को धन उपलब्ध करा रहे हैं और वह इस धन का अनयत्र उपयोग करके एककों को रुग्ण बना रहे हैं । यह उचित नहीं है । अत: मैं माननीय मन्त्री जी को तीन सुझाव दूंगा । पहला यह कि वे वित्त मन्त्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा आपूर्ति मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक समिति अविलम्ब नियुक्त करें क्योंकि जहां तक लघु उद्योगों के उत्पाद की बिक्री का संबंध है, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय सर्वाधिक महत्वपूर्ण विंग है और एक समन्वय ब्यूरो द्वारा बंगाल की सभी बन्द एवं रुग्ण एककों

की जांच करवाई जाये । तत्पश्चात् निम्न प्रकार निर्णय लिए जायें प्रथम, जिन एककों की आर्थिक, स्थिति सुदृढ़ हो, उन्हें नये प्रबन्ध मण्डल के साथ संसाधन तथा सहायता उपलब्ध कराई जाये । बशर्ते कि तकनीकी तथा वित्तीय प्राधिकार बैंक अथवा लोक वित्तीय संस्थाओं के हों, न कि पुराने प्रबन्ध मण्डल के । जैसाकि हमारे प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री ने कहा है, खराब प्रबन्ध मण्डल खराब मुद्रा के समान है और हमें उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए । रुग्ण एककों के लिए इसे समुचित रूप से लागू किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, जिन एककों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह ठीक न हो और वे पुराने तथा अप्रचलित उत्पाद तैयार करती हों, तो कृपया आधुनिकीकरण के द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया जाना चाहिए । मैं आपको इस सभा में बताना चाहता हूं कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे भय है कि बंगाल में 1961 तथा 1971 की तरह की हिंसात्मक गड़बड़ी की गंभीर घटनाएं फिर हो सकती हैं जिसमें युवाओं की कुण्ठा के कारण तथाकथित नक्सलबादी आंदोलन के माध्यम से अनेक लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है । आपको यह नहीं समझना चाहिए कि इस प्रकार का आन्दोलन समाप्त हो गया है या उसे दबा दिया गया है ? यदि आप समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो आप उन्हें इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने के अवसर प्रदान करके पुनः वैसी ही स्थिति पैदा करवा देंगे । अतः आप राजनैतिक दल तथा राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या का गम्भीरता पूर्वक समाधान निकालने का प्रयास करें ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हुगली डाक इंजीनियरिंग तथा पोर्ट इंजीनियरिंग नामक प्रसिद्ध इंजीनियरिंग एकक हैं । इन्होंने अच्छे परिणाम दिखाये हैं । मैं पिछले सप्ताह अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के समय इन एककों में गया था । वहां नियुक्त कार्यकारी निदेशक अगले तीन-चार मास में सेवानिवृत्त हो जायेंगे और वे इन एककों के विस्तार में रूचि नहीं ले रहे हैं । मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस सत्र के बाद इन एककों का दौरा करें तथा स्वयं इस बात को देखें कि अफसरशाही की सहायता से वहां वस्तुतः क्या हो रहा है ? मुझे यह कहते हुए खेद है कि उद्योग मंत्रालय के कुछ अफसरों का इनमें वैयक्तिक हित तथा लाभ है । मैं उनके नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता । वे बंगाल के कुछ निकायों के अधिकारियों तथा अध्यक्षों की मिलीभगत के साथ अपने वैयक्तिक स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं । यदि मन्त्री जी चाहें तो मैं सिद्ध कर सकता हूं कि अभी तक भारतीय टायर निगम, एन्ड्रयू यूल तथा इण्डिया पेपर पल्प में इस प्रकार के कितने घृणित समझोते किये जा रहे हैं । बड़े पैमाने पर विघटनकारी प्रवृत्तियों वाले लोगों का गिरोह भारत सरकार के धन को लूटकर इन एककों को रुग्ण बना रहा है । अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अनेक व्यक्ति औद्योगिक दौरों के नाम पर विदेशों की यात्रा कर रहे हैं । आप कृपया इन एककों का ख्याल रखें । मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा "इण्डिया मशीनरी" जो आर०आई०बी०आई० की सहायता से कुछ लाभ अर्जित कर रही है का राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में भी आप पहल करें ।

महोदय, आपने हैवी इंजीनियरिंग की अपनी रिपोर्ट में बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी को एक अच्छी एकक बताया है पर यह रेल डिब्बों की सप्लाई पर निर्भर करती है । रेलवे अपने डिब्बे नहीं दे रहा है । इस एकक को बन्द करना पड़ेगा । आप इस एकक की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं ? अन्य पहलुओं का उल्लेख किये बिना मैं माननीय मन्त्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा

कि वे कृपया बंगाल को औद्योगिक संकट से बचायें, रुग्ण एककों की जांच हेतु एक समिति नियुक्त करें, लोक वित्तीय संस्थाओं की आदत व नीति में परिवर्तन करवायें और रुग्ण उद्योगों की व्यापक समस्याओं पर विचार करें और उनकी वित्तीय स्थिति पर निगरानी रखने के लिए अधिकारी तथा प्रशासक भी नियुक्त करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात और कहकर एक मिनट में ही समाप्त करता हूं ।

वस्त्र उद्योग के संबंध में भारत सरकार महत्व देती है । लेकिन जहां तक पटसन और चाय उद्योग का संबंध है, मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि ..... कृपया मुझे प्रान्तवादी न समझें ..... आप इन्हें चीनी और कपड़ा उद्योग के बराबर महत्व नहीं देते । ऐसा क्यों है ? बम्बई के कपड़ा उद्योग की 13 बन्द होने वाली यूनिटों का प्रबन्ध ग्रहण क्यों किया गया और चीनी की 14 से भी अधिक यूनिटों को प्रोत्साहन क्यों दिया जाता है जबकि बंगाल की पटसन, चाय और इंजीनियरी यूनिटों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता ? यदि आप ऐसा करते रहे तो राजनीतिक दल देश की अखंडता की रक्षा करेंगे, लेकिन इसे अस्वीकार न करें कि ऐसी ताकतें हैं जो पूर्वोत्तर भारत की ओर की अन्य विखंडनकारी ताकतों की सांठगांठ और उनकी सहायता से बंगाल में अपना कुप्रभाव जमाने का प्रयास कर रही हैं । कृपया इसे बचाएं, और रिलायंस टैक्सटाइल्स की जांच करें । उन्होंने विदेशों से सहयोग स्थापित किया है और वे सरकार से फायदा उठाना चाहते हैं । मैं मांग करता हूं कि बाहर से सहयोग प्राप्त करने के लिए रिलायन्स टैक्सटाइलस को जारी किये गए लाइसेंस की जांच करें क्योंकि उसमें अधिकतर नाम जाली हैं ।

इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह स्वयं बंगाल का दौरा करें और पश्चिम बंगाल की सरकार, अन्य ट्रेड यूनियनों और बंगाल से चुनकर आए संसद-सदस्यों के साथ बातचीत करके यह देखें कि वह किस प्रकार पश्चिम बंगाल के औद्योगिक वातावरण विशेषकर बंगाल के रुग्ण यूनिटों में सुधार ला सकते हैं । धन्यवाद ।

***श्री पी० ग्रप्पालानरसिंहम** (अनकापल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, हम उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं । मैं उद्योगों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

श्रीमान कृषि के बाद उद्योग का ही स्थान आता है । अतः देश में उद्योगों का विकास किया जाना अत्यन्त आवश्यक है । दुर्भाग्यवश देश में कई राज्य ऐसे हैं जिनमें औद्योगिक प्रगति बिल्कुल नहीं हुई । यह भी एक कारण है कि पश्चिम के औद्योगिक देशों की तुलना में हम आर्थिक दृष्टि से इतने पिछड़े हुए हैं । किसी भी देश की सम्पन्नता उस देश के उद्योगों पर निर्भर करती है ।

बड़े उद्योग, मझले उद्योग और लघु उद्योग सभी अपने-अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं । इस लिए देश में इनके विकास के लिए सभी उपाय किये जाने आवश्यक हैं ।

बेरोजगारी देश की ज्वलंत समस्याओं में से एक है ; वृहत औद्योगिकीकरण कार्यक्रम को अपनाने से यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है । देश भर में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना

*तेलगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर ।

की जानी चाहिए। सरकार का यह सुनिश्चित करने का प्रयास होना चाहिए कि राज्यों में कम से कम दो सौ बड़े उद्योग स्थापित किए जाएं और देश के प्रत्येक गांव में कम से कम एक लघु उद्योग हो। ऐसा करने से देश का समान रूप से विकास होगा।

श्रीमान्, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में कई लोगों को नए उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे। लेकिन इन लोगों को वित्तीय संस्थाओं से कोई सहायता नहीं मिल रही है। अतः सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिन लोगों को पहले ही लाइसेंस दिये गये हैं उन्हें साथ-साथ वित्तीय सहायता भी दी जाए। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने नए उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन किये हैं। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने हेतु उन्हें अविलम्ब लाइसेंस जारी किए जाने चाहिएं। मेरे विचार में देश के तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए ये कदम उठाने बहुत आवश्यक हैं।

श्रीमान्, मैं माननीय मन्त्री का ध्यान एक और महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार को सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए जितनी भूमि चाहिए सरकार द्वारा उससे काफी अधिक भूमि अर्जित की जा रही है। इसकी क्या आवश्यकता है ? इससे बहुत से व्यक्तियों को अकारण उनकी भूमि से वंचित किया जा रहा है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उद्योग लगाने के लिए आवश्यकता से अधिक एक भी इंच भूमि अर्जित नहीं की जानी चाहिए।

श्रीमान्, आंध्र प्रदेश के विजाग जिले में के० डी० पेट्टा स्थान एल्युमिना का कारखाना लगाने के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। इस उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल इस क्षेत्र में बहुतायत से मिलता है। एल्युमिना संयंत्र की स्थापना हेतु विशेषज्ञों की रिपोर्ट में भी के०डी० पेट्टा की ही सिफारिश की गई है। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अनुरोध करता हूं कि के०डी० पेट्टा में एल्यूमिना संयंत्र लगाने हेतु शीघ्र कदम उठाये जायें।

इसके साथ-साथ मैं यह अनुरोध भी करता हूं कि हमारे राज्य में काजीपेट में सवारी डिब्बे बनाने का कारखाना लगाया जाए क्योंकि इसके लिए यह बहुत उपयुक्त स्थान है।

श्रीमान्, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अलावा देश के सभी राज्य पिछड़े हुए हैं। देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए इन सभी राज्यों का समान औद्योगिकीकरण बहुत आवश्यक है। हमारे प्रिय नेता श्री एन० टी० रामाराव ने गत वर्ष अमरीका का दौरा किया ताकि वहां रहने वाले भारतीयों, विशेषकर तेलुगू लोगों, को भारत में औद्योगिकीकरण हेतु अपना योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन लोगों ने इस सम्बन्ध में काफी उत्साह दिखाया है। अतः केन्द्रीय सरकार के स्तर पर भी ऐसे कदम उठाए जाने चाहिएं, जिन से विदेशों में बसे भारतीयों को यहां उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिले। इससे देश का औद्योगिकीकरण तीव्र गति से होने में काफी सहायता मिलेगी।

श्रीमान्, मुझे यह अवसर दिये जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वी क्षेत्र में अधिकतर उद्योग, विशेषकर काफी संख्या में भारी उद्योग और लघु उद्योग या तो रुग्ण हैं या रुग्ण हो रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि रुग्ण उद्योगों को अधिक अनुदान दिया जाए, उनके लिए अधिक धन आवंटित किया जाए। आज पूर्वी भारत में ज्वलंत समस्या यह है कि इन रुग्ण तथा बन्द यूनिटों के लिए क्या किया जाए। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यदि ऐसे उद्योगों को समुचित वित्तीय सहायता न दी गई तो उनकी रुग्णता के कारण और उद्योग बन्द हो जाएंगे।

पश्चिम बंगाल में, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र दमदम में, जो पश्चिम बंगाल की अत्याधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक पट्टी मानी जाती है, लगभग 3000 छोटे या मझले आकार के उद्योग बन्द हैं या रुग्ण हैं या रुग्ण हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की औद्योगिक पट्टी में, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, स्थित भारी उद्योग रुग्ण हैं या ठीक से नहीं चल रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपको एक ख्याति प्राप्त तथा महत्वपूर्ण उद्योग जेसप्स एण्ड कम्पनी का उदाहरण दे सकता हूं। इस कम्पनी में पहले कर्मकारों की संख्या 12,000 थी जो अब घटकर 9,000 रह गई है। प्रबन्धकीय पदों की संख्या 600 से बढ़कर 1,200 हो गई है जबकि कामगारों की संख्या 8,000 से घटकर 6,000 रह गई है। उद्योग धन्धों को सुचारू बनाने और रुग्ण उद्योगों को बचाने के लिए हम जो नीति अपना रहे हैं उसमें यह अपेक्षित है कि अधिक आवंटन किया जाए।

अब, जब हम उद्योग मंत्रालय के अनुदानों पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। यदि हम देखें कि ऐसे रुग्ण उद्योगों या बंद पड़े उद्योगों को वित्तीय संस्थाओं या सरकारी सहायता के माध्यम से भी पुनः चालू नहीं किया जा सकता तो निजी क्षेत्र को और प्रोत्साहन दिए जाएं और अनुदानों में कुछ धन आवंटित किया जाए ताकि निजी क्षेत्र के उद्यमी उन रुग्ण उद्योगों को अपने हाथ में लेने के लिए आगे आएं। यदि वे देखते हैं कि उन रुग्ण उद्योगों में से किसी को अर्थ-क्षम बनाया जा सकता है तो वे उन रुग्ण उद्योगों को अपने हाथ में ले सकते हैं या यदि संभव हो तो उन्हें अपने लाभदायक उद्योगों के साथ मिला भी सकते हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि कोई भी निजी क्षेत्र का उद्यमी तब तक किसी रुग्ण उद्योग को अपने हाथ में नहीं लेगा जब तक कि समुचित आवंटन न किया जाए ताकि निजी क्षेत्र को वित्तीय प्रोत्साहन या वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सहायता या सरकार द्वारा सहायता दी जाए।

माननीय मंत्री को औद्योगिक कामगारों की पुनर्शिक्षा पर भी विचार करना चाहिए। यदि कोई कम्पनी या कारखाना बंद हो जाता है या कुछ समय के लिए बंद हो जाता है तो कुशल कामगारों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसे मैं पुनर्शिक्षा कह रहा हूं, ताकि यदि आवश्यक हो तो बंदी की अवधि में या ताला बंदी की अवधि में कामगारों को किसी अन्य क्षेत्र या उद्योग के लिए प्रशिक्षित किया जा सके और यदि संभव हो तो उन्हें वहीं नियोजित भी किया जा सके। इससे कामगारों का भार कम होगा तथा कामगारों के कष्ट भी कम होंगे। आप मानेंगे कि यदि कोई कारखाना या छोटा या बड़ा उद्योग लगातार कई वर्ष तक बंद रहे तो उसके कामगारों तथा उनके परिवारों पर क्या बीतती है। मैं संबंधित मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इसके लिए कुछ धन आवंटित करने पर विचार करें ताकि किसी कम्पनी के बंद हो जाने पर कामगारों को पुनः शिक्षित किया जा सके और इस पर आने

वाला खर्च सरकार वहन करे तथा नियोजक वहन करे ताकि भविष्य में यदि कोई कंपनी बंद हो जाए तो कामगारों को कष्ट न उठाने पड़ें ।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि औद्योगिक वातावरण को फिर से बनाने तथा रुग्ण और बंद यूनिटों को फिर से सुचारू ढंग से चलाने के लिए—विशेषकर मैं देश के पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, कंपनी कानून या कारपोरेट कानून में मूलभूत परिवर्तन करना भी आवश्यक है । यद्यपि इस बात का उल्लेख करना यहां पर असंगत है तथापि मैं यह सुझाव देना आवश्यक समझता हूं कि कंपनी कानून में संशोधन की आवश्यकता है । इसके बिना हम रुग्ण या बंद पड़े उद्योगों को नहीं बचा सकेंगे ।

हम देखते हैं कि वर्तमान बजट में निगमित क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन दिए गए हैं । लेकिन हम यह नहीं मान सकते कि यह लोग इतने भले हैं कि यदि उन्हें लाभ हुआ तो वे धन का उसमें पुनः निवेश करेंगे । कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाने आवश्यक हैं जिनसे इन उद्योग-पत्तियों को जो लाभ हो उसे वे कंपनी से अन्यत्र न लगाएं । उन्हें इस धन को देश के हित में तथा उद्योग के और विकास हेतु पुनिवेशित करना होगा ।

यह बहुत आवश्यक है कि रुग्ण तथा बंद यूनिटों को पुनरुज्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा एक समय बद्ध कार्यक्रम तैयार करके एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की जाए । लेकिन समिति नियुक्त कर देने मात्र से कुछ नहीं होगा । समिति को गहराई से देखना होगा कि समस्याएं और कारण क्या हैं । समिति को निर्धारित समय तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी होगी ताकि भविष्य में हम यह जान सकें कि पूर्वी क्षेत्र में छोटे पैमाने के इतने सारे उद्योग किन कारणों से बंद हैं ।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकों की गलत नीतियों के कारण औद्योगिक क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं । यदि माननीय मंत्री इस स्थिति पर विचार करें और विभिन्न कंपनियों और उद्योगों की रिपोर्टों को देखें तो उनको पता चलेगा कि बैंकों की गलत नीति के कारण अधिकांश छोटी इकाईयां और कुछ बड़े उद्योग या तो रुग्ण हो रहे हैं या बंद हो रहे हैं । बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या रुग्ण उद्योगों द्वारा लिए गए ऋण पर लगे ब्याज को माफ किया जा सकता है । इससे हमारे देश में, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में लगे उद्योगों को सहायता मिलेगी ।

पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर पश्चिमी बंगाल, औद्योगिक उत्पादन में पिछड़ा हुआ है । यदि हम पश्चिम बंगाल और पूर्वी क्षेत्र को नहीं बचा सकते हैं तो अन्ततोगत्वा इसका प्रभाव देश की सम्पूर्ण औद्योगिक नीति पर पड़ेगा । इसलिए, उद्योगों के विकास के लिए पूर्वी क्षेत्र को अधिक राशि आवंटित की जानी चाहिए । यदि यह समझा जाता है कि रुग्ण उद्योगों को अधिक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए तो ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए ।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : महोदय, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है और हमारी औद्योगिक नीति भी इसी पर आधारित है । चाहे कागज पर

ही सही, सरकार ने अपनी योजनाओं में भी अब तक यही कहा है कि सरकारी क्षेत्र भारत के औद्योगिक विकास का केन्द्र है, हालांकि वास्तव में सरकार बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों और 'फेरा' ग्रुप की सहायता कर रही है । सरकार अब बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों और 'फेरा' ग्रुप की खुले आम सहायता कर रही है । ऐसा वह दो बार कर चुकी है । इस बारे में कोई लुका-छिपी की नीति नहीं है ।

यूरोपीय विपणन फेडरेशन फाउंडेशन द्वारा 15 अप्रैल, 1985 को आयोजित गोलमेज विचार-विमर्श में, माननीय प्रधान मंत्री ने खुले आम विदेशी उद्योगपतियों को भारत में पूंजी-निवेश करने का निमंत्रण दिया । अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भारत की औद्योगिक नीति ने सरकारी क्षेत्र का परित्याग कर दिया है और यह बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों और 'फेरा' ग्रुप के पक्ष में है । अमरीका, फ्रांस, इटली और जापान की औद्योगिक लाबी भारत की नई औद्योगिक नीति से बहुत प्रसन्न है । महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि मंत्री जी "वाल स्ट्रीट" पत्रिका में जो लिखा है उसे देखें । यह पत्रिका इतनी प्रसन्न है कि इसने भारत की औद्योगिक नीति को 'राजीव-रेगन औद्योगिक नीति' का नाम दिया है । मेरा विचार है कि "वाल स्ट्रीट" पत्रिका ने जो नाम दिया है वह सही है इसने एक मार्का, सही नाम दिया है ।

अब मैं उद्योग-रहित जिलों के बारे में कुछ कहूंगा । मैं उद्योग-रहित जिले—कूच बिहार का रहने वाला हूं । उद्योग-रहित जिलों के बारे में भी एक नीति है । इस सम्बन्ध में, मैं सभा का ध्यान माननीय मंत्री जी द्वारा 9 अप्रैल को प्रश्न सं० 363 के दिए गए उत्तर की ओर दिलाना चाहूंगा । उन्होंने बताया कि इस देश में 90 उद्योग-रहित जिले हैं और यदि आप इस सूची को ध्यान से पढ़ें तो पता चलेगा कि इनमें से 37 जिले उत्तर बिहार, उत्तर बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्र, अर्थात् असम, मेघालय, मनिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के पिछड़े क्षेत्रों में हैं । सरकार 1950 से ही घोषणा कर रही है कि क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त करने के लिए इसका उद्देश्य तथा लक्ष्य पिछड़े क्षेत्रों में, उद्योग-रहित जिलों में उद्योग स्थापित करने हैं । लेकिन आप इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र, इस सम्बन्ध में सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र रहा है । यदि आप आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि 1979-80 में 102 उद्योग-रहित जिले थे और 1985-86 में 90 उद्योग-रहित जिले हैं । निश्चित रूप से यह अच्छी स्थिति नहीं है । पिछले छः वर्षों में, केवल 12 उद्योग-रहित जिलों को औद्योगिक जिलों में परिवर्तित किया गया है । अभी भी 90 उद्योग-रहित जिले हैं । इन्हें औद्योगिक जिलों में बदलने में कितना समय लगेगा । दो जिले प्रति वर्ष की दर से, जो दर इस समय चल रही है, 45 वर्ष लग जायेंगे । अतः, 2030 तक कोई भी जिला उद्योग-रहित नहीं रहेगा, बशर्ते इस बीच कोई और उद्योग-रहित जिले न बन जायें । आपकी कार्यकुलशता यही है । आप 1980 से इस सभा में वायदा करते आ रहे हैं कि आप सभी उद्योग-रहित जिलों को औद्योगिक जिले बनायेंगे, लेकिन इस बारे में आप असफल रहे हैं । यह स्पष्ट हो गया है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग-रहित जिलों को औद्योगिक जिले बनाने का आपका कोई इरादा नहीं है ।

अब मैं दूसरे प्रश्न, अर्थात् रुग्ण उद्योगों के बारे में कहूंगा । यह बात सही है कि पश्चिम बंगाल रुग्ण उद्योगों में सबसे ऊपर है । इसका क्या कारण है ? जैसा कि मेरे मित्र

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने बताया है, यह प्रक्रिया 1980 से प्रारम्भ हुई, जब आपने कोयले और इस्पात के भाड़ा का समानीकरण किया । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल में और विशेषकर मेरे निर्वाचन-क्षेत्र कूच-बिहार में या उत्तर बंगाल में या दार्जिलिंग में कोयले और इस्पात का मूल्य पंजाब की तुलना में अभी भी अधिक है । कोयला उत्पादन क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है । इस्पात उत्पादन क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है । लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को अन्य दूरस्थ लोगों की तुलना में ज्यादा मूल्य देना पड़ता है । चाहे पंजाब हो या राजस्थान, वहां के लोग कम मूल्य पर खरीदते हैं । यही मुख्य कारण है । 1950 में उसी दिन से, जब भाड़ा समानीकरण किया गया था हम पीड़ित हैं । इस सब में सर्वाधिक नुकसान हुआ है पटसन उद्योग को और इस सभा में यह बात पहले ही बतायी जा चुकी है कि इस समय लगभग 15 पटसन मिलें बन्द पड़ी हैं । इसके अतिरिक्त, 3 मिलें स्थायी रूप से बन्द हो गई हैं । इसका क्या कारण है ? जहां तक मेरा अध्ययन है— इसके मुख्य कारण हैं : पटसन मिलों की पूंजी किन्हीं अन्य ऐसे उद्योगों में लगाना, जहां उनके स्वामी अधिक लाभकारी समझते हैं, पटसन उद्योग के प्रबन्धकों ने आधुनिकीकरण के प्रति हमेशा उदासीनता दिखायी है । इसके बाद, अन्य कारण यह है कि पटसन उद्योग की अर्थ-व्यवस्था के परिणामस्वरूप पटसन उत्पादक अपने कच्चे पटसन के लाभप्रद मूल्य प्राप्त करने से वंचित रहे हैं । एक अन्य कारण यह है कि प्रबन्धकों की नीति पटसन कर्मियों का शोषण करना रही है । यह मुख्य कारण हैं । इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार चाहती है और उन्होंने केन्द्रीय सरकार से दुबारा अनुरोध किया है कि पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये । पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था । यह फार्वर्ड ब्लाक, सी. पी. आई. (एम.) या आर एस. पी. अथवा सी. पी. आई. का प्रश्न नहीं है । आपके कांग्रेस के सदस्यों ने भी इस संकल्प का समर्थन किया था। यह सर्वसम्मति से पारित संकल्प है । पटसन की सभी मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिए एक अधिनियम बनाया जाना चाहिए । आप इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते ? आप इसकी परवाह क्यों नहीं करते ? मुझे पेश आने वाली समस्याओं के बारे में पता है । आप बड़े-बड़े उद्योगपतियों यथा बिड़ला, बजोरिया, गोयंका आदि के साथ सांठ-गांठ कर रहे हैं । इसलिए आप यह नहीं चाहते.... **(व्यवधान)** पश्चिम बंगाल सरकार राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है ।

महोदय, आपको यह पता होना चाहिए कि औद्योगिक विकास के मामले में हम कितना नुकसान उठा रहे हैं । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा । पश्चिम बंगाल सरकार ने 40 : 40 : 20 के अनुपात के आधार पर लगभग 800 करोड़ रुपये लागत की हाल्दीया 'पैट्रोरसायन कम्पलैक्स' का मांग की थी लेकिन आपने मना कर दिया । किन्तु, आपने महाराष्ट्र सरकार की बात मान ली, जब उन्होंने लगभग 1200 करोड़ रुपये लागत की पैट्रो-रसायन कम्पलैक्स का प्रस्ताव रखा । आपने उत्तर प्रदेश को भी अनुमति दे दी । जब हम हाल्दिया में जलपोत मरम्मत यार्ड बनाने की बात करते हैं तो आप मना कर देते हैं । जब हम साल्ट लेक, कलकत्ता में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग लगाये जाने के लिए कहते हैं तो आप इस प्रस्ताव को भी नहीं मानते क्योंकि कलकत्ता से विदेशों की सीमा लगती है । लेकिन आप हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं । क्या ये क्षेत्र सीमा से परे हैं । यही मुख्य बात है । आप पश्चिम बंगाल को हर प्रकार से वंचित रखना चाहते हैं ।

जब हम उत्तर बंगाल में सीमेंट उद्योग और कागज बनाने का कारखाना लगाने के लिए कहते हैं तो आप मना कर देते हैं । मैं इस बजट का समर्थन कैसे कर सकता हूं जब यह लोग न केवल पश्चिम बंगाल को बल्कि तमाम पूर्वी क्षेत्र के प्रस्तावों को हमेशा ठुकरा देते हैं । मैं इसका समर्थन तभी कर सकता हूं जब आप हल्दिया के लिए एक पैट्रो-रसायन कम्पलैक्स और एक जलपोत मरम्मत यार्ड, साल्ट लेक में इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग और उत्तर बंगाल में सीमेंट संयंत्र और कागज बनाने का कारखाना लगाने की स्वीकृति दें । तब मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि मैं आपके बजट का समर्थन करूंगा, इस समय नहीं ।

धन्यवाद ।

1.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद सिंह (जौनपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत ही आभारी हूं कि आपने उद्योग विभाग की बजट मांगों पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों का हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूं ।

मान्यवर सन् 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय के योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री बी. आर. पटेल की अध्यक्षता में चार बहुत गरीब जनपदों की गरीबी का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया था जिसमें जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ तथा देवरिया जनपद थे ।

सन् 1964 में पटेल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें यह बताया गया कि उद्योग क्षेत्र में ऐसे बड़े उद्योग लगाए जायें जो अधिक लोगों को रोजगार दे सकें । समिति ने इन जिलों में कपड़े की मिल, खाद के कारखाने लगाने की भी रिपोर्ट दी थी तथा भारी इंजीनियरिंग के कारखाने लगाये जाने की भी सिफारिश की थी । पटेल समिति ने कहा था कि निजी क्षेत्र के लोग इन पिछड़े जिलों में कारखाना लगाने नहीं जायेंगे । यदि घाटा भी होता हो तो वहां कारखाने लगाये जायें, लेकिन खेद है कि अभी तक कोई कारखाना आज तक वहां नहीं लगाया गया है । जिस प्रकार उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा कश्मीर के विकास के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित की गई है, उसी प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित होनी चाहिए । इन जिलों में हमारे पिछड़ेपन का इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इन जिलों के शिक्षित, बेरोजगार भारत के किसी भी कोने में रोजी-रोटी खोजते मिलेंगे ।

मुझे यह जानकारी है कि जनपद जौनपुर में एक केबल कारखाना लगाने की योजना है । सर्वेक्षण करके मुगरा बादशाहपुर में जमीन भी उपलब्ध कर ली गई है, परन्तु इस बजट में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है । यह कब से चालू होगा, इसकी क्या लागत आयेगी, इसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया है ।

20 सूत्री कार्यक्रम के 18वें तथा 20वें सूत्र के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी औद्योगिक विकास विभाग की है । यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है । माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव जी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया है तथा उन जिलों में उद्योग लगाने पर बल दिया है जहां छोटे तथा बड़े कोई भी उद्योग नहीं हैं । आपने लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों को प्रति वर्ष पुरस्कार देने की भी घोषणा की है । मेरा सुझाव है कि स्वत: रोजगार योजना, जिसे हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा जी ने शुरू किया था, उसे चालू रखा जाये जिससे शिक्षित बेरोजगार, ग्रामीण कारीगरों, महिलाओं तथा विकलांगों को हम अधिक से अधिक राहत दे सकें ।

हमें खेद है कि उद्योग विभाग तथा बैंकों के बीच सामंजस्य न होने के कारण स्वत: रोजगार योजना का उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना इन्दिरा जी की कल्पना थी । मेरा यह भी सुझाव है कि स्थानीय लोगों को, नौकरियों पर रखने हेतु विशेष ध्यान देकर उनको प्राथमिकता दी जाये जिससे उनकी बेरोजगारी दूर हो सके ।

हम जो सामान तैयार करते हैं, वह अच्छे किस्म के तैयार नहीं हो पाते । उद्योग विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए ऐसा सामान तैयार करायें जिसकी बाजार में खरीदने की होड़ लगे और उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके । मेरा सुझाव है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास की विशेष व्यवस्था की जाए और इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को विशेष रूप से शामिल किया जाये ।

मान्यवर, जौनपुर जनपद एक ऐसा जनपद है जो कि उद्योग के मामले में शून्य जनपद है जहां पर कोई उद्योग नहीं है । वहां के तमाम ऐसे बेरोजगार लोग कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली में देखे जा सकते हैं । वह अपनी रोजी-रोटी का सहारा लेने के लिए बहुत दूर जाते हैं । मान्यवर, जब मैं उत्तर प्रदेश की विधान सभा का सदस्य था तो वहां पर कहा करता था । लेकिन मैं जानता हूं राज्य सरकार के साधन सीमित हैं, उसके भीतर जो भी थोड़ा बहुत वे कर सकते हैं वह करने का प्रयास करते हैं । मैं माननीय उद्योग मन्त्री जी से चाहता हूं कि वहां पर कोई बड़ा कारखाना लगाया जाए । हमारा जो पिछड़ा हुआ जनपद जौनपुर है उससे लगे हुए गाजीपुर, बलिया, और आजमगढ़ हैं और वहां पर भी कोई अच्छा कारखाना नहीं है जिसकी वजह से गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बड़ी जटिल बनी हुई है । मैं चाहूंगा माननीय उद्योग मन्त्री जी इसकी ओर विशेष ध्यान दें । हमारे उत्तर प्रदेश से ही आए हुए माननीय राज्य मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन किया करता था और आज पुन: कहना चाहता हूं कि जनपद जौनपुर में कोई बड़ा उद्योग होना चाहिए । हमें ऐसी जानकारी मिली है कि वहां पर कैबिल फैक्टरी लगाई जाने वाली है, उस पर 59 करोड़ रुपए की लागत आयेगी और उसके लिए जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है । यदि वहां पर कैबिल फैक्टरी स्थापित हो जाती है तो लोगों को रोजी-रोटी मिल सकेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं उद्योग मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं अपनी बात यथासंभव संक्षेप में कहूंगी। पिछले वक्ता ने मेरा कार्य कुछ हल्का कर दिया है ।

महोदय, पश्चिम बंगाल के संसद सदस्यों ने, चाहे वे सत्तारुढ़ दल के हों अथवा विपक्ष के, एक ही मुद्दे पर, अर्थात् पश्चिम बंगाल के उद्योगों के ह्रास की चर्चा की है ।

पूर्वी क्षेत्र को कुछ गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है । मेरा विचार है कि माननीय मंत्री जी को इसका ध्यान रखना चाहिये । किसी राज्य सरकार को बदनाम करने से कोई लाभ नहीं होगा । पश्चिम बंगाल उद्योग की कुछ स्थानीय समस्याएं हैं । उद्योग को वास्तविक रूप से पुनः सुदृढ़ बनाने के लिये केन्द्र द्वारा ठोस तथा रचनात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है ।

इन सब बातों की व्याख्या किये बिना मैं अपने पूर्व वक्ताओं, श्री प्रिय रंजन दास मुंशी तथा श्री अमर राय प्रधान के विचारों का पूरा समर्थन करती हूं । मैं आशा करती हूं कि केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल की रुग्ण एककों की मदद हेतु रचनात्मक कदम उठायेगी। मैं इस अवसर पर 'बंगाल पोटरीज' के मामले का उल्लेख करना चाहूंगी । सरकार ने अधिग्रहण हेतु केवल दो महीने का समय बढ़ाया है । मैं आशा करती हूं कि सत्तारुढ़ दल तथा विपक्ष के सदस्यों के विचार जानने के पश्चात् सरकार दो महीने बाद इसके राष्ट्रीयकरण की दिशा में कार्य करेगी । निःसन्देह आपके सदस्यों के विचारों में मतभेद है । श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने सरकारी क्षेत्र की जोरदार वकालत की है । श्री आशुतोष लाहा ने निजी क्षेत्र के समर्थन की बात कही है । इससे सत्तारुढ़ दल की वास्तविक स्थिति का पता चलता है । तथापि मैं पश्चिम बंगाल के उद्योग की सहायता करने तथा रुग्ण एककों को आर्थिक रूप से पुनः सक्षम बनाने संबंधी मांग का स्वागत करती हूं ।

मैं केवल पश्चिम बंगाल के बारे में ही बोलकर चुप नहीं होना चाहती । अतः चूंकि मेरा समय सीमित है, मैं नई औद्योगिक नीति, जिसे यद्यपि लागू किया जाने वाला है, परन्तु जो वस्तुतः लागू की जा चुकी है, के प्रति अपना विरोध प्रकट करना चाहती हूं । नई औद्योगिक नीति के निदेश से यह स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र के लिए नये नये विषय आरक्षित किए जा रहे हैं । सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत कम अवसर तथा महत्व दिया जा रहा है । निजी क्षेत्र के लिए वास्तविक नियंत्रण, लाइसेंस देने तथा क्षमता-उपयोग संबंधी नियंत्रण आदि की पूरी छूट दी जा रही है । निजी क्षेत्र के लिये नई-नई रियायतें तथा छूट दी जा रही है ।

महोदय, हाल ही में सभा में पारित किये गये बजट के अनुसार सरकार अत्यधिक विदेशी पूंजी निवेश की तथा प्रौद्योगिकी एवं उपकरणों का उदारता से आयात करने की अनुमति देगी । इस प्रकार सरकार सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के स्थान पर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रही है और इस प्रकार गैर-सरकारी एकाधिकारी घरानों को भारी प्रोत्साहन दे रही है । महोदय लघु उद्योगों को

सहायता देने के नाम पर अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है । परन्तु वस्तुतः इसका लाभ गैर-सरकारी एकाधिकारी घरानों के बड़े उद्योगों द्वारा ही उठाया जाता है ।

मैं द्रुत औद्योगिक प्रगति के नाम पर सरकार द्वारा इलैक्ट्रोनिक उद्योग जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी को अनेक रियायतें दिये जाने का भी उल्लेख करना चाहती हूं । परन्तु इससे किसको लाभ होगा ? बड़े घराने, जो इलैक्ट्रोनिक उद्योग चला रहे हैं वे ही इससे लाभ उठायेंगे । इसके अतिरिक्त, आम जनता को इससे कोई लाभ नहीं होगा बल्कि कुछ ही धनी परिवारों को लाभ होगा ।

महोदय, सरकार ने अब नई औद्योगिक नीति लागू की है । परन्तु सरकार की पिछली औद्योगिक नीति, जो आम जनता की भलाई के लिये थी, के स्थान पर इस नई औद्योगिक नीति को लागू किया गया है । देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिये नई औद्योगिक नीति के रूप में एक नई दिशा दी गई है । परन्तु सरकार ने 21वीं सदी की तुलना में आम जनता की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया है। अतः मैं इस बात पर जोर दूंगी कि सरकार की नीति जनता को आवश्यक औद्योगिक वस्तुयें उचित दामों पर उपलब्ध कराने की होनी चाहिये। सरकार की नीति लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की तथा आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने की होनी चाहिये ताकि अधिक लोगों को रोजगार मिल सके । इसके अन्तर्गत औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने तथा अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं पर्याप्त मात्रा में उपभोक्ता वस्तुयें उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाने चाहियें । सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को इन परिणामों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिये । आत्मनिर्भरता के लिये ठोस कदम उठाये जाने चाहिएं ।

आन्तरिक संसाधन जुटाने का जहां तक संबंध है यह कार्य हमारी स्थिति एवं अपनी क्षमता के अनरूप होना चाहिये । महोदय, मेरा विचार है कि वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती नीतियों से हट चुकी है और इन्हें बदल दिया गया है । वर्तमान नीति से देश तथा गरीब जनता का भला नहीं होगा। अतः मैं उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों का विरोध करती हूं ।

[हिन्दी]

श्री शान्ति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने कई बार इस संसद में और संसद से बाहर भी यह आश्वासन दिया है कि लघु उद्योगों के संरक्षण के लिये कानून बनाया जायेगा । लघु उद्योगों के विकास के लिये जो बोर्ड बना हुआ है उस ने तथा अन्य कई मंचों से यह मांग की गई है कि छोटे उद्योगों के संरक्षण के लिये कानून बनाया जाये, इन को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें तथा सुविधायें दी जायें, परन्तु इन सब मांगों के बावजूद भी सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है । स्वर्गीय श्री ए०आर० भट्ट, जिनको लघु उद्योगों के विकास का मसीहा कहा जाता था, की अध्यक्षता में लघु उद्योगों के विकास तथा संरक्षण के लिये एक कमेटी सरकार ने नियुक्त की थी, जिसने अब से 13 वर्ष पूर्व 1972 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी लेकिन ताज्जुब की बात है कि पिछले 13 वर्षों से वह रिपोर्ट बस्ते में—खामोशी में बन्द पड़ी है अभी तक उस के इम्प्लीमेन्टेशन के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये । आज अमरीका और जापान में लघु उद्योगों के संरक्षण के लिये, जिन को वहां लघु-व्यापार कहा जाता है, कानून मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहां अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

इतना होने के बावजूद भी आज भी लघु उद्योगों का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने ही बलबूते पर आगे बढ़ रहा है। यह कहना गलत नहीं है कि सरकार ने इसके विकास के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है, लेकिन जहां तक मेरी मान्यता है, मैं यह मान कर चलता हूं कि सरकार का इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है और यही कारण है कि लघु उद्योगों ने सब से ज्यादा तरक्की की है। आज हमारे लघु उद्योग के क्षेत्र में 50 प्रतिशत से ज्यादा इकाइयां ऐसी हैं जो अपना प्रोवीजनल या परमानेन्ट रजिस्ट्रेशन कराने के लिये डायरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज के पास नहीं जाती हैं। इस का क्या कारण है? यह ठीक है कि इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन ऐच्छिक है, लेकिन जो इकाइयां रजिस्ट्रेशन कराती हैं, सरकार की तरफ से उनको अनेक प्रकार की सहूलियतें तथा सुविधायें दी जाती हैं। जब सरकार की तरफ इस प्रकार की सहूलियतें तथा सुविधायें दी जाती हैं तो वे इनका लाभ क्यों उठाना नहीं चाहती हैं? इसलिये कि उन के मन में एक प्रकार का डर रहता है, डायरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज के पास जाने में उन को कई तरह के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वहां के लोग तरह-तरह से पैसा वसूल करने के तरीके अपनाते रहते हैं, कई-कई बार उन के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, इन्हीं सब मुसीबतों के कारण वे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती हैं।

मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं—सब से पहले तो आप प्रावीजनल रजिस्ट्रेशन के फार्म का सरलीकरण करायें। इस समय जो फार्म रजिस्ट्रेशन के लिय दिया जाता है उस को ग्रेजुएट्स और इन्जीनियर्स भी नहीं भर सकते हैं, तब फिर सामान्य आदमी उस को क्या भरेगा, इतना लम्बा-चौड़ा तथा उबा देने वाला वह फार्म है। सरकार कहती है कि सात दिनों के अन्दर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यदि ऐसा है तो फिर वे लोग रजिस्ट्रेशन के लिये क्यों आगे नहीं आते हैं, उनके सामने क्या दिक्कत है? वे जानते हैं कि सात दिनों में कम से कम 10–12 चक्कर उनके दफ्तर के लगाने होंगे, फिर भी काम अधूरा रह जायेगा, पूरा नहीं होगा। सरकार की तरफ से जो सहूलियतें या सुविधायें दी जायेंगी वे भी वहां के अफसरों की मनपसन्द यूनिटों को दी जायेंगी, इस लिये साधारण आदमी रजिस्ट्रेशन के लिए आगे नहीं आता है। जब प्रावीजनल रजिस्ट्रेशन में इतनी कठिनाई है तो परमानेन्ट रजिस्ट्रेशन में कितनी कठिनाई आती होगी, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। आप के माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया को सरल बनायें। लघु उद्योगों के लिए इतने बड़े फार्म की बजाय उन से केवल पोस्ट कार्ड पर जानकारी मांगी जाये। उन से कहा जाये कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये एक पोस्टकार्ड पर वे अपने यूनिट का नाम, पता, उद्योग का नाम, किस प्रकार के, कितने रा-मैटीरियल की जरूरत है, कितनी बिजली लगेगी, इन सब बातों को लिख कर भेज दें और उसके आधार पर प्रावीजनल रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिये, उस व्यक्ति को डायरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज के दफ्तर के चक्कर न काटने पड़ें इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिये। आप इस सारी प्रक्रिया का पुनर्निरीक्षण कर के इस प्रक्रिया को सरल बनायें। मैं चाहता हूं कि सारे-का-सारा कार्य एक ही पैकेज में होना चाहिये। जैसे रजिस्ट्रेशन, रा-मैटीरियल, टर्म-लोन, वर्किंग कैपिटल, सबसिडी, सेल्ज टैक्स रजिस्ट्रेशन, पावर, ये सारे काम एक ही रोज में होने चाहिएं। गुजरात सरकार ने इस प्रकार का प्रयास शुरू किया है, मैं चाहता हूं कि आप समस्त राज्य सरकारों को इस तरह का निर्देश दें कि वे अपने यहां ऐसी व्यवस्था करें जिससे ये सारे काम एक ही पेकैज में हो जायें। जिस से लोगों के अन्दर व्याप्त डर दूर हो। लोग रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये प्रोत्साहित हों तथा उनके मन में दफ्तरों में जाने, अफसरों से मिलने के प्रति हिचकिचाहट न हो।

यदि आप ने मेरे इस सुझाव पर गौर कर लिया और कार्यवाही की गई तो फिर नया कानून बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जब भी कोई नया कानून बनता है तो उस के इम्प्लीमेन्टेशन के लिये इंस्पैक्टरों की पोस्टिंग की जाती है और उस में तरह तरह की कठिनाइयां आती हैं। इस लिये कम से कम कानून बनायें, जो भी कानून बनायें वे उनकी मदद के लिये हों, लेकिन कन्ट्रोल के कानून कम से कम बनाने चाहियें। सरकार की ओर से इस प्रकार का प्रयत्न किया जाना चाहिये कि उत्पादन की क्वालिटी अच्छी हो, लोगों के अन्दर जागरूकता पैदा हो और उन को एक्सपोर्ट सबसिडी प्रदान की जायें। डायरैक्टर आफ इण्डस्ट्रीज के लोगों में जो कठोर रवैया होता है उसको सुधारने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

लघु उद्योगों के अन्दर आज काफी इकाइयां सिक हैं तथा सिक होती जाती हैं। बड़े उद्योग की यदि कोई इकाई सिक होती है तो सरकार तुरन्त उस उद्योग के अधिग्रहण के लिये तैयार हो जाती है। आज अरबों और करोड़ों रुपया लघु उद्योगों में लगा हुआ है, यदि कोई उद्योग सिक हो जाता है तो सरकार की ओर से उस के सुधारने, मदद करने, सहूलियत प्रदान करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है और उस को उस के भाग्य पर छोड़ दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, माल की सप्लाई के लिये लघु उद्योगों की इकाइयों को वक्त पर कीमत नहीं मिलती। मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्स के जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स हैं, उन को निर्देश दें कि जब कभी वे लघु उद्योगों से माल खरीदते हैं, तो हर महीने जो उनकी बैठक होती है, उस में इस बात को रिव्यू करें कि कौन सी स्माल स्केल इंडस्ट्री का पैसा बकाया है। अगर पैसा बकाया है, तो एक महीने से ज्यादा उस का पेमैन्ट न रोका जाये क्योंकि लघु उद्योग की जो इकाइयां हैं वे मनी का सर्कूलेशन न होने की वजह से सिक हो जाती हैं और खत्म हो जाती हैं। अगर पेमेन्ट समय पर होगा तो वे इकाइयां चलती रहेंगी। इसलिये पब्लिक सेक्टर की अन्डरटेकिंग्स के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को यह निर्देश दिये जायें कि एक महीने से ज्यादा उन का पेमेन्ट न रोका जाये।

इसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में भी बैंकों को इस तरह के निर्देश देने चाहिएं कि अगर एक अवधि तक उन का पैसा बड़ी इंडस्ट्रीज पर बकाया है, और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के पेमेन्ट को वे एक महीने या डेढ़ महीने से ज्यादा रोकते हैं, तो इसके बाद स्माल स्केल इंडस्ट्रीज सीधे बैंक में अपने कागज भेज दे और बैंक से उन के खाते में से उन की रकम की पेमेन्ट हो जाये। वक्त पर पेमेन्ट करवाना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिये।

इस के अलावा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हिली एरियाज में जो कन्सेशन्स दे रखे हैं, वे कन्सेशन्स आप को डैजर्ट एरिया में भी देने चाहियें। इसी प्रकार से स्वरोजगार योजना में, जिस का जिक्र मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य कर चुके हैं, आप ने जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स कमेटी बना रखी है। उस में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये। उस में सलेक्शन उन लोगों पर नहीं छोड़ना चाहिये जो बाहर से आफिसर आये हुए होते हैं। वे वहां की परिस्थिति नहीं जानते। कोटा जिले में जहां से मैं आया हूं, मैं बता सकता हूं कि 800 और 1000 आदमी जो सेलेक्ट किये गये, उन में कई तो आफिसरों की बीवियां हैं और कितने ही ऐसे लोगों को सलेक्ट किया गया जिनके पास 100, 100 बीघा जमीन है। इसलिये मेरा कहना यह है कि यह जो टास्क फोर्स कमेटी है, इसमें वहां के जो लोकल रेप्रेजेन्टेटिव्ज हैं, उन को शामिल

करना चाहिये । अगर सरकार इस योजना को सुचारु रूप से चलाना चाहते हैं, तो उन लोगों को इस में प्रतिनिधित्व देना चाहिये, जो कैंडीडेट्स के मां-बाप को जान सकें, कैंडीडेट्स को जान सकें कि वाकई में वे गरीब हैं और 25 हजार रुपये लोन लेकर काम करने की और अपना कारोबार चलाने की उसमें क्षमता है या नहीं ।

राजस्थान औद्योगिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है । मुझे पता लगा है कि आई०सी०आई० को सीमेंट बनाने के कारखाने के लिये लेटर आफ इन्टेन्ट जारी हो चुका है । बूंदी और चित्तौड़ में लाइम-स्टोन का बहुत बड़ा भंडार है । वहां पर ब्रोडगेज लाइन भी मौजूद है । इसलिये मेरा कहना यह है कि सरकार वहां पर 4–5 सीमेंट के कारखाने डाले ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके । . . . . (**व्यवधान**) . . . .

उपाध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स की हालत बहुत खराब है । वहां पर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से नल, बिजली, पानी और सड़क उपलब्ध नहीं कराई जाती . . (**व्यवधान****)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । मैं अगले वक्ता का नाम पुकार रहा हूं । श्री रामचन्द्रन ।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं ।

देश की प्रगति काफी हद तक उसके औद्योगिकीकरण पर निर्भर करती है । सभी विकसित देशों ने त्वरित औद्योगिकीकरण के द्वारा ही प्रगति की है ।

अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के औद्योगिकीकरण की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया । इसके विपरीत भारत में माल की बिक्री की जाती थी । सभी उपनिवेशी शक्तियों द्वारा अपने उपनिवेशों में प्रगति रोकने के लिये यही नीति अपनाई जाती थी ।

इसलिये स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत में उद्योगों के नाम पर कुछ भी नहीं था । पहनने के वस्त्र जैसी आवश्यक वस्तुयें तक लैंकाशायर तथा मानचेस्टर से आती थीं ।

यहां तक कि स्वतन्त्रता आंदोलन के समय जवाहरलाल नेहरू जैसे ख्याति प्राप्त व्यक्तियों ने नियोजित समाज तथा भारत के औद्योगिकीकरण की संकल्पना की थी । यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में उद्योगों के नाम पर कुछ भी नहीं था किन्तु उसके पश्चात् इस क्षेत्र में हमने जो प्रगति की है वह सराहनीय है । इसके लिये श्रेय मूलतः स्वर्गीय पंडित नेहरू जी को जाता है । जब वह भारत की औद्योगिक नीति का निर्धारण करने का प्रयास कर रहे थे तब औद्योगिकीकरण के विरोधियों ने नेहरू को कल्पनालोक में रहने वाला व्यक्ति कहा था और उनकी कड़ी आलोचना की थी । नेहरू के विरोधियों का मत था कि भारत मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश है और इसका औद्योगिकीकरण, यदि आवश्यक हुआ तो समय आने पर हो सकता है । तथापि पंडित जी ने इस बात पर जोर दिया थ कि औद्योगिक विकास के साथ-साथ कृषि-विकास भी किया जा सकता है ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अपनी प्रारम्भिक वार्ताओं में पंडित जी ने इस बात को बार-बार दोहराया था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद द्वारा पूर्णतः छिन्न-भिन्न भारत को अपने पैरों पर खड़ा होने तथा प्रगति करने के लिए औद्योगिकीकरण का ही सहारा लेना पड़ेगा । नेहरू जी उद्योग को मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे बड़ा मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा मानते थे । इस प्रकार भारत में उद्योग के विकास की ठोस नींव डालने का श्रेय पंडित जी को ही है ।

स्वर्गीय इन्दिरा जी और हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा अपनाई गई नीतियां किसी भी मायने में कम प्रशंसनीय नहीं हैं, जहां तक इनमें, देश के विकास को ध्यान में रखते हुए गरीबी रहित भारत की और बेरोजगारी आदि की समस्याओं पर काबू पाने की कल्पना की गई है ।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि औद्योगिक प्रगति, विशेषकर केरल के संदर्भ में, केन्द्रीय सरकार क्या भूमिका निभा सकती है । केरल में साधनों की बहुतायत है, बिजली उत्पादन काफी है, परिवहन की सुविधायें पर्याप्त हैं, पर्याप्त साक्षरता है—और श्रम शक्ति भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । लेकिन वहां पूंजी तथा कार्यकुशल उद्यमियों की कमी है ।

केरल में सब से लम्बा समुद्र-तट है जिसका उपयोग समुद्रीय उत्पादों तथा आनुषंगिक उद्योगों के संवर्द्धन हेतु किया जा सकता है । नार्वे और जापान द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीक के आधार पर मछली पकड़ने की प्रोद्योगिकी को आधुनिक बनाया जा सकता है ।

काजू, नारियल की जटा, हथकरघा, बीड़ी और खपरैल—ये केरल के मुख्य पारम्परिक उद्योग हैं । 16 प्रतिशत लोग काजू, नारियल की जटा और हथकरघा उद्योग में लगे हैं, काजू उद्योग में 1.26 लाख, नारियल की जटा के उद्योग में 5 लाख और हथकरघा तथा अन्य उद्योगों में 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है ।

बहरहाल, इन पारम्परिक उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों का जीवन स्तर दयनीय स्थिति में हैं। उन में से अधिकतर आधे भूखे रहते हैं इसलिये इन उद्योगों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किये जाने चाहिएं ।

भारत में तम्बाकू के उत्पादन के $\frac{1}{5}$ भाग की खपत बीड़ी उत्पादन में होती है । लेकिन बीड़ी कारखानों के कामगारों की स्थिति दयनीय है । इस संबंध में मैं अपने जिले कन्नानोर का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं । वहां हम देखते हैं कि बीड़ी-कामगार और उनके बच्चे अल्प-पोषित हैं और उनका रहन-सहन का स्तर बहुत नीचा है । केरल में सत्तर प्रतिशत बीड़ी कामगार कन्नानोर में रहते हैं और वे क्षयरोग जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। उनका जीवन स्तर उठाने के लिये तत्परता से प्रयास किये जाने चाहिएं । यदि इन कामगारों को पूर्णतः औद्योगिक सहकारी समिति योजना के अंतर्गत अविलंब लाया जाये तो उन्हें बहुत मदद मिलेगी ।

यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत में रबड़ के कुल उत्पादन का 95 प्रतिशत केरल में होता है । केरल में रबड़ उद्योग के विकास की काफी गुंजाइश है । यह ध्यान रखना आवश्यक है कि रबड़ 50,000 तरह के उत्पादों में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है ।

जहां तक केरल के पारंपरिक हथकरघा उद्योग का संबंध है साढ़े चार लाख से भी अधिक कर्मचारी तथा उनके परिवार इसी उद्योग पर आश्रित हैं। लेकिन विपणन सुविधाओं की कमी, सूत की दुर्लभता और पर्याप्त धन न मिलने के कारण यह उद्योग भी लड़खड़ा रहा है। इसलिये इन यूनिटों को पुनर्जीवित करने तथा इनकी उन्नति करने हेतु केन्द्रीय सरकार की मदद अनिवार्य है। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि कन्नानौर, कालीकट और त्रिवेन्द्रम में इस क्षेत्र में नियोजित अधिकतर लोग विकलांग हैं।

केरल में इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। लेकिन खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि केरल में केन्द्रीय सरकार ने भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, आदि जैसी इलेक्ट्रानिक्स की औद्योगिक इकाइयां नहीं खोली हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि केरल जैसे इलेक्ट्रानिक्स कम्पलेक्स को देखते हुए कन्नानोर जिले में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड का यूनिट खोलने के लिए बहुत गुंजाइश है।

साथ ही केरल में खोदी जाने वाली मिट्टी का मामला है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बढ़िया किस्म की है लेकिन उसका अधिकतर निर्यात किया जा रहा है। कन्नानौर जिले में खोदी जाने वाली सारी मिट्टी का निर्यात किया जाता है। इस मिट्टी का इस्तेमाल कई कामों के लिये किया जा सकता है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने, घरेलू बर्तन बनाने, वस्त्र, पेंसिल, सेनिटरी संबंधी वस्तुयें और सीमेंट बनाने में।

केरल में बिजली के उत्पादन के प्रचुर मात्रा में स्रोत विद्यमान हैं। यद्यपि केरल में 3000 कि०वा० बिजली का उत्पादन किया जा सकता है लेकिन केवल 900 कि०वा० बिजली का ही अब तक उत्पादन किया गया है।

नई औद्योगिक नीति तैयार करते समय सरकार को चाहिये कि औद्योगिक रूप से पिछड़े केरल जैसे राज्यों की ओर विशेष ध्यान दे। मेरे राज्य के औद्योगिकीकरण के लिए पर्याप्त उपाय किये जाने चाहिएं। अंत में, औद्योगिक नीति के लिए हमारा आदर्श वाक्य यह होना चाहिये—'औद्योगिकीकरण करो या मरो'।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : जहां तक औद्योगिक विकास का संबंध है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाना है क्योंकि हमारी 75 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। हमें लघु-उद्योगों, कुटीर उद्योगों और अधिकतर कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने से परिवहन लागत कम हो जायेगी क्योंकि उद्योग गांवों में खुल जायेंगे जहां उपज उपलब्ध होगी। इससे गांवों के शिक्षित और अशिक्षित लोगों के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

उदाहरणार्थ, रायल सीमा में मूंगफली की उपज काफी होती है। विशेषकर अनंतपुर जिले में यह भारी मात्रा में मिलती है। लेकिन इसकी दलाई, पेराई के लिए इसे 100, 200 या 300 मील दूर तक ले जाया जाता है। वहां इससे वनस्पति तेल, केक, बिस्कुट या साबुन आदि बनाये जाते हैं। इन्हें फिर रायलसीमा लाकर बेचा जाता है। यह परिवहन लागत रैयतों के लिये किसी काम की नहीं होती। अतः इन सब वस्तुओं को किसी अन्य स्थान पर बनाने के बजाय यदि हम अनंतपुर जिले में कादिरी में एक उद्योग स्थापित करें, जहां मूंगफली की फसल विस्तृत क्षेत्र में

उगाई जाती है, तो इससे बहुत लाभ होगा । इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकारी क्षेत्र का एक उद्योग वहां लगाया जाये जिसमें 100 या 300–400 करोड़ तक रुपया लगाया जाये जिसमें मूंगफली से तेल निकाला जाये और उससे बनस्पति तथा केक और साबुन जैसी अन्य वस्तुयें बनाई जायें । इस प्रकार इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने से इस क्षेत्र का विकास होगा ।

इसी प्रकार अनन्तपुर जिले के कादिरी में रेशम कीट पालन का काम काफी बड़े क्षेत्र में होता है । लेकिन वहां पर रेशम के धागों को बटने तथा रील बनाने के यूनिट नहीं हैं । धर्मवरम और हिन्दूपुर में बड़ी संख्या में बुनकर हैं । धर्मवरम की साड़ियां तथा मुड्डी-रेड्डीपल्ली की रेशमी साड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं । यद्यपि रेशम के ककून उपलब्ध हैं तथापि उनके धागे बनाने के लिये उन्हें बंगलौर या अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भेजना पड़ता है । सरकार कादिरी में धागे बटने और रील बनाने के यूनिट लगाने पर विचार क्यों नहीं करती ? इससे धर्मवरम और मुड्डी-रेड्डीपल्ली के बुनकरों को बहुत लाभ होगा । अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इन दो प्रस्तावों पर विचार करें—(एक) मूंगफली पर आधारित कारखाना खोलना और (दो) अनंतपुर जिले में कादिरी में रेशम-कीट पर आधारित कारखाना खोलना ।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि इस बहस में अनेक सदस्यों ने भाग लिया और बहुत से लाभदायक और बहुमूल्य सुझाव दिये । कुछ माननीय सदस्यों ने देश के औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असन्तुलनों पर चिन्ता व्यक्त की है । कुछ सदस्यों ने उद्योगों की बढ़ती हुई रुग्णता पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है । कुछ अन्य सदस्यों ने अपने निर्वाचन-क्षेत्रों और अपने राज्यों में नये उद्योग शुरू किये जाने के सुझाव दिये हैं ।

मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह विषय, अर्थात् उद्योग कितना महत्वपूर्ण है । लेकिन समझ में नहीं आता कि सभा में, जो लगभग खाली है, क्या कहा जाये । बहरहाल, क्योंकि बहस के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने, शायद रिकार्ड में दर्ज करने के लिये ही, कुछ टिप्पणियां और आलोचनायें की थी, इसलिये उद्योग के प्रभारी मंत्री के रूप में, सरकार की ओर से भी, स्थिति को स्पष्ट करना मेरा कर्तव्य हो जाता है । अतः मैं अधिकांश महत्वपूर्ण प्रश्नों का जितना भी मेरे पास समय है उसमें ही उत्तर देना चाहता हूं ।

प्रारम्भ में, मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक छठी योजना के दौरान औद्योगिक विकास और औद्योगिक क्षेत्र के कार्य-निष्पादन का प्रश्न है, ये सन्तोषजनक रहे हैं । मुझे माननीय सदस्यों को यह स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि 1979–80 में, मेरे विचार से हमारे देश के इतिहास में पहली बार, औद्योगिक विकास सामान्य से 1.4% कम रहा । अतः, 1980 में हमने सामान्य से 1.4% कम से प्रारम्भ किया और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि छठी योजना अवधि के दौरान 6% औद्योगिक विकास हुआ है । मुझे दुबारा माननीय सदस्यों को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि हालांकि बहुत से क्षेत्रीय असन्तुलन हैं और ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई उद्योग और औद्योगिक गतिविधि नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि औद्योगिक गतिविधियां कतिपय क्षेत्रों में केन्द्रित हैं । फिर भी, भारत विश्व के दस सर्वाधिक औद्योगिक देशों में से एक है ।

वैज्ञानिक जन शक्ति के संबंध में, भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। हम गरीब लोग हैं लेकिन अमीर देश के गरीब लोग हैं। हमारा देश प्राकृतिक और मानव संसाधनों में धनी है और इन संसाधनों का दोहन करना हमारा काम है। यदि इन संसाधनों का हम कुशलता से दोहन करें तो इसमें संदेह नहीं है कि हम विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। मेरा विचार है कि इस प्रशंसनीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिये हमें ज्यादा उत्पादन पर और सभी क्षेत्रों में उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करना है। विकास के रास्ते में जो भी अड़चनें हैं उन्हें दूर करना है। सभी सम्भव रियायतें दी जानी चाहिएं और उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

मैं आगामी कुछ वर्षों के लिये अपनी प्राथमिकतायें बताना चाहता हूं। ये प्राथमिकतायें हैं :—

संस्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग, अधिकतम उत्पादन और प्रौद्योगिकी के उच्चीकरण अनुसंधान तथा विकास के जरिये अधिक उत्पादकता का लक्ष्य प्राप्त करना, रोजगार वृद्धि, क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करना; कृषि पर आधारित उद्योगों को तरजीह देकर कृषि आधार को सुदृढ़ बनाना; निर्यातोन्मुख और आयात प्रतिस्थापन योजनाओं को तेजी से बढ़ाना; आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकना; ऊंचे मूल्यों और निम्न स्तर के विरुद्ध उपभोक्ताओं को संरक्षण देना; लघु और ग्रामीण उद्योगों का विकास; क्योंकि इनमें रोजगार क्षमता अधिक है; गुणवत्ता विश्वसनीयता और प्रतियोगात्मकता का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तथा 5 प्रतिशत वार्षिक से भी अधिक कुल विकास दर जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के लिये वृद्धि दर 7 प्रतिशत होगी, प्राप्त करना।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्राथमिकता के जो क्षेत्र चुने गये हैं, वे निम्नलिखित हैं :

इलक्ट्रोनिक्स, बिजली उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, मशीनी औजार, पेट्रो-रसायन तथा तेल की खोज। सीमेंट, कोयला और दूर-संचार जैसे वर्तमान महत्वपूर्ण क्षेत्रों का तेजी से आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है। माइक्रो-इलेक्ट्रोनिक्स, बायो-टेक्नोलोजी, ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। सरकार ने जो कदम उठाये हैं मैं उनका संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। मार्च, 1985 से आम श्रेणी के 25 उद्यमियों के लाइसेंस समाप्त कर दिये गये। लघु उद्योगों के लिये पूंजी-निवेश की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 35 लाख रुपये और गौण उद्योगों के लिये 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया गया है। एम०आर०टी०पी० कम्पनियों की प्रारंभिक निवेश सीमा 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दी गयी है। विदेशी तकनीशियनों के नियोजन के बारे में स्वीकृति की प्रणाली सरल बना दी गयी है। निर्माताओं को अपने उत्पाद-मिश्र को बाजार के आधार पर समन्वित करने की सुविधा प्रदान करने के लिये निम्नलिखित के संबंध में ब्रोड-बैंडिंग योजना की घोषणा की गयी है :—

(क) मशीनी औजार;

(ख) मोटर वाले दुपहिये;

(ग) मोटर वाले तिपहिये;

(घ) कागज उत्पाद सहित कागज और लुग्दी;

(ङ) रसायन, फार्मास्यूटिकल्ज, पैट्रो-रसायन तथा उर्वरक मशीनरी उद्योग।

जहां तक 'ग्रोड-बैंडिंग' का संबंध है, मेरा विचार है यदि मैं इसका अर्थ समझा दूं तो माननीय सदस्यों को सहायता मिलेगी । बहुत सी ऐसी इकाइयां हैं जो दुपहियों का निर्माण कर रही हैं । जहां तक मोटर वाले दुपहियों का संबंध है, कुछ मोपेड का निर्माण कर रही हैं, कुछ स्कूटरों का और कुछ मोटर साइकिलों का । इस योजना के अनुसार यदि मोपेड का निर्माण करने वाली कोई इकाई विशेष लाइसेंस के अनुसार अपनी क्षमता के अन्तर्गत स्कूटर बनाना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है । इसके लिये सरकार से लाइसेंस या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । इसी प्रकार यदि कोई स्कूटर निर्माता, मोटर साइकिलें बनाना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है या कोई मोटर साइकिल निर्माता कोई और किस्म का दुपहिया बनाना चाहता है तो वह भी ऐसा कर सकता है । यह स्वतंत्रता दी गयी है । इसी प्रकार चौपहियों के मामले में भी, यदि कोई इकाई ट्रकों का निर्माण कर रही है वह कार बनाना शुरू कर सकती है और कारों का निर्माण करने वाली इकाई वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण कर सकती है । हल्के वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करने वाली इकाई भारी शुल्क वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण कर सकती है । ये सुविधायें दी गयी हैं और इन इकाइयों को सरकार को लिखने की आवश्यकता नहीं है और लाइसेंस लेने के लिये लम्बी, कठिन और ज्यादा समय लेने वाली प्रणाली अपनाने की आवश्यकता नहीं है ।

एक ही खिड़की से स्वीकृति की प्रणाली शुरू करना, जो समय-बाधित प्रणाली है, समय-सीमा निर्धारित करना, जो एम०आर०टी०पी०गैर एम०आर०टी०पी० के लिये, पूंजी माल निकासी विदेश सहयोग निकासी एन०आर०आई० के माल शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख माल के लिये 60 दिन से लेकर 90 दिन तक है । मैंने बताया है कि पद्धति को सरल तथा उदार बनाने के लिये कैसे हमने भरसक प्रयास किये हैं, ताकि जो उद्यमी उत्पादन बढ़ाने के लिये या अन्य किस्म का उत्पादन प्रारम्भ करने के लिये कारगर कदम उठाना चाहते हैं, वे इस उदार नीति के अधीन ऐसा कर सकें । इसी प्रकार, करों के बारे में भी अनेक रियायतों की घोषणा की गयी है । मैं इसकी बारीकियों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने करों संबंधी दी गयी रियायतों को और कर-ढांचे को पहले ही विस्तार से स्पष्ट कर दिया है कि इसे कैसे युक्तियुक्त बना दिया गया है ।

हाल ही में वित्त मंत्री जी ने, जो वाणिज्य मंत्रालय के प्रभारी भी हैं, पहली बार तीन वर्षों के लिये आयात-निर्यात नीति की घोषणा की है, ताकि इसमें कुछ स्थिरता, कुछ निश्चितता आये ।

जहां तक उदार बनाने के कार्यक्रमों का संबंध है, मैं जानता हूं कि इस सभा के काफी माननीय सदस्यों ने इस का स्वागत किया है और मैं यह भी जानता हूं कि वे इन उपायों का स्वागत करते हैं । मैं इस तथ्य से भी अवगत हूं कि कुछ माननीय सदस्य इसके बारे में महसूस करते हैं जैसा कि कल एक माननीय सदस्य ने महसूस किया था । दुर्भाग्यवश वह माननीय सदस्य इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं । उनका नाम श्री उन्नीकृष्णन् है । वह सभी उदार बनाने वाले उपायों को, जो हम ने अब तक घोषित किये हैं स्वतन्त्र विचारधारा अथवा पूंजीवादी विचारधारा का पुनर्जीवन समझते हैं । कल उन्होंने मुझे सीधे-सीधे पूछा कि सरकारी क्षेत्र के प्रति हमारा क्या रवैया है । दुर्भाग्य-वश, यह धारणा बन रही है कि हम अपनी औद्योगिक नीति से दूर हटते जा रहे हैं जिसका हम 1956 से लेकर इन सभी वर्षों तक पालन करते चले आ रहे हैं और सरकार का झुकाव सरकारी क्षेत्र की तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर अधिकाधिक हो रहा है । कुछ सदस्यों के मन में यही

धारणा बन गयी है । मैं उस बात का प्रतिवाद नहीं करता, यह एक उचित अनुभूति हो सकती है । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे राजनीतिक उद्देश्यों से यह धारणा बन रही है । मैं उन्हें दोष नहीं देना चाहता, हो सकता है उनकी उचित धारणा हो, किन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक औद्योगिक नीति का संबंध है, जहां तक सरकारी क्षेत्र के प्रति सरकार के रवैये का संबंध है, सरकार की नीति में बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ; वह नीति जारी है और जारी रहेगी ।

कल श्री उन्नीकृष्णन हमारे प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये भाषण का उल्लेख कर रहे थे । जो कुछ भी प्रधान मंत्री ने सरकारी क्षेत्र के बारे में कहा है, उसकी कतरन मेरे पास है, उन्होंने यह कहकर के सरकारी क्षेत्र की भूमिका का जोरदार शब्दों में समर्थन किया था कि यह औद्योगिक विकास का मर्मस्थल है । कुछ सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को हो रही हानि का उल्लेख करते हुए श्री गांधी ने कहा है कि इसे उचित सापेक्ष में देखा जाना चाहिये । वास्तव में, सरकारी क्षेत्र एक गैर-औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है और वह उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है ।

अतः यह सरकार की नीति है, उद्योग मंत्रालय की नीति है, हमारे प्रधान मंत्री की नीति है और हम इस नीति को जारी रखेंगे । कुछ माननीय सदस्य जानना चाहते थे, क्यों अचानक ही.....

श्रीमती गीता मुखर्जी : प्रभावशाली स्थिति से उत्प्रेरक एजेन्ट बन गया है ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह एक मात्र प्रभावशाली स्थिति में बना ही रहेगा, यह हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत ही निर्णायक एवं प्रमुख भूमिका निभाता रहेगा । सरकारी क्षेत्र के प्रति हमारे रवैये के बारे में किसी प्रकार के संदेह की आवश्यकता नहीं है ।

कुछ सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यह विदेशी सहयोग क्यों है और विशिष्ट क्षेत्रों में विदेशी माल का स्वच्छन्द रूप से प्रवेश क्यों हो रहा है । मैं यह बात बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम यह छोड़ना नहीं चाहते हैं अथवा हम यह नहीं देखना चाहते हैं कि हमारा देश ठेला-युग अथवा साईकिल युग में रहे । हम चाहते हैं यह विकसित हो, हम चाहते हैं कि यह अन्य विकसित देशों की बराबरी करे । अतः उसके लिए यदि हमें प्रौद्योगिकी का आयात करने की आवश्यकता पड़े, तो हमें हिचकना नहीं चाहिए, हमें इस के बारे में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए । विदेशी प्रौद्योगिकी की स्थिति क्या है ? स्थिति यह है कि जिस किसी भी प्रौद्योगिकी का हम आयात करना चाहते हैं, जिन्होंने उस विदेशी प्रौद्योगिकी की सप्लाई करनी है, उन्होंने उस प्रौद्योगिकी की सप्लाई करनी है और हम अपने संगठनों को सुदृढ़ कर रहे हैं ताकि जिस किसी भी विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया जाये, तो वह यहां आत्मसात हो और यह 5 या छः वर्षों में हमारी सम्पत्ति बन जाये । अतः, यदि आधुनिक प्रौद्योगिकी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, यदि इसका विकास हमारे देश में नहीं हुआ है अथवा हमारी प्रौद्योगिकी पुरानी है, यदि हमारी प्रौद्योगिकी अद्यतन नहीं है, तो मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि हम अपने लोगों को प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति दे रहे हैं और जहां तक विदेशी सहयोग का संबंध है, माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि हम विदेशी भागीदारों को अपने यहां 40 प्रतिशत इक्विटी से अधिक की अनुमति नहीं दे रहे हैं । उनकी इक्विटी 40 प्रतिशत से अधिक की नहीं हो सकती है । और हम उन्हें केवल

उस क्षेत्र में ही अनुमति दे रहे हैं जहां हमें उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है और हम इस प्रौद्योगिकी को नष्ट नहीं होने देना चाहते हैं जो हमारे देश में विकसित हुई है और हम अपने देश में विकसित की गई प्रौद्योगिकी की कीमत पर किसी प्रौद्योगिकी के आयात किये जाने की अनुमति नहीं देना चाहते हैं। किन्तु जहां हम यह सोचते हैं कि हमारी प्रौद्योगिकी अद्यतन नहीं है, वहां हम यह महसूस करते हैं देश के हित में आधुनिक प्रौद्योगिकी का आयात करना होता है तो हम इस प्रौद्योगिकी का आयात उस सीमा तक ही करते हैं और मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि जहां तक प्रौद्योगिकी के आयात का सम्बन्ध है, यह एक चयनात्मक प्रौद्योगिकी होती है। और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान रखा जायेगा कि जो कुछ भी प्रौद्योगिकी देश में है, उसे प्रौद्योगिकी का आयात करके नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।

हमने, जैसाकि मैंने अभी उल्लेख किया है कई रियायतें दी हैं। और अब मैं महसूस करता हूं कि इतने कम समय के भीतर इतनी अधिक रियायतें देने के बाद अब उद्यमियों का काम रह गया है। परिणाम दिखाना उनका काम है और मेरा विचार है कि वे इसके बाद कोई बहाना नहीं कर सकते हैं कि वे परिणाम दिखाने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि सरकार विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करना नहीं चाहती है। और मुझे आशा है कि वे बहुत शीघ्र ही आगे बढ़ेंगे और समस्त राष्ट्र और सरकार को दिखा देंगे कि ये परिणाम है कि "सरकार द्वारा दी गई रियायतों के परिणामस्वरूप हम ने यह परिणाम निकाले हैं।" यदि वे परिणाम नहीं निकालते हैं, तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि वे न केवल सरकार को ही हताश कर रहे हैं, प्रत्युत वे समस्त राष्ट्र को भी हताश कर रहे हैं।

1.55 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

इसके बाद वे सरकार को किसी रियायत के लिए कहने का अधिकार खो देंगे और वे सरकार के मन में यह धारणा बिठा देंगे कि ये उद्यमी केवल अधिक रियायतें ही प्राप्त करना चाहते हैं और परिणाम निकालना नहीं चाहते। मैं यह आशा तथा विनती करता हूं कि वे भविष्य में किसी ऐसी शिकायत का अवसर नहीं देंगे।

रियायतें देने अथवा अपनी नीति को उदार बनाने का एक अन्य उद्देश्य यह है कि हम महसूस करते हैं कि एकाधिकार से आत्म संतोष उत्पन्न होता है जिसके कारण अकुशलता आ जाती है। मैं सहमत हूं कि संरक्षणवाद हमेशा के लिए देश के हित में नहीं है क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि कुशलता केवल प्रतियोगिता के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। हम प्रतियोगिता चाहते हैं। हम बाजार में किसी का भी एकाधिकार नहीं चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस संरक्षणवाद की नीति का शिकार कौन हुआ है। मैं एक या दो उदाहरणों का उल्लेख करूंगा। आप मोटर यानों, चार पहिये वाले यानों के मामले को ही देखिये। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि 35 से 40 वर्षों से वे एकाधिकार प्राप्त किये हुए हैं क्योंकि वे केवल कुछ ही उद्योग थे जो इन चार पहिये वाले यानों का उत्पादन कर रहे थे। दुर्भाग्यवश, इन उद्योगपतियों में यह भावना व्याप्त है कि उन्हें अच्छी किस्म के माल के उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि

देश में उत्पादित किसी भी रद्दी माल की अच्छी बिक्री हो जाती है क्योंकि हमने उन्हें बहुत अधिक संरक्षण प्रदान किया हुआ है। मैं चार पहिये वाले यानों का उल्लेख कर रहा हूं। मैं इस सभा के किसी माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि क्या गत 30 से 35 वर्षों में इन यानों की किस्म को सुधारने की दिशा में वे एक इंच भी आगे बढ़े हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मैं अवश्य ही यह कहूंगा और साथ ही यह केवल सरकारी क्षेत्र ही है और वह भी हमारी मारुति है जिसने इन 4 पहिये वाले यानों के उत्पाद को सचेत किया। आप जानते हैं कि वे किस प्रकार भाग-दौड़ कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि वह ईंधन कुशल बनायेगा अथवा वह अपने माडल को बदल देगा। अब कई ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं। हमने उन्हें अनुमति दे दी है। हमने कहा है कि ठीक है आप का हर तरह से स्वागत है। अब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ कर रहा है। इस में प्रतियोगिता चल रही है। मैं इस उदाहरण का उल्लेख इस लिए कर रहा हूं कि जब तक कोई प्रतियोगिता नहीं होती है तब तक कोई भी किस्म को सुधारने के बारे में चिन्ता नहीं करता है क्योंकि वे जानते हैं कि वाहन की किस्म जिसका वे उत्पादन कर रहे हैं, बुरी हो या अच्छी, खरीददार है बाजार है और उन्हें चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि आप कब तक यह चाहते हैं कि उपभोक्ता हानि उठाता रहे। क्या हम यहां उत्पादकों अथवा उपभोक्ताओं के, जो लाखों की संख्या में हैं हित की रक्षा करने के लिए हैं? उत्पादकों की संख्या कुछ सौ हो सकती है। अब समय आ गया है जब हमें देश के हित की रक्षा करने के लिए गम्भीरता पूर्वक विचार करना होगा।

जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है कुछ माननीय सदस्यों ने सरकारी क्षेत्र के कार्य निष्पादन के बारे में आलोचना की है।

2.00 म० प०

मैं इससे सहमत हूं कि आखिरकार सरकारी क्षेत्र में करदाताओं का ही धन लगा हुआ है। अतः सरकारी क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति —करदाता के प्रति तथा सभा से बाहर और सभा के भीतर संसद के प्रति उत्तरदायी है। मैं सरकारी क्षेत्र की पैरवी नहीं कर रहा हूं, किन्तु मुझे यह अवश्य ही कहना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र सदा लाभ कमाने के लिए ही नहीं होता है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र पर एक बड़ी जिम्मेदारी यह है कि उसे देश में आधारभूत ढांचा तैयार करना होता है। उस दिन आन्ध्र प्रदेश के एक माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि हम सरकारी क्षेत्र अथवा बड़े पैमाने के क्षेत्र में इतना पूंजीनिवेश क्योंकर रहे हैं। और लघु क्षेत्र में केवल इतना ही धन क्यों लगा रहे हैं। इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बिजली के उत्पादन तथा आधारभूत ढांचा तैयार करने के मामले में हम छोटे पैमाने के क्षेत्र के बारे में नहीं सोच सकते हैं। हमें बड़े बड़े उद्योग तो स्थापित करने ही पड़ेंगे मैं कुछ आंकड़े दे सकता हूं, किन्तु मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र किस प्रकार कार्य कर रहा है। 1980-81 में सरकारी क्षेत्र में कुल 18,207 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई थी और इस पर कुल 7.79 प्रतिशत लाभ हुआ था। मैं 1981-82 के आंकड़ों को उद्धृत नहीं करना चाहता। मेरे पास आंकड़े तो हैं किन्तु उनको बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। किन्तु मैं 1983-84 के नवीनतम आंकड़े दे सकता हूं 1983-84 में 214 उद्यम थे और उनमें लगाई गई पूंजी 18,207 करोड़ रुपए से बढ़ कर 29,896 करोड़ रुपए हो गई। कुल लाभ 3,569 करोड़ रुपए था और पूंजी पर कुल लाभ 12.52 प्रतिशत रहा। अतः ये आंकड़े स्वतः स्पष्ट हैं। मैं महसूस करता हूं कि यह कहना सही नहीं

है कि सरकारी क्षेत्र की दशा चिन्तनीय अथवा बहुत ही खराब है या यह हमारी आशाओं के अनुसार नहीं है..... (**व्यवधान**) ।

सभापति महोदय : पनिका जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप कृपया मन्त्री महोदय को सुनिये । कृपया बीच में मत बोलिए । जब मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे होते हैं, तब प्रत्येक वाक्य के बारे में वादविवाद नहीं हो सकता है ।

श्री बीरेन्द्र पाटिल : कई माननीय सदस्यों ने क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में कहा है । मैं इससे सहमत हूं कि यद्यपि हमने अपने उद्योगों का विकास किया है यद्यपि हम विश्व के दस उच्च उद्योगीकृत देशों में से एक हैं, किन्तु अभी भी इतने अधिक क्षेत्र हैं जो औद्योगिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुए हैं जिनमें बिल्कुल ही कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं है । अतः सरकार इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने तथा पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए वचनबद्ध है । माननीय सदस्य इस तथ्य को जानते हैं कि इस दिशा में कार्यवाही की गई है सरकार द्वारा उपाय किये गये हैं । यद्यपि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए योजना 1971 से लागू है, किन्तु 1-4-1983 से एक नई योजना लागू की गई, जिसके द्वारा इन क्षेत्रों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया । 'क' वर्ग, जिसमें ऐसे जिले सम्मिलित हैं जिनमें कोई उद्योग नहीं है, 'ख' वर्ग; और 'ग' वर्ग इन वर्गों के अनुसार उद्यमियों को कई प्रोत्साहन दिये गये हैं ताकि वे इन पिछड़े क्षेत्रों में जायें और उन क्षेत्रों को विकसित करें । केन्द्रीय आर्थिक सहायता, अर्थात् नकद आर्थिक सहायता जो निवेश के 25 प्रतिशत की दर से दी जा रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 'क' वर्ग क्षेत्रों के मामले में 25 लाख रुपए निर्धारित की गई है 'ख' वर्गों के मामले में यह 15 लाख रुपए अथवा 15 प्रतिशत है । 'ग' वर्गों के मामले में यह 10 लाख रुपए या 10 प्रतिशत है । इसके अतिरिक्त कई रियायतें भी दी गई हैं जैसे कि वित्तपोषण और करों में रियायत, परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता, आदि । मूलभूत ढांचे को विकसित करने हेतु भारत सरकार ने 'क' वर्ग के प्रत्येक जिले के लिए विकास संबंधी आर्थिक सहायता के रूप में 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का वचन दिया है और कहा है कि 2 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थाओं से मिलेंगे । और यह केवल 2 करोड़ रुपए की राशि है जिसकी व्यवस्था इन क्षेत्रों में मूलभूत ढांचे को विकसित करने के लिए राज्य सरकारों को करनी होगी ।

यह योजना 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाली थी, किन्तु सरकार ने सोचा कि इस योजना का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है । इसलिए, इस योजना को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है ।

कुछ माननीय सदस्यों का विचार है कि एक वर्ष की समाप्ति के बाद इस योजना का त्याग कर दिया जाएगा । ऐसी बात नहीं है । यह योजना जारी रहेगी । किन्तु जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि इस योजना के बारे में मतभेद हैं । उदाहरणार्थ, उद्योग रहित क्षेत्र की इकाई के बारे में मतभेद है सदस्यों के बीच भी कुछ मतभेद हैं जो सही हैं । कुछ सदस्य महसूस करते हैं कि एक जिले को एक इकाई के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, जबकि कुछ अन्य सदस्य कहते हैं कि जिले को क्यों नहीं । कुछ कहते हैं कि आप खण्ड अथवा क्षेत्र को एक इकाई के रूप में क्यों नहीं लेना चाहते हैं । इसके अतिरिक्त शिवरमण समिति की सिफारिश भी हमारे सामने है । अतः सरकार इनमें से कुछ बातों पर विचार कर रही है सरकार ने यह पता लगाने

के लिए कि पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए इकाई क्या होनी चाहिए, यह निर्णय लिया है कि मंत्रालयों की एक समिति का गठन किया जाये, जो इस मामले पर विचार करे। उनकी सिफारिशों के आने तक हमने यह सोचा कि फिलहाल इसे समाप्त न किया जाये। इस लिए हमने निर्णय किया है कि इस योजना को एक वर्ष और जारी रखा जाये। मंत्रालयों के दल की सिफारिश के अनुसार एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व समूची योजना की समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो कारगर पग उठाये जायेंगे अथवा इस योजना में परिवर्तन किये जायेंगे ताकि इन पिछड़े क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास सुनिश्चित किया जा सके इस सीमा तक इस योजना में परिवर्तन किया जाएगा और इसे लागू किया जाएगा। मैं यह दोहराना चाहता हूं कि इस योजना को तर्क कर देने का बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं है। इसके विपरीत सरकार इस योजना को जारी रखने के लिए बहुत ही उत्सुक है।

अब मैं औद्योगिक रुग्णता के प्रश्न पर आता हूं जिसके बारे में माननीय सदस्यों, विशेषकर कि पश्चिम बंगाल के सदस्यों का उत्तेजित होना स्वाभाविक ही है। देश में औद्योगिक रुग्णता की स्थिति के बारे में बताने से पूर्व मैं इस समस्या की व्यापकता के बारे में माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं। क्योंकि औद्योगिक रुग्णता की कई परिभाषाएं हो सकती है; मैं इसे परिभाषित करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि यह क्या है। हम उस परिभाषा का अनुसरण कर रहे हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई है। तैयार किये गये आंकड़े भी उसी परिभाषा पर आधारित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक औद्योगिक इकाई को 'रुग्ण' वर्गीकृत किया जाता है, यदि इसे गत वर्ष नकद हानि हुई है और चालू वर्ष तथा आगामी वर्षों में भी नकद हानि होते रहने की सम्भावना है और यदि ऋण-समपूंजी अनुपात में और बिगाड़ आने की प्रवृत्ति दिखाई दे इस परिभाषा के अनुसार, इन इकाइयों की संख्या, जो दिसम्बर, 1980 में बड़ी रुग्ण इकाइयां थी, 409 थीं और लघु रुग्ण इकाइयां 23,148 थी, दिसम्बर, 1980 में देश में रुग्ण इकाइयों की कुल संख्या 24,550 थीं। दिसम्बर, 1983 को बड़े पैमाने की रुग्ण इकाइयों की संख्या 491 थी और लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की संख्या 78,363 थी। इकाइयों की कुल संख्या 80,110 थीं।

महोदय, इन रुग्ण उद्योगों में बैंकों की जो राशि फंसी पड़ी है, उसका ब्यौरा इस प्रकार है:

दिसम्बर, 1980 में बड़े उद्योगों तथा लघु उद्योगों के लिए यह राशि क्रमशः 1,324 करोड़ रुपए तथा 306 करोड़ रुपए थी और इन सभी उद्योगों की कुल राशि 1,809 करोड़ रुपए है।

दिसम्बर, 1983 में सभी रुग्ण उद्योगों को बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई कुल अग्रिम राशि 3,101 करोड़ रुपए थी।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : इनमें से कितनी सरकारी है ?

सभापति महोदय : बाद में पूछियेगा, अभी नहीं।

श्री विरेन्द्र पाटिल : मैं केवल रुग्ण उद्योगों में बड़े तथा लघु उद्योगों की बात कर रहा हूं।

हमें इन उद्योगों के रुग्ण होने संबंधी कारणों को खोजने की आवश्यकता नहीं है। इनमें कुप्रबन्ध तथा आधारभूत सुविधाओं का अभाव, वित्तीय समस्याएं, विपणन की कमी, आवश्यकता

से अधिक श्रमिक तथा ऊंची मजूरी आदि शामिल हैं। इन रुग्ण उद्योगों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो ऐसे उद्योग हैं जिन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है और दूसरे ऐसे उद्योग हैं जिन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। पुनर्जीवित किये जाने वाले उद्योगों का जहां तक संबंध है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, सरकार तथा वित्तीय संस्थायों का दायित्व है कि उन्हें अर्थसक्षम बनाया जाये, समस्या यह है कि ऐसे रुग्ण उद्योगों का क्या किया जाये जिन्हें पुनर्जीवित करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है। कल माननीय सदस्य श्री उन्नीकृष्णन ने हमारे प्रधान मन्त्री के भाषण का जिक्र करते हुए उसके एक वाक्य का सन्दर्भ से परे उल्लेख किया था। अतः मैं सम्पूर्ण विषय को पढ़ना चाहता हूं ताकि आप यह जान सकें कि सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा वह किस दशा में कार्य कर रही है। यह भाषण हमारे प्रधान मन्त्री ने 22 मार्च, 1985 को दिया था। मैं उनके भाषण का यह अंश पढ़ना चाहता हूं :—

> "अन्तिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वह हमारे उद्योगों में रुग्णता के बारे में है जिससे हमारे उद्योगों की दशा बिगड़ती जा रही है। हम इस रुग्णता की स्थिति को सहन नहीं कर पाएंगे और यह बात आपको आगामी सप्ताहों में स्पष्ट हो जाएगी। उद्योगों की रुग्णता से हमारा व्यय बहुत अधिक बढ़ जाएगा और आपको भी यह सुनिश्चित करना है कि उद्योगों में रुग्णता की स्थिति उत्पन्न न होने दी जाए।"

यह भाषण इंजीनियरी निर्यात संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए दिया गया था। मेरा विचार है कि इसमें अधिकांश उद्योगपतियों तथा उद्यमियों ने भाग लिया था। प्रधान मन्त्री ने उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा था—

> "कतिपय उद्योगों को समाप्त करना पड़ेगा। हम यह नहीं कहते कि पिछले 300 वर्षों से चले आ रहे समस्त उद्योगों को हम 22वीं सदी में ले जायेंगे। पर उस वर्ग के अतिरिक्त हमें यह तथ्य स्वीकार करना पड़ेगा कि कतिपय उद्योगों को बन्द करना अनिवार्य है तथा हमें ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करनी पड़ेगी जो उद्योगों को रुग्ण न होने देने के लिए कृतसंकल्प हों।"

महोदय, मेरा विचार है कि एक या दो अवसरों पर मैं इसे स्पष्ट कर चुका हूं। भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण तथा अन्तिम सर्वेक्षण के अनुसार भी यही तथ्य स्पष्ट होता है कि आंतरिक कारणों से चाहे वह खराब प्रबन्ध है या अन्य आंतरिक कारण—यह संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है। अतः मैं अपने मित्र श्री दास मुंशी की इस बात से सहमत हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र या निजी उद्योगपति या उद्यमी का क्या अर्थ है? किसी उद्योग को चलाने, उसकी इक्विटी पूंजी या अंशदान की राशि कितनी है? वह मुश्किल से 15 या 20 प्रतिशत पूंजी लगाता है। शेष राशि सार्वजनिक शेयरधारियों या वित्तीय संस्थाओं की होती है। ऐसी स्थिति में उसे किसी उद्योग को रुग्ण बनाने का क्या अधिकार है? यदि वह उद्योग को रुग्ण बनाने का जिम्मेदार है तो उसे इसके लिए दंडित किया जाना चाहिए। होता यह है कि वह एक उद्योग को रुग्ण बनाकर किसी और लाभदायक धन्धे की खोज करने लगता है। अतः हमें इन बातों की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मेरा विचार है कि हमारे वित्त मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि हम इस स्थिति को इस प्रकार चलने नहीं देंगे।

इसलिए जो कुछ हमारे वित्त मन्त्री ने कहा है वही बात मैं औद्योगिक रुग्णता के लिए भी कहना चाहूंगा क्योंकि यह एक पेचीदा मसला है और मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं चाहता। वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण के पृष्ठ 10 पर कहा है कि रुग्ण उद्योगों के लिए सरकार एक विशेष कानून बनाने पर विचार कर रही है।

> "बड़े तथा मध्यम क्षेत्र में रुग्ण उद्योगों की समस्या से निपटने के लिए सभामेलन, विलय हेतु त्वरित तंत्र एवं ऐसे अन्य उपायों को अपनाने के लिए वित्तीय तथा औद्योगिक पुनर्निर्माण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है।"

चूंकि सरकार इस पर विचार कर रही है इसलिए मैं रुग्ण उद्योगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। पर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं ताकि आप इस समस्या पर विचार कर सकें क्योंकि मैंने देखा है कि दोनों पक्षों की यह मांग है कि उद्योग के रुग्ण होने पर या तो उसका अधिग्रहण किया जाये या राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि उद्योग का राष्ट्रीयकरण करके या अधिग्रहण करके क्या उसे अर्थसक्षम बनाया जा सकता है। अभी तक अधिगृहीत या राष्ट्रीयकृत उद्योगों के बारे में हमारा क्या अनुभव है? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी उद्योग या एकक द्वारा किये गये घाटे को इस देश के नागरिकों से पूरा किया जाता है। अपनी जेब से कोई भी इस घाटे को पूरा करने के लिए कोई अंशदान नहीं करता। इस घाटे को कौन पूरा करता है? अकुशलता व अन्य अनेक कारणों से होने वाले घाटों को पूरा करने के लिए किसे अपनी मेहनत का पैसा व्यय करना पड़ता है? वह पैसा करदाताओं से मिलता है। रुग्ण उद्योगों में हम करदाताओं का पैसा लगाते हैं। मेरा विचार है कि माननीय सदस्य मेरी बात से सहमत होंगे कि करों से मिलने वाली राशि तथा राज्य के राजकोष में जाने वाले धन की जवाबदेही हम सब पर है। विचार धाराओं के नाम पर इस धन का लुटाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार, यह जितना भी धन है, उसका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा करना न केवल देश के, बल्कि करदाताओं के भी हित में होगा।

जैसाकि मैं कह चुका हूं, जहां तक औद्योगिक रुग्णता का सम्बन्ध है, मैं इस के बारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहता क्योंकि यह मामला सरकार के विचाराधीन है और मुझे आशा है कि सरकार यथाशीघ्र ठोस सुझाव देगी।

यह स्वाभाविक है कि किसी उद्योग के रुग्ण होने की स्थिति में हमें उसमें कार्यरत श्रमिकों की दशा पर विचार करना पड़ेगा। मैं जब श्रम मंत्रालय में था तब मैं भी इसी दिशा में विचार कर रहा था। उद्योग के रुग्ण होते ही हम उसके समाप्त किये जाने की स्थिति में उसके श्रमिकों की दशा पर विचार करते हैं। उस उद्योग में कार्यरत हजारों श्रमिकों का क्या होगा? उन के रोजगार का क्या होगा? इस महंगाई में वे अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? मैं इसे समझता हूं। पर मैं यह भी चाहता हूं कि आप भी दूसरी बात को समझें। जब हम वहां कार्यरत श्रमिकों की संभावित बेरोजगारी की बात सोचते हैं—उनकी संख्या एक या दो नहीं, वर्तमान रजिस्टर के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 200 लाख से अधिक है, जो सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं जो बेरोजगार हैं जिनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है, उनका क्या होगा? क्या हमें इन उद्योगों में कार्यरत तथा उनकी संभावित बेरोजगारी की आशंका के साथ-साथ फिलहाल बेरोजगार

व्यक्तियों की दशा पर गौर नहीं करना चाहिए ? मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि इन कार्यरत श्रमिकों को समस्या पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए ।

जहां तक लघु उद्योगों के कार्यनिष्पादन का सम्बन्ध है, इन का कार्यनिष्पादन बहुत सन्तोषजनक है । 1980-81 के दौरान लघु उद्योगों में 23,566 करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन हुआ था और 1984-85 में यह उत्पादन 34,065 करोड़ रुपए मूल्य का था । 1980-81 में लघु उद्योगों द्वारा 71 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था जबकि 1984-85 में यह संख्या 90 लाख थी । लघु उद्योग विदेशी मुद्रा कमाने में भी योगदान दे रहे हैं । यह देश के कुल निर्यात का लगभग 20 से 25 प्रतिशत निर्यात करते हैं । 1980-81 में निर्यात के अन्तर्गत इन्हें 1643 करोड़ रुपए के क्रयादेश प्राप्त हुए थे जबकि 1983-84 में यह राशि 2159 करोड़ रुपए थी ।

मुझे सभा को जो रियायतें दी गई हैं उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है । इन्हें उत्पाद शुल्क पर से निश्चित सीमा तक छूट दी गई है । वित्तीय संस्थाएं आसान ऋण, आसान किश्तों, ब्याज की दरों, प्रारंभिक पूंजी (सीड कैपीटल) आदि के मामले में बहुत रियायतें देती हैं और सरकारी उद्देश्य हेतु खरीद के समय लगभग 15 प्रतिशत मूल्य अधिमान दिया जाता है । मेरे विचार से लघु उद्योग क्षेत्र की विकास दर पर्याप्त संतोषजनक है । बड़े उद्योगों के मामले में 5.5 प्रतिशत की विकास दर की तुलना में यह 9.8 प्रतिशत है । 1983-84 के दौरान बड़े उद्योगों की 7 प्रतिशत की तुलना में इसके लगभग 12 प्रतिशत होने की संभावना है ।

अतः लघु उद्योग क्षेत्र का कार्यनिष्पादन न केवल हमारी आशाओं के अनुरूप ही है अपितु इससे भी अधिक है । हम औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योगों के और विकास हेतु प्रोत्साहन एवं सभी संभावित सहायता देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़ेपन का उल्लेख किया है । मैं मानता हूं कि पूर्वोत्तर राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं, उन्हें सभी प्रकार के प्रोत्साहन मिलने चाहिएं और सभी प्रोत्साहन देने होंगे । साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्य पिछड़े घोषित किये गये हैं और विभिन्न श्रेणियों के नहीं बल्कि 'क' श्रेणी के पिछड़े क्षेत्र घोषित किए गए हैं । यदि कोई भी उद्यमी वहां कोई उद्योग शुरू करना चाहता है तो उसे 25 लाख रुपए की नकद राज सहायता मिल सकती है तथा अन्य बहुत सी रियायतें मिल सकती हैं । यदि इलेक्ट्रानिक्स के पुर्जे बनाने वाली कोई यूनिट वहां स्थापित की जाए तो उन्हें अधिकतम 50 लाख रुपए की नकद राज-सहायता मिल सकती है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 19 औद्योगिक सम्पदा-क्षेत्र हैं । मैं समझता हूं, एक मिजोरम में है जिसका निर्माण चल रहा है । इस प्रकार 20 औद्योगिक सम्पदा क्षेत्र हैं । वहां 42 डी०आई०सी० हैं, पिछले 4 वर्ष में 25,160 नई इकाइयां स्थापित की गई हैं और स्व-नियोजन योजना के अन्तर्गत लगभग 10,000 मामलों में मंजूरी दी गई है । लघु उद्योग संगठनों द्वारा खादी और ग्रामोद्योग निगम, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, आदि के सहयोग से एक तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है । ऐसा लगता है कि इस प्रतिवेदन में कुछ लाभदायक

सुझाव दिये जाएंगे और प्रतिवेदन मिल जाने के बाद, उसमें जिस प्रकार की कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाएगी, इस सम्बन्ध में सरकार आगे कार्रवाई करेगी ।

इसके अलावा भारत सरकार ने कुछ कागज बनाने वाले यूनिट भी शुरू किये हैं । कुछ में उत्पादन हो रहा है और कुछ निर्माणाधीन हैं, जिनमें शीघ्र ही उत्पादन शुरू हो जाएगा । लेकिन कुछ समस्याएं हैं । यद्यपि हम उस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं लेकिन वहां आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, यथा श्रमिक उपलब्ध नहीं हैं; तकनीशियन उपलब्ध नहीं हैं । मैं मानता हूं कि जिन लोगों की वहां जरूरत है और जिन्हें वहां जाना चाहिए वे वहां जाना नहीं चाहते ये कठिनाइयां हैं जो हमारे सामने आ रही हैं । लेकिन हम इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : आप उन जनजातीय लोगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था कीजिए ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : आवश्यक कार्रवाई की जा रही है क्योंकि हम उस क्षेत्र का महत्व जानते हैं तथा यह भी जानते हैं कि वहां का विकास कैसे किया जाए और उस क्षेत्र के लोगों को किस प्रकार संतुष्ट किया जाए ।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : कुटीर उद्योगों के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरे माननीय पुराने मित्र श्री के० वी० शंकर गौड़ा, जो इस समय यहां नहीं हैं, कल कुटीर और ग्रामोद्योग के बारे में बोले थे । मैं उनके विचारों से सहमत हूं । उन्होंने अपने विचार गुस्से में व्यक्त नहीं किये थे बल्कि एक सच्चे गांधीवादी के रूप में संताप का अनुभव करते हुए व्यक्त किये थे । मैं उन्हें पिछले तीस वर्ष से जानता हूं । वह एक बार मेरे सहयोगी भी रहे थे । वह महसूस करते हैं कि कुटीर और ग्रामोद्योगों का विकास किया जाए और खादी और ग्रामोद्योगों को और बढ़ावा दिया जाए । मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं क्योंकि यदि ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या हल करनी है और ग्रामीण श्रमिकों की शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करने की प्रवृत्ति रोकनी है तो मेरे विचार में कुटीर तथा ग्रामोद्योगों का विकास करके ही ऐसा किया जा सकता है अन्यथा नहीं । इस लिए हम इसे बहुत महत्व देते हैं । इसीलिए 1980-81 में हमने इस मद पर 85.88 करोड़ रुपए खर्च किये थे और 1985-86 के लिए हमने 115.42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है । हम इतनी सहायता दे रहे हैं । माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि हम यह धन आयोग को दे रहे हैं आयोग इसे राज्यों में अलग अलग खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों को तथा सहकारी समितियों और संस्थाओं को दे रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अनुदानों और ऋणों के रूप में काफी धन दे रही है । मैं यह तो नहीं जानता कि इस धन का कितना सदुपयोग किया जा रहा है क्योंकि जहां तक राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों का सम्बन्ध है वे हमारे नियंत्रणाधीन नहीं है । इसमें हम कुछ नहीं कर सकते । मुझे बताया गया है कि लगभग 30,000 से भी अधिक सहकारी समितियां हैं जो खादी और ग्रामोद्योग के काम में लगी हुई हैं । लेकिन एक सर्वेक्षण के अनुसार इनमें से लगभग 60 प्रतिशत सहकारी समितियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं । हमारा इन पर कोई नियंत्रण नहीं है । वे हमारे पास आते हैं और हम उन्हें अनुदान

तथा ऋण देते हैं और आंकड़ों के अनुसार 31-3-84 तक कार्यान्वयन एजेन्सियों के पास 389.51 करोड़ रुपए का ऋण बकाया था। पता नहीं उन्होंने इन निधियों को ठीक ढंग से इस्तेमाल किया है या वह धन कुछेक लोगों की जेबों में चला गया है। मेरे लिए कुछ भी कहना कठिन है क्योंकि ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इन संस्थाओं पर निर्भर रहते हैं। स्थिति यह है।

मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि खादी और ग्रामोद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी बहुत कम है। उनकी इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। इस बात पर मेरा कोई मतभेद नहीं है। ऐसे भी मामले हैं जबकि 7-8 घंटे काम करने के बाद उन्हें मुश्किल से 3,4 या 5 रुपए मिलते हैं। सरकार ने निर्णय किया है कि चरखों के डिजाइन में तथा श्रमिकों की कार्य कुशलता में सुधार के साथ-साथ श्रमिक को 8 घंटे काम करने पर 4 या 5 रुपए से अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए। तदनुसार, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने 1-4-1985 से मजदूरी में निम्नलिखित रूप में वृद्धि की है :—

कताई :

पारंपरिक चरखा	75 पैसे से 1 रुपए प्रति लच्छी
पुराना लकड़ी का अम्बर चरखा	65 पैसे प्रति लच्छी
पाट चरखा (क) एक पाट	65 पैसे प्रति लच्छी
(ख) दुहरा पाट	50 पैसे प्रति लच्छी
6 तकुए एन०एम०सी०	45 से 55 पैसे प्रति लच्छी
12 तकुए एन०एम०सी०	इस प्रकार नियत की जाएगी जिससे कि 11 रुपए प्रति दिन तक की आय सुनिश्चित हो सके।
मसलिन चरखा एन०एम०सी०	इस प्रकार नियत की जाएगी जिससे कि 12 रुपए प्रति दिन तक की आय सुनिश्चित हो सके।

इस तरह से हमने मजदूरी बढ़ाने की अपनी पूरी कोशिश की है। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सीमेन्ट उद्योग के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : सीमेन्ट के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हम पर्याप्त सीमेन्ट का उत्पादन कर रहे हैं। 1984-85 के आंकड़ों के अनुसार अधिष्ठापित क्षमता 42.47 मिलियन टन है लेकिन वास्तविक उत्पादन 30 मिलियन टन है। इसका कारण यह है कि बिजली की कमी के कारण बहुत से कारखाने अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब ये सीमेन्ट कारखाने खुद अपने विद्युत संयंत्र लगाने का विचार कर रहे हैं। उनकी क्षमता का 76 प्रतिशत से अधिक उपयोग नहीं हो रहा है। इस समय कुछ कमी है। असल में, पिछले वर्ष हम काफी सीमेंट आयात कर रहे थे, लेकिन इस वर्ष हमने सीमेंट आयात करने का विचार नहीं किया है; हमने प्रावधान किया है और यदि आवश्यक हुआ तो हम आयात करने के लिए तैयार हैं। अनुमानित मांग के अनुसार और सातवीं योजना के दौरान तैयार की जाने वाली क्षमता को देखते हुए हम समझते हैं कि सातवीं योजना के अन्त तक न केवल कमी पूरी हो जाएगी बल्कि सीमेंट उत्पादन आवश्यकता

से अधिक हो जाएगा । पर्याप्त क्षमता के लिए पहले ही लाइसेंस दिये जा चुके हैं । वर्तमान क्षमता 42.47 मिलियन टन की है । 14.31 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस दिए गए हैं । 29.36 मिलियन टन क्षमता के लिए आशय-पत्र दिए गए हैं । इसके अलावा 4.73 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता के लिए व्यापार विकास महानिदेशक (डी०जी०टी०डी०) के यहां पंजीकरण हो चुका है । अतः सातवीं योजना के अन्त तक हम 90.87 मिलियन टन सीमेंट उत्पादन करने की क्षमता तैयार कर लेंगे । यह क्षमता सातवीं योजना के दौरान अनुमानित मांग से काफी अधिक होगी । सातवीं योजनावधि में सीमेंट की स्थिति काफी संतोषप्रद हो जाएगी ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : बूंदी और सम्बुपुरा में कारखानों की स्थिति क्या है ?

.....**(व्यवधान)**

श्री बीरेन्द्र पाटिल : कठिनाई यह है कि माननीय सदस्य प्रत्येक क्रिया कलाप सरकारी क्षेत्र में ही चाहते हैं । हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं । लेकिन कठिनाई यह है । जब संसाधन-सीमित हों तो हमें वरीयता के आधार पर चलना पड़ता है । जो भी धनराशि उपलब्ध है, हमें उसे बुनियादी ढांचे का निर्माण जैसा वरीयता-प्राप्त कामों पर लगाना है । मान लीजिए मैं सीमेंट का कारखाना लगाने में 100 करोड़ रुपए खर्च करता हूं । अगर बिजली उपलब्ध नहीं है तो कारखाना लगाने से क्या लाभ होगा । इस लिए, उस 100 करोड़ रुपए को सीमेंट का कारखाना लगाने पर खर्च करने के बजाय उसे बिजली उत्पादन पर क्यों न लगाया जाये ? अतः, जो भी सीमित संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, हमें उन्हें बुनियादी ढांचा का निर्माण जैसे वरीयता प्राप्त कामों पर खर्च करना चाहिए, जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है । इसीलिए, हम यह नहीं सोच सकते कि प्रत्येक क्रियाकलाप सरकारी क्षेत्र में ही हो ।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : तेलंगाना जिलों में उद्योगों के लिए केन्द्रीय आर्थिक सहायता की क्या स्थिति है ?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्रीय आर्थिक सहायता, वित्तीय संस्थान रियायत आदि के लिए तीन कोटियां हैं । दुर्भाग्यवश, आज आन्ध्र प्रदेश में क-कोटि का कोई जिला नहीं है लेकिन अन्य कोटियों के जिले हैं—ऐसे जिले जो ख और ग कोटियों के अन्तर्गत आते हैं । ये जिले कतिपय रियायतों के हकदार हैं और उन्हें ये रियायतें मिलती रहेंगी ।

श्री सी० माधव रेड्डी : माननीय मन्त्री जी सीमेन्ट उद्योग के बारे में बोल रहे थे । पिछले एक वर्ष में कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में बड़े तथा छोटे दोनों किस्म के सीमेन्ट संयंत्रों के लिए सीमेंट कारखानों को अनेक लाइसेंस दिये गये । क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस तथ्य के बावजूद कि व्यापार एवं विकास महानिदेशालय ने पहले ही लाइसेंस दे दिये हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने हाल ही में सीमेंट के कारखानों को और आगे ऋण दिये जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऋण दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का क्या औचित्य है ?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : जहां तक मुझे जानकारी है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कहा है कि वह छोटे सीमेंट संयंत्रों के लिए वित्त देने की स्थिति में नहीं है । लेकिन, हमने इस मामले को उठाया है । क्योंकि हमारा विचार है कि सीमेंट के छोटे संयंत्र किफायती हैं और मध्य श्रेणी के लोग मिलकर छोटे संयंत्र चला सकते हैं । हम इस मामले में आगे भी कार्यवाही करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : मान्यवर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिए एक पटेल आयोग गठित किया गया था और उसने कुछ अपने सुझाव दिये थे । पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासकर जौनपुर, बलिया, गाजीपुर और देवरिया का एक सैम्पल के तौर पर सर्वेक्षण किया गया था .... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित स्पष्टीकरण ही मांगें, विवरण नहीं ।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पटेल आयोग के सुझावानुसार क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी इण्डस्ट्रीज लगाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य को मालूम है कि चार जाइन्ट फर्टिलाइजर यूनिट्स उत्तर प्रदेश में आ रही हैं ।

श्री राम प्यारे पनिका : इनमें से एक भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : उत्तर प्रदेश में 11 ए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नो-इण्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं तो इतना ही कह सकता हूं गवर्नमेन्ट की तरफ से कि उत्तर प्रदेश का भी औद्योगिक विकास होना चाहिए और उसके लिए जो भी कार्यवाही करनी पड़ेगी वह करेंगे और जो भी एन्टरप्रिन्योर्स आ रहे हैं उनसे हम कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जाइये, आप बैकवर्ड एरियाज में जाइये । हम तो पर्सुवेड करेंगे, कोअर्शन से काम नहीं चलेगा, उनको भेजने के लिए जितनी भी कोशिश हो सकती है वह करेंगे लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार को भी वहां पर इन्फ्रा-स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए । अभी परसों मैंने आई०डी०पी०एल० के सम्बन्ध में सुना था कि हन्ड्रेड परसेंट पावर-कट वहां कर दी गई है तो इस तरह से कैसे इन्फ्रा-स्ट्रक्चर क्रिएट होगा ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सभापति महोदय मैं जानना चाहता हूं कि बूंदी और तम्बूपुरा में सीमेन्ट के कारखाने लगाने के लिए सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया को लेटर आफ इन्टेन्ड दिए गए हैं तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही चल रही है ? वहां पर ढाई लाख और पांच लाख टन के यूनिट्स लगाए जाने हैं ।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि भरतपुर की वैगन फैक्टरी को आर्डर्स नहीं दिए जा रहे हैं जिससे वह सिक हो रही है, उसमें घाटा हो रहा है तो इसके लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सीमेन्ट कारपोरेशन के क्या प्रपोजल हैं राजस्थान में उसकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन मैं इस बारे में पता लगाकर माननीय सदस्य को बता सकूंगा

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल के संबंध में यह धारणा है कि इसकी अवहेलना की जा रही है या यह एक उपेक्षित राज्य है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आंकड़े पेश करता हूं। सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा पश्चिम बंगाल को स्वीकृत सहायता का हिस्सा 6.8 प्रतिशत है। सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता के वितरण का हिस्सा 7.17 प्रतिशत है। सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के कुल पूंजी-निवेश में मार्च, 1984 में पश्चिम बंगाल का हिस्सा 7.5 प्रतिशत था। इसके साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के कुल नियोजन में पश्चिम बंगाल का हिस्सा 19.4 प्रतिशत था।

(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मेरा प्रश्न यह है। मंत्री जी ने अभी वित्त मंत्री जी के भाषण से उद्धरण दिया और इसके आधार पर रुग्ण उद्योगों के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक बोर्ड बनाया जायेगा। मंत्री जी से मेरा केवल यही अनुरोध है कि इस संबंध में अपने मंत्रालय और अधिकारियों की राय लेने से पूर्व और निर्णय लेने से पूर्व क्या वह कम से कम उन संसद सदस्यों की बात सुन लेंगे, जो देश के औद्योगिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री जी भी इस बारे में उद्योगपतियों की भी राय लेंगे। क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहेंगे, जो अधिकारीगण नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहांडी) : सभापति महोदय, उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय, सरकार से निवेदन किया है कि कालाहांडी जिले को नो-इण्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट में शामिल करने के लिये अनुरोध किया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे उस पर विचार कर रहे हैं या नहीं ? दूसरे, उड़ीसा में बिजली का संकट होने के कारण वहां पर इण्डस्ट्री बन्द हो गई है। इसलिये, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय सैन्टर इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी से इसका कोई हल निकालने के लिये बातचीत करें, तो बहुत अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : सूखा संभावित क्षेत्रों के बारे में आपको कुछ विशेष कदम उठाने होंगे। गुलबरगा और कोलार में जो सूखा-संभावित क्षेत्र हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, श्री दास मुंशी ने सुझाव दिया है कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये समिति के गठन से पूर्व उस क्षेत्र के संसद सदस्यों को एक अवसर दिया जाये। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि उनके सुझाव के बारे में मैं अपने सहयोगी वित्त मंत्री जी को बता दूंगा। भारतीय सीमेंट निगम द्वारा राजस्थान में कतिपय क्षेत्रों में सीमेंट की इकाइयां शुरू किये जाने के श्री व्यास द्वारा उठाये गए प्रश्न के संबंध में मेरे पास इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैं जानकारी हासिल करके उन्हें दे दूंगा। उड़ीसा के मेरे मित्र द्वारा पूछे गए इस प्रश्न के बारे में कि क्या वहां पर किसी जिले को उद्योगरहित जिला घोषित किया जा रहा है, स्थिति यह है कि पूरी योजना की समीक्षा चल रही है। निर्णय लेते समय उनके सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा।

माननीय सदस्य डा० वेंकटेश ने सूखा-संभावित क्षेत्रों के बारे में जानना चाहा है। मेरा विचार है कि यह विषय ग्रामीण विकास मंत्रालय का है और मैं संबंधित मंत्री जी को उनके विचारों से अवगत करा दूंगा।

सभापति महोदय : अब मैं उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों के संबंध में पेश किये गये सभी कटौती प्रस्ताव इकट्ठे सभा के मतदान के लिये रखूंगा, यदि कोई माननीय सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव अलग से रखे जाने की इच्छा व्यक्त नहीं करता।

सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें सभा के मतदान के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय संबंधी मांग सं० 57 से 59 के संबंध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय के संबन्ध में वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकृत अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
57	उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय	1,85,91,000	16,000	9,29,60,000	84,000
58	उद्योग	17,92,08,000	51,14,00,000	89,60,39,000	2,55,70,00,000
59	ग्राम और लघु उद्योग	34,10,25,000	25,50,67,000	1,70,71,25,000	1,27,78,35,000

(दो) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

सभापति महोदय : सभा अब खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय से संबंधित मांग सं० 41 और 42 पर चर्चा और मतदान करेगी, जिसके लिये 6 घंटे आबंटित किये गये हैं।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य, जिनके अनुदानों की मांगों के बारे में कटौती प्रस्ताव परिपत्रित किये जा चुके हैं, यदि अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं, जिन पर उनके कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्या लिखी हो। केवल यही कटौती प्रस्ताव पेश किये गये माने जायेंगे।

पेश किये गए माने गये कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाने वाली एक सूची शीघ्र ही सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी। यदि कोई सदस्य इस सूची में कोई गलती देखें तो उसे वह अविलम्ब सभा पटल पर अधिकारी के ध्यान में ले आयें।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखायी गयी खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग संबंधी मांग संख्या 41 और 42 के संबंध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत

खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग सम्बन्धी वर्ष 1985-86 की अनुदानों की मांगें

मांग सं०	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
	खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
41	खाद्य विभाग	2,08,46,30,000	19,11,49,000	10,42,31,52,000	95,57,49,000
42	नागरिक पूर्ति विभाग	91,73,000	1,33,84,000	5,58,66,000	7,24,22,000

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम): सभापति महोदय, श्रीमान, मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके कई कारण हैं। एक कारण यह है कि खाद्य विभाग को कृषि मंत्रालय से अलग कर देने का कोई औचित्य नहीं है, जैसा कि वह पहले हुआ करता था। खाद्य पदार्थ कृषि के परिणामस्वरूप हैं, खाद्य तथा नागरिक पूर्ति विभाग कृषि मंत्रालय से अधिक संबंधित है। खाद्य विभाग कृषि विभाग का स्वाभाविक सहयोगी है क्योंकि इसकी अधिक संगति बड़े कृषि मंत्रालय के साथ है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि खाद्य विभाग और नागरिक पूर्ति विभाग के बीच राशियों का नियतन बिल्कुल ही असंतुलित है। आंकड़ों से यह स्वयं सिद्ध है। मैं इस विषमता की ओर इस

अनुदान सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । खाद्य विभाग के लिये जहां लगभग 1365 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है, वहां नागरिक पूर्ति विभाग के लिये 19 करोड़ रुपये की नगण्य राशि का नियतन किया गया है । असमान हिस्सेदारों के बीच अपवित्र गठजोड़ को समझना हमारे लिये कठिन है और यह इस सम्मानित सभा की समझ से बाहर है ।

खाद्य विभाग के संबंध में, अनुदानों का सब से बड़ा उपभोग करने वाला भारतीय खाद्य निगम है, जबकि इसे खाद्यान्न संबंधी सौदों के संबंध में 1100 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता के रूप में; गोदाम निर्माण कार्यक्रमों के लिये 68 करोड़ रुपये; और 15 करोड़ रुपये लैवी चीनी को संभालने के संबंध में ब्याज प्रभार की वापसी के रूप में दिये गये हैं । भारतीय खाद्य विभाग का बड़ा हिस्सा इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि सारे खाद्य विभाग के लिये नियत किये गये 1365 करोड़ रुपयों में से 1183 करोड़ रुपये केवल भारतीय खाद्य निगम के लिये हैं ।

इसके विपरीत, केन्द्रीय भांडागार निगम के लिये केवल 3.52 करोड़ रुपये की बहुत ही कम राशि नियत की गई है । मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय भांडागार निगम को कृषि उत्पादों और औजारों के भंडारण के लिये गोदामों तथा मालगोदामों का निर्माण करने तथा उन्हें अर्जित करने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है । इसके अतिरिक्त इस निगम को यह दायित्व भी सौंपा गया है कि वह विभिन्न राज्य भांडागार निगमों की अंश पूंजी में बराबर का अंशदान करे । बेशक यह बात प्रत्येक माननीय सदस्य की सामान्य जानकारी की है कि पर्याप्त मालगोदामों के अभाव के कारण कई मूल्यवान और कीमती खाद्यान्नों को प्राकृतिक तत्वों के हवाले कर दिया जाता है । विशेषतया, राज्य भांडागार निगमों को किये जाने वाले बराबर के अंशदान में कई गुणा वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है ।

नागरिक पूर्ति विभाग के संबंध में, मुझे अवश्य ही अपनी व्यथा व्यक्त करनी चाहिये कि तथाकथित नागरिक पूर्ति विभाग नागरिक पूर्ति की बजाय निदेशालयों, आयोगों और संस्थाओं की स्थापना करने के बारे में अधिक चिन्तित है । उदाहरणार्थ बाट तथा माप निदेशालय को ही लीजिये । इसका काम केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर बाटों और मापों से संबंधित कार्य में मार्ग दर्शन करना तथा उसे समन्वित करना और बाट और माप अधिनियम, 1976 में निर्धारित मानकों को लागू करना है । क्या यह आवश्यक है कि किसी केन्द्रीय संस्था को इस अधिनियम में निर्धारित मानकों को लागू करने का कार्य सौंपा जाये ? क्या इन मानकों को लागू करने के लिये राज्य एजेंसियां पर्याप्त नहीं हैं ?

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह राज्यों की स्वायतता पर स्पष्ट आक्रमण है । यह और भी खराब बात है कि केन्द्रीय सरकार ने यह परिवर्तन जानबूझ कर किया है । जैसा कि संविधान में मूलरूप से था, राज्य सूची की प्रविष्टि 29 के अन्तर्गत मानकों की स्थापना को छोड़कर, बाटों और मापों के संबंध में विधान बनाने की शक्ति राज्यों को प्रदान की गई थी । अबोधगम्य कारणों से 1976 के संविधान के 42वें संशोधी अधिनियम के द्वारा इस प्रविष्टि का राज्य सूची में से लोप कर दिया गया और उसी संशोधन द्वारा इसे प्रविष्टि 33क के रूप में समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया । ऐसे कई उदाहरण हैं जिन में से एक उदाहरण यह है कि किस प्रकार राज्यों की शक्तियों को गुप्त रूप से छीना जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, नागरिक पूर्ति विभाग के संबंध में एक और बात भी है । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि यह विभाग अधिकांशतः वायदा बाजार आयोग, बाट और माप निदेशालय, वनस्पति, वनस्पति तेल तथा चर्बी निदेशालय, भारतीय मानक संस्था, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ, उपभोक्ता सहकारी समितियां, दिल्ली में सुपर बाजार, आदि जैसी संस्थाओं से बना हुआ है । इन सभी संस्थाओं के बारे में एक उल्लेखनीय बात यह है कि वे किसी भी तरह से आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण के साथ संबंधित नहीं हैं । आवश्यक वस्तुओं के प्रति इस दुखद उदासीनता को देखते हुए, यह समझ से बाहर है कि इस नागरिक पूर्ति विभाग को किस लिये बनाया गया है । मैं आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं । सभापति महोदय, मुझे इस विषय से संबंधित संवैधानिक उपबन्धों पर संक्षेप में प्रकाश डालने की अनुमति दीजिये । इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में इसका केन्द्र राज्य संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । आरम्भ में मैं संविधान के अनुच्छेद 369 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं इसे उद्धृत करता हूं :—

"इस संविधान में किसी बात के होते हुये भी, इस संविधान के प्रारम्भ के पांच वर्ष की कालावधि में निम्नलिखित विषयों के बारे में विधि बनाने की संसद को इस प्रकार शक्ति होगी मानों कि ये समवर्ती सूची में प्रगणित हैं, अर्थात् :—"

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : महोदय, क्या हम यहां केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में विचार कर रहे हैं ।

श्री एच० ए० डोरा : मैं केवल संगत हिस्से को ही पढ़ूंगा ।

"..... खाद्य पदार्थ (जिस के अंतर्गत खाद्य तेल और तिलहन हैं), ... किन्तु संसद द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अभाव में बनाने के लिए संसद सक्षम न होती, उक्त कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उसकी समाप्ति से पूर्व की गयी या की जाने से छोड़ी गई बातों से अन्य बातों के सम्बन्ध में प्रभावहीन हो जायेगी" । मैं इस सम्मानित सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 369 के अनुसार पांच वर्षों के पश्चात् खाद्य पदार्थों, जिनमें खाद्य तेल शामिल हैं, के संबंध में कोई विधि नहीं बना सकती है । यह शक्ति संविधान के आरम्भ होने से केवल पांच वर्ष की अवधि के लिए संसद में विहित है । अतः, यह उपबन्ध विशेष स्पष्ट रूप से संसद को 26 जनवरी, 1955 के बाद किसी विधि को अधिनियमित करने से रोकता है । खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में संविधान द्वारा बनाये गये उपबन्ध के बावजूद संसद राज्य सरकारों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रही है, जिन्हें खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में विधियों को अधिनियमित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 369 के अन्तर्गत शक्ति मिली हुई है ।

अब, मेरे विचार में माननीय सदस्य को यह बात स्पष्ट हो गई होगी । कि मैं इस बात विशेष के बारे में निवेदन क्यों कर रहा हूं ।

राज्यों को यह जो शक्ति दी गई थी, वह अब उनसे वापस ले ली गई है । संविधान ने आरम्भिक समय से ही खाने के तेल सहित खाद्यान्न के संबंध में कानून बनाने की शक्ति केवल राज्यों को प्रदान की थी; केन्द्रीय सरकार या संसद को नहीं । संसद राज्य सरकारों की इस शक्ति को हड़पने की कोशिश कर रहा है । यही बात मैं इस सदन में बताना चाहता हूं ।

इस सबसे निम्नलिखित बातें नोट की जा सकती हैं । राज्य के भीतर व्यापार तथा आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण संबंधी विनियमन अस्थायी रूप से इस प्रकार संसद को प्रदान किया गया है मानों इनका उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया हो ।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : हम खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं या केन्द्र-राज्य संबंधों पर ? माननीय सदस्य संसद द्वारा पारित एवं प्रवृत्त अधिनियमों की संवैधानिकता को चुनौती दे रहे हैं । क्या उन्हें इसकी अनुमति है ? ये संसद के अधिनियमों को चुनौती दे रहे हैं ..... (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता (डाममंड हार्बर) : यह बहुत उपयुक्त है । माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उसके अनुसार आपके अधिनियम असंवैधानिक हैं ..... (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : हम कोई अधिनियम पारित नहीं कर रहे हैं ..... (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : वे यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके मंत्रालय की अनुदानें असंवैधानिक हैं। (व्यवधान)

श्री एच० ए० डोरा : जैसा कि मैं कह चुका हूं, संविधान लागू होने के पांच वर्षों के पश्चात् खाद्यानों का विनियमन करने का दायित्व राज्य विधान मंडलों को सौंपा गया था । मेरे विचार से, खाद्यानों के विनियमन के संबंध में शक्ति संसद को संविधान लागू होने के प्रथम पांच वर्षों के पश्चात् स्वतः समाप्त हो जानी चाहिये थी ।

राव बीरेन्द्र सिंह : इन अधिनियमों को पारित किये जाने के समय इन सब आपत्तियों पर विचार कर लिया गया होगा ।

श्री एच० ए० डोरा : स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी आवश्यक आपूर्ति अस्थायी शक्तियां अधिनियम, 1946 नामक अधिनियम बनाया गया था । यह अधिनियम स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व लागू था ..... (व्यवधान)

3.00 म०प०

संविधान तैयार किये जाने के समय यह लागू था । 1946 के इस अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 369 में उल्लिखित कतिपय मदें भी सम्मिलित थीं । परन्तु जहां तक अनुच्छेद 369 में उल्लिखित मदों का संबंध है, संविधान के लागू होने के पांच वर्षों के पश्चात् संसद को उनके सम्बन्ध में अधिनियम बनाने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं थी । यह निर्धारित अवधि 26 जनवरी, 1955 तक थी । इसी दिन अर्थात 26 जनवरी, 1955 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश प्रख्यापित किया था जिसे बाद में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के नाम से जाना गया । इस अधिनियम के द्वारा संसद ने उन शक्तियों को हड़प लिया जिनके बारे में संविधान के अनुच्छेद 369 के अन्तर्गत उस पर प्रतिबंध लगाया गया था । यह किस प्रकार किया गया ? 1954 में संसद ने संविधान (तृतीय संशोधन) अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा आवश्यक वस्तुओं की अनेक मदों को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 में सम्मिलित कर दिया गया ।

मैं इस तथ्य पर जोर देना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 369 ने 5 वर्षों के लिये कतिपय मदों के संबंध में संसद की विधायी शक्ति को सीमित किया था, 1954 के तृतीय संविधान संशोधन ने उन्हीं मदों को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 में सम्मिलित कर दिया । दूसरे शब्दों में, मूल उपबन्ध द्वारा जिस पर प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया था, प्रविष्टि के संशोधन द्वारा उसी मद को प्रच्छन्नरूप से हटाने का प्रयास किया गया । यदि यह संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है तो और क्या है ?

महोदय, शैक्षिक वाद-विवाद के लिये नहीं अपितु इसके व्यावहारिक परिणामों के कारण मैंने इस विषय पर इतनी अधिक बातें कहीं है ।

सभापति महोदय : क्या अब आप इस पर आपत्ति कर सकते हैं ?

श्री एच० ए० डोरा : जी हां । यह मूल कानून है । केवल प्रविष्टि का संशोधन किया गया है । क्या सप्तम अनुसूची की प्रविष्टि का संशोधन करके मूल कानून में प्रदत्त शक्ति को समाप्त किया जा सकता है ?

सभापति महोदय : इस पर उस संशोधन के समय ही चर्चा की जा सकती थी, अब नहीं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप अब संविधान संशोधन के लिए एक गैर-सरकारी विधेयक ला सकते हैं ?

श्री एच० ए० डोरा : मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जो मेरे राज्य तथा आंध्र प्रदेश सरकार को प्रिय है । माननीय सदस्य इस तथ्य को जानते हैं कि श्री एन०टी० रामाराव तथा तेलगु देशम पार्टी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सरकार ने दो रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल देने की योजना सफलतापूर्वक शुरू की थी । अब हमें उपर्युक्त योजना के लिये भारी मात्रा में चावल की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त हमें अपने समाज कल्याण होस्टलों, दोपहर के भोजन तथा अन्य न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना है । हमारे मुख्य मंत्री श्री एन०टी० रामाराव स्वयं प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्हें भारतीय खाद्य निगम से अधिक चावल दिलाने संबंधी ज्ञापन भी दिया था ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप इस मांग को किस कानून के अन्तर्गत उठाना चाहते हैं ।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : बिना किसी कानून के अन्तर्गत । वही कानून जिसके अधीन मंत्री को प्रश्न पूछने का हक है ।

श्री एच० ए० डोरा : संविधान के अनुसार पारित कानून के अन्तर्गत ।

श्री सी० माधव रेड्डी : केन्द्र-राज्य संबंधी कानून के अन्तर्गत ।

राव बीरेन्द्र सिंह : जब आप हमारे कानूनों को नहीं मानते तो आप हमसे चावल की अपेक्षा क्यों करते हैं ?

श्री एच० ए० डोरा : भारत सरकार की प्रतिक्रिया का हमें अभी तक पता नहीं चला है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी के उत्तर के समय इस का उचित उत्तर मिलेगा । महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा कई तर्क दिये जाते हैं । परन्तु मैं इन सभी तर्कों तथा प्रति तर्कों का उल्लेख करके आपके धैर्य की परीक्षा नहीं लूंगा । मैं यह बताना चाहता

हूं कि इसमें कतिपय गंभीर त्रुटियां हैं । राष्ट्रीय अभिकरण के लिए राज्यों से खाद्यान्न खरीदकर उन्हीं को पुनर्वितरित करना प्रत्यक्षतः अव्यावहारिक प्रतीत होता है । यदि इस प्रक्रिया को उलट दिया जाये और यह कार्य राज्य सरकारों को सौंप दिया जाए तो यह पूर्णतः संवैधानिक तथा प्रशासनिक रूप से प्रभावी होगा ।

मेरे विचार से, कल्याणकारी उपायों के लिये खाद्यान्न खरीदने का कार्य राज्यों को सौंप कर केन्द्रीय पूल की जरूरतों के लिये उस राज्य से निश्चित कोटा निर्धारित कर दिया जाना चाहिए । आखिरकार अपनी जनता की आवश्यकताओं से सीधा संबंध राज्य का ही हो सकता है और हमारे जैसे विशाल देश के लिये इस विशाल कार्य को एक केन्द्रीय अभिकरण को सौंपने से इसका दोषपूर्ण एवं निष्प्रभावी होना लीजिमी है ।

इसके अतिरिक्त, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है, समाज कल्याण होस्टलों, दोपहर के भोजन की योजना आदि सहित राज्य सरकार की दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल देने की योजना के अन्तर्गत राज्य की आवश्यकता लगभग 22 लाख टन वार्षिक है । इसकी तुलना में भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल से 10 लाख टन की मात्रा दी जा रही है, 7½ लाख टन चावल की खरीद बातचीत के द्वारा तय की गई दर पर तथा शेष 4½ लाख टन की मात्रा खुले बाजार से खरीदी जा रही है ।

इस समय, केन्द्रीय पूल से राज्य को 10 लाख टन चावल की मात्रा इस शर्त पर दी जा रही है कि वह भारतीय खाद्य निगम के एक मात्र अभिकरण के माध्यम से 15 लाख टन चावल की खरीद करेगा । इससे पहले राज्य सरकार ने भारत सरकार से यह प्रस्ताव किया था कि मिल की वर्तमान लेवी को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की अनुमति दी जाये ताकि वह लगभग 27 लाख टन चावल की खरीद कर सके । यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है और आंध्र प्रदेश सरकार इसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है ।

इसके अतिरिक्त, मुझे यह कहने की अनुमति दी जाये कि अगामी खरीफ चावल के विपणन मौसम (अर्थात् अक्तूबर, 1985) के दौरान राज्य सरकार की मिल लेवी की प्रतिशतता को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की अनुमति दी जाये और भारतीय खाद्य निगम के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में चावल की खरीद हेतु आंध्र प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को भी सार्वजनिक अभिकरण अधिसूचित किया जाये ।

मुझे बोलने का जो यह अवसर दिया गया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

कटौती प्रस्ताव

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

कि खुले में रखे गए खाद्यान्न भण्डार की क्षति के कारण भारतीय खाद्य निगम को हो रही भारी हानि को रोकने की आवश्यकता । (2)

कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

कि अन्य देशों से खाद्यान्न का आयात बन्द करने की आवश्यकता । (3)

कि नागरिक पूर्ति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

कि सभी राज्यों में लोगों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर से चावल सप्लाई करने की आवश्यकता । (5)

कि नागरिक पूर्ति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

कि आन्ध्र प्रदेश में सार्वजनिक वितरण के लिये आवश्यक चावल की सप्लाई करने में असफलता । (6)

कि नागरिक पूर्ति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

कि आंन्ध्र प्रदेश सरकार को सार्वजनिक वितरण के लिये आवश्यक चावल अन्य राज्यों से लेने की अनुमति प्रदान करने की आवश्यकता । (7)

कि नागरिक पूर्ति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

कि भारत को एक जोन बनाकर पूरे भारत में खाद्यान्न को निर्बाध रूप से लाने तथा ले जाने की अनुमति देने की आवश्यकता । (8)

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

कि उत्तर बंगाल में कूच बिहार जिले में बक्सीरहाट तथा माथाभंगा में फलों तथा सब्जियों के परिष्करण हेतु कारखाने खोलने की आवश्यकता । (11)

कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

कि उत्तर बंगाल में जलपाईगुड़ी में कुमारग्रामदुआर, बक्सदुआर, चमरेही तथा नगराकटा में फलों तथा सब्जियों के परिष्करण हेतु कारखाने खोलने की आवश्यकता । (12)

कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

कि उत्तर बंगाल के जिलों के प्रत्येक खंड में कृषि उत्पादों के लिये भण्डारों तथा भाण्डागार गोदामों की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (13)

कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

कि उत्तर बंगाल के दवार्स तथा तराई में एक कृषि-औद्योगिक समूह स्थापित करने की आवश्यकता । (14)

कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

कि उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में कूच बिहार, अलीपुरद्वार, मदरीहाट के तूफानगंज में सामुदायिक डिब्बा–बन्दी तथा फल परिरक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता । (15)

कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

कि उत्तर बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में धीरपारा तथा नथुआ हाट में परिष्करण तथा पोषाहार केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता । (16)

कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

कि उत्तर बंगाल में ढार्स तथा तराई के सभी चाय बागानों के लिये चलते-फिरती खाद्य तथा पोषाहार विस्तार सेवा की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (17)

कि नागरिक पूर्ति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

कि उत्तर बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में अलीपुरद्वार में एक सुपर बाजार की स्थापना करने के लिये वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता । (18)

कि नागरिक पूर्ति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

कि उत्तर बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में कलचीनी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आसूचना प्रवर्तन तथा जनशक्ति प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं के अन्तर्गत एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता । (19)

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : सभापति महोदय, इस समय सदन में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है और मैं उसके समर्थन में अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह बात सही है कि हमारे खाद्य विभाग का बहुत ही कठिन और जटिल रोल हमारे देश में है—सबसे पहले खाद्यान्न को एकत्रित करना, फिर उस को कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाना, खाद्यान्न का वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण और वितरण, ये तमाम महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो हमारे खाद्य विभाग को करने पड़ते हैं । वर्ष 1980 के बाद, हम लोगों ने देखा है कि इस मंत्रालय ने बहुत ही प्रशंसनीय काम किये हैं । मुझे वह समय भी याद है जब 1982–83 में देश में भयंकर बाढ़, सूखा, ओला-वृष्टि और तूफान से प्रभावित लगभग 31 करोड़ आबादी को इस मंत्रालय ने जिस तत्परता से राहत पहुंचाई, उसका श्रेय इस विभाग को ही जाता है और हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि इतना सब कुछ होते हुए भी देश के किसी कोने में, किसी भी व्यक्ति को अन्नाभाव के कारण भूखों मरने नहीं दिया गया । मान्यवर, इतना ही नहीं, आप यदि देखें तो इसके कामों में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को और उनके मंत्रालय से संबंधित विभाग के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

अभी हमारे विरोधी पक्ष के साथी बोल रहे थे, उन्होंने संवैधानिक बातों को उठाया, जिसकी कोई आवश्यकता यहां नहीं थी । लेकिन मैं उनकी इस बात से जरूर सहमत हूं कि इस मंत्रालय की धनराशि बढ़ाई जाये । जब इतना गुरुतर काम यह मंत्रालय करता है तो निश्चित रूप से इसकी धनराशि बढ़नी चाहिये ।

देश में जो टोटल आबादी का हिस्सा है, मेरा ख्याल है उसके मुकाबले में अभी भी आपका विभाग 12, 13 परसेंट काम करता है, लेकिन इस मंत्रालय को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है ।

गल्ले की खरीद के बारे में बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने किसानों के लिये सपोर्ट प्राइस की एक नीति निर्धारित कर दी है, लेकिन पूरे देश में सपोर्ट प्राइस के अन्तर्गत किसानों का गल्ला नहीं खरीदा जाता क्योंकि वहां सेंटर नहीं खुल पाते, उनके पास आवश्यक भण्डारण की व्यवस्था नहीं और समय से उन्हें धनराशि नहीं मिल पाती ।

उत्तर प्रदेश में रबी की धान की फसल के बारे में किसानों को बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। अभी कई साथियों ने कहा है कि अन्य प्रदेशों में भी कई स्टेटों में निर्धारित मूल्य पर किसानों की उपज की खरीद नहीं हो पाती है।

आप जो यहां सपोर्ट प्राइस तय करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को उसके मुताबिक कार्यान्वयन करना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि आप मानिटरिंग सेल रखें जो स्टेट गवर्नमेंट पर दबाव डाले। हमारे एक साथी यहां बोल रहे थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइड-लाइन्स के अनुसार आपका प्रदेश काम करता है ?

आन्ध्र प्रदेश की ही बात नहीं है, हमारी माननीय प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 12 सूत्री कार्यक्रम वितरण व्यवस्था के बारे में बनाया था। उन्होंने कहा था कि जो अभाव-ग्रस्त क्षेत्र हैं, विशेष समस्या वाले क्षेत्र हैं, उनमें हर 200 यूनिट पर एक राशन की दुकान खोलेंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो गाइड लाइन्स आप भेज रहे हैं, किसी भी राज्य में उसके अनुसार राशन की दुकान नहीं खुली है। मैं आपकी निन्दा नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी मानिटरिंग के कारण जहां 2 लाख के आस पास दुकानें 1979—80 में थी, अब वह 3 लाख से ऊपर हो गई हैं। दुकानों की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन गाइड लाइन्स के अनुसार निश्चित तौर से दुकानों की संख्या नहीं बढ़ी है।

पहाड़ी क्षेत्र, बाढ़ के क्षेत्र, कोस्टल एरियाज़ और डेजर्ट एरियाज़ में लोगों को मीलों राशन लेने जाना पड़ता है। जरूरत इस बात की है कि जहां हम यूनिटों के आधार पर दुकानें खोलने की बात कर रहे हैं, वहां दूरी का निर्धारण करना भी बहुत जरूरी है।

आपने पिछले साल कुछ चलती-फिरती दुकानों की व्यवस्था करने की बात कही थी लेकिन राज्य सरकारों ने बहुत कम जगह पर उसका परिपालन किया है। केन्द्र ने सुझाव दिया, लेकिन वह चलती-फिरती दुकानें कागज की शोभा बढ़ा रही हैं।

आपने यह भी कहा कि इंडस्ट्रियल बैल्ट में, खासकर वर्कर्स और कांट्रेक्ट लेबरर्स के लिये स्पेशल दुकानें खोलेंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में, हमारे मुशरान साहब यहां बैठे हैं, वह कहेंगे कि मध्यप्रदेश की बात क्यों नहीं की, ट्राइबल क्षेत्रों में और लेबर के क्षेत्रों में जो दुकानें खुलनी चाहियें थी, वह नहीं खुली हैं। नतीजा यह हुआ है कि वैस्टेड इन्टरेस्ट वाले व्यापारी उसका लाभ उठा रहे हैं और लोगों को महंगा सामान मिलता है।

हमारी एफ०सी०आई० की सबब समय पर इस हाउस में और हर क्षेत्र में आलोचना हुई है, लेकिन मैं उसके वृहत कामों को देखते हुए यह बात यहां रखना चाहता हूं कि इसमें जो लोग लगे हुए हैं, वह हिन्दुस्तान की किसी अन्य सोसाइटी के नहीं हैं। वह उसी सोसायटी के हैं, जहां से हर विभाग के लोग आते हैं, लेकिन इसमें आपका काम उसको सुधारना है। लोगों की यह शिकायत है कि यह जो खर्चा बताते हैं बहुत अधिक होता है। उसको बचाया जाये तो अच्छा होगा।

मान्यवर, हमारे भंडारण की कमी है, वैसे पिछले कई सालों में उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सभी चाहते हैं कि निश्चित तौर से उसको दुरुस्त किया जाये और उसमें जो भ्रष्टाचार की बात की जाती है, उसके प्रति भी कठोर रुख अपनाना होगा। जो एजेन्सियां जिन एजेंसियों के साथ सहयोग करके उसे खरीदना चाहती हैं, उनमें कोई समन्वय नहीं है जिस के कारण कई दिक्कतें आती हैं, इसलिये उन सब को आपको सुधारना होगा।

3.16 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मान्यवर, जहां आप एफ० सी० आई० का काम सुधारें, वहां जो भंडारण का काम है उसे भी सुधारना चाहिये ।

जो आपकी राशन की वितरण व्यवस्था है, उसमें आपकी गाइड लाइन्स 12 सूत्री है । स्टेट लैवल पर जायें तो काफी कठिनाइयां हैं । लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं । उत्तर प्रदेश में कोआपरेटिव सोसायटी ने उसको चला रखा है । जो कोआपरेटिव सोसायटी है कई जगहों पर उन्होंने बहुत धांधली की हुई है और जो आप खाद्य में गेहूं और चावल दे रहे हैं, वह मिलता है, लेकिन जो चीनी और तेल है वह सारा का सारा ब्लैकमार्किट में चला जाता है और 1980 से जो दुकानदार रिटेलर्स चले आ रहे हैं वही उसमें अभी तक धांधली कर रहे हैं । उत्तर प्रदेश में वैस्टीड इंटरस्ट वाले जनता पार्टी के लोग आर०एस०एस० के लोग उसमें घुस गये थे, वह सारे काला धंधा करते हैं । इसमें जो प्राफिटर्स, कालाबाजारी और स्मगलर्स आदि घुस गये हैं इनके विरुद्ध कठोर कदम उठाना चाहिये और आवश्यकता पड़े तो उनके लिये सुरक्षा मीसा का प्रयोग करना चाहिये क्योंकि हमारे बावजूद तमाम प्रयत्नों के अभी भी कोई सुधार नहीं हो पाया है ।

निश्चित रूप से सरकार चाहती है कि देश में कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हो, लेकिन वह पूरी तरह सफल हो नही पा रही है इसलिये इसमें कठोर नियम बनाया जाना चाहिये । इसमें सबसे अधिक भ्रष्टाचार होता है, स्टेट और सेंट्रल लैवल के कर्मचारी इसमें काफी धांधली करते हैं । यदि आप नियम बना देंगे तो अच्छा होगा । नियमों को बड़ी संजीदगी से पालन करना होगा, नहीं तो जो अधिकारी करप्शन में लिप्त हैं, वह अपने अधिकारों को और मजबूत बना लेंगे ।

जो हमारा बजट आया है उससे जाहिर कुछ चीजों के मूल्य बढे हैं लेकिन बहुत सी चीजों के मूल्य 15–20 परसेंट बढ़ गये । आज जनता जो हम से अपेक्षा करती है, उसके अनुसार हम बजट लायें । हमने जाब ओरियेंटिड योजना बनायी जिससे बेरोजगारी दूर हो । लेकिन इसका असर जो फिक्सड इनकम वाले हैं, वर्कर्स हैं, गरीब लोग हैं, उन पर बहुत पड़ा है । उन्हें कठिन समय से गुजरना पड़ रहा है । डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि के दाम बढ़े हैं, लेकिन जिस परसेंट से बढ़े, जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं, उसका लाभ उठा कर कई गुना कीमतें बढ़ा दी हैं ।

मैं मिर्जापुर गया था तो टैक्सी वालों ने कई गुना किराये बढ़ा दिये हैं । इसी प्रकार और भी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं । आपका पिछली बार स्टेटमेंट आया था कि आप कठोर कदम उठाने जा रहे हैं । अगर आवश्यकता पड़े तो एसेंशल कमोडिटीज के अंतर्गत जो चीजें जनरल उपभोक्ता की हैं, जिन की कीमतें उन्होंने बढ़ा दी हैं, उन व्यापारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करें ।

मिट्टी के तेल की देश में कमी नहीं है क्योंकि 1980 के बाद इस क्षेत्र में तरक्की हुई है लेकिन वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है । जो इसके वितरण में लगे हैं वह मिट्टी के तेल में मिलावट कर चोरबाजारी का काम कर रहे हैं । दूर दराज गांवों में ट्राइबल एरियाज में आज चिमनी जलाने के लिये मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है । इसलिये आवश्यक है कि आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और फूड एंड सिविल सप्लाई की एक मीटिंग बुलायें और जो गाइड लाइन्स स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने 1976 में दी थी उसका पालन करें और जो पिछड़े क्षेत्रों के गरीबों

के लिये आपने विशेष व्यवस्था करके वितरण करने की जो योजना बनायी है उसको लागू करें तभी जो परिवार उससे संबंधित हैं, उनको लाभ होगा ।

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लॉ एंड आर्डर के बाद सिविल सप्लाई का इस देश में बड़ा महत्व है । इस मंत्रालय को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपभोक्ता संरक्षण तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों, वनस्पति, तिलहन आदि के मूल्य तथा वितरण से संबंधित प्रबंध और मानक संस्था से संबंधी मामलों की देखरेख करनी होती है जिस का सम्पूर्ण देशवासियों के दैनिक जीवन से संबंध है ।

मान्यवर, अनाजों के उत्पादन में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है और यह हिन्दुस्तान के लिये गौरव की बात है कि 10 वर्ष पीछे जो देश विदेशों से अनाज मंगा कर खाता था आज वह आत्मनिर्भर ही नहीं है, बहुत ही खुशहाल हो गया है । चावल के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हुई है । गेहूं, गन्ने आदि के क्षेत्र में भी बहुत वृद्धि हुई है, लेकिन भारत सरकार ने महसूस किया 2–3 साल से तिलहन का उत्पादन इस देश में नहीं हो पा रहा है । वैसे इस क्षेत्र में भारत सरकार ने काफी कदम भी उठाये हैं, लेकिन फिर भी इसका उत्पादन कम हुआ है । सन् 1982–83 में 11.5 लाख मीट्रिक टन आयात किया गया था, जबकि वर्ष 1983–84 में आयात की मात्रा 16.34 मीट्रिक टन बढ़कर हो गई । उत्पादन में वृद्धि के लिये जो कदम उठाये गये वह इसलिये सफल नहीं हो सके कि उसमें एक तो वह समय पर भेजे नहीं गये, दूसरा उसमें छोटे काश्तकारों पर पाबंदी लगा दी गई थी । उसमें दिक्कतें आई कि एक एकड़ का काश्तकार पूरे एकड़ में चना, सरसों या मटर नहीं बो सकता था । उसने मिनी किट लिया उसने चने को खा लिया, मटर को खा लिया, खेत में उसे बोया नहीं । इसलिये इसको उदार बनाया जाये, बड़े लोगों को दिया जाये जिस के पास 8–10 एकड़ जमीन है जिसमें वह उड़द, सूरजमुखी, चने आदि को बो सके क्योंकि यह एक चिन्ता का विषय है कि इतने इंसैनटिव लेने के बाद भी हम अपने तेल के आयात की मात्रा को पिछले वर्षों की तुलना में नहीं घटा पाये हैं ।

इसी प्रकार चीनी का भी मसला है । गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष गन्ने का उत्पादन काफी घटा है । मैं कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र बस्ती जिले में खलीलाबाद में जयपुरिया प्रतिष्ठान की एक चीनी मिल है जिसके संबंध में मैं एक बड़ा गम्भीर मसला मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं । मुझे सूचना मिली है कि जयपुरिया प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर चोरी-छिपे सारी मशीनें वहां से हटा देना चाहते हैं और फैक्टरी को बन्द करना चाहते हैं । वहां पर करोड़ों रुपया किसानों का बकाया है, कहीं ऐसा न हो कि उन गरीबों का पैसा डूब जाये । अभी पीछे काफी विस्तार से बात रखी थी कि वहां पर ब्लैक में काश्तकारों की पर्चियां खरीदी जाती हैं और समय से पैसा भी नहीं दिया जाता है लेकिन वह अलग बात है । परन्तु यह बहुत गम्भीर मामला है जो मैंने आपके समक्ष रखा है । इस पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है ।

जहां तक सरकारी सोसायटियों द्वारा वितरण का प्रश्न है, मैं निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी सोसायटी नहीं होगी जिसमें उसके सचिव और सुपरवाइजर ने लाखों रुपये का गबन न किया हो । मेरा अनुरोध है कि सोसायटियों को तोड़ा न जाये लेकिन उनके साथ-साथ पैरेलल अरेंजमेन्ट किया जाना चाहिये, गांव-पंचायत के स्तर पर दुकानों का आवंटन भी किया जाये तथा कोआपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से भी डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाये । साथ ही साथ कानूनों का

कड़ाई के साथ पालन किया जाये। गरीबों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ज्यादा मूल्य लेकर सामान बेचने वालों तथा सामानों की आर्टिफिशियल स्केवरसिटी बनाने वालों को कठोर से कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि डेरीज (दुग्धशालाओं) के बारे में रिपोर्ट आई है कि विटेमिन ए की कमी के कारण ब्लाइन्डनेस बढ़ रही है और इसलिये अंधेपन को नैशनल हेल्थ प्रोग्राम में शामिल किया गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि आपके मंत्रालय की ओर से इस समय दो डेरीज के दूध में विटामिन ए बढ़ाने का प्रावधान किया गया है लेकिन मैं चाहूंगा कि देश भर में जहां भी दुग्धशालायें हैं वहां भी इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि जो भी दूध सप्लाई किया जाये, उसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ा दी जाये। अभी जो दूध सप्लाई किया जाता है उसमें से चर्बी की मात्रा निकाल ली जाती है, जिससे ब्लाइन्डनेस बढ़ती है।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब लोगों को सामान्य वस्तुयें नियंत्रित मूल्य की दुकानों से देने की व्यवस्था की गई है परन्तु वहां से जो गेहूं सप्लाई होता है उसके संबंध में ऐसी शिकायत मिली है कि उसकी क्वालिटी खराब होती है और वह सड़ा हुआ होता है। चीनी के बारे में मुझे इस समय तो कोई शिकायत नहीं मिली है लेकिन जब मैं लोक सभा का सदस्य नहीं था तब मुझे सैम्पल दिखलाये गये थे, उस चीनी में बालू मिली हुई थी, जो खाने वाली नहीं थी और कभी-कभी गीली चीनी भी दी जाती है जिसमें दुर्गन्ध आती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देशवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न किया जाये। जो भी सामान उन दुकानों पर जाये वह अच्छी क्वालिटी का हो और स्वास्थ्यवर्द्धक हो।

दूर-दराज के इलाकों में दुकानें खोलने का जो प्रावधान है वह काबिले तारीफ है लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वहां आज तक चलती-फिरती एक भी दुकान नहीं खोली गई है। मैं समझता हूं मंत्री जी इस संबंध में विशेष रुचि लेंगे और उसकी व्यवस्था करेंगे।

देश में कम नाप-तोल की वजह से कंज्यूमर्स को बड़ी हानि उठानी पड़ रही है। नाप-तोल में कोई गड़बड़ी न होने पाए—इसकी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये।

सीमेंट के बारे में मैं मंत्री जी का ध्यान विशेष तौर पर दिलाना चाहूंगा। सीमेंट गनी बैग्ज में पैक किया जाता है। यदि बेईमानी न भी की जाये तो भी उसकी लोडिंग और अन-लोडिंग में दस किलो सीमेंट कम हो जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सीमेंट को पोलिथीन के बैग में पैक किया जाये और उसके बाद गनी-बैग में रखा जाये ताकि कंज्यूमर को पूरी पचास किलो सीमेंट मिल सके। आज कंज्यूमर्स को करोड़ों रुपये का घाटा सहना पड़ रहा है।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गेहूं की खरीददारी में बड़ी धान्धली होती है। परचेज सेन्टर पर जो गेहूं किसान द्वारा लाया जाता है उसको रिजैक्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसको फिर बिचौलियों द्वारा खरीद लिया जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि जिस भावना से बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लाया गया है, उससे देशवासियों को यह जरूरी सामान मुहैया कराया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः फूड एण्ड सिविल सप्लाइज मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

3.31 अ०प०

रेगिस्तान विकास कार्यक्रम सम्बन्धी संकल्प--- (जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ करते हैं ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन द्वारा 25-1-85 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आधे घंटे की चर्चा :

"इस सभा का मत है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में राशि, सुविधाओं और रियायतों की व्यवस्था के मामले में मरुस्थल विकास कार्यक्रम और पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में समानता होनी चाहिये ।"

चूंकि इस मद के लिये केवल 25 मिनट शेष रह गये हैं इसलिये मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि केवल पांच-पांच, छः-छः मिनट ही लें ।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री वृद्धि चन्द्र जैन द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभार मानते हुए आपको धन्यवाद देता हूं ।

यह एक महत्वपूर्ण संकल्प है । जब हम इस संकल्प की आत्मा को देखते हैं, तो मैं सरकार का ध्यान इस संकल्प की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि इस संकल्प पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । श्री जैन ने इस बारे में विस्तार से अपनी बात कही है और सदन के करीब-करीब सभी सदस्यों ने इस संकल्प का समर्थन किया है । सन् 1983 में जब श्री एस०बी० चव्हाण योजना मंत्रालय का काम देखते थे, तो उन्होंने इस बात का आश्वासन इस संकल्प के प्रस्तुत कर्ता श्री जैन को दिया था कि आप जो कुछ भी मांग कर रहे हैं, वह छठी पंचवर्षीय योजना के बीच में कर रहे हैं, लेकिन जब सातवें प्लान की रूपरेखा शुरू होगी तो इन बातों पर अवश्य विचार करेंगे । यह स्पष्ट उल्लेख उन्होंने सदन में किया है । पत्र लिख कर भी उन्होंने श्री जैन को आश्वासन दिया है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ काल में अपने उस आश्वासन पर विचार करें । आज हिल्ली एरियाज, पर्वतीय क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र में एक और नौ का अनुपात है । सरकार को इस विसंगति को तोड़ना चाहिये । सरकार डैजर्ट डवेलपमेंट के लिये सौ करोड़ रुपया देती है और नौ सौ करोड़ रुपया पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा और उनके विकास के लिये देती है । मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि सरकार ने डैजर्ट डवेलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत 21 जिले अपने हाथ में लिये हैं । मैं चेतावनी सूचना के तौर पर दे रहा हूं कि इस शताब्दी के समाप्त होते-होते, 15 साल बाद या बीस साल बाद जो भी सदस्य मन्दसौर जिले से जीत कर आयेगा, वह कहेगा कि आप इस जिले को 22वां जिला शामिल कर लें । क्योंकि अगर रेगिस्तान रोका नहीं गया तो वह राजस्थान की तरफ से मालवा की ओर बढ़ रहा है । दो सौ फीट नीचे तक पानी नहीं मिलता है । हमारे कमरों में, हमारे बिस्तरों पर, हमारे किचन में, हमारे खाने में रेगिस्तान से उड़ी हुई धूल के प्रत्यक्ष दर्शन आप कर सकते हैं । मन्दसौर जिले

का सारा चित्र बदलता जा रहा है। जंगलों को जिस निर्ममता से काटा जा रहा है उस से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। इतना ही नहीं पशुधन पालने की हमारी वृत्ति भी बदलती जा रही है। कल तक वहां गाय-बैल पाले जाते थे आज उस इलाके में भेड़, बकरियां और ऊंटों की बहुलता पाई जाती है।

एक सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जब कभी भी रेगिस्तान के मामले पर विचार करे तो इस बात को ध्यान में रख कर विचार करे कि आप डेजर्ट को डवेलप करना चाहते हैं या उसको रोकना चाहते हैं। हमारे यहां डेजर्ट बढ़ रहा है, मालवा की तरफ जा रहा है, यदि 15-20 वर्ष तक प्रतीक्षा की और इस को बढ़ने दिया गया तो हो सकता है कि आज जो 1 करोड़ 83 लाख की पापुलेशन डेजर्ट एरिया की आप कहते हैं, उस में एक करोड़ की पापुलेशन मालवा की भी जोड़नी पड़ेगी, तब तक रेगिस्तान इतना बढ़ जायेगा। एक ओर गुजरात की तरफ से बढ़ रहा है, दूसरी ओर राजस्थान की तरफ से बढ़ रहा है, दोनों तरफ से हमारी ओर बढ़ रहा है, चाहे झाबुआ का इलाका हो, रतलाम का इलाका हो या मन्दसौर का इलाका हो, ये सब इलाके प्रभावित हो रहे हैं। हमारी खाने की आदतें बदल रही हैं, पशुधन की आदतें बदल रही हैं, खेती-बाड़ी का चरित्र बदल रहा है। पीने के पानी का जितना हाहाकार राजस्थान में है, उससे ज्यादा हमारे यहां है। यदि आपने मन्दसौर के इलाके को राजस्थान की तरह से ट्रीट नहीं किया तो निश्चित ही एक दिन अपने प्राधिकरण की शाखायें वहां भी खोलनी पड़ेंगी। मैं इस समय का उपयोग करते हुए, एक विनम्र सदस्य के नाते पूर्व सूचना दे रहा हूं, यदि हम आज गफलत में रहे तो 25 साल बाद कोई दूसरा सदस्य यहां बैठ कर आप को यह सूचना देगा।

आप रेगिस्तान को रोकने के लिये वनों का विकास करते जा रहे हैं, उस कार्यक्रम को कृपा कर मध्यप्रदेश के उस हिस्से में भी लागू कीजिये जो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। आप हम को अलग रख कर इस कार्यक्रम को पूरा नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में आप जो भी प्रयोगशालायें खोल रहे हैं, उन को उन सीमान्त क्षेत्रों में खोलें जहां रेगिस्तान के जबड़े बढ़ते जा रहे हैं, इस से आप को अन्दाजा लग जायेगा कि हमारी बातों में कितना तथ्य है।

मैं श्री वृद्धि चन्द्र जैन जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि सारे मामले को नये सिरे से एनालाइज कीजिये, क्योंकि यह सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भिक काल है। जैन साहब ने तीन साल पहले चिट्ठी लिखी थी, दो-ढाई साल पहले उनको कहा गया कि ठीक वक्त पर कहना। मैं आज बिलकुल ठीक वक्त पर पुकार लगा रहा हूं, सातवीं पंच वर्षीय योजना का मसौदा आप के हाथ में है, उस को आप अन्तिम रूप दे रहे हैं, ऐसे वक्त में यदि आप ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो फिर आप के दरवाजे पर किस दिन खड़े हों, इस का निर्णय बाद में करना पड़ेगा।

मैं जैन साहब को इस प्रस्ताव को यहां लाने के लिये फिर से बधाई देता हूं। सरकार इस बात पर फिर से विचार करे—पर्वतमाला के विकास और रेगिस्तान के विकास के बीच में जो लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, रेगिस्तान को कभी भी विकसित कर लेंगे पर्वतों का विकास ज्यादा जरूरी है, इससे काम नहीं चलेगा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान उस से ज्यादा बड़ी चुनौती है, सरकार को इस ओर तुरन्त दृष्टि डालनी चाहिये।

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम यह संकल्प प्रस्तुत करने के लिए श्री वृद्धि चन्द्र जैन का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस संकल्प ने हमारे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान दिलाया है। मैं श्री मूल चन्द डागा के हस्तक्षेप के लिए और जो संशोधन उन्होंने पेश किए हैं उसके लिये उनका और अन्य सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने चर्चा के दौरान योगदान किया है। यह बहुत रचनात्मक चर्चा रही है और जो बात ज्यादा रुचिकर है वह यह है कि एक भी ऐसा सदस्य नहीं था, जो इस संकल्प के मूल तत्वों से असहमत हो। श्री जैन मरुस्थल विकास के मुजाहिद जैसे हैं, जो विकास के इस मुद्दे को उठाने के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। इसलिये, मुझे उनकी मांग के प्रति गहरी सहानुभूति है, किन्तु जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं, सहानुभूति को, विकास और योजना के लिये, नकदी में बदलना होता है। इसलिये, हमारा प्रत्युत्तर हालांकि सकारात्मक है, लेकिन उपलब्ध संसाधनों की सीमा के भीतर है। माननीय सदस्यों ने तत्कालीन योजना मंत्री श्री एस०बी० चव्हाण द्वारा दिये गये आश्वासन का हवाला दिया है। मैंने यह आश्वासन देखा है। हम इस आश्वासन के प्रति वचनबद्ध हैं कि योजना की प्रक्रिया में हम मरुस्थल क्षेत्रों की आवश्यकता पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

मुख्य मांग यह है कि जितनी राशि और जिस तरीके से वह धन राशि पहाड़ी क्षेत्रों के लिये खर्च की जाती है, उतनी राशि और उसी तरीके की मरुस्थल क्षेत्रों के लिये भी व्यवस्था की जाये। मेरा विचार है कि विकास के इन दो क्षेत्रों की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। मरुस्थल के विकास का अपना अलग स्वरूप है। वास्तव में, इन दो समस्याओं में अन्तर है। पहाड़ी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की अवहेलना किये बिना या उनकी तुलना किये बिना, हम मरुस्थल की समस्याओं का अलग से समाधान ढूंढ सकते हैं। यह केवल राजस्थान राज्य की ही समस्या नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है, क्योंकि जैसा बताया गया है राजस्थान का मरुस्थल दिल्ली की ही ओर बढ़ता जा रहा है जो एक प्रकार का हमला है। साथ ही हमें मरुस्थलीकरण को रोकना है, जो एक तत्काल और राष्ट्रीय आवश्यकता है। परिस्थिति की प्रणाली को बनाये रखने के लिए भी हमें इस प्रश्न पर विचार करना होगा और इसकी ओर ध्यान देना होगा।

राजस्थान के लोगों की, जो मरुस्थल की स्थिति से सीधे प्रभावित हैं, समस्याओं के प्रति निःसन्देह हम सचेत हैं। भारत सरकार के लिये यह कोई नया विषय नहीं है। 1951-52 से ही राष्ट्र का ध्यान इस समस्या की ओर रहा है। समितियां बनायी गयीं। मरुस्थलीकरण के प्रश्न को हल करने और मरुस्थल क्षेत्रों का विकास करने के लिये विभिन्न अध्ययन किये गये और विभिन्न कार्यक्रम शुरू किये गये। 1971 में ही हमने सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया था। बाद में, 1977-78 में, हमने विशिष्ट मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू किया। 1980 तक, इन दो कार्यक्रमों को अलग-अलग कर दिया गया। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह एक पश्चगामी कदम था, क्योंकि दोनों कार्यक्रम मरुस्थल क्षेत्र में एक साथ नहीं चल रहे थे। वास्तव में, इन कार्यक्रमों को अलग इसलिये किया गया था, कि अलग-अलग कार्यक्रमों के अन्तर्गत एक ही किस्म का काम हो रहा था। इन दो कार्यक्रमों को अलग कर देने के पश्चात् मरुस्थल क्षेत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने के बजाय, अधिक लाभान्वित हुए, क्योंकि उन क्षेत्रों में अधिक संसाधन जुटाये गये जिन्हें मरुस्थल जिलों के रूप में सीमांकित किया गया था।

मैंने कुछ आंकड़ों को देखा है। मैंने देखा है कि दो कार्यक्रमों के पृथक हो जाने के पश्चात् मरुस्थलीय जिलों और खण्डों पर वास्तव में उस धनराशि की अपेक्षा बहुत अधिक राशि खर्च हुई है जो दोनों कार्यक्रमों के एक साथ होते हुए उन के लिये उन्हीं क्षेत्रों में उनके खर्च की जाती थी। अतः, यह पृथकीकरण युक्तियुक्त था और मरुस्थल विकास कार्यक्रम को कमजोर करने की अपेक्षा इस पर अधिक बल देने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया था। मूलतः वास्तव में, सबसे पहला प्रश्न मरुस्थलों के बढ़ने से रोकने का है और दूसरा प्रश्न इन क्षेत्रों के लोगों के लिये एक बेहतर जीवन के लिये एक मूलभूत ढांचे का निर्माण करने तथा अन्य उपाय करने का है।

एक और बहुत ही बड़ा मामला, जिसे लगभग सभी ने उठाया है, वह है पेय जल की समस्या का। अब पेयजल भारत में समस्त ग्रामीण क्षेत्र के लिये एक गम्भीर समस्या है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक बड़ा कार्यक्रम बनाया है। वास्तव में, सातवीं योजना पर नीति पत्र में पेयजल तथा सफाई के दशक के उद्देश्य को स्वीकार किया है जिसके अनुसार हम कहते हैं कि 1990-91 तक भारत के सभी ग्रामों को पेयजल दिया जाना है। वास्तव में यह एक साधारण बात है। किन्तु इस में अन्तर्ग्रस्त पूंजीनिवेश की दृष्टि से, यह एक बड़ा कार्य है। किसी ने हिसाब लगाया है—यह एक मोटे तौर से लगाया गया हिसाब है—कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को पेयजल की सप्लाई करने के लिये लगभग 11,000 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

स्वयं राजस्थान के संबंध में पर्याप्त कार्य किया जा चुका है, यद्यपि मैं यह दावा नहीं करूंगा कि यह संतोषजनक रहा है। 1980 में, लगभग 19,803 ग्रामों को समस्याग्रस्त ग्रामों के रूप में घोषित किया गया था। "समस्याग्रस्त ग्रामों" से उनका अभिप्राय है कि 1.6 किलोमीटर के घेरे के भीतर पेयजल का कोई साधन नहीं है, छठी योजना के अन्तर्गत लगभग 15,996 ग्रामों के लिये पेय जल की सुविधाओं की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया था। अनुमान यह है छठी योजना के अन्त तक लगभग 3,807 ग्राम बिना जल के हैं। मेरा विचार यह है कि सातवीं योजना में इस समस्या से निपटा जा सकता है और कुछ और अधिक कार्य भी किया जा सकता है और न केवल समस्याग्रस्त ग्रामों से ही निपटा जा सकता है, प्रत्युत मरुस्थलीय क्षेत्र में और अधिक संतोषजनक ढंग से निपटा जा सकता है।

अन्य योजनायें भी हैं। बेशक जल की सप्लाई एक राज्य विषय है। किन्तु केन्द्र, विशेषकर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता देता है। इसके अतिरिक्त निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा संचालित त्वरित ग्राम्य जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय योजनायें हैं। मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। छठी योजना के दौरान, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों ने पेय जल की आपूर्ति पर लगभग 115.61 करोड़ रुपया खर्च किया है, जबकि सरकार ने राजस्थान की राज्य सरकार को 123.77 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता दी है।

मैं यह दावा नहीं करता हूं कि इस समस्या से निपटने के लिये यह पर्याप्त है। किन्तु मेरा विचार यह है कि इस मूल समस्या से निपटने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों को उत्सुकता और इरादा दिखाई देता है। पेयजल केवल मानवीय, शारीरिक तथा सामाजिक आवश्यकता ही नहीं है। यह इस से भी कहीं अधिक है। मेरे विचार में पेय जल की व्यवस्था इस दृष्टि से भी एक आर्थिक आवश्यकता है कि यह भारत के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देता। इसलिये विकास के प्रयोजन से पेयजल के महत्व को मानना होगा और सरकार इस महत्व से बहुत ही अच्छी प्रकार से अवगत है।

जहां तक राजस्थान का संबंध है, एक मूल वास्तविक समस्या जल के स्रोतों का अभाव है। वहां भूमिगत जल बहुत ही कम है। इस तथ्य से प्रत्येक व्यक्ति सहमत है। अनेक माननीय सदस्यों ने भी इस तथ्य को व्यक्त किया है। जब तक राजस्थान नहर पूरी नहीं बन जाती है, तब तक इस मरुस्थल में इसे व्यापक समस्या से सफलतापूर्वक निपटना बहुत ही कठिन होगा। राजस्थान नहर एक बहुत ही विशाल परियोजना है। यह राज्य क्षेत्र में है और माननीय सदस्यों ने यह मांग की है कि केन्द्र को इस परियोजना के राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से राज्य सरकारों द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों का अध्ययन करना चाहिये। वास्तव में केन्द्र पहले ही कुछ वित्तीय सहायता दे रहा है। जैसाकि आप जानते हैं कि इस नहर का पहला चरण पहले ही पूरा हो चुका है अथवा अधिकांशतः पूरा हो चुका है और दूसरे चरण पर काम चल रहा है। दो या तीन बार योजना परिवीक्षाओं के संशोधन के कारण मुख्यतः विलम्ब होता रहा है। नवीनतम संशोधन में कुछ मूल प्रश्न अन्तर्ग्रस्त थे यह बात नहीं है कि इन प्रश्नों का समाधान ही नहीं हो सकता है, बल्कि तकनीकी तौर से इसे केन्द्रीय जल आयोग से मंजूर कराना होता है और इस योजना के कार्यान्वयन के लिये अधिक वित्त व्यवस्था करनी है। यह प्रस्ताव इस समय केन्द्रीय जल आयोग के पास है और एक बार आयोग द्वारा इसे मंजूरी दिये जाने के बाद यह सिंचाई और बाढ़ संबंधी समिति के पास जायेगा और उसके पश्चात इस विशेष परियोजना के संबंध में अन्तिम निर्णय के लिये यह योजना आयोग के पास आयेगा। मुझे इसमें बिल्कुल ही संदेह नहीं है कि राजस्थान मरुस्थल में जल समस्या का आखिरी समाधान इस वृहद् परियोजना के पूरा होने में ही है। मैं इस के बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सकता। मैं केवल यही कह सकता हूं कि भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार की नीति इस बड़ी परियोजना को शीघ्र पूरा करने की है।

विद्युतीकरण तथा चिकित्सा सुविधाओं जैसे अन्य कई मामले उठाये गये हैं। वे सभी संबंधित मामले हैं। और वे इस क्षेत्र के लोगों के जीवन के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मरुस्थल विकास कार्यक्रम का अंश हैं। मैं उन्हें टालने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं। केन्द्रीय सरकार ने योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार की सहायता करने के लिये कई पग उठाये हैं। मैं इन पगों का विस्तृत विवरण नहीं दे रहा हूं क्योंकि इन्हें सब अच्छी प्रकार जानते हैं। ये भारत के सभी भागों पर लागू होते हैं; बेशक, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इनमें परिवर्तन अपेक्षित है। किन्तु इस क्षेत्र के लिये विशिष्ट रूप से पारिस्थिति की, पारिस्थिकी-परिरक्षण, तथा भू-कटाव को रोकने, वन रोपण, आड़ के लिये वनरोपण पट्टी और मरुस्थल को बढ़ने से रोकने के लिये ऐसी ही अन्य मूलभूत योजनाओं से संबंधित जैसे उपाय हैं। इस में कुछ प्रगति हुई है यद्यपि मैं इसका दावा नहीं करता हूं, फिर भी यह अच्छी रही है। राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार छठी योजना में 18,393 हैक्टेयर भूमि को पनधारा पर आधारित भू-संरक्षण कार्यक्रमों के द्वारा खेती योग्य बनाया गया है; लगभग 1,136 कुओं का निर्माण किया गया है, यह बहुत बड़ी संख्या नहीं है; डेरी समितियों की स्थापना की गयी है। ये मूलभूत ढांचे की तरह है। मेरे पास वनरोपण के बारे में भी वास्तविक आंकड़े हैं। 13,219 हैक्टेयर वन्य भूमि पर वनरोपण किया गया है। फार्म वन खण्ड के लिये 1.60 लाख पौधों को वितरित किया गया है।

राजस्थान में एक और अधिक मूल बात है। कुछ सदस्यों ने जोधपुर स्थित शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केन्द्र के बारे में कहा है; एक माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां आराम-कुर्सी बैठे जैसा

काम हो रहा है। मैंने इस संस्थान के निदेशक तथा वैज्ञानिकों के साथ विचारविमर्श किया है और मैंने देखा कि वे एक नये प्रकार का कार्य और एक रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। वास्तव में जबतक हम मरुस्थलीय परिस्थितियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय अनुसंधान तथा नवीन परिवर्तनों के बारे में आगे कार्यवाही नहीं करते हैं, तब तक मरुस्थल के बढ़ने को रोकने या/अथवा इस दुर्भाग्यपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र के जीवन स्तर तथा लोगों के जीवन यापन की दशा को सुधारने के लिये वास्तव में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं किया जा सकता है। मेरा विचार यह है कि इस संस्था द्वारा किये गये कार्य को कम आंकने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिये। वास्तव में, हाल ही में ट्यूनिशिया के योजना मंत्री यहां आये थे और मुझे आश्चर्य हुआ कि एक चीज जो वह देखना चाहते थे वह यह संस्थान था, वह अपने देश में इसी प्रकार के वैज्ञानिक कार्य को विकसित करने के लिये इस संस्थान के साथ सहकार का प्रबन्ध भी करना चाहते थे। निस्संदेह यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने जो आविष्कार किया है, उस से तुरन्त काम लिया जा सकता है। किन्तु उन्होंने विशेष प्रकार के पौधों और फलों को उगाया है, उन्होंने भूमि को सुधारने के तरीके ढूंढे हैं और उनके पास संस्थान के आस-पास प्रदर्शन फार्म भी हैं। वास्तव में निदेशक ने मुझे बताया है कि वे कुछ संसद सदस्यों को निमंत्रण देना चाहेंगे कि वे संस्थान में आयें और वे देखें कि वे न केवल प्रयोगशाला में ही बल्कि इस के आस-पास वाले समूचे क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं।

4.00 म०प०

श्री अजय मुश्तरान (जबलपुर) : सरकार इतनी धीमी गति से कार्य कर रही है कि वह संसद सदस्यों को आमंत्रित करने, इस संस्थान को देखने बारे में भी अधिकारी केवल सोच ही रहे हैं।

श्री के० आर० नारायणन : उन्होंने मुझे बताया है। मेरा विचार है कि मैं बहुत ही आसानी से इस का प्रबन्ध कर सकता हूं। मेरा विचार है कि वे कुछ छिपाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।

यह निश्चित है कि वनस्पति को उपजाने, भूमि का सुधार करने, वनरोपण तथा अन्य समस्याओं के लिये नई वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का सहारा लिये बिना हम वास्तव में मरुस्थल के विस्तार का सामना नहीं कर सकते हैं। अतः, इस समस्या से निपटने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के तरीकों के प्रति हमारी कुछ वचनबद्धता होनी है।

एक प्रमुख प्रश्न जो उठाया गया है वह धन की व्यवस्था के बारे में है। अब धन की व्यवस्था करने की पद्धति 50–50 के अनुपात में है। अर्थात् केन्द्र द्वारा 50 प्रतिशत और राज्य द्वारा 50 प्रतिशत जुटाना होता है और केन्द्र केवल तभी 50 प्रतिशत देगा जब राज्य 50 प्रतिशत के अपने हिस्से को जुटाने की स्थिति में होगा। वास्तव में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और इसमें अन्तर है। किन्तु मेरा विचार है कि इन दोनों कार्यक्रमों की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्वतन्त्र रूप से मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था कर सकते हैं और यह हमें देना भी चाहिये क्योंकि यह अपनी प्राथमिकताओं तथा अपनी आवश्यकताओं और जरूरतों पर आधारित है।

यहां मेरे पास सातवीं योजना के नीति-पत्र का कुछ अंश है—मेरे विचार में सदस्यों ने इसे देख लिया होगा—जिसमें कहा गया है :

"रेगिस्तान विकास कार्यक्रम को, यदि आवश्यक हो तो पहाड़ी क्षेत्र या आदिवासी कार्यक्रमों जैसे अन्य विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रमों के अनुरूप बनाकर, इसे और अधिक गतिशील बनाने की आवश्यकता की जांच करनी होगी।"

नीति-पत्र में सातवीं योजना के निर्माण हेतु दिशा-निर्देश दिये गये हैं। हम इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार चलते हैं। योजना आयोग में हम यह देख रहे हैं कि इन दिशा-निर्देशों को किस हद तक योजना में समाविष्ट किया जा सकता है।

जैसा कि आप जानते हैं वित्तीय ढांचे का निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा किया गया था। ऐसा कोई संवैधानिक या न्याय संगत तरीका नहीं है जिससे योजना आयोग विधि जुटाने के अनुपात में परिवर्तन कर सके जब तक कि इसे राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा मंजूर और संशोधित न किया जाये। लेकिन इस नीति-पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों को अपना कर इस दिशा में कार्य कर सकते हैं और मैं इस सम्मानित सभा को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार की यह मन्शा है कि इस कार्यक्रम के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाये, जो योजना के लिये साधनों की समग्र उपलब्धता के अनुरूप हो और इन सीमाओं के भीतर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये निश्चित रूप से तैयार हैं। वास्तव में यह नीति-पत्र में पहले ही उल्लिखित है और जैसा कि बताया गया है, श्री एस० बी० चव्हाण ने यह लिखा है कि वह इस प्रश्न की जांच करने के लिये तैयार हैं। हम इस प्रश्न की जांच इस आश्वासन के अनुसार कर रहे हैं और हम इसकी जांच बहुत सहानुभूतिपूर्वक और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, जो न केवल राजस्थान के लिये बल्कि समूचे भारत के लिये महत्वपूर्ण है, के महत्व को जानते हुए कर रहे हैं। क्योंकि हमें बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकना है और राजस्थान की जनता की रहन-सहन की दशा में सुधार करना हमारे लिये राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का प्रस्ताव करने वाले माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे इसे वापस ले लें क्योंकि सरकार संकल्प के उद्देश्यों के प्रति पूर्णतः आगरुक है और इनकी पूर्ति हेतु काम करने को तैयार हैं। मैं श्री मूलचन्द डागा से भी अनुरोध करता हूं कि—मुझे उनसे पहले कहना चाहिये था—वे अपना संशोधन वापस ले लें क्योंकि असल में इससे संकल्प में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता सिवाय इसके कि इससे राजस्थान सरकार के पास निधियों की कमी होने की बात उजागर होती है। मैं इस विषय पर बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों को धन्वाद करता हूं क्योंकि उन्होंने राजस्थान के रेगिस्तान विकास कार्यक्रम के माध्यम से भारत की आम जनता के जीवनयापन के कई पहलुओं की ओर ध्यान केन्द्रित किया है।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मरु विकास कार्यक्रम के प्रति जो आपने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस संबंध में 12 सदस्यों ने भाग लिया और मंत्री महोदय ने भी अपना जवाब प्रस्तुत किया।

श्री आनन्द पाठक, श्री गिरधारी लाल व्यास, श्री अन्नानम्बी, श्री मोहर सिंह राठोर, श्री मूल चन्द डागा, श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, श्री राम प्यारे पनिका, श्री के०डी० सुल्तानपुरी, श्री गिरधारी लाल डोगरा, श्री प्रियरंजन दास मुंशी, श्री बालकवि बैरागी और मंत्री महोदय आदि सब सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन किया।

अभी जो मंत्री महोदय ने जवाब प्रस्तुत किया है उस जवाब में यह स्थिति साफ नहीं है कि पीने के पानी का संकट इस प्रकार का है कि राजस्थान के केनाल के बिना इस प्रश्न का हल नहीं हो सकता। मैं बताना चाहता हूं कि अगर राजस्थान केनाल से हम पीने के पानी का सही हल करें तो अच्छा होगा। हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने योजना भी बनायी है, वह 3 हजार करोड़ रुपये की योजना है। 3 हजार करोड़ रुपये की योजना का क्रियान्वयनन किसी भी तरीके से राजस्थान सरकार कर नहीं सकती। उसकी कोई क्षमता नहीं है कि वह 3 हजार करोड़ रुपये की योजना को क्रियान्वयन करें। इसलिये यह पीने के पानी का प्रश्न इस प्रकार का है कि यदि विशेष सहायता केन्द्रीय सरकार की तरफ से नहीं मिली तो और पहाड़ी क्षेत्रों से ज्यादा जल की अगर सहायता नहीं मिली तो पीने के पानी की समस्या हल नहीं हो सकती।

पीने के पानी के साथ-साथ जो दूसरा प्रश्न है वह राजस्थान केनाल का है। राजस्थान केनाल जो बन रही है 1957 में उसकी स्वीकृति हुई थी। उस वक्त 66 करोड़ रुपये की योजना थी अभी इस प्रकार का आंकड़ा है वह आंका गया है कि राजस्थान केनाल की 5 लिफट केनाल हैं और गड़रा रोड तक पानी के लिये जो फूलां केनाल है और उसके साथ-साथ जो कमांड एरिया है, उसको विकसित करना है, उसके लिये एक हजार पांच सौ करोड़ की आवश्यकता है। एक हजार पांच सौ करोड़ के बिना किसी भी सूरत में पूरी नहीं हो सकती, चाहे इसके लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावीजन करें या स्टेट प्रावीजन करे, जब तक विशेष सहायता नहीं देंगे, किसी भी तरीके से यह केनाल का निर्माण नहीं हो सकता। राजस्थान केनाल इच्छोगिल नहर का भी काम करती है। यानी सुरक्षा की दृष्टि से भी उसका बड़ा महत्व है। आर्थिक क्षेत्र में तो जिस भाग में भी राजस्थान नहर जायेगी उस भाग का काया पलट हो जायेगा। तो इस नहर का संबंध पीने के पानी से है, इस नहर का संबंध सिंचाई से है, इसका संबंध पैदावार से है और इस तरह से इसका संबंध वहां की प्रगति और विकास से है। इन सारी बातों में राजस्थान नहर एक विशेष भूमिका अदा कर सकती है।

मैंने यू०पी० के पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में सातवीं योजना का ड्राफ्ट देखा है, उसमें पहाड़ी क्षेत्रों के लिये विशेष योजनायें बनाई गई हैं। 560 करोड़ की योजनाओं में यू०पी० को 350 करोड़ का विशेष लाभ मिला है। उस योजना के तहत काशीपुर का क्षेत्र है, नैनीताल, अलमोड़ा और बद्रवाल के क्षेत्र आते हैं जिनकी तुलना यदि आप बाड़मेर और जैसलमेर के क्षेत्रों से करें तो आप देखेंगे कि वे क्षेत्र काफी विकसित हैं। (व्यवधान) यद्यपि हर क्षेत्र की समस्यायें भिन्न हैं परन्तु कुछ समान भी हैं जिन पर मैं बाद में प्रकाश डालूंगा। अभी आप अन्दाज लगाइये कि दोनों क्षेत्रों में प्रति वर्ग-किलोमीटर कितने व्यक्ति वहां रहते हैं। वहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर 175 व्यक्ति रहते हैं जबकि हमारे यहां जैसलमेर में तो 10–15 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं और बाड़मेर में 75 व्यक्ति प्रति वर्ग-किलोमीटर रहते हैं।

एक दूसरी समस्या और भी है जैसा कि मध्य प्रदेश के हमारे मित्र कह रहे थे कि उनके क्षेत्र में भी रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है, व्यास जी कह रहे थे कि उनके क्षेत्र में भी विस्तार हो रहा है तो इस प्रकार से यह एक राष्ट्रीय समस्या है। जहां तक पहाड़ी क्षेत्रों का संबंध है, यदि आप वहां पर वन विकास की ओर विशेष ध्यान दें तो वहां का विकास हो सकता है लेकिन रेगिस्तानी क्षेत्रों में यदि आप वन विकास करना चाहें तो दस गुना खर्चा लग सकता है। वहां पर इसको करना बड़ा

कठिन कार्य होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस दृष्टि से आपको देखना चाहिये कि ये रेगिस्तानी क्षेत्र बहुत ही अविकसित हैं और मौके पर जाकर आप स्वयं देख सकते हैं। कुछ योजनाओं के संबंध में अधिकारी वहां गये थे तो पीने के पानी की 40 लीटर की जो योजना थी उसको उन्होंने 76 लीटर कर दिया। इसी तरह से पशुओं की संख्या को देखते हुए उस योजना में भी परिवर्तन किया। वहां पर 50 वर्गमील और सौ वर्गमील में एक गांव फैला हुआ है। ढाई सौ की जनसंख्या पर पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। आपने 3980 समस्याग्रस्त गांव बताये हैं जिनके संबंध में व्यवस्था नहीं हो सकी है। यदि हम ढाई सौ की जनसंख्या को एक इकाई मानें तो जनसंख्या के आधार पर रेगिस्तानी क्षेत्र में दस हजार गांव आ जायेंगे। कहने का अर्थ यह है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में अभी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उसको पीने का पानी लाने के लिए दस-दस किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जब हमने यह नॉर्म बनाया हुआ है कि किसी एक व्यक्ति को 1.6 किलोमीटर से दूर न जाना पड़े, तो यह नॉर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में लागू होना चाहिये। जहां तक मैडिकल फैसिलिटीज का ताल्लुक है, वह भी सड़कों के अभाव में नहीं मिल पाती है। कहीं पर हास्पिटल खोला जाता है, तो वहां डाक्टर नहीं जाना चाहते हैं। बिजली की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ओर भी आपको ध्यान देना होगा। जहां तक बिजली का ताल्लुक है हमारे यहां दस से पन्द्रह प्रतिशत गांव ही बिजली से कवर हुए हैं, जबकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में 60-60 प्रतिशत तक कवर हो गये हैं। कहने का मतलब यह है कि यह इतनी कठिन समस्या है, इस समस्या को हल करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने सेन्ट्रल रोड रिसर्च इन्स्टीचूट को भी देखा है। इनका कार्य विशाल है और बहुत ही प्रशंसनीय है। परन्तु उस विज्ञान का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यह लाभ उन तक पहुंचाने के लिये आपको विशेष व्यवस्था करनी चाहिये। आज ज्ञान को फैलाने की आवश्यकता है। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह मैन-मेड डैजर्ट है, फारैस्ट्री बहुत सक्सैसफुल हुई है, जहां पर नहर पहुंच गई है, वहां पैदावार काफी बढ़ी है। उस क्षेत्र का बहुत ही विकास हुआ है और काफी वहां तरक्की हुई है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस क्षेत्र में विशेष सहायता नहीं दी गई, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक सहायता नहीं दी गई तो आगे आने वाले तीस वर्षों के अन्दर भी हम पीने के पानी की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। अगर विशेष सहायता नहीं दी गई तो तीस वर्षों के अन्दर भी राजस्थान केनाल से हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पायेंगे। अब भी इस राजस्थान केनाल के निर्माण के लिये 28 वर्ष बीत चुके हैं और इसको पूरा करने में और 28 वर्ष लग जायेंगे अगर विशेष सहायता नहीं दी गई। अगर विशेष सहायता नहीं दी गई तो सड़कों के बारे में आपकी जिस प्रकार की कल्पना है कि हम 1990 तक 1500 की जनसंख्या के गांव को कवर कर लेंगे, वह भी आप पूरी कर पायेंगे। हमारे यहां सड़कों का खर्च दूसरे स्थानों की सड़कों के मुकाबले में दुगुना-तिगुना खर्च आता है। हमें प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स की ओर भी ध्यान देना होगा। हम इस आधुनिक युग में सभी व्यवस्थाओं को हल करना चाहते हैं। इसलिये आपको इन सब चीजों के बारे में सोच कर विचार करना चाहिये और उसकी पूरी जांच करनी चाहिये। आपके पास साधन हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के लिये आपने व्यवस्था की है। 1981-82 में आपने पहाड़ी क्षेत्रों के लिये विशेष सहायता दी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह स्थिति है कि यह रेगिस्तानी क्षेत्र 2 लाख 36 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जबकि पहाड़ी क्षेत्र 2 लाख 31 हजार वर्ग किलोमीटर

में फैला हुआ है । उसकी जनसंख्या 4 करोड़ 2 लाख है, जबकि हमारी जनसंख्या केवल 1 करोड़ 82 लाख 1971 की जनगणना के अनुसार है हम से दुगनी जनसंख्या है जबकि क्षेत्रफल में हम उन से अधिक हैं । हमारा क्षेत्र बहुत ज्यादा अविकसित है, उस की हर तरह से मदद करना बहुत ज्यादा जरूरी है । एनिमल हस्बैण्ड्री को यदि आप गति देना चाहते हैं तो इस की वहां बहुत ज्यादा गुंजाइश है । आज भी दिल्ली में जो दूध पहुंच रहा है वह हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र से पहुंच रहा है, जोधपुर और बीकानेर से पहुंच रहा है । यदि हम उस की ओर ध्यान दें तो वहां की इकानमी और ज्यादा मजबूत हो सकती है और हम आगे बढ़ सकते हैं । हमारे जो मवेशी हैं, कैटिल ब्रीड है, गाय हैं, बल हैं, वह देश में सब से बढ़िया ब्रीड है । इस क्षेत्र में वहां और ज्यादा उन्नति की जा सकती है । पंतनगर में जिस तरह की आपकी एग्रोकल्चर यूनिवर्सिटी है, बीकानेर में उस तरह की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित की जा सकती है । इन सब बातों को यहां पर कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमारी राजस्थान सरकार की स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि वे इस प्रकार की बड़ी योजनाओं को अपने हाथ में लेकर काम कर सकें । जैसा आप ने भी फरमाया है—यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें केन्द्रीय सरकार से पूरी मदद मिलनी चाहिये जिस से हमारे इस पिछड़े क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र की उन्नति हो सके । यह क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र भी है, इस नाते भी इस की उन्नति बहुत जरूरी है । वहां पर न रेडियो की व्यवस्था है और न टेलिविजन की । पाकिस्तान रेडियो की आवाज हमारे क्षेत्र में सुनाई देती है, लेकिन हमारे रेडियों की आवाज सुनाई नहीं देती है। दूरदर्शन की व्यवस्था गंगानगर में हो गई है लेकिन दूसरी जगहों पर नहीं पहुंच पाया है । आज इस तरह की व्यवस्था करके उन लोगों के मोरेल को बूस्ट करने की आवश्यकता है । पाकिस्तान युद्ध में हमारे क्षेत्र ने बहुत बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया, सीमा-प्रहरी के रूप में काम किया । ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की पूरी तरह से मदद करनी चाहिये और उनका अधिक से अधिक विकास करना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर और ज्यादा गहराई से मनन कर के उस क्षेत्र को विशेष सहायता दें ।

[अनुवाद]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति है ?

बहुत से माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय मैंने जो विचार व्यक्त किये हैं और जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, उस को दृष्टि में रख कर मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि इस क्षेत्र को विशेष सहायता दे कर इसका विकास किया जायेगा । मैंने इस संबंध में प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेअरमैन से भी बात की है, उन्होंने भी मुझे सन्तोषप्रद जवाब दिया है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमारे क्षेत्र को देखें वहां की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें, तब उन्हें फण्ड्स के बारे

में कोई कठिनाई नहीं आयेगी। इन दृष्टिकोणों को सामने रख कर मैं इस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने के लिये सभा की अनुमति है?

बहुत से माननीय सदस्य : जी, हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

4.25 म०प०

आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निगमों का रूप देने के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निगमों का रूप दिया जाये, ताकि जन-सम्पर्क के माध्यमों की वस्तु-निष्ठता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके।"

श्रीमान, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूरदर्शन और रेडियो जन संचार के साधन हैं। हालांकि इसका इतिहास 50 वर्ष पुराना है लेकिन इन साधनों की तरफ विशेष ध्यान 1964 में दिया गया था जब श्री अशोक के० चन्दा के अधीन एक समिति नियुक्त की गई थी। उन्होंने आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की बेहतरी के लिए कुछ सिफारिशें की थी और उनके प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :

"संसद द्वारा बनाये गये अधिनियम के द्वारा निगम की स्थापना की जाये और इसके उद्देश्यों का स्पष्टत: निर्धारण किया जाए; सरकार के प्राधिकार की सीमा स्पष्टत: परिभाषित की जाये और इसमें कोई अस्पष्टता न हो; सरकार को निगम से यह अपेक्षा करने का अधिकार हो कि वह कतिपय कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा और कतिपय विषयों के प्रसारण पर राष्ट्रीय हित में रोक लगायेगा; अधिनियम में ही गवर्नरों के प्राधिकारों तथा शक्तियों का उल्लेख कर दिया जाये ताकि अतिक्रमण की संभावना न रहे।"

श्रीमान्, इस स्वायतत्ता का समर्थन न केवल श्री अशोक चन्दा द्वारा किया गया बल्कि यह विचार पहले हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु ने संविधान सभा में बोलते हुए 1948 में व्यक्त किया था और उन्होंने कहा था :

"प्रसारण के लिये ढांचे के बारे में मेरा अपना विचार यह है कि हमें यथासंभव ब्रिटिश प्रणाली, अर्थात् बी०बी०-सी०, अपनानी चाहिये। हमारे लिय यह बेहतर होगा कि हम सरकार

के अधीन अर्द्ध-स्वायत्त निकाय की स्थापना करें, बेशक नीति पर सरकार का नियंत्रण हो, लेकिन अन्यथा इसका कार्य-संचालन सरकारी विभाग के रूप में न होकर अर्द्ध-स्वायत्त निगम के रूप में हो। अब मैं नहीं समझता कि ऐसा करना अभी व्यवहार्य है। मैंने तो सभा में इसका उल्लेख मात्र किया है। मेरे विचार में यही हमारा उद्देश्य होना चाहिये। चाहे इसमें हमें कुछ कठिनाइयों का सामना ही क्यों न करना पड़े। वास्तव में कई मामलों में हमें ऐसे अर्द्ध-स्वायत्त निगम स्थापित करने चाहियें। जिनसे संबंधित नीति तथा अन्य बातें सरकार के नियंत्रण में हों, लेकिन सरकारी विभाग उनके दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप न करे। लेकिन यह तात्कालिक प्रश्न नहीं है।"

यद्यपि श्री अशोक चन्दा समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था तथापि इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जनता सरकार के कार्यकाल में सरकार ने श्री वर्गीज की अध्यक्षता में एक और समिति नियुक्त की थी। उन्होंने भी ऐसे ही प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। कारण चाहे कुछ भी रहे हों, सरकार ने इन सिफारिशों पर भी विचार नहीं किया है। सत्ताधारी दल चाहता है कि इसका नियंत्रण सरकार के हाथ में हो। यदि इसे सरकार के एक अंग के रूप में ही रहने दिया जाये तो यह अपने कार्य में वस्तुनिष्ठ, वस्तुपरक, निष्पक्ष और स्वतन्त्र कैसे हो सकता है ?

श्रीमान्, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का उद्देश्य दूरस्थ स्थानों पर समाचार पहुंचाना तथा ग्रामीण जनता को शिक्षित करना और विकास कार्यों में सहायता करना है। लेकिन हमारी आकाशवाणी**.....के अलावा कुछ नहीं है और हमारा दूरदर्शन.....**दर्शनमात्र है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : जनता सरकार के कार्यकाल में ये पक्षपातपूर्ण थे। लेकिन अब ये बहुत ही वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष साधन हैं।

एक माननीय सदस्य : उन्हें अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी वापस लेनी चाहिये।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : ये संचार साधन निरुद्देश्य हैं। अतः ये सत्ताधारी दल की नीतियों का प्रचार करने के लिये हैं। मैं आपको कितने ही उदाहरण दे सकता हूं। श्री एन०टी० रामाराव जैसे व्यक्ति को भी रेडियो पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया और उन्हें बोलने के लिये समय दिलाने के लिये हमारी स्वर्गीया प्रधान मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा था। हाल के संसदीय चुनाव में तेलगू देशम ने 28 स्थान जीते थे, जबकि कांग्रेस (इ) को केवल 6 स्थान ही प्राप्त हुए। उन्होंने हारने वालों के नाम तो कई बार बताये लेकिन उनके नाम कभी नहीं बताये जिन्होंने उन्हें हराया था।

उसे किसने पराजित किया ? वे उस व्यक्ति का नाम कभी नहीं बतायेंगे जिस ने उसे पराजित किया। केवल एक कांग्रेस (इ) का व्यक्ति विजयी हुआ। उसके नाम का उल्लेख बार-बार किया गया। एन०टी०आर० के चुनाव के बारे में 6 म०प० तक सभी समाचार पत्रों ने समाचार प्रकाशित कर दिया था कि वह भारी बहुमत से विजयी हुए हैं। किन्तु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने केवल अगले दिन ही यह समाचार दिया। एन० टी० आर० का तीन निर्वाचन क्षेत्रों से जीतने का समाचार उन्होंने अगले दिन ही दिया। यदि आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेस (इ) से संबंधित कोई युवक कोई वक्तव्य देता है तो दूरदर्शन उसे पहली सूची में शामिल कर लेता है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किन्तु जब कभी मुख्य मंत्री, संसद सदस्य या विधान सभाओं के सदस्य कोई वक्तव्य देते हैं या जनता जनार्दन को कोई संदेश देना चाहते हैं, तो दूरदर्शन या आकाशवाणी इसे प्रसारित नहीं करेंगे। (व्यवधान)

मैं सरकार से एक उचित दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध करता हूं। यदि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र बनाना है तो उन्हें स्वायत्तशासी निकाय बना दिया जाना चाहिये। यह जनता तथा देश और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों में समाचारों के प्रसार करने के हित में होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस सभा के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस संकल्प का समर्थन करने तथा इसे पारित करने में मेरा साथ दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : जी हां, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में;

"रूप दिया" के स्थान पर—

> "रूप दिये जाने से पहले एक ऐसी समिति का गठन किया जाये जिसमें उच्च कोटि के बुद्धिजीवी, यशस्वी पत्रकार और अनुभवी संसद सदस्य हों और उससे इन निगमों को स्वायत्तशासी बनाने से संबंधित सभी पहलुओं पर प्रतिवेदन मांगा जाये, और तब उसे क्रियान्वित किया" प्रतिस्थापित किया जाये। (1)
>
> उस समिति के प्रतिवेदन पर बाद में विचार किया जा सकता है। यही मेरा संशोधन है।

उपाध्यक्ष महोदय : आगे विचार करने से पूर्व हमें इस संकल्प पर विचार करने के लिए समय नियत करना है। क्या दो घंटे निर्धारित किये जा सकते हैं ?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : एक घंटा पर्याप्त है। हम सारी चर्चा एक घंटे में कर सकते हैं। इसकी बजाये, आपने स्वयं ही दो घंटे की बात की है।

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्यतः, हम दो घंटे नियत करते हैं। यदि चर्चा पहले समाप्त हो जाती है, तो हम इसे पहले समाप्त कर सकते हैं। (व्यवधान)। यह व्यवस्था सभी विषयों को लागू होगी। अतः, मैं आशा करता हूं कि हम इसके लिये दो घंटे नियत कर सकते हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : यह एक छोटा सा संकल्प है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने उत्तर देना है और कई सदस्यों ने भी इस चर्चा में भाग लेने के लिये अपने नाम दिये हैं।

मैं अब श्री वृद्धि चन्द्र जैन को इस संकल्प पर चर्चा आरम्भ करने के लिये बुलाता हूं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाडमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री रघुमारेड्डी जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। यह प्रश्न आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को आटोनामस कारपोरेशन में बदलने का है। इसके बारे में कई बार लोकसभा में चर्चा हुई है और

इस संबंध मे कमेटीज का भी गठन हुआ है। वर्घिस कमेटी ने अपनी रिकमेण्डेशंस भी प्रस्तुत की हैं। ढाई साल के जनता पार्टी के शासनकाल में भी कमेटीज का गठन अवश्य किया गया, परन्तु कमेटीज गठन करने के बाद उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। जनता पार्टी के राज में किस तरह से [illegible] चलता था ? जिस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और मुकदमे की कार्यवाही आल इंडिया रेडियो से प्रसारित हो रही थी, उससे क्या जाहिर होता है ? उससे यह विदित होता है कि आल इंडिया रेडियो इम्पार्शल कार्य नहीं कर रहा था। हमारी कांग्रेस शासन की नीति यह रही है कि हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। हमारी नीति .... (व्यवधान) हम प्रजातांत्रिक प्रणाली से चल रहे हैं। इस प्रणाली से लोक सभा की जितनी भी कार्यवाही होती हैं, उसके बारे में आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में कार्यक्रम दिया जाता है। उससे सभी असंतुष्ट हैं। अपोजिशन पार्टीज की उसमें विशेष चर्चा होती है। पता नहीं डर के मारे अपोजिशन को क्यों महत्व दिया जाता है। हमारे साथ निष्पक्षता बरतनी चाहिये। डिनाण्ड्स में पहले अपोजिशन की ओर से बहस में भाग लिया जाता है, सुबह और रात के आल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम में सिर्फ उन्हीं का नाम आता है। अपोजिशन के सदस्य ही इनीशिएट करते हैं इसलिये उन्हीं का नाम प्रसारित होता है, दूसरे सदस्यों का नहीं होता है। कल भी सदन में कांग्रेसदल ब्रिफिंग्स पर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। .... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री [illegible] : आप अमरीकी कांग्रेस को दी गई जानकारी के बारे में इस सभा में कल हुए वादविवाद के कार्यवाही वृतान्त को देख सकते हैं। विरोधीपक्ष के केवल एक सदस्य का नाम आया था, और तब मंत्री महोदय तथा श्री०के०के० तिवारी तथा अन्य सदस्यों के नाम आये थे। क्योंकि वे सत्तारूढ़ दल के हैं। अतः वह जो यह कहते हैं, बिल्कुल सही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अखबार की बात अलग है और रेडियो की अलग है। अखबार के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कल जो यहां पर महत्वपूर्ण डिसकशन हुआ, उसमें सिर्फ अपोजिशन का नाम दिया गया। तिवारी जी ने और स्वैल साहब ने यहां पर बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किये थे। लेकिन रेडियो में किसी के नाम का जिक्र नहीं था। इतना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होने के बाद भी कोई उल्लेख नहीं किया गया, इस बात की हमें शिकायत है। इम्पार्शल तरीके से जो हमें मदद मिलनी चाहिये, वह हमें नहीं मिल रही है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के हैं इसलिये हम लोगों का नाम नहीं आता है। आल इण्डिया रेडियो और दूरदर्शन के प्रोग्राम्स में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि हमें राष्ट्रीय चरित्र बनाना है। हमें देश में सच्चे नागरिक बनाने हैं। हमें नौजवानों को इस प्रकार की शिक्षा देनी हैं कि वे राष्ट्र के बहुत ही बढ़िया और सच्चे नेता हों तथा उनमें अच्छे गुण हों। परन्तु, यह भूमिका आल इण्डिया रेडियो और दूरदर्शन नहीं निभा रहा है। सन्डे को दूरदर्शन द्वारा जो पिक्चर दी जाती है, वह इस प्रकार की होती है जिससे हमारे नवयुवकों का कोई चरित्र नहीं बनता। मैं तो यह देखता हूं कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के दौरान अधिकांश समय दूरदर्शन को देखने में लगाते हैं और इस कारण उनकी पढ़ाई में बाधा पहुंचती है। दूसरे कामों में भी बाधा पहुंचती है। इसलिये इन कार्यक्रमों में परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है। यदि आप दूरदर्शन पर पिक्चर्स भी दें तो वे ऐसी होनी चाहिएं जिससे उनके चरित्र का निर्माण

होता हो, राष्ट्र का निर्माण हो और उनको देखकर उनके अन्तर्मन में एक नई दिशा उत्पन्न हो और हम प्रजातन्त्र के युग में जो उन्नति, प्रगति करना चाहते हैं, उसमें वे सहायक हों। हमारा विज्ञान किस तरह उन्नति कर रहा है, हमारी टैक्नोलोजी का किस तरह से विकास होता जा रहा है, हमें दूरदर्शन पर ऐसी पिक्चर्स दिखाना चाहिये। इसके अलावा नवयुवकों के संबंध में प्रोग्राम्स दिखाये जा सकते हैं। प्रगति के कार्यक्रम दिखाये जा सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आजकल हम जो कार्यक्रम दिखाते हैं, उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है।

चूंकि आपने घण्टी बजा दी है, इसके लिए आपका अधिक समय न लेता हुआ मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप दूरदर्शन और आल इण्डिया रेडियो के कार्यक्रमों को इम्पार्शल बनाएं, हमारे साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है, उस दृष्टिकोण से मैं यह कहना चाहता हूं। यहां पर अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि बी०बी०सी० की तरह ही हमारे यहां भी ऑटोनामस कार्पोरेशन बनाना चाहिये, लेकिन वैसा करने से हमारे यहां भी वैसी ही स्थिति पैदा हो जायगी जैसा कि लन्दन में बी०बी०सी० ऑटोनोमस कार्पोरेशन होने के कारण उस पर जगजीत सिंह ने अपना भाषण प्रसारित करा दिया, फिर हमारे यहां भी वैसे ही लोग उसका उपयोग शुरू कर देंगे और अपने ब्राडकास्ट किया करेंगे। उससे हमारी राष्ट्रीय एकता पर कुप्रभाव पड़ेगा और हमारी राष्ट्रीय शक्ति क्षीण होगी। बल्कि मैं तो यह सुझाव देना चाहता हूं कि दूरदर्शन और रेडियो पर सारे कार्यक्रम सरकार की नीतियों के अनुकूल ही प्रसारित करने चाहिएं और उन पर किसी न किसी तरह से सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। चाहे यहां किसी की भी सरकार हो, उसकी पौलिसीज के अनुसार ही आल इण्डिया रेडियो और दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रसारित हों, अन्यथा उससे कोई लाभ नहीं होता। इसलिए ऐसी व्यवस्था होना बहुत जरूरी और आवश्यक है। हमारा दूरदर्शन और आकाशवाणी ऐसी भूमिका अदा करें जिसमें हमारी नीति का परिपालन हो। यदि उसमें किसी प्रकार की कमियां प्रतीत होती हैं तो मंत्री महोदय स्वयं इंटरेस्ट लेकर उनको सुधारें। मैं तो यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि इस संबंध में हम लोक सभा सदस्यों की जो समिति बनी हुई है, उससे भी सुधार के कार्यों में सलाह लेकर कार्यक्रमों में परिवर्तन किया जावे और दूरदर्शन के चित्रों में जो अश्लीलता है, उसे समाप्त करने का प्रयास हो। इन्हीं शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री सैयद मसुदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : जैन साहब आप वी०पी० हाउस में रहते हैं और कल वी०पी० हाउस से दो सिटिंग से एम०पीज० को निकाल कर बाहर कर दिया गया, क्या उसका समाचार रेडियो में आया .... (व्यवधान) .... क्या आप उसे रेडियो से प्रसारित करेंगे ....

[अनुवाद]

***श्री ई०एस०एम० पकीर मोहम्मद** (मयूरम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री रघुमा रेड्डी के संकल्प, जिसके द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए पृथक स्वतन्त्र निगमों का गठन किया जाये, के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं।

महोदय, कुछ वर्ष पूर्व वर्गीज समिति ने आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिये स्वायत्तशासी निगमों के गठन की सिफारिश की थी। भारत सरकार ने उस सिफारिश पर पूर्णरूपेण विचार किया

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

और इस आधार पर, कि स्वायत्तशासी निगम आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के विकास में बाधा डालेंगे, इस सिफारिश को क्रियान्वित न करने का निर्णय किया ।

हमने दो ही वर्षों में देश भर में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने में बहुत ही अधिक प्रगति कर ली है। यह विश्व भर के सभी देशों के इतिहास में एक अभूतपूर्व कीर्तिमान है। इस समय हमारे यहां लगभग 170 दूरदर्शन केन्द्र हैं। इसी प्रकार हमारे यहां अपने देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों में आकाशवाणी केन्द्र हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी देश की सभी भाषाओं को उचित मान्यता तथा महत्व दिया जा रहा है।

महोदय, अनेकता में एकता अनन्य रूप से भारतीय संस्कृति है। केवल इसी संस्कृति की शक्ति के आधार पर ही भारतीय स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकता की रक्षा की जा सकती है। सरकार एक धर्मनिरपेक्ष सार्वभौम गणराज्य की स्थापना के लिये वचनबद्ध है। इसका प्रतिपादन हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन शक्तिशाली माध्यम हैं और यदि उन्हें स्वायत्तशासी निगमों में बदल दिया गया, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पायेगी। इसलिये मैं श्री रघुमा रेड्डी के संकल्प का जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि यह संकल्प सभा द्वारा स्वीकार न किया जाये।

मैं अपने स्थान कुम्बाकोनम के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा जो देश में सब से पुराना शहर है। इसे आक्सफोर्ड शब्दकोष में स्थान मिला है। कुम्बाकोनम में एतिहासिक महत्व के कई मंदिर हैं। यहां पर कावेरी नदी है। जैसे इलाहाबाद में कुम्ब का मेला लगता है, वैसे ही कुम्बाकोनम में 12 वर्षों में एक बार महामहम मनाया जाता है। इस में देश भर से लोग शामिल होते हैं। महामहम के दिनों के दौरान कुम्बाकोनम में करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं, क्योंकि कुम्बाकोनम दूसरे शहरों की तरह नहीं है; इसका अपना महत्व है। हमारे यहां केवल दूरदर्शन का एक पुनः प्रसारण केन्द्र है, जहां से दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। कुम्बाकोनम में हिन्दी जानने वाले अधिक लोग नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि कुम्बाकोनम में मद्रास दूरदर्शन के कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाये। मैं चाहता हूं कि कुम्बाकोनम में एक पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र होना चाहिये। यदि ऐसा करने में कुछ समय लगने की संभावना है, तो कम से कम कुम्बाकोनम में मद्रास से दूरदर्शन के कार्यक्रमों को रिले किया जाना चाहिये।

हमारा बहु-धर्म समाज है। मैं चाहता हूं कि विभिन्न धर्मों की शिक्षायें आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से प्रसारित की जायें। कम से कम मुसलमानों के रोजों के तीस दिनों के दौरान (रमजान मास), जब मुसलमान दिन भर रोजा रखते हैं तो उनकी सहायता करने के लिये थिरुक कुरान से आकाशवाणी में बार-बार प्रसारण किया जाना चाहिये। यदि ऐसा मुसलमानों के रोजों के 30 दिनों के लिये किया जाता है, तो यह पर्याप्त है। दूरदर्शन भी ऐसा प्रयास कर सकता है। श्रीलंका रेडियो उस देश में मुसलमानों की भावनाओं का आदर करते हुए ऐसा सफलतापूर्वक कर रहा है। मेरा सुझाव है कि ऐसा प्रयास आकाशवाणी द्वारा भी किया जाना चाहिये।

अपने भाषण को समाप्त करने से पूर्व मैं अनुरोध करूंगा कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को चाहिये कि वे हमारे देश के बच्चों के लिये शिक्षा के बारे में हमारे माननीय प्रधान मंत्री की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिये अधिक अवसर प्रदान करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की स्वायत्तता हेतु इस संकल्प को पेश करने के लिये मैं श्री रघुमा रेड्डी को बधाई देता हूं। यह मांग काफी समय से की जा रही है। हम ने इस के बारे में संसद में समय-समय पर आवाज उठाई है। किन्तु वर्तमान सरकार स्वाभाविक रूप से यह अधिक पसंद करती है कि जब तक संभव हो, तब तक, इन दोनों माध्यमों पर उसका पूर्ण अधिकार बना रहे। ताकि वह अपने लाभ के लिये इसका उपयोग अथवा बल्कि इसका दुरुपयोग कर सके। यह बात हाल के चुनाव में जितनी अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई है उतनी कभी भी नहीं हुई क्योंकि रेडियो तथा दूरदर्शन में इसके समय को अत्यधिक बढ़ा दिया गया। इसकी शक्ति और अधिक हो गयी है।

मेरे माननीय मित्र ने चन्दा समिति के प्रतिवेदन का अभी अभी उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि रेडियो और दूरदर्शन दोनों के लिये स्वायतत्ता होनी चाहिये। किन्तु सरकार को इस कारण से यह स्वीकार्य नहीं है कि इससे उनके विकास में बाधा पड़ेगी। विकास इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि रेडियो तथा दूरदर्शन पर किसका नियंत्रण है, किन्तु इस बात पर निर्भर है कि इसके लिये कितने धन का नियतन किया गया है। जहां तक दूरदर्शन के कार्यक्रमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का संबंध है, यह वास्तव में न केवल भारत के इतिहास में, बल्कि विश्व के इतिहास में अभूतपूर्व है कि सरकार ने दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने में ऐसी उल्लेखनीय शक्ति प्रदर्शित की है। छठी पंच वर्षीय योजना में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि केवल 25 प्रतिशत लोगों को दूरदर्शन का लाभ होगा। 1983 में यह निर्णय लिया गया था कि इस योजना के अन्त तक, अर्थात् 31 मार्च, 1985 तक 80 प्रतिशत लोगों तक इसके लाभ पहुंचाये जायें। इसके पश्चात् निर्धारित तिथि को छः महीने पहले कर दिया गया, अर्थात् उसे 31 मार्च, 1985 से 31 अक्तूबर 1984 कर दिया गया था। इस तिथि को पहले करने के पीछे दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने का एक निश्चित उद्देश्य था। 350 करोड़ रु० की राशि इस पर व्यय की जानी थी। स्पष्टतः यह व्यय बहुत अधिक बढ़ गया था। इस कारण मुद्रास्फीति हुई थी और मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये थे और उनकी स्थापना अत्यधिक शीघ्रता से की गई थी। यदि आप एक वर्ष के काम को छः मास में पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिये आप को अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। हमें नहीं मालूम कि केवल इस परियोजना पर कितना धन खर्च किया गया है, किन्तु स्पष्टतः काफी अधिक धन खर्च किया गया है और किसी प्रकार की कमी नहीं रही है। सभी दूसरी परियोजनाओं में, जो छठी पंच वर्षीय योजना में चल रही थी, कटौती कर दी गयी है। विद्युत परियोजनाओं, कोयला परियोजनाओं, रेल तथा अन्य परियोजनाओं में भी कटौती की गयी है, लेकिन दूरदर्शन प्लेट-फार्म लगाने की परियोजना में कटौती नहीं की गयी है। इसमें अधिक धन खर्च किया गया है और काफी कम समय में। निश्चित रूप से इस के पीछे एक बहुत बड़ा गुप्त प्रयोजन था। श्री रंगा मुझे दिलासा दे सकते हैं, किन्तु यह चुनाव के समय दूरदर्शन का दुरुपयोग करने के लिये सत्तारूढ़ दल के गुप्त प्रयोजन का कारण है और उन्होंने दिन-रात ऐसा किया है। उन्होंने न केवल चुनाव के दौरान उसका दुरुपयोग किया बल्कि चुनाव से पूर्व भी ऐसा किया है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप उन्हें कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? उन्होंने इस अन्त्येष्टि को भूतलक्षी प्रभाव से दिखाना होता है।

श्री अमल दत्त : जी हां, मैं जानता हूं। चुनाव से पूर्व 48 घंटों के दौरान भी, जब चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है, इस अन्त्येष्टि को दूरदर्शन पर दिखाया गया। और यह दूरदर्शन

का सबसे बड़ा दुरुपयोग था जिसे हमने भारत में कभी नहीं देखा था। मैं समझता हूं स्वायतत्ता की मांग बहुत शीघ्र नहीं हुई है। यह कई बार की गई है किन्तु यह पुनः की गई है, सत्तारूढ़ दल ने यह मांग नहीं की है क्योंकि उन्हें इससे लाभ पहुंचता है और निश्चित रूप से वे इस मांग को पूर्ण रूप से अस्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। किन्तु हमारे देश के शिक्षित लोगों को, लोकतांत्रिक विचारों वाले प्रगतिशील लोगों को सोचना चाहिये कि क्या यह उपयुक्त समय नहीं है जब सत्तारूढ़ दल, चाहे कोई भी सत्ता में हो, द्वारा तब तक इस शक्ति का दुरुपयोग किए जाने की संभावना है जब तक इसे एक स्वायत्तशासी निकाय नहीं बना दिया जाता। एक समय जनता पार्टी सत्ता में थी, हो सकता है कि उन्होंने इसका दुरुपयोग किया हो, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि उन्होंने इसका दुरुपयोग नहीं किया होगा······(व्यवधान)।

प्रो० मधु दण्डवते : हम इसका दुरुपयोग करने में अपनी असमर्थता के कारण सत्ता में नहीं रहे।

श्री अमल दत्त : मैं किसी बात के प्रति केवल प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा था। एक माननीय मित्र ने कहा है कि जनता शासन के दौरान इसे**····वाणी अथवा इसी तरह का कुछ कहा जाता था। मेरे माननीय मित्र रघुमा रेड्डी ने जो यह कहा है कि यह अखिल**····रेडियो था, इसका उत्तर यह है कि जनता शासन के दौरान यह**वाणी था। अच्छा, तो मैं कह रहा हूं कि इससे केवल स्वायतत्ता के पक्ष में तर्क को शक्ति मिलती है। यदि**····के समय में यह अखिल**····रेडियो था, यदि**···· के समय यह**····वाणी था, तो दोनों पक्ष सहमत हैं कि यदि दूसरा पक्ष सत्ता में आ जाता है, तो वह इसका दुरुपयोग करेगा। अतः यह तर्क स्वायतत्ता के पक्ष में है न कि इस के विपक्ष में।

मैंने कहा है कि उन्होंने चुनाव से पूर्व दिन-रात दूरदर्शन और रेडियो का दुरुपयोग किया है और इसी बात को मैं इसलिये दोहराता हूं कि सरकारी स्वामित्व वाले माध्यम के द्वारा जिस ढंग से ऐसा किया है, वह चुनाव प्रचार का अत्याधिक घृणित रूप था जिन्हें उन्होंने स्वायत्तशासी माध्यम नहीं बनने दिया है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1948 में संविधान सभा में यह कहे जाने के बावजूद कि हमारा रेडियो भी—तब दूरदर्शन नहीं था, बी०बी०सी० के, जिसे पहले ही बड़ी ख्याति प्राप्त हो चुकी थी, बाद स्थान ले लेगा, कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि कुछ समय के पश्चात् सत्तारूढ़ दल ने अपने आपको सत्ता में रखने के लिए रेडियो का उपयोग समझ लिया। जब दूरदर्शन शुरू किया गया था, तब सरकार दूरदर्शन की सराहना करने में, दूरदर्शन के लिए धन का नियतन करने में शिथिल थी। मेरे विद्वान मित्र ने यहां मुझे तब वाहवाही दी, जब मैंने यह कहा कि यह भारत द्वारा संचालित एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है। भारत में पहले ऐसा कभी नहीं किया गया। मेरे विचार में दूसरी ओर हम दूरदर्शन की रजत जयन्ती अथवा इसी प्रकार का कुछ मनाने जा रहे हैं जिसका अर्थ है कि हमने 25 वर्ष पूर्व दूरदर्शन का प्रारम्भ किया था और अब हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। 25 वर्षों में हमें और अधिक प्रगति करनी चाहिये थी। यद्यपि दूरदर्शन के कार्यक्रम 85 प्रतिशत आबादी तक पहुंचते हैं, तथापि टी०वी० रखने वाले लोगों की वास्तविक संख्या, जो अपने घरों में इसे देख सकते हैं, जनसंख्या के दो प्रतिशत से अधिक नहीं है····(व्यवधान)।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : इससे भी कम ।

श्री अमल दत्त : से अधिक नहीं का अर्थ उससे भी कम । जो भी हो, सरकार दूरदर्शन के विस्तार में शिथिल थी किन्तु, अचानक उसने इस ओर विशेष ध्यान दिया कि वह अपने लाभ के लिए किस प्रकार इसका दुरुपयोग कर सकती है और अचानक ही यह दूरदर्शन तथा रंगीन दूरदर्शन के बारे में बहुत उत्साही हो गयी । रंगीन दूरदर्शन इसका एक अन्य पहलू है । क्योंकि अपने लम्बे शासन के दौरान, जिसके बारे में वे समाजवादी होने का बहाना कर रहे थे, तथा गरीबी हटाओ के नारे लगा रहे थे, उन्होंने यह समझ लिया कि बुद्धिजीवी वर्ग, मध्यम तथा उच्च मध्यम वर्ग, जो इसका खर्च वहन कर सकते हैं, वे उसी प्रकार के जीवन यापन के तरीकों, उसी प्रकार के आराम की सुविधाओं, उसी प्रकार की जुगतों को अपना सकते हैं जो विकसित देशों तथा पश्चिम में उन जैसे लोगों को प्राप्त हैं । इसलिए उन्होंने सोचा कि उनको रंगीन दूरदर्शन तथा वीडियो दिये जाएं जो उन्हें संतुष्ट करने का एक तरीका है । अब हमारे यहां इलैक्ट्रोनिक संचयक तथा अन्य इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग आरम्भ किया जा रहा है जिससे मध्यम तथा अधिक धनवान वर्गों की देर से चली आ रही मांगों को संतुष्ट किया जा सके जो इनमें से कुछ वस्तुओं से वंचित थे या गुप्त रूप से इनका आनन्द ले रहे थे । किन्तु अब खुले आम इनका आनन्द लिया जा रहा है क्योंकि धीरे-धीरे समाजवाद के बहानों का परित्याग किया जा रहा है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या चीन और सोवियत संघ में मध्यम वर्ग नहीं है ?

श्री अमल दत्त : उनके यहां श्रमजीवी वर्ग भी है । श्रमजीवी वर्ग के पास भी दूरदर्शन हैं । किसानों के पास भी दूरदर्शन हैं । उनके पास हैं, आप क्या कर सकते हैं ? वे हमसे अधिक अमीर हो गए हैं आप सोते आ रहे हैं ।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : पश्चिम बंगाल के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री अमल दत्त : पश्चिम बंगाल अभी तक भारत का एक भाग है । इस बात को मत भूलिए । हमारी प्रगति शेष भारत की प्रगति से अधिक नहीं हो सकती । लोगों के उन सभी वर्गों की, जो यह समझते हैं कि किसी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक प्रक्रिया अनिवार्य रूप से ऐसी होनी चाहिए, मांग है कि ये माध्यम अवश्य ही निष्पक्ष होने चाहिएं । यह पक्षपातपूर्ण मांग नहीं है । ठीक प्रकार से सोचने वाले किसी भी व्यक्ति को चाहे वह सत्तारूढ़ दल में ही हो, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जब तक ये माध्यम सरकार के सीधे नियंत्रण में रहेंगे, और जब तक वहां काम करने वाले लोगों को अपने राजनीतिक मालिकों को प्रसन्न करके अपनी नौकरी सुनिश्चित करनी है, तब तक वे उनकी स्तुति-गान करते ही रहेंगे । अतः ठीक प्रकार से सोचने वाले सभी लोग सभी शिक्षित लोग और सभी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग सदैव इन माध्यमों की स्वायत्ता की इस मांग का समर्थन करते रहेंगे, उसे एक राजनीतिक दल के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है, जो फिलहाल उन पर नियंत्रण रखती है । तब वे लोग केवल उनकी प्रशंसा का गुणगान ही करते रहेंगे जैसा कि ये लोग करते चले आ रहे हैं हमने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये हैं और अब उसकी आवश्यकता नहीं है । गत संसद के कार्यकाल के दौरान भी हमने उदाहरण दिये थे । मैं आपको बता सकता हूं जब कभी भी इस बारे में आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं कि इतनी पंक्तियां कांग्रेस दल के बारे में कही गयी और इतनी पंक्तियां प्रतिपक्ष के बारे में कही गयी, ये सभी गुमराह करने वाले होते हैं, क्योंकि

इन सभी बातों को सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने के लिये भिन्न रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रपति जैल सिंह जाते हैं और एक पुस्तक का विमोचन करते हैं और उसे रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। किन्तु यह पुस्तक, स्वराज पाल द्वारा लिखित इन्दिरा गांधी की जीवनी होती है। यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार हो रहा है। इसके अतिरिक्त एक आर्थिक केन्द्र यह बताने के लिये दिखाया जाता है कि सरकार कितना अच्छा कार्य कर रही है। फिर यह दिखाया जाता है कि प्रधान मंत्री जा रहे हैं और किसी समारोह में शामिल हो रहे हैं। यह प्रधान मंत्री अथवा सत्तारूढ़ दल से संबंधित कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आता है। यह शिक्षा के अन्तर्गत आता है। लोगों को यह दिखाया जा रहा है कि उनका प्रधान मंत्री कौन है और वह राष्ट्र के लिये कौन सा अच्छा कार्य कर रहा है। यहां विरोधी दल यह कहने के लिए नहीं हैं कि आप अपने सभी साधनों को नष्ट कर रहे हैं। इस में पूरी तरह भ्रष्टाचार तथा पक्षपात व्याप्त है। जो कुछ भी मुद्रित हो जाता है, उसे सच मान लिया जाता है। इसी प्रकार जो कुछ भी आप रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से दिखा रहे हैं उसे भी लोग सच मान लेते हैं, जो देश में अधिकांशतः अनपढ़ हैं। दुर्भाग्यवश उन में से 65 प्रतिशत लोग इसे वेदवाक्य समझ लेते हैं और इस तरह से वे इन चुनावों में मतदान को पर्याप्त रूप से प्रभावित करते रहे हैं। इसलिये वे बिना लड़ाई के इन साधनों को नहीं छोड़ेंगे। किन्तु यदि वे देश के भविष्य तथा अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे तो वे भी इस संकल्प का समर्थन करेंगे।

5.00 म०प०

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : उपाध्यक्ष महोदय, तेलगु देशम के साथी श्री रेड्डी द्वारा जो प्रस्ताव यहां पर विचार करने के लिये प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका पुरजोर विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसलिये कि यह प्रस्ताव पोलिटिकली मोटिवेटेड है और इस प्रस्ताव के द्वारा सिर्फ हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश है, इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पता नहीं प्रस्तावक महोदय, श्री एन०टी० रामाराव को शुरू में कहां से ले आये। उनको मौका नहीं मिला। जो रिजल्ट थे, वे जब तक आयोग दूरदर्शन पास नहीं करता, तब वे कैसे एनाउन्स किये जा सकते थे। अपने से तो वह कर नहीं सकते थे। मैं कहना चाहता हूं कि अनावश्यक आरोप लगाकर इस मीडिया को बदनाम करने की साजिश माननीय सदस्य द्वारा की जा रही है, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूं। अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि हिन्दुस्तान के लोग चाहते हैं कि यह कारपोरेशन बन जाये, लेकिन सरकार ने कारपोरेशन नहीं बनाया। टी० वी० के बारे में उन्होंने कहा कि आपने जो टी०वी० का फैलाव किया वह कोई बहुत जरूरी फैलाव नहीं था। इतनी जल्दी टी०वी० का प्रसार करके आपने पिछले चुनाव में इसका लाभ उठाया। मेरी समझ में ये दोनों बातें नहीं आती हैं। टी०वी० के इतनी जल्दी विस्तार के लिये मैं मंत्री जी और उनके विभाग को बधाई देना चाहता हूं। जनता सरकार के समय में जन आकांक्षा की बात कही जाती थी। जन आकांक्षाओं के रूप में जो सरकार चले, वह कैसे जन विरोधी हो सकती है। हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री और तत्कालीन सरकार ने सही निर्णय लिया। समय की आवश्यकता थी की आज दुनिया के अन्दर जो परिवर्तन हो रहे हैं, नयी टैक्नालाजी और साइंस का दुनिया में

विकास हो रहा है, वह हमारे मुल्क तक पहुंचे । छठी पंचवर्षीय योजना में हमने यह लक्ष्य 28 प्रतिशत रखा था, वह सरकार जो कि जनता द्वारा चुनी हुई लोकप्रिय सरकार थी । जन आकांक्षाओं को दृष्टि में रखकर हमने अब उसको 70 प्रतिशत कर दिया, तो क्या गुनाह कर दिया । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा जो यह प्रस्ताव लाया गया है, वह सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से सरकार को बदनाम करने की कोशिश से लाया गया है । मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने चुनाव से पहले हर दिन एक टी०वी० सेन्टर का उद्घाटन किया । आपने पश्चिम बंगाल में भी सात सेंटर खोले हैं और पूरे देश में करीब 117 सेंटर खोले हैं । लेकिन मेरी शिकायत दूसरी है । पिछले दिनों जब हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री बनारस में एक सेंटर का उद्घाटन करने के लिये गई तो वहां एक किलोवाट का दूरदर्शन था, वहां यह कहा गया था कि इसको तीन-चार महीने के अन्दर दस किलोवाट का कर दिया जायेगा, लेकिन वह आज तक नहीं किया गया । मैं आपको सिंगरौली का उदाहरण देना चाहता हूं । वहां एक बहुत बड़ी कोल्ड-फिल्ड इन्डस्ट्रीयल बैल्ट है, वहां एक किलोवाट का सेंटर खुलने वाला था । इस काम के लिये वहां के लोगों ने उनको 24–25 हजार चन्दा तक दिया है, लेकिन पता नहीं आज तक वह स्टेशन क्यों नहीं लगा है । इस संबंध में मैंने मंत्री महोदय को पत्र भी लिखा था । मेरा क्षेत्र एक ट्राइबल क्षेत्र है, बैकवर्ड है और वहां की इन्डस्ट्री में करीब-करीब 75 लाख वर्कर काम करते हैं । उन्होंने दबाव डाला कि यहां पर आप एक सेंटर खुलवाइए । मैंने एक चिट्ठी लिखी । जवाब मिला कि जो भी नाम्स एक सेंटर खोलने के लिये निर्धारित किये गये हैं, वे सब यहां पर उपलब्ध हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण रेणुकट और चौपन में टी०वी० नहीं लग सकता है । अब समय आ गया है, सरकार का जो पुराना वायदा है, रेणुकट में जो इन्डस्ट्रियल बैल्ट है, वहां दूरदर्शन लगाये, ताकि पांच लाख मजदूरों को इस सुविधा का लाभ मिले ।

श्री मधुदण्डवते जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जनता पार्टी के समय में आयोग पर आयोग हमारे नेताओं और हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री के खिलाफ बैठाते जाते थे । तो उस समय रेडियो पर केवल एक ही काम सुबह से शाम तक था और यही आवाज सुनाई पड़ती थी कि यह आयोग वह आयोग, यह हीयरिंग और वह हीयरिंग, कहां-कहां आपन यह खबर नहीं सुनवाई । इसीलिये आम लोगों ने उस वक्त कहा था कि यह आकाशवाणी नहीं है,** . . . . वाणी है । हमारे अमल दत्त जो की पार्टी ने भी उस वक्त उन का समर्थन किया था उन की सब नीतियों का इन्होंने समर्थन करने का वायदा किया था । ये अप्रत्यक्ष रूप से उन के साथ सत्ता में रहना चाहते थे । ये लोग बिना सत्ता के नहीं रह सकते, क्योंकि इन के कार्यक्रमों में बड़ी गड़बड़ है ।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं—पिछले दो-तीन चुनावों में रेडियो और दूरदर्शन ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से सभी पार्टियों को समय दिया है, उस को दृष्टि में रख कर आज कोई भी इन पर लांछन नहीं लगा सकता । आज कोई भी यह नहीं कह सकता कि रेडियो और दूरदर्शन ने हमारी पार्टी के साथ कोई पक्षपात किया है । जिसका जितना हिस्सा बनता था उस को उतना समय मिला और वह भी लाटरी से हुआ । इस के बावजूद भी आप यह कहते हैं कि हम पक्षपात करते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है । अगर कहीं यह कारपोरेशन बन गया होता तो आये-दिन हमारे मधु-

**कार्यवही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

मधुदण्डवते जी उस कारपोरेशन की यहां पर आलोचना करते। एक जमाने में स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने ठीक ही सोचा था कि अभी परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि इसको कारपोरेशन बनाया जाये। उन्होंने जो किया, सोच-समझ कर किया था। किसी भी देश में मास-मीडिया का बड़ा महत्व होता है। हमारे एक साथी ने ठीक ही कहा है —मास-मीडिया पर राज्य का कन्ट्रोल होना चाहिये ताकि राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की नीतियों का प्रचार जनमानस के सामने हो सके। कभी-कभी देश में ऐसी घटनायें हो जाती हैं जैसे साम्प्रदायिक घटनायें हैं या अराष्ट्रीय बातें होती हैं, जिनके प्रसारण का जन-मानस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है सरकार के अधिकार में मास-मीडिया के होने से उन बातों के प्रसारण को रोका जा सकता है। मान लीजिये यदि उस पर कारपोरेशन का अधिकार हो, तो वह तो एक व्यावसायिक संस्था होगी, जैसा होगा वैसा ही प्रचार करेगी, चाहे उस का प्रभाव जन मानस पर कुछ भी पड़ता हो। परन्तु सरकार के सामने ऐसा दृष्टिकोण नहीं होगा वह तो इस दृष्टि से काम करेगी जिस में देश का कल्याण हो, देश के नौजवानों का चरित्र-बल बढ़े।

एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं, जैसा हमारे वृद्धि चन्द्र जैन जी ने भी कहा है, आप दूरदर्शन पर जो भी चित्र दिखलाये वे सामाजिक होने चाहिये। ऐसी पिक्चर नहीं दिखलाई जानी चाहिये कि हम अपने बच्चों के साथ बैठ कर देख रहे हों और हमें वहां से उठ कर चला जाना पड़े। कभी-कभी ऐसी पिक्चरें दिखलाई जाती हैं जिन से पोजीशन बहुत खराब हो जाती है। इस लिये मेरी मांग है कि आप ऐसी पिक्चरें दिखलायें या ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करें जिन से राष्ट्र का चरित्र ऊंचा हो। पिछले दिनों में जो गिरावट आई है वह आगे न बढ़ सके, हमारे नौजवानों का चरित्र ऊंचा हो सके। जो संकीर्ण बातें हैं, जो जाति, सम्प्रदाय, वर्गवाद, भाषावाद की बातें हैं जिन से राष्ट्र कमजोर होता है उनका प्रचार न हो। मैं निष्पक्ष पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं लेकिन आजकल आप देखते हैं किस प्रकार से सेन्सेशनल न्यूज दे कर देश में कई तरह के खतरे उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। अगर इसे किसी कारपोरेशन को दे दिया गया तो इस का लक्ष्य, इस का उद्देश्य व्यावसायिक हो जायेगा जो कभी भी इस देश के हित में नहीं होगा।

इस लिये मैं रेड्डी साहब के इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि या तो वे इसे वापस ले लें, अन्यथा इसे सर्वसम्मति से रिजैक्ट कर दिया जाये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक समाजवाद को अगर कोई खतरा है तो ये जो क्षेत्रीय और साम्प्रदायिक पार्टियां हैं, इन से है और लोकतांत्रिक समाजवाद को अगर पनपाना है और उस का विकास करना है, तो उग्रपंथी लोगों, उग्रवादी वामपंथी लोगों, साम्प्रदायिक पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों से सावधान रहना होगा। हमारा देश इतना बड़ा देश है और इस में बहुत से लोग रहते हैं।

इस्टीमेट्स कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बारे में कहा था और आज मैं कहना चाहता हूं कि कई बार सदन में इसकी चर्चा हो चुकी है। जनता पार्टी का जब राज आया, तो उस राज ने एक काम किया कि सुबह, शाम जब भी रेडियो, टी०वी० लगाते, तो पहले शाह कमीशन का नाम सुनते थे और यह नाम सुनते-सुनते लोग उकता गये थे। इस तरह से उन्होंने चरित्र हनन का काम किया।

.....(**व्यवधान**).....अपने कर्मों से आप चले गये और हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या उस जमाने में टी०वी० और रेडियो स्वतन्त्र था। लोग यह कहते थे कि यह शाह कमीशन क्या है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम होता है, तो वह कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम नहीं होता है। वह लीडर आफ दि नेशन का प्रोग्राम होता है। आप बार-बार यह बात कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा कवरज दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी का नहीं होता है। वह **लीडर आफ दि व्होल हाऊस** है, **व्होल आफ दि नेशन** है। इसलिये यह जो आप कहते हैं यह सही नहीं है। श्री एन०टी० रामा राव की जहां तक बात है उन्होंने अभी अपने कपड़े बदले हैं और दिल भी बदल जायेगा और अब शायद वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद): मुझे एन० टी० आर के बारे में कही गयी बातों पर आपत्ति है। उन्हें अपना बचाव करने का अवसर नहीं मिलेगा।(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय: जब आप के पक्ष की ओर से माननीय सदस्य बोल रहे थे, तब उन्होंने बताया था कि आन्ध्रप्रदेश के चुनाव परिणामों तथा अन्य बातों के बारे में किस प्रकार घोषणा नहीं की गयी थी। उस समय वह उसका उत्तर देना चाहते थे। किन्तु उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। उस का वह अब उत्तर दे रहे हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी: उन्होंने उनके वस्त्रों, आदि के बारे में कहा था।(**व्यवधान**)

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि): आप इस पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं। मेरे विचार में यह असंसदीय या निन्दात्मक तो नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा: पहले दिन जब आप यहां पधारे थे, तो उस दिन के मैंने कपड़े देखे और आज आप की जो ड्रेस है और उस में जो फर्क है, उस से मैं आश्चर्य-चकित हूं। वह ड्रेस कहां गई। पहले दिन जो कपड़े आप पहन कर आये थे वे आपने छोड़ दिये। मैं तो रियेली उस दिन देख कर चकित रह गया और लोबी में भी जो लोग बैठे थे, उन का यह इम्प्रेशन था कि ये संत लोग कहां से आ गये हैं और ये क्या हिमालय की तलहटी से घूम कर आये हैं लेकिन आप ने अब वह ड्रेस छोड़ दी और आप भी हमारी ड्रेस में आ गये। इस तरह से आप हमारी बात मान रहे हैं। यह क्या आप की पालिसी है। इस से कोई फायदा है। सवाल यह है कि रेडियो और टी०वी० किस लिये हैं। गवर्नमेंट की जो नीति है और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो वह कार्य कर रही है, उस का प्रचार होगा या कोई और बात का प्रचार होगा। कई बार सवालों का जवाब दिया जाता है।.....(**व्यवधान**).....

अब मैं वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले कहा था :–

[अनुवाद]

"प्रधान मंत्री ने हाल ही में कहा कि वह आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायतत्ता देने के पक्ष में नहीं है। इसके कारण ये हैं: समाचारपत्रों का रवैया पक्षपातपूर्ण है, वे विकास कार्यों के बारे में समाचार नहीं देते हैं, वे लोगों में निराशा उत्पन्न करते हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति के बारे में समाचार देते हैं और राष्ट्र के भविष्य में लोगों का विश्वास उत्पन्न करने में मदद देते हैं। यद्यपि यह तर्क पूर्ण रूप से दोष रहित नहीं है।"

[हिन्दी]

रेडियो और टी०वी० पर देश की उपलब्धियों को बताया जाता है। बाहर के विदेशी लोग आएं तो रूलिंग पार्टी के जो मंत्री होंगे वे ही जायेंगे, दूसरी पार्टी के तो नहीं जायेंगे। मैंने देखा है कि आपका भाषण भी होता है टी०वी० पर। जब चुनाव आता है तो विरोधी पार्टी के लोगों को अवसर दिया जाता है, वे अपने घोषणा-पत्र के बारे में बताते हैं। आप लोग गलत कहते हैं कि आपको अवसर नहीं दिया जाता और मैंने तो यह भी देखा है कि मंत्री जी विरोधियों से डरते है। विरोधियों का नाम ज्यादा आता है, गाडगिल साहब सुन लीजिये, आप भी जानते होंगे और रेडियो-टेलीविजन के अफसर भी जानते होंगे विरोधियों का नाम बढ़ा-चढ़ा कर बोला जाता है, शायद वे कान खींचेंगे, हम तो गांधी जी के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं और हम कहते कुछ नहीं हैं। विरोधियों का बहुत प्रचार होता है, वह एक सेंटेंस बोलते हैं तो चार सेंटेंस में उनका प्रचार होता है, हमारे लोग जो बोलते हैं तो एक लिस्ट पढ़ दी जाती है कि हरीश रावत, मुंशी, महाजन, डागा आलसो स्पोक।

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : श्री मूलचन्द डागा द्वारा दिया गया कारण इस बात का परिचायक है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा जो समाचार दिये जाते हैं वे सही और वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : ये एन०टी० रामाराव के जो शिष्य आये हैं, उनको जवाब देना चाहिये। .....(**व्यवधान**).....

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : उनकी जानकारी अद्यतन नहीं है।

श्री अमल दत्त : आप केवल यह कह रहे हैं कि अभी समय नहीं आया है। कभी तो समय आयेगा।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी का एक नेता हो और उसके फालोअर्स हों तो इस बारे में सोचा जा सकता है। यहां पर तो रोज नई

पार्टियां बनती हैं, ऐसी स्थिति में इसको आटोनामस बाडी कैसे बनाया जा सकता है। कितनी पार्टियां हैं। लोकदल के कितने मेंबर हैं, उसका नाम दमकिपा कर दिया है। दो मेंबर हैं उनके, उनका क्या प्रचार करें? इतनी पार्टियां हैं हिन्दुस्तान में, मेहरबानी करके आप सब एक हो जाओ और एक मजबूत पार्टी बन जाओ, फिर इसमें कुछ सुधार के बारे में सोचा जा सकता है। इनका क्या प्रचार करें, रोज आपस में लड़ते हैं, आज बहुगुणा जी उप सभापति बन गये, आपकी कोई नीति नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, आप लोग देश को गुमराह करने के लिये तरीके ढूंढते हैं। देश के लोगों को विरोधी पार्टियां गुमराह करती हैं। इसलिये अभी समय नहीं है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी को आटोनामस बनाया जाये। यह तो गवर्नमेंट मीडिया है, सरकार जिसकी चलती है, उसकी नीतियों को बताया जाता है, योजनाओं का प्रचार किया जाता है और देश को आगे बढ़ाने की जानकारी दी जाती है। इस लिये आप इसमें सहयोग दीजिये, अगर आप सहयोग देते हैं तो आप लोगों का नाम ऊंचा होगा।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : यही कुछ पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1948 में कहा था।

5.20 म०प० [श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : इसलिये इस प्रस्ताव को आप वापिस ले लें, जब समय आयेगा तो इसमें परिवर्तन किया जायेगा।

[अनुवाद]

***श्री श्रीहरि राव** (राजामुन्द्री) : सभापति महोदय, मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निगम बनाने हेतु संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वास्तव में यह प्रस्ताव सरकार के पास काफी लम्बे समय से पड़ा हुआ है, किन्तु आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निकायों में बदलने के लिये अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। आश्चर्य है कि सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य इस संकल्प का विरोध कर रहे हैं। वे इस संकल्प का विरोध केवल विरोध की खातिर ही कर रहे हैं। अन्यथा वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निकायों में बदल देना ही सही दिशा में एक पग है। और इस से लोगों के हितों का पोषण होगा। मंत्री पीठों पर आसीन माननीय सदस्य वही लोग हैं जिन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निकायों में बदलने के लिये एक बार जोरदार शब्दों में कहा था। अब उनका दृष्टिकोण बदल गया है। वस्तुतः यह एक खेद की बात है। उस समय जब शाह आयोग जांच कर रहा था, तब कांग्रेस के इन्हीं सदस्यों ने तत्कालीन सरकार को दोषी ठहराया था और यह आग्रह किया था कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वतन्त्र होना चाहिये। किन्तु अब वे कहते हैं कि इन निकायों को स्वायतत्ता का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिये। महोदय, जहां तक जनसंख्या का संबंध है, हमारा देश सब से बड़ा लोकतन्त्र है और हमारा दूसरा स्थान है। यदि आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त

*तेलुगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

निगमों में बदल दिया जाता है, तो वे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बेहतर स्थिति में होंगे और उनके साथ न्याय करेंगे । न्याय सभी दलों के साथ भी किया जा सकता है । यदि सभी दलों के साथ न्याय करना है, तो यह बहुत ही आवश्यक है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को सत्तारूढ़ दल के प्रभाव से दूर रखा जाये । यह केवल तभी संभव हो सकता है जब वे स्वायत्त हों । मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा । इस समय आकाशवाणी और दूरदर्शन किस तरह कार्य कर रहे हैं । जब हमारे प्रिय नेता श्री एन०टी० रामाराव को सत्ता से हटा दिया गया था, यद्यपि उन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त था, तब दूरदर्शन ने यह समाचार दिया था कि श्री एन०टी० रामाराव को बहुमत प्राप्त नहीं था । सच्चाई क्या थी, यह तो सभी जानते थे । बी०बी०सी० ने सही समाचार दिया था कि श्री एन०टी० रामाराव को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है । कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विश्वास नहीं करता था और वे प्रमाणित समाचारों के लिये बी०बी०सी० पर निर्भर करते थे इससे पता चलता है कि लोगों ने किस प्रकार आकाशवाणी में अपना विश्वास खो दिया था और किस प्रकार उन्होंने सही समाचारों के लिये बी०बी०सी० पर अधिक निर्भर करना शुरू कर दिया । जो कुछ बी०बी०सी० ने कहा था, वह अन्त में सच निकला । बी०बी०सी० का कथन सच निकला और श्री एन० टी० रामाराव ने अपना बहुमत प्रमाणित कर दिया । बी०बी०सी० इसकी भविष्य-वाणी कर सकती थी कि किस सीमा तक श्री एन०टी० रामाराव को बहुमत प्राप्त है । किन्तु हमारे अपने माध्यम आकाशवाणी और दूरदर्शन ने भिन्न दृष्टिकोण अपनाया था । रहस्य खुला और अब सब जानते हैं कि कौन सही है और कौन सही नहीं है । यह दिखाने के लिये केवल यही एक उदाहरण पर्याप्त है कि इस देश में लोग बी०बी०सी० पर विश्वास करने लगे हैं और उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में विश्वास खो दिया है । आकाशवाणी और दूरदर्शन सरकार के ही वक्ता हैं । वे सरकार के दृष्टिकोण का प्रचार करने में विश्वास रखते हैं । उनका दृष्टिकोण सरकार-समर्थक है । उन्हें लोगों की कोई चिन्ता नहीं है । वे लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखते हैं । अन्य राजनीतिक दलों को आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन से लाभ उठाने का कोई अवसर नहीं मिलता है । ये संगठन सत्तारूढ़ दल के आदर्शों और विचारों का ही प्रचार करते हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये । आकाशवाणी और दूरदर्शन को अवश्य ही स्वतन्त्र होना चाहिये । केवल तभी सभी के साथ न्याय हो सकेगा । आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निकायों में बदलने से हमारे समाज का प्रत्येक वर्ग सन्तुष्ट हो जायेगा ।

महोदय, आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम बहुत ही घटिया किस्म के होते हैं । ये कार्यक्रम न तो आकर्षक होते हैं और न ही प्रभावित करने वाले । कार्यक्रमों को चुनने का कोई उपयुक्त तरीका नहीं है । किसी भी नयी प्रतिभा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है । उदाहरणार्थ, मैं अपने स्कूल के दिनों से ही उन्हीं विवरणकारों से क्रिकेट के मैच का आंखों देखा हाल सुनता आ रहा हूं । गत 20 वर्षों से विवरणकारों में कोई परिवर्तन नहीं आया है । क्या कोई नये प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं ही नहीं ? नये व्यक्तियों को, चाहे वे कितने ही प्रतिभाशाली क्यों न हों, आकाशवाणी और दूरदर्शन में आने नहीं दिया जा रहा है । यही स्थिति कलाकारों के मामले में है । नये और उभरते हुए कलाकारों को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है । किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को आकाशवाणी या दूरदर्शन में कोई अवसर नहीं मिलता है । इस दुःखद स्थिति का क्या कारण है ? कोई भी नया व्यक्ति किसी प्रभाव या सिफारिश के बिना आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन

में अवसर प्राप्त करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता है। वे लोग, जिनका कोई प्रभाव नहीं है, कभी भी इन संगठनों में स्थान प्राप्त करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इस देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यहां कई प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी अब तक उपेक्षा की गई है किन्तु जो बहुत ही अधिक प्रतिभाशाली हैं, अवश्य ही अवसर दिया जाना चाहिये। उन्हें अवश्य ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। किन्तु दुर्भाग्यवश आकाशवाणी और दूरदर्शन ऐसा नहीं कर रहे हैं। देश में प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं विवरणकारों और उन्हीं पुराने कलाकारों से सुनते सुनते तंग आ गया है। इसीलिये मैं इन संगठनों का कायाकल्प करने का अनुरोध करता हूं। यह केवल तभी ही संभव है जब वे स्वायत्त निकाय हों। सरकार को आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निगमों में बदलने के लिये फौरन पग उठाने चाहिएं। जब आकाशवाणी और दूरदर्शन स्वायत्त निगम बन जायेंगे, तब सब कुछ ठीक प्रकार से होने लगेगा। प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सही स्थान प्राप्त होगा। कार्यक्रम नीरस और हल्के नहीं होंगे। सभी के साथ न्याय हो सकेगा। इन संगठनों की प्रगति अच्छी प्रकार से हो सकेगी। वे अपनी विश्वसनीयता को एक बार फिर स्थापित कर सकेंगे। लोग आकाशवाणी और दूरदर्शन को पसन्द करने लगेंगे। मुझे आशा है कि सरकार इसके प्रति अनुकूल रवैया अपनायेगी। अन्यथा, मुझे भय है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन सत्तारूढ़ दल का ही प्रचार करते रहेंगे। आज कांग्रेस दल है कल कोई दूसरा दल हो सकता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन सत्तारूढ़ दल की नीतियों तथा दृष्टिकोण को ही उजागर करते रहेंगे। इसलिये, इस स्थिति से बचने के लिये मैं एक बार फिर आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निगमों में बदलने के लिये अनुरोध करता हूं।

मैं जोरदार शब्दों में इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री बाई० एस० महाजन (जलगांव) : मैं श्री रघुमा रेड्डी द्वारा पेश किये गये संकल्प का विरोध करता हूं।

इस विषय पर पंडित नेहरू के समय से गत 30-40 वर्षों में यदा कदा चर्चा होती रही है। आकाशवाणी हमारे पास लगभग 45 वर्षों से है और दूरदर्शन ने हमारे सामाजिक जीवन में 1959 में प्रवेश किया था। यह शीघ्र ही अपनी रजत जयन्ती मनाने वाला है।

इस संकल्प में सरकार के विभाग के बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्रियाकलापों का उल्लेख है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इन दिनों में सूचना प्रणालियां और संचार माध्यमों का अत्याधिक महत्व है। सरकार की सफलता काफी हद तक इन माध्यमों के उचित उपयोग पर निर्भर करती है।

अब ये माध्यम एक सरकारी विभाग से सम्बद्ध है परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि वे सरकार के लिए कार्य करते हैं। उनका कृत्य पक्षपात पूर्ण स्वरूप का नहीं है परन्तु उनका कृत्य समाज को सूचना प्रदान करना, लोगों को शिक्षित करना तथा उनका मनोरंजन करना है न कि केवल कांग्रेस दल के सदस्यों का। इस सम्बन्ध में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है।

श्रोतागण सभी प्रकार के लोग होते हैं न कि किसी दल विशेष के या क्षेत्र विशेष के । अतः ये माध्यम सांस्कृतिक मानकों तथा समूचे रूप से लोगों की जानकारी और निर्णय शक्ति के मानकों और स्तरों को बढ़ाने के लिए कार्य करते रहे हैं ।

बी० बी० सी० ने ब्रिटेन में एक ऐसे ढांचे की स्थापना की जो विश्व में अपने प्रकार का एक ही है । अतः हमारो देश में विपक्ष के कुछ सदस्य तथा कुछ बुद्धिजीवी लोग उस प्रकार के ढांचे को अपनाने का समर्थन करते रहे है । ऐसा प्रस्ताव पंडित नेहरू के समय में भी लाया गया था और मैं यह बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि उन्होंने उसे ऐसा मुद्दा नहीं माना था जिस पर तुरन्त विचार किया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि अन्ततोगत्वा हम इसे अपना आदर्श मान सकते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं । परन्तु उन दिनों में बी० बी० सी० ने वस्तुतः एक अच्छा ढांचा स्थापित किया था जिसकी समूचे विश्व के लोगों ने सराहना की थी । परन्तु बी० बी० सी० की आज क्या स्थिति है ? बी० बी० सी० ने अपनी छवि बिगाड़ ली है । कुछ दिनों पहले एक वक्ता ने खुले आम कहा कि किसी देश विशेष के नेताओं की हत्या कर दी जानी चाहिए और ऐसा भाषण बी० बी सी० से प्रसारित होने दिया गया । यह कितनी अपमान जनक और शर्मनाक बात है । क्या हम अपने समक्ष स्वायतत्ता का यही स्तर रखना चाहते हैं ? बी० बी० सी० अब कोई आदर्श नहीं रहा है । बी० बी० सी० की प्रबन्ध व्यवस्था बिल्कुल ही निराशाजनक हो गई है । उन देशों में, जो समाजवादी हैं तथा जहां का राजनीतिक ढांचा हमारे राजनैतिक ढांचे से भिन्न है वहां उनकी प्रणाली बिल्कुल ही भिन्न है । हम अपनी प्रणाली की तुलना उनकी प्रणाली के साथ नहीं कर सकते हैं । यहां पर अन्य विकासशील देश हैं । विकासित देशों में तो गैर-सरकारी उद्यम हैं । उनके ढांचे हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकते हैं । हमें ऐसे ढांचे के बारे में सोचना है जो हमारी अपनी सामाजिक और राजनीतिक दशाओं के अनुरूप हो तथा जो दशाएं इस समय हैं उनके अन्तर्गत, मैं समझता हूं कि, वर्तमान व्यवस्था सर्वोत्तम है ।

हमारे देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन सरकारी विभाग तो हैं परन्तु वे कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन करते हैं । वे मार्गदर्शी सिद्धान्त ये हैं कि उनको लोगों की आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों को लोगों के ध्यान में लाया जाये तथा उन्हें शिक्षित किया जाये । प्रतिदिन सुबह जब मैं उठता हूं तो मैं कृषि पर एक भाषण सुनता हूं । मैं कृषक समुदाय से हूं । यह भाषण अत्यन्त शिक्षापूर्ण होता है । प्रति दिन किसानों को बताया जाता है कि मौसम कैसा होगा, कौन सी फसलें उगाई जानी चाहिएं, उनकी देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए और भिन्न-भिन्न फसलों की देखभाल किस प्रकार की जाती है । इससे लाखों लोगों को फायदा होता है । बच्चों के लिए भी कार्यक्रम होते हैं । महिलाओं के लिए कार्यक्रम होते हैं । उद्योगपतियों के लिए कार्यक्रम होते हैं । मुझे मन्त्री महोदय से कहना है कि मैं सरकारी क्षेत्र में बहुत अधिक रूचि रखता हूं । मैं आशा करता हूं कि वह ऐसे कार्यक्रम लायेंगे जिनसे सरकारी क्षेत्र द्वारा किये गये कार्य और उसकी छवि उजागर हो सके । हमने यह मांग पहले भी रखी थी । इस पर अनुकूल रूप से विचार किया गया था परन्तु इस बारे में कुछ विशेष हुआ नहीं है । हमने सरकारी क्षेत्र में 5,000, 10,000 और 15,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगाकर बड़े-बड़े उद्योग लगाये हैं । लोग उनको

हो रहे घाटे की बात तो करते हैं परन्तु उनकी अच्छी बातों से भी लोगों को अवगत कराया जाना चाहिए। इस प्रकार इन माध्यमों से एक महान सेवा हो सकती है।

महोदय, इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि वर्गीज समिति ने कतिपय सिफारिशें की थी। संसद सदस्यों ने इस मामले पर चर्चा की थी और सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि वह समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकती। इस मामले पर प्राक्कलन समिति ने पुनः विचार किया था। इसने भी यही कहा था कि चूंकि इन माध्यमों को निष्पक्ष होने के लिए कहा गया है—चूंकि वे निष्पक्ष हैं और सरकार की नीतियों को लागू करने में मदद करते हैं इसलिए इस दिशा में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है।

महोदय, विपक्ष ने शिकायत की है कि ये माध्यम पक्षपातपूर्ण हैं और उनके पक्ष में नहीं हैं। हमारा अनुभव ठीक इसके विपरीत है। यहां तक कि पिछले सत्र में हमने शिकायत की थी कि जब कभी भी विपक्ष के सदस्य कुछ कहते हैं तो वह समाचार-पत्रों में बड़े-बड़े शीर्षकों से प्रकाशित होता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी उनको प्रमुख स्थान प्राप्त होता है जबकि हमारे मामले में इतना कहा जाता है कि अमुक सदस्य ने भाषण दिया। महोदय, कोई सदस्य अत्यधिक अध्ययन करने के बाद अपना विचार व्यक्त करता है और उसके बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कुछ नहीं आता। केवल इतना ही समाचार आता है कि उन्होंने भी भाषण दिया। इसके बावजूद विपक्ष के सदस्य यह कहने का दुस्साहस करते हैं कि ये माध्यम पक्षपातपूर्ण हैं। इन माध्यमों से कहा जाना चाहिए कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि वे सरकारी पक्ष के प्रति भी उचित रवैया अपनायें।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जहां तक मनोरंजन कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं जो 30 या 50 वर्ष पुरानी होती हैं। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप हाल के फिल्म-निर्माताओं को भुगतान क्यों नहीं करना चाहते हैं? पुरानी फिल्में क्यों दिखाई जाती हैं?

एक शिकायत यह है कि इन माध्यमों का प्रबन्ध दफ्तरशाहों के हाथों में न होकर पेशावर लोगों के हाथों में होना चाहिए पेशावर लोग जनता की आवश्यकताएं श्रेयस्कर ढंग से पूरी कर सकेंगे और इस प्रकार दफतरशाहों को पेशावर लोगों पर अपना हुकम नहीं चलाना चाहिए।

समाचार है कि अनुसंधान और विकास के लिए प्रावधान बहुत ही तुच्छ है। 20 लाख रुपयों में से 18 लाख रुपए कर्मचारियों के वेतनों पर खर्च किये जाते हैं। संचार एक ऐसा क्षेत्र है जहां तेजी से प्रगति हो रही है। संगत प्रौद्योगिकी को हर पांचवें या दसवें वर्ष बदला जा रहा है। अतः हमें अनुसंधान और विकास पर 20 लाख रुपए की बजाय इसका दस गुणा खर्च करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी सेवाएं तकनीकी दृष्टि से सर्वोत्तम है

महोदय, मैं मन्त्री महोदय और उनसे पहले जो मन्त्री थे उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ने दूरदर्शन का प्रसार किया जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने हमारे देश के 75 प्रतिशत लोगों तक दूरदर्शन पहुंचाया है। इतने कम समय में समूचे देश में इसका प्रसार वस्तुतः एक बहुत बड़ा कार्य है।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ मैं इस संकल्प का पूरी तरह से विरोध करता हूं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : सभापति महोदय, मैं देश की वर्तमान स्थिति और इस विषय के महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस संकल्प का कड़ा विरोध करता हूं, न कि इसलिए कि यह विपक्ष के सदस्य द्वारा लाया गया है ।

सभापति महोदय, पहली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इसका विरोध क्यों करता हूं । स्वायत्त निकाय और निगम की धारणा अच्छी है । आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे संगठनों को स्वायतत्ता प्रदान करने का विचार बहुत अच्छा है । हम इस बारे में समूचे विश्व के ऐसे संगठनों का अध्ययन करें जहां यह प्रणाली चल रही है और किस ढंग से चल रही है । विपक्ष के श्री अमल दत्ता ने इस संकल्प का समर्थन बहुत ही स्पष्ट रूप से तथा जोरदार ढंग से किया है । मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि वह साम्यवादी देशों में दूरदर्शन के बारे में जो धारणा है उसे और अधिक स्पष्ट करें । लगभग इन सभी देशों में—मैं ऐसा उनके राष्ट्र तथा उनकी क्रांति के प्रति अपने पूरे आदर के साथ कह रहा हूं—विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेंसियों द्वारा पाश्चात्य दशों और विकासशील देशों के बारे में प्रकाशित समाचारों को प्रसारित करने की अनुमति तक नहीं दी जाती है । . . . (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : पहले आप साम्यवादी बनिये । तब आप समझेंगे . . . . . .

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : इसीलिए मैं साम्यवादी नहीं बनता हूं ।

श्री अमल दत्त : आप 'बूर्जुआ' प्रणाली की साम्यवादी प्रणाली से तुलना नहीं कर सकते हैं । इतना ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : अब हमें उस प्रणाली को छोड़ देना चाहिए ।

श्री अमल दत्त : ये दो भिन्न-भिन्न प्रणालियां हैं । उनकी तुलना नहीं की जा सकती ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : सभापति महोदय, पोलैंड में क्या हुआ ? आप जानते हैं पोलैंड में क्या हुआ ।

प्रो० एन०जी० रंगा (गुन्टूर) : पूर्ण एकता ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : समूचे साम्यवादी जगत में किसी भी रेडियो और टेलीविजन ने एक शब्द भी नहीं कहा । आप कहते हैं कि हम अखंडता की रक्षा कर रहे हैं अथवा प्रतिक्रियावाद का मुकाबला कर रहे हैं ठीक है, मुझे इसकी परवाह नहीं है । मैं इसका समर्थन करता हूं । परन्तु मैं कहता हूं कि जो प्रणाली है, हमें उस प्रणाली की जानकारी होनी चाहिए । यहां पर पश्चिमी जगत है और विकासशील देश है । महोदय, अभी-अभी तेलुगु देशम पार्टी के एक सदस्य अपने भाषण में बी० बी० सी० का जोरदार पक्षपोषण कर रहे थे । मैं भाषांतरण को सुन रहा था । मैं समझता हूं, मैं गलत नहीं हूं । उन्होंने कहा कि इन दिनों बी० बी० सी० के सुनने के बाद तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन को सुनने के बाद वह महसूस करते हैं कि लोगों की बी० बी० सी० में आस्था होनी शुरू हो गई है क्योंकि बी० बी० सी०, जो आज कहता है, वही कल सच हो जाता है । मैं समझता हूं कि ये सदस्य कल शायद उस वक्त गैर-हाजिर थे जब पंजाब पर चर्चा हो रही थी । उसके बावजूद, उनके दिल में बी० बी० सी० के प्रति इतना अधिक सम्मान है मैं समझता हूं कि श्री एम० टी० रामाराव, जो देशभक्त होने का दम भरते हैं, उनको अपनी पार्टी से निकाल देंगे । . . . . . (**व्यवधान**) . . . . . जो, कुछ भी हो सभापति महोदय, ... (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : जो प्रसंग चल रहा है आप उसे समझिये..... **(व्यवधान)**

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहता हूं। यदि मैंने भाषान्तरण सही ढंग से सुना है—मैं तेलुगु नहीं समझता हूं—तो उन्होंने यह कहा कि उनकी बी० बी० सी० में बड़ी भारी आस्था हो गई है और लोगों में भी ऐसी ही आस्था होने लगी है। यदि आपकी यही भावना है तो मैं कहता हू कि श्री रामा राव आपको अपनी पार्टी में नहीं रख सकते।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उन्हें आपात काल के दिनों की याद आ रही थी। **(व्यवधान)**.....

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : सभापति महोदय, हमारी जो आस्था थी उसकी हमने कीमत चुका दी है। मैं उन से कहता हूं : आपकी जो आस्था थी। उसकी आप ने भी कीमत चुका दी है। श्री अमल दत्त संचार माध्यमों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए जोरदार दलील दे रहे थे। मैं यहां पर दो मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। मेरे पास एक पत्रिका है। इसका नाम 'वेस्ट बंगाल है। पश्चिम बंगाल सरकार के एक प्रवक्ता ने यह कहा है। ध्यान दीजिए, वह सरकार का प्रवक्ता है—न कि किसी दल अथवा किसी संगठन का। यह पश्चिमी बंगाल सरकार के सूचना एवं संस्कृति कार्य विभाग के निदेशक द्वारा प्रकाशित की जाती है। मैं इस प्रति के हजारों खंड प्रस्तुत कर सकता हूं जिनमें वे कांग्रेस जैसी पार्टी पर सीधे आरोप लगा रहे हैं। यह साम्यवादी मार्क्सवादी नामक पार्टी का प्रचार है। यह जोरदार ढंग से किया जाता है। मैं केवल एक बात उद्धृत करता हू। यह हाल ही में हुए लोक सभा चुनावों के बाद की बात है। उसके बाद आप स्वयं निष्कर्ष निकालें, आप अपना निर्णय लीजिए कि क्या यह सरकारी विभाग होने के नाते स्वायत्तता अथवा स्वतंत्रता का निर्वाह कर रहा है। लोक सभा के चुनाव के बाद मुख्य मन्त्री ने जो कुछ कहा वह इस प्रकाशन में है। मैं इसे उद्धृत करता हूं :

"कांग्रेस-ई की विजय लोक तंत्र और जन समुदाय के आर्थिक कल्याण के लिए अशुभ है।"
(व्यवधान).....

यह सरकारी पुस्तक है, यह पश्चिमी बंगाल सरकार का एक प्रकाशन है.....

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इधर उधर मत बोलिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया सभापति को सम्बोधित करें। व्यवधान की ओर ध्यान न दें। जो सदस्य बैठे-बैठे बोल रहे हैं उन्हें भी महत्व न दें। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री अमल दत्त : टेलीविजन और रेडियो से इसका क्या मतलब है? यह संदर्भ बाह्य है।

सभापति महोदय : उनको आगे बोलने दीजिए।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं यह बात नहीं मान रहा हूं ।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जिस किसी सदस्य ने अपनी सीट पर बैठे-बैठे जो टिप्पणी की है उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मलित नहीं किया जायेगा ।

श्री अमल दत्त : तब मैं खड़ा होकर बोलूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : महोदय, माननीय सदस्य यहां जो कुछ बोल रहे हैं वह पूर्णतया असंगत और अप्रासंगिक है और यह आपका कर्त्तव्य है कि आप उन्हें कहें कि वह राज्य सरकार के पत्र से उद्धरण न दें । मैं सभा को इस बात विशेष का स्मरण कराता हूं । सभापति महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सदस्य को संगत बात बोलने के लिए कहें क्योंकि वह पूर्णतया असंगत बात कह रहे हैं । उनको रेडियो और टेलीविजन के बारे में बोलना चाहिए न कि पश्चिमी बंगाल सरकार की पत्रिका से उद्धरण देना चाहिए । वह यहां पर इससे उद्धरण नहीं दे सकते हैं । आपको उनको इससे उद्धरण देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए । **(व्यवधान)**

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय, यह संसद है.....**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : वह पत्रिका से उद्धरण नहीं दे रहे हैं सिर्फ उल्लेख कर रहे हैं ।

श्री अमल दत्त : तब फिर यह पत्रिका से पढ़कर सुनाने का क्या प्रयोजन है । वह पत्रिका से उद्धरण दे रहे हैं और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । यह संकल्प विशेष रेडियो और टेलीविजन के बारे में है । उनको राज्य सरकार की पत्रिका से उद्धरण देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । महोदय, उन्होंने पत्रिका से जो कुछ उद्धृत किया है उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय, मुझे उनका मार्ग दर्शन नहीं चाहिए । मुझे अध्यक्षपीठ का मार्ग दर्शन चाहिए । **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : महोदय, आप कृपया इस पर अपना विनिर्णय देने की कृपा करें । मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं कि जो कुछ वह कर रहे हैं वह असंगत है ।

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाइये । यदि आप मेरा विनिर्णय चाहते हैं तो कृपया यह बतलाइये कि उन्होंने किस नियम का उल्लंघन किया है ।

श्री अमल दत्त : इस मामले में किसी नियम को उद्धृत नहीं किया जा सकता क्योंकि सदस्य महोदय असंगत बातें करते जा रहे हैं । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया आप यह बतलायें कि यहां किस नियम का उल्लंघन हुआ है ।

श्री वासुदेव आचार्य : वह आलोचना कर रहे हैं.....**(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री अमल दत्त : वह न केवल राज्य सरकार की पत्रिका का हवाला दे रहे हैं बल्कि वह आलोचना भी कर रहे हैं। अतः आप उन्हें व्यवस्था बनाये रखने का आदेश दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री दास मुंशी, कृपया आप अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

प्रो० एन०जी० रंगा : महोदय वह सभा की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 356 को देखें। मैं उसे पढ़ता हूं :

"356. अध्यक्ष ऐसे सदस्य के आचरण की ओर, जो वाद-विवाद में बार-बार असंगत बातें करे या जो स्वयं अपने प्रतकों की या अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त प्रतकों की उक्ता देने वाली पुनरुक्ति करता रहे सभा का ध्यान दिला देने के बाद उस सदस्य को अपना भाषण बन्द करने का निदेश दे सकेगा।"

(व्यवधान)

अतः यह बिल्कुल असंगत है। सदस्य महोदय जो कुछ भी कह रहे हैं, उसका इस विशेष संकल्प से कोई संबंध नहीं है। कृपया आप देखें कि उन्होंने क्या कहा है। कार्यवाही-वृत्तांत में जो कुछ भी शामिल किया गया है उसे पढ़ा जाये।

सभापति महोदय : एक बार और मैं आपका ध्यान इस नियम की ओर दिलाता हूं। इसमें कहा गया है :

"अध्यक्ष ऐसे सदस्य के आचरण की ओर, जो वाद-विवाद में बार-बार असंगत बातें करें ....."

मैंने ध्यान.....

श्री अमल दत्त : सभा का ध्यान दिलाना था न कि उनका ध्यान दिलाना था। आपको सभा को सूचित करना है कि यह सदस्य असंगत बातें कर रहें हैं और आप उन्हें अपना भाषण समाप्त करने का आदेश दे रहे हैं..... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कुछ भी असंगत नहीं है। नियमों के अनुसार व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री अमल दत्त : कार्यवाही-वृत्तांत में जो कुछ शामिल किया गया है उसे देखने के पश्चात् ही आप को अपना निर्णय देना है। इस तरह नहीं।..... **(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। वह सभा में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं..... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है.....मेरे विनिर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें । आप ऐसा नहीं कह सकते । इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा

प्रो० मधु दंडवते : यदि आप अपना विनिर्णय देते समय कार्यवाही वृतांत को देखें, तो अनजाने में आपने कहा है कि "मैं इन नियमों को स्वीकार नहीं कर रहा हूं..... (व्यवधान)

सभापति महोदय : व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

श्री अमल दत्त : कार्यवाही-वृत्तांत में जो कुछ शामिल किया गया है उसे क्या आपने पढ़ा है ? बिना पढ़े आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह संगत है अथवा नहीं ? .....(व्यवधान) आपको अपना सुविचारित निर्णय देना है । बिना उस पर विचार किये आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ? आपको इस पर अवश्य विचार करना चाहिए कि इस दस्तावेज से उद्धरण देना इस वाद-विवाद के लिए संगत है अथवा नहीं । आपको इस पर अवश्य विचार करना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है और कार्यवाही वृतांत में क्या शामिल किया गया है । उसके बिना आप अपना विनिर्णय कैसे दे सकते हैं.....(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी की लगातार अवहेलना करता है, सभा का समय बरबाद करता है तथा असंगत बातें करता है तो आपको उस सदस्य को रोकने हेतु कोई उपाय ढूंढना होगा.....(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : वह कौन सा नियम है ?

प्रो० के० के० तिवारी : सभा का सामान्य नियम.....(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा ..... माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन माननीय सदस्य शान्त हो गये हैं । अतः मैं अब कुछ भी कहना नहीं चाहता ।

श्री अमल दत्त : श्री भगत ने जो कुछ कहा उसे मैंने नहीं सुना । मैं उनकी बात पुनः सुनना चाहता हूं ।

श्री एच० के० एल० भगत : मुझे प्रसन्नता है कि आप शान्त हो गये हैं । यही मैंने कहा था ।

श्री० प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस संकल्प में ये आरोप लगाये गये हैं कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन, जो जन संचार के एक शक्तिशाली माध्यम हैं, प्राधिकार तथा शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपना समय केवल कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए लगा रहे हैं इस संबंध में मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा, अर्थात् अलग-अलग राज्यों से एक दस्तावेज प्रकाशित किया जाता है जो न केवल पश्चिम बंगाल में प्रकाशित होता है, बल्कि

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

पूरे देश में प्रकाशित होता है। उस दस्तावेज में सरकार के कृत्यों तथा काम का उल्लेख के साथ-साथ उसे सरकारी प्रवक्ता के रूप में माना जाता है। लेकिन इसमें राजनैतिक व्यंजना नहीं होनी चाहिए।

श्री अमल दत्त : क्या यह असम्बद्ध नहीं है ?.....(**व्यवधान**)**

प्रो० मधु दंडवते : मेरा सुझाव है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री के संबंध में टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : आपने कई बार गुजरात के मुख्य मन्त्री के नाम का उल्लेख किया है। आपने ऐसा प्रायः किया है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे ? उसे भी कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : महोदय, आप मुझे बोलने से हर समय रोकते हैं। मैं तो केवल यह पूछ रहा हूं कि पश्चिम बंगाल का यह प्रकाशन इस वाद-विवाद से कैसे सम्बद्ध है। इसमें उसका क्या मतलब है ? यदि वह यह स्थापित कर दें कि उस प्रकाशन और दूरदर्शन और आकाशवाणी में कोई सम्बन्ध है, तो उनके तर्क संगत होंगे।

सभापति महोदय : मैंने अपना विनिर्णय पहले ही दे दिया है। कृपया बैठ जाइये। मेरे विनिर्णय पर कोई चर्चा नहीं होगी।

(**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : श्री दास मुंशी की बात सुन लें।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : आप मेरे वाक्यों को कार्यवाही वृतांत से निकाल सकते हैं परन्तु ऐसा न कीजिए।.....**

श्री अमल दत्त : न तो आप और न ही पीठासीन अधिकारी ऐसा कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं इस बात को प्रमाणित करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि .....(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : श्री प्रिय रंजन दास मुंशी के दो वाक्य अवश्य कार्यवाही वृतांत से निकाल दिये जाने चाहिएं।.....(**व्यवधान**)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :.....(**व्यवधान**).....
यदि आप ऐसा करते रहेंगे, तो मैं हमेशा आपको परेशान करता रहूंगा। आपको एक दिन भी नहीं बोलने दूंगा.....(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप दो वाक्यों के बारे में कह रहे हैं। हम कार्यवाही वृत्तांत का अध्ययन करेंगे। यदि वे नियमों के विरुद्ध होंगे, तो उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा श्री दास मुंशी, आप आगे बोलिए।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : संकल्प का मूल आशय यह है। कृपया संकल्प को पढ़िये। यह क्या कहता है? यह इस प्रकार है :

"यह सभा संकल्प करती है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निगमों का रूप दिया जाए, ताकि जन-सम्पर्क के इन माध्यमों की वस्तुनिष्ठा, निष्पक्षता और स्वतन्त्रता सुनिश्चित की जा सके।"

मैं यह प्रमाणित करना चाहता हूं कि सरकारी संगठनों–आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी राजनीतिक व्यंजनाओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। यदि आकाशवाणी और दूरदर्शन यह कहते रहें कि कांग्रेस की विजय का अर्थ तेलगू देशम और लोक दल के लिए घोर विपत्ति है अथवा यदि दूरदर्शन और आकाशवाणी यह कहते हैं कि कांग्रेस (ई) की विजय का अर्थ ग्रह है, कि विपक्ष भ्रष्ट है आदि। तब तो मैं उसे बुरा कहूंगा और समझूंगा कि यह बात गलत है। उस बहाने, मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था कि लोक सभा चुनावों के बाद देश के विभिन्न भागों से कुछ प्रकाशन निकाले गये हैं जिनमें से एक प्रकाशन पश्चिम बंगाल सरकार का भी है।

इसके बारे में मुख्य मन्त्री ने जो कहा है, उसका एक उद्धरण है। मैं उसे उद्धृत करता हूं। (**व्यवधान**) इस में बुराई क्या है?

सभापति महोदय : क्या आप प्रधान मन्त्री को उद्धृत नहीं कर रहे हैं?

श्री अमल दत्त : इसका आकाशवाणी और दूरदर्शन से क्या सम्बन्ध है?

सभापति महोदय : क्या आप प्रधान मन्त्री को उद्धृत नहीं कर रहे हैं?

श्री अमल दत्त : किस संबंध में? (**व्यवधान**)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय, मैं इस संबंध में विनिर्णय चाहता हूं कि क्या किसी राज्य अथवा केन्द्र में किसी सरकार द्वारा प्रकाशित किसी प्रकाशन से उद्धरण देना अर्थात्, किसी जन प्रतिनिधि या सरकार द्वारा प्रकाशित किसी अभिलेख में से कोई पाठ उद्धृत करना असंसदीय है।

सभापति महोदय : यदि वह संगत है तो यह आपका अधिकार है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : ठीक है। और मैं क्या कह रहा था? मैं उद्धृत करता हूं :

"पूरे भारत में कांग्रेस (इ) की भारी विजय लोकतंत्र और जन सामान्य की आर्थिक खुशहाली के लिए अपशकुन है। कांग्रेस (ई) ने पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से वामपंथी ताकतों के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विजय हासिल की है। यह हमारे लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मृत इंदिरा गांधी जीवित इंदिरा गांधी से अधिक शक्तिशाली है। इस चुनाव में इंदिरा के प्रति सहानुभूति ने भारी संख्या में वोट लिए।

पूरी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वामपंथी सरकार के सदस्यों द्वारा पश्चिम बंगाल में पूरे चुनाव की समीक्षा की जाएगी। हम उन सब का समर्थन प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयास करेंगे जिन्होंने प्रभाव में आकर कांग्रेस (इ) को वोट दिये हैं।"

यह उद्धरण उस अभिलेख से है। (**व्यवधान**) महोदय, यदि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (इ) के महासचिव द्वारा किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध ऐसी बातें प्रकाशित की जाती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, परन्तु यदि ऐसी बातें आकाशवाणी, दूरदर्शन पर अथवा किसी सरकारी प्रकाशन में—किसी दल द्वारा किसी दूसरे दल के विरुद्ध कही जाती हैं, तो मैं इसे निष्पक्ष नहीं मानूंगा; यह वस्तुनिष्ठ नहीं है। मेरा कहना यह था। यह अनैतिक था। मेरा कहना यह था। (**व्यवधान**) हम सभी जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में दंगे हुए थे। यदि आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने प्रचार माध्यम में, यह बताते रहें कि ये दंगे ग्रुप क ने ग्रुप ख के विरुद्ध अथवा ग्रुप ख ने ग्रुप क के विरुद्ध करवाए थे, तो यह बात निष्पक्ष नहीं है; यह वस्तुनिष्ठ नहीं है। उनका उद्देश्य दंगों को रोकना और शान्ति व भाईचारे की अपील करना होना चाहिए।

इसी प्रकार, यदि किसी सरकारी अभिलेख में किसी राजनीतिक दल, अथवा उनके दल के नेता द्वारा प्रकाशित लेख के माध्यम से उस अभिलेख में यह कहा जाता है कि कतिपय बातों के लिए कोई ग्रुप अथवा दल विशेष उत्तरदायी था और उनके लिए सिखों को उत्तरदायी ठहराया जाता है और इस लिए उनके धर्म पर आक्रमण किया जाता है—क्या आप उसे वस्तुनिष्ठ मानते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के प्रकाशन में यह भी प्रकाशित किया गया था। मैं तो केवल...

प्रो० के० के० तिवारी : मैं इसकी कड़ी निन्दा करता हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : ऐसी बातें किसी भी जन संचार माध्यम से, केवल दूरदर्शन अथवा आकाशवाणी से ही नहीं, अपितु किसी भी जनसंचार माध्यम से नहीं होनी चाहिएं।

सभापति महोदय : श्री दास मुंशी, आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब सभा सोमवार, 22 अप्रैल, 1985 के 11 म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 22 अप्रैल, 1985/2 वैशाख, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रभासमुंली—695/लोक सभा/85—16-4-86—210 पु०।